नियम

लोक सभा
के
प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन
नियम

सोलहवां संस्करण

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

लोक सभा
के
प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन
नियम

सोलहवां संस्करण

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
2019

सी.बी. (I) सं. 376

अप्रैल, 2019

मूल्य : 85.00 रुपये

© 2019 लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली

मै. जैनको आर्ट इंडिया, 13/10, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

आमुख

संविधान सभा (विधायी) के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों को, जो भारतीय संविधान लागू होने के तत्काल पूर्व प्रभावी थे, लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा संविधान के अनुच्छेद 118(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के निर्वहन में संशोधित तथा स्वीकृत किया गया था और "लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम" शीर्षक से 17 अप्रैल, 1952 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।

सितम्बर, 1954 तक सभा की नियम समिति की सिफारिशों के आधार पर अध्यक्ष द्वारा इन नियमों में समय-समय पर संशोधन किये गये।

सितम्बर, 1954 में नियम समिति ने यह निर्णय लिया कि संशोधन को प्रभावी किये जाने से पूर्व उसकी सिफारिशों को सभा द्वारा अनुमोदित करा लिया जाना चाहिए। तद्नुसार, नियमों में संशोधन की प्रक्रिया जैसीकि चौथे संस्करण के नियम 306 (वर्तमान संस्करण के नियम 331) में दी गई है, 15 अक्तूबर, 1954 से लागू हुई।

दिसम्बर, 1956 में नियम समिति ने सिफारिश की कि चौथे संस्करण में उल्लिखित नियम, समय-समय पर संशोधित रूप में, संविधान के अनुच्छेद 118(1) के अधीन सभा द्वारा अनुमोदित किये जायें। सभा इस पर सहमत हुई। तदनुसार नियमों का पांचवां संस्करण, जिसमें 28 मार्च, 1957 तक किये गये संशोधन सम्मिलित थे, उस दिन लोक सभा पटल पर रखा गया।

तीसरी लोक सभा के दौरान नियम समिति द्वारा सिफारिश किये गये तथा सभा की सहमति प्राप्त संशोधन पांचवें संस्करण के "मार्च, 1967 के पुनःमुद्रित अंक" में सम्मिलित कर लिए गए।

चौथी लोक सभा के दौरान नियम समिति द्वारा सिफारिश किये गये तथा सभा की सहमति प्राप्त संशोधन पांचवें संस्करण के "मार्च, 1971 के पुनःमुद्रित अंक" में सम्मिलित कर लिये गए।

पांचवीं लोक सभा के दौरान नियम समिति द्वारा कतिपय संशोधनों की सिफारिश की गई तथा सभा उनसे सहमत हुई। वे संशोधन इस छठे संस्करण में सम्मिलित किये गये थे जिन्हें अद्यतन कर लिया गया।

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम में छठी और सातवीं लोक सभा के दौरान कोई संशोधन नहीं किया गया।

आठवीं लोक सभा के दौरान लोक सभा के सभी प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों की गहराई से पुनरीक्षा की गई। जो नियम पहली बार 1952 में स्वीकृत किये गये थे, उनकी बाद में कभी व्यापक क्रमबद्ध पुनरीक्षा नहीं की गई। इसके फलस्वरूप कई मामलों में पिछले कई वर्षों से वास्तव में पालन की जा रही प्रक्रिया नियम पुस्तक में दिए गए संगत नियमों से भिन्न पाई गई। अन्य अनेक मामलों में विषय केवल पूर्वोदाहरणों और व्यवहृत प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किये जा रहे थे। इसलिए नियम समिति की स्वीकृति से इन नियमों की व्यापक पुनरीक्षा की गई ताकि उनमें प्रक्रिया संबंधी उन परिवर्तनों को शामिल किया जा सके जो अब तक किये जा चुके हैं। पुनरीक्षा करने के फलस्वरूप नियमों में अनेक संशोधनों/परिवर्तनों की आवश्यकता पड़ी। नियम समिति द्वारा इन संशोधनों पर विचार किया गया और समिति के दूसरे, तीसरे और चौथे प्रतिवेदन (1989), जिनमें इस संबंध में सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं, क्रमशः 2 और 3 मई, 1989 तथा 25 जुलाई, 1989 को सभा पटल पर रखे गये। बाद में इन्हें सभा द्वारा स्वीकृति दी गई। इस प्रकार किए गए संशोधन 9 मई और 1 अगस्त, 1989 से लागू हुए और इन्हें दिसम्बर, 1989 में प्रकाशित नियमों के सातवें संस्करण में शामिल किया गया।

नौवीं लोक सभा के दौरान 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम' में कोई संशोधन नहीं किया गया।

दसवीं लोक सभा के दौरान वर्तमान तीन विषय समितियों के स्थान पर 17 स्थायी समितियां, जिनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को शामिल किया गया है, बना करके संसद की विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों की पूर्णांग प्रणाली का सृजन किया गया। इन समितियों से संबंधित नियम और अन्य संशोधन, नियम समिति द्वारा सिफारिश किए गए और सभा द्वारा स्वीकृत किए गए रूप में, 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम' के आठवें संस्करण में शामिल किये गये थे।

ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान महिला सशक्तिकरण संबंधी एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति से संबंधित नियम तथा नियम समिति द्वारा सिफारिश किए गए और सभा द्वारा स्वीकृत किए गए अन्य संशोधनों को नियमों के नौंवे संस्करण में सम्मिलित किया गया।

बारहवीं लोक सभा के दौरान 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम' में कोई संशोधन नहीं किया गया।

तेरहवीं लोक सभा के दौरान समिति द्वारा संस्तुत और सभा द्वारा स्वीकृत एक नया नियम 374क 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम' के दसवें संस्करण में शामिल कर दिया गया।

वर्ष 2002 और 2004 के दौरान नियमों की पांचवीं अनुसूची में किए गए कुछ परिवर्तनों को मार्च, 2004 में नियमावली के ग्यारहवें संस्करण में शामिल कर लिया गया था।

चौदहवीं लोक सभा के दौरान नियम 72(2) तथा 331(घ) (1) में किए गए संशोधन और नियमों की पांचवीं अनुसूची में किए गए, नियम समिति द्वारा यथा संस्तुत तथा सभा द्वारा स्वीकृत परिवर्तनों को जुलाई, 2007 में नियमावली के बारहवें संस्करण में शामिल कर लिया गया था। तदुपरांत पांचवीं अनुसूची में किए गए संशोधनों को नियमावली के 13वें संस्करण में शामिल कर लिया गया था।

पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान नियम 33, 39, 46, 48, 49, 331क और 349 में नियम समिति द्वारा अपने पहले प्रतिवेदन में यथा संस्तुत संशोधनों जिन पर सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई थी, को नियमावली की पांचवीं अनुसूची में किए गए परिवर्तनों सहित नियमावली के जुलाई, 2010 के चौदहवें संस्करण में शामिल किया गया था। तत्पश्चात्, अक्तूबर, 2013 में चौदहवें संस्करण का पुन:मुद्रित संस्करण प्रकाशित किया गया जिसमें पांचवीं अनुसूची में किए गए और संशोधनों को शामिल किया गया। तत्पश्चात् नियम समिति द्वारा अपने दूसरे प्रतिवेदन में यथा संस्तुत तथा सभा द्वारा उस पर सहमति देने के बाद लिंग तटस्थ नियम 13 फरवरी, 2014 से प्रभावी हो गए।

तदनंतर, नियम समिति द्वारा अपने दूसरे प्रतिवेदन में यथा अनुशंसित और सभा द्वारा यथा सहमत लिंग निरपेक्ष नियम 13 फरवरी, 2014 को प्रवृत्त हुआ।

नियम समिति द्वारा अनुशंसित और नियम समिति द्वारा अपने दूसरे प्रतिवेदन में यथा अनुशंसित और फरवरी, 2014 में सभा द्वारा यथा सहमत याचिका संबंधी नियमों 160, 164(1), 167 और 169 में कतिपय संशोधन किए गए। इन संशोधनों और लिंग तटस्थ नियमों को नियमों के 15वें संस्करण में शामिल किया गया।

सोलहवीं लोक सभा के दौरान अनुपालन की जा रही वास्तविक प्रथाओं और नियम पुस्तिका में वर्णित नियमों में सामंजस्य लाने के लिए नियमों की समीक्षा की गई। समीक्षा के परिणामस्वरूप नया नियम 307क का समावेशन करने के अतिरिक्त नियमों की चौथी अनुसूची के भाग एक और नियम 162(2) और 164(1) में भी कतिपय संशोधन किये गये। इन नियमों की नियम समिति ने अनुशंसा की और सभा ने इन्हें अपनी सहमति दी।

साथ ही, नियम समिति द्वारा आचार समिति से संबंधित नए नियम 233क, 233ख, 316क, 316ख, 316ग, 316घ, 316ङ और 316च की अनुशंसा की और सभा ने इन नियमों के अंतर्गत तदर्थ आचार संबंधी समिति को स्थायी समिति बनाने पर सहमति दी।

वर्ष 2015, 2016 और 2018 के दौरान नियमों की पांचवीं अनुसूची में कुछ परिवर्तन भी किए गए।

नियमों तथा चौथी और पांचवीं अनुसूची में किये गए सभी संशोधनों को अब नियमों के इस संस्करण में शामिल किया गया है।

लोक सभा अध्यक्ष द्वारा संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 8 के अनुसार बनाये गये लोक सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985, जो 18 मार्च, 1986 से लागू हुए थे, परिशिष्ट चार के रूप में शामिल किये गये हैं।

नई दिल्ली;
अप्रैल, 2019

स्नेहलता श्रीवास्तव,
महासचिव।

विषय-सूची

नियम		पृष्ठ
	अध्याय 1	
	संक्षिप्त नाम और परिभाषाएं	
1.	संक्षिप्त नाम	1
2.	परिभाषाएं	1
	अध्याय 2	
	सदस्यों को आमंत्रण, उनका बैठना, शपथ या प्रतिज्ञान और सदस्यों की नामावली	
3.	आमंत्रण	3
4.	बैठने का क्रम	3
5.	शपथ या प्रतिज्ञान	3
6.	सदस्यों की नामावली	3
	अध्याय 3	
	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा सभापति-तालिका का नाम-निर्देशन	
7.	अध्यक्ष का निर्वाचन	4
8.	उपाध्यक्ष का निर्वाचन	5
9.	सभापति तालिका का नाम-निर्देशन	5
10.	उपाध्यक्ष या पीठासीन अन्य सदस्य की शक्तियां	6
	अध्याय 4	
	सभा की बैठकें	
11.	विधिवत गठित बैठक	7
12.	बैठक का प्रारंभ और समाप्ति	7
13.	बैठकों के दिन	7
14.	(लोप किया गया)	7
15.	सभा का स्थगन और पुनः बुलाने की प्रक्रिया	7

नियम		पृष्ठ
	अध्याय 5	
	राष्ट्रपति का अभिभाषण और सभा को संदेश	
16.	अभिभाषण पर चर्चा के लिये समय का नियतन.....	8
17.	चर्चा की व्याप्ति.....	8
18.	संशोधन.....	8
19.	अन्य कार्य जो किया जा सकेगा	8
20.	उत्तर देने का अधिकार.....	9
21.	भाषणों के लिए समय-सीमा.....	9
22.	अनुच्छेद 86(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति का अभिभाषण.....	9
23.	राष्ट्रपति से संदेश.....	9
24.	सत्रावसान पर राष्ट्रपति का अभिभाषण	9
	अध्याय 6	
	कार्य-विन्यास और कार्य-सूची	
25.	सरकारी कार्य का विन्यास	10
26.	गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए समय का नियतन.....	10
27.	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की पूर्ववर्तिता	10
28.	गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की पूर्ववर्तिता	12
29.	दिन के अन्त में गैर-सरकारी सदस्यों का अवशिष्ट कार्य.....	12
30.	गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक या संकल्प पर स्थगित वाद-विवाद का पुन:आरंभ	12
31.	कार्य-सूची	13
	अध्याय 7	
	प्रश्न	
32.	प्रश्न काल.....	14
33.	सूचना की अवधि.....	14
34.	सूचना का रूप	14
35.	गृहीत प्रश्नों की मंत्रियों को सूचना.....	14

नियम		पृष्ठ
36.	तारांकित प्रश्न	15
37.	तारांकित प्रश्नों की संख्या पर सीमा	15
38.	प्रश्नों के लिए दिनों का चक्रानुक्रमानुसार नियतन	15
39.	अतारांकित प्रश्न	15
40.	गैर-सरकारी सदस्यों से प्रश्न	17
41.	प्रश्नों की ग्राह्यता	17
42.	भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच पत्र-व्यवहार के विषयों पर प्रश्न	19
43.	अध्यक्ष प्रश्नों की ग्राह्यता का विनिश्चय करेगा/करेगी	20
44.	अध्यक्ष विनिश्चय करेगा/करेगी कि कोई प्रश्न तारांकित माना जाए या अतारांकित	20
45.	अतारांकित प्रश्नों की संख्या सीमा	20
46.	तारांकित प्रश्नों के पुकारे जाने का क्रम	21
47.	प्रश्नों की वापसी या स्थगन	21
48.	प्रश्न पूछने की रीति	21
49.	(लोप किया गया)	22
50.	अनुपूरक प्रश्न	22
51.	उत्तर में राज्य सभा की कार्यवाही की ओर निर्देश नहीं किया जाएगा	23
52.	सदस्यों को निर्दिष्ट लम्बित प्रश्नों का व्यपगत होना	23
53.	उत्तरों के पूर्व प्रकाशन पर रोक	23
54.	अल्प-सूचना प्रश्न	23

अध्याय 8

आधे घंटे की चर्चा

55.	प्रश्नों के उत्तर से उठने वाले विषयों पर चर्चा	25

अध्याय 9

स्थगन प्रस्ताव

56.	अध्यक्ष की सहमति	27
57.	सूचना	27

नियम		पृष्ठ
58.	प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार पर निर्बन्धन	27
59.	न्यायाधिकरणों, आयोगों आदि के विचाराधीन विषय	28
60.	स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति	29
61.	प्रस्ताव को लेने का समय	29
62.	वाद-विवाद का समापन.....	29
63.	भाषणों के लिए समय-सीमा.....	29

अध्याय 10

विधान

1. सभा में प्रारम्भ होने वाले विधेयक

विधेयकों का पुर:स्थापन और प्रकाशन

64.	पुर:स्थापन के पहले विधेयक का राजपत्र में प्रकाशन.....	30
65.	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को पुर:स्थापित करने की अनुमति की सूचना.....	30
66.	लम्बित किसी अन्य विधेयक पर निर्भर विधेयक	31
67.	समान विधेयक	31
68.	विधेयक पर राष्ट्रपति की सिफारिश पहुंचाना.....	31
69.	वित्तीय ज्ञापन और व्यय संबंधी खंड.....	31
70.	प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन	32
71.	अध्यादेशों के बारे में विवरण	32
72.	विधेयक की पुर:स्थापना का विरोध होने पर प्रक्रिया.....	32
73.	पुर:स्थापन के बाद विधेयक का राजपत्र में प्रकाशन.....	33

विधेयकों के पुर:स्थापन के बाद प्रस्ताव तथा वाद-विवाद की व्याप्ति

74.	विधेयकों के पुर:स्थापन के बाद प्रस्ताव	33
75.	विधेयक के सिद्धांत पर चर्चा	34
76.	सदस्य विधेयकों के संबंध में प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी.....	35

नियम		पृष्ठ
	प्रवर समिति अथवा संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के बाद प्रस्ताव और वाद-विवाद की व्याप्ति	
77.	प्रवर/संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के बाद प्रस्तुत प्रस्ताव	36
78.	प्रवर/संयुक्त समिति के प्रतिवेदन पर वाद-विवाद की व्याप्ति	37
	खण्डों आदि का संशोधन तथा विधेयकों पर खण्ड-वार विचार	
79.	खण्डों अथवा अनुसूचियों पर संशोधनों की सूचना	37
80.	संशोधनों की ग्राह्यता	37
81.	संशोधनों के बारे में राष्ट्रपति की सिफारिश	38
82.	राष्ट्रपति की सिफारिश पहुंचाना	38
83.	नये खण्डों या संशोधनों को चुनना	38
84.	संशोधनों का विन्यास	38
85.	संशोधनों का क्रम	39
86.	संशोधन प्रस्तुत करना	39
87.	संशोधनों की वापसी	39
88.	विधेयक का खण्ड-वार रखा जाना	39
89.	खंड का विलम्बन	40
90.	अनुसूचियों पर विचार	40
91.	खंडों और अनुसूचियों के समूह पर मतदान	40
92.	विधेयक का खंड एक, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और नाम	40
	विधेयकों का पारण	
93.	विधेयक पारित करने का प्रस्ताव	41
94.	विधेयक पारित करने के प्रस्ताव पर वाद-विवाद की व्याप्ति	41
95.	प्रत्यक्ष गलतियों की शुद्धि	41

नियम		पृष्ठ
96.	विधेयकों को राज्य सभा में पहुंचाना	41
97.	धन विधेयकों के अतिरिक्त अन्य विधेयकों के बारे में राज्य सभा का सन्देश	42
	धन विधेयकों के अतिरिक्त राज्य सभा द्वारा लौटाये गये विधेयक	
98.	संशोधनों सहित लौटाया गया विधेयक	42
99.	संशोधनों पर विचार करने की सूचना	42
100.	संशोधनों पर विचार	42
101.	राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों का निपटाया जाना	43
102.	संशोधनों के बारे में सदनों के बीच असहमति	43
	राज्य सभा द्वारा लौटाये गये धन विधेयक	
103.	बिना सिफारिश के लौटाया गया धन विधेयक	43
104.	सिफारिश के साथ लौटाया गया धन विधेयक	43
105.	राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों पर विचार करने के प्रस्ताव की सूचना	43
106.	राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों पर विचार करने की प्रक्रिया	44
107.	राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों का निपटाया जाना	44
108.	सभा द्वारा राज्य सभा की सिफारिशें स्वीकार न किये जाने पर विधेयक पारित माना जायेगा	44
	विधेयकों पर वाद-विवाद का स्थगन और उनको वापस लेना तथा हटाना	
109.	विधेयकों पर वाद-विवाद का स्थगन	44
110.	विधेयक का वापस लिया जाना	44
111.	विधेयक को वापस लिये जाने का विरोध किये जाने पर प्रक्रिया	45

नियम		पृष्ठ
112.	विधेयकों की पंजी से विधेयक का हटाया जाना	45
113.	विधेयकों की पंजी से गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक हटाने के लिए अतिरिक्त उपबन्ध	47
	2. राज्य सभा में आरम्भ होने वाले तथा सभा को पहुंचाये गये विधेयक	
114.	विधेयकों का पटल पर रखा जाना.....	47
115.	विचार किये जाने की सूचना	47
116.	विचार करने का प्रस्ताव.....	47
117.	विधेयक के सिद्धांत पर चर्चा	47
118.	प्रवर समिति को सौंपा जाना.....	47
119.	विधेयकों पर विचार तथा उनको पारित करना.....	48
120.	बिना संशोधनों के पारित विधेयक	48
121.	संशोधनों के साथ पारित विधेयक.....	48
122.	राज्य सभा द्वारा संशोधनों के निपटान के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया.....	48
123.	राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार.....	48
124.	संशोधनों पर विचार की प्रक्रिया.....	48
125.	विधेयक और संशोधनों का निपटाया जाना.....	49
126.	संशोधनों के बारे में सदनों के बीच असहमति.....	49
127.	विधेयक का अस्वीकार किया जाना.....	49
	3. पारित किये गये विधेयकों का प्रमाणीकरण और उन पर अनुमति	
128.	प्रमाणीकरण और अनुमति.....	49
	4. राष्ट्रपति द्वारा लौटाये गये विधेयकों पर पुनर्विचार सभा में प्रारम्भ होने वाले विधेयक	
129.	राष्ट्रपति का संदेश.....	50

नियम		पृष्ठ
130.	संशोधनों पर विचार करने की सूचना	50
131.	विचार करने का प्रस्ताव	50
132.	वाद-विवाद की व्याप्ति	50
133.	संशोधनों पर विचार करने के प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के बाद अपनायी जाने वाली प्रक्रिया	51
134.	संशोधन में संशोधन	51
135.	विधेयक का पुन:पारण	51
136.	संशोधनों पर विचार करने के प्रस्ताव के अस्वीकृत हो जाने के बाद अपनायी जाने वाली प्रक्रिया	51
137.	पुन:पारित विधेयक का राज्य सभा को पहुंचाया जाना	51
138.	विधेयक के पुन:पारण के बारे में राज्य सभा से संदेश	52
139.	राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटाया गया विधेयक	52
140.	राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार	52
141.	संशोधनों पर विचार करने की प्रक्रिया	52
142.	राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों का निपटाया जाना	52
143.	संशोधनों के बारे में सदनों के बीच असहमति	52
	राज्य सभा में प्रारम्भ होने वाले विधेयक	
144.	विधेयक का सभा पटल पर रखा जाना	53
145.	विचार करने का प्रस्ताव	53
146.	विचार करने के प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया	53
147.	संशोधन के बिना पुन:पारित विधेयक	53
148.	संशोधनों सहित पुन:पारित विधेयक	53
149.	राज्य सभा द्वारा संशोधनों के निपटाए जाने के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया	54
150.	राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार	54

नियम		पृष्ठ
151.	संशोधनों पर विचार करने की प्रक्रिया	54
152.	विधेयकों और संशोधनों का निपटाया जाना	54
153.	संशोधनों के बारे में सदनों के बीच असहमति	54
	सदनों द्वारा पुनःपारित विधेयकों का प्रमाणीकरण	
154.	प्रमाणीकरण	55
	अध्याय 11	
	संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक	
155.	खण्डों तथा अनुसूचियों पर मतदान	56
156.	संशोधनों पर मतदान	56
157.	प्रस्तावों पर मतदान	56
158.	विभाजन द्वारा मतदान	57
159.	अवशिष्ट प्रक्रिया	57
	अध्याय 12	
	याचिकायें	
160.	याचिकाओं की व्याप्ति	58
160क.	वित्तीय विषयों से संबंधित याचिकाएं	58
161.	याचिका का सामान्य प्रपत्र	58
162.	याचिका का प्रमाणीकरण	59
163.	किसी याचिका के साथ दस्तावेज नहीं लगाया जाएगा	59
164.	प्रति-हस्ताक्षर	59
165.	याचिका सभा को सम्बोधित की जाएगी	60
166.	प्रस्तुतीकरण की सूचना	60
167.	याचिका का प्रस्तुतीकरण	60
168.	प्रस्तुतीकरण का रूप	60
169.	याचिका समिति को निर्देश	60

नियम **पृष्ठ**

अध्याय 13

संकल्प

170.	संकल्प की सूचना	61
171.	संकल्प का रूप	61
172.	संकल्प का विषय	61
173.	संकल्प की ग्राह्यता	61
174.	अध्यक्ष ग्राह्यता विनिश्चित करेगा/करेगी	62
175.	न्यायाधिकरण, आयोग आदि के विचाराधीन मामले	62
176.	संकल्प का प्रस्तुत किया जाना	62
177.	संशोधन	63
178.	भाषणों के लिए समय-सीमा	63
179.	चर्चा की व्याप्ति	63
180.	संकल्प और संशोधन की वापसी	63
181.	संकल्प को विभाजित करना	63
182.	संकल्प की पुनरुक्ति	64
183.	मंत्री के पास पारित संकल्प भेजना	64

अध्याय 14

प्रस्ताव

184.	लोक हित के किसी विषय पर चर्चा	65
185.	प्रस्ताव की सूचना	65
186.	प्रस्ताव की ग्राह्यता	65
187.	अध्यक्ष ग्राह्यता विनिश्चित करेगा/करेगी	66
188.	न्यायाधिकरण, आयोग आदि के विचाराधीन मामले	67
189.	गृहीत प्रस्तावों का प्रकाशन	67
190.	चर्चा के लिए समय का नियतन	67
191.	निश्चित समय पर प्रश्न पूछा जाना	67
192.	भाषणों के लिए समय-सीमा	67

नियम		पृष्ठ
	अध्याय 15	
	अल्पकालीन चर्चा	
193.	चर्चा उठाने की सूचना	68
194.	अध्यक्ष ग्राह्यता का विनिश्चय और समय का नियतन करेगा/करेगी	68
195.	कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा जायेगा	68
196.	भाषणों के लिए समय-सीमा	68
	अध्याय 16	
	ध्यानाकर्षण	
197.	ध्यानाकर्षण के बारे में प्रक्रिया	69
	अध्याय 17	
	मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव और पद-त्याग करने वाले मंत्री का वक्तव्य	
198.	मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव करने संबंधी प्रक्रिया	71
199.	मंत्री का वक्तव्य जिसने पद-त्याग किया हो	72
	अध्याय 18	
	अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए संकल्प	
200.	अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प की सूचना	73
200क.	संकल्प की ग्राह्यता	73
201.	संकल्प प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति	73
202.	कार्य-सूची में संकल्प का सम्मिलित किया जाना	74
202क.	चर्चा की व्याप्ति	74
203.	भाषणों के लिए समय-सीमा	74
	अध्याय 19	
	वित्तीय कार्य	
	बजट	
204.	बजट का प्रस्तुतीकरण	75
205.	प्रस्तुतीकरण के दिन चर्चा न होना	75

नियम		पृष्ठ
	अनुदानों की मांगें	
206.	अनुदानों की मांगें	75
207.	बजट पर सामान्य चर्चा	75
208.	अनुदानों की मांगों पर मतदान	76
209.	कटौती प्रस्ताव	76
210.	कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता	77
211.	अध्यक्ष ग्राह्यता का विनिश्चय करेगा/करेगी	78
212.	कटौती प्रस्ताव की सूचना	78
213.	बजट का भागों में प्रस्तुतीकरण	78
214.	लेखानुदान	79
215.	अनुपूरक आदि अनुदान तथा प्रत्ययानुदान	79
216.	अनुपूरक अनुदानों पर वाद-विवाद की व्याप्ति	79
217.	सांकेतिक अनुदान	79
	विनियोग विधेयक	
218.	विनियोग विधेयक के बारे में प्रक्रिया	79
	वित्त विधेयक	
219.	वित्त विधेयक के बारे में प्रक्रिया	80
	वित्तीय कार्य के सम्बन्ध में सामान्य उपबंध	
220.	वित्तीय कार्य के लिए नियत दिन को लिया जा सकने वाला कार्य	82
221.	वित्तीय कार्य का समय पर पूरा किया जाना	82
	अध्याय 20	
	विशेषाधिकार	
	विशेषाधिकार के प्रश्न	
222.	अध्यक्ष की अनुमति	83
223.	विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना	83

नियम		पृष्ठ
224.	विशेषाधिकार के प्रश्नों की ग्राह्यता	83
225.	विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने की रीति	83
226.	विशेषाधिकार के प्रश्न पर सभा या समिति विचार करेगी	84
227.	अध्यक्ष द्वारा समिति को विशेषाधिकार के प्रश्न का सौंपा जाना	84
228.	अध्यक्ष की निदेश देने की शक्ति	84
	अध्यक्ष को सदस्य के बन्दीकरण, निरोध आदि और रिहाई की सूचना	
229.	सदस्य के बन्दीकरण, निरोध आदि के बारे में अध्यक्ष को सूचना	84
230.	सदस्य की रिहाई की अध्यक्ष को सूचना	85
231.	बन्दीकरण, निरोध, रिहाई, आदि के बारे में प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही	85
	सभा के परिसर में बन्दीकरण और वैध आदेशों के निर्वहन के बारे में प्रक्रिया	
232.	सभा के परिसर में बन्दीकरण	85
233.	वैध आदेश का निर्वहन	85
	अध्याय 20क	
	आचार संबंधी शिकायतों की प्रक्रिया	
233क.	आचार संबंधी शिकायतों की प्रक्रिया	86
233ख.	आचार तथा अन्य दुराचरण के प्रश्न को समिति को प्रेषित करने संबंधी लोक सभा अध्यक्ष की शक्ति	87
	अध्याय 21	
	अधीनस्थ विधान	
234.	विनियम, नियम आदि का पटल पर रखा जाना	88
235.	विनियमों, नियमों आदि में संशोधनों पर विचार के लिये समय का नियतन	88

नियम		पृष्ठ
236.	राज्य सभा को संशोधन भेजना	88
237.	राज्य सभा द्वारा लौटाया गया संशोधन	88
238.	सदनों के बीच असहमति	89
239.	विनियम, नियम आदि का संशोधित रूप में पटल पर रखा जाना	89

अध्याय 22

सभा के स्थानों का त्याग तथा उनकी रिक्तता

240.	सभा में स्थानों का त्याग	90
241.	सभा में स्थानों का रिक्त होना	91

अध्याय 23

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

242.	अनुपस्थिति की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र	92
243.	समिति को आवेदन-पत्रों का प्रस्तुतीकरण	92
244.	सभा का विनिश्चय सदस्य को संसूचित किया जाना.....	92
245.	छुट्टी के असमाप्त भाग का व्यपगमन	92

अध्याय 24

राष्ट्रपति तथा सभा के बीच संसूचना

246.	राष्ट्रपति से सभा को संसूचना	93
247.	सभा से राष्ट्रपति को संसूचना	93

अध्याय 25

सभा की गोपनीय बैठक

248.	गोपनीय बैठक	94
249.	कार्यवाही का वृत्तांत	94
250.	अन्य प्रकरणों में प्रक्रिया	94
251.	कार्यवाही के प्रकाशन पर लगे प्रतिबंध का हटाया जाना	94
252.	कार्यवाही या विनिश्चयों का प्रकट किया जाना.....	95

नियम **पृष्ठ**

अध्याय 26
संसदीय समितियां
सामान्य नियम

253.	संसदीय समिति	96
254.	समिति की नियुक्ति	96
255.	समिति की सदस्यता पर आपत्ति	96
256.	अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित समिति की पदावधि	97
257.	समिति से पद-त्याग	98
258.	समिति का/की सभापति	98
259.	समिति में गणपूर्ति	98
260.	समिति की बैठकों से अनुपस्थित सदस्यों को हटाया जाना	99
261.	समिति के निर्णय	99
262.	सभापति का निर्णायक मत	99
263.	उपसमितियां नियुक्त करने की शक्ति	99
264.	समिति की बैठकें	99
265.	जिस समय सभा की बैठक हो रही हो उस समय भी समिति की बैठक हो सकेगी	100
266.	समिति की गुप्त रूप में बैठकें	100
267.	बैठकों का स्थल	100
268.	जब समिति विचार-विमर्श कर रही हो तो अजनबी बाहर चले जायेंगे	100
269.	साक्ष्य लेने अथवा दस्तावेज मंगाने की शक्ति	100
270.	व्यक्तियों को बुलाने तथा पत्रों और अभिलेखों को मंगाने की शक्ति	101
271.	साक्षी के लिए वकील	101
272.	शपथ पर साक्ष्य	101

नियम		पृष्ठ
273.	साक्षियों की जांच	101
274.	विनिश्चयों का अभिलेख	102
275.	साक्ष्य, प्रतिवेदन तथा कार्यवाही का गोपनीय समझा जाना	102
276.	विशेष प्रतिवेदन	102
277.	समिति का प्रतिवेदन	103
278.	प्रस्तुतीकरण से पहले प्रतिवेदन का सरकार को उपलब्ध किया जाना	103
279.	प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण	103
280.	प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण से पहले मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन	103
281.	प्रक्रिया पर सुझाव देने की शक्ति	104
282.	विस्तृत नियम बनाने की शक्ति	104
283.	अध्यक्ष की निदेश देने की शक्ति	104
284.	सभा के सत्रावसान पर समिति के समक्ष लम्बित कार्य व्यपगत नहीं होगा	104
285.	समितियों का असमाप्त काम	104
286.	सामान्य नियमों का समितियों पर लागू होना	104
	कार्य-मंत्रणा समिति	
287.	गठन	104
288.	कृत्य	105
289.	प्रतिवेदन	105
290.	सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद प्रस्ताव	105
290क.	समय के नियतन के आदेश की अधिसूचना	105
291.	निश्चित समय पर अवशिष्ट विषयों का निपटारा	106
292.	समय के नियतन के आदेश में परिवर्तन	106

नियम		पृष्ठ
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति	
293.	गठन	106
294.	कृत्य	106
295.	सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद प्रस्ताव	107
296.	वर्गीकरण और समय का नियतन	107
297.	निश्चित समय पर अवशिष्ट विषयों का निपटारा.....	107
	विधेयकों पर प्रवर समितियां	
298.	गठन	108
299.	बैठकों में अन्य सदस्यों की उपस्थिति	108
300.	संशोधनों की सूचना और सामान्य रूप में प्रक्रिया	108
301.	अन्य सदस्यों द्वारा संशोधनों की सूचना	108
302.	साक्ष्य लेने की शक्ति.....	108
303.	प्रतिवेदन	108
304.	प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण	109
305.	प्रतिवेदन का मुद्रण तथा प्रकाशन.....	110
	सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बंधी समिति	
305क.	गठन	110
305ख.	कृत्य	110
305ग.	सभा पटल पर रखे गये पत्रों के बारे में सदन में चर्चा उठाने पर प्रतिबंध	110
	याचिका समिति	
306.	गठन	111
307.	कृत्य	111
307क.	विशेषज्ञों, हितबद्ध पक्षकारों का साक्ष्य और जनता की राय लेना....	111
	लोक लेखा समिति	
308.	कृत्य	112
309.	गठन	113

नियम		पृष्ठ
	प्राक्कलन समिति	
310.	कृत्य	113
311.	गठन	114
312.	प्राक्कलनों की जांच	114
	सरकारी उपक्रमों सम्बंधी समिति	
312क.	कृत्य	114
312ख.	गठन	115
	विशेषाधिकार समिति	
313.	गठन	116
314.	कृत्य	116
315.	सभा द्वारा प्रतिवेदन पर विचार	116
316.	सभा द्वारा प्रतिवेदन पर विचार के लिए पूर्ववर्तिता	116
	आचार समिति	
316क.	गठन	117
316ख.	कार्य	117
316ग.	प्रक्रिया	117
316घ.	प्रतिवेदन	117
316ङ.	सभा द्वारा प्रतिवेदन पर विचार	118
316च.	सभा द्वारा प्रतिवेदन पर विचार हेतु प्राथमिकता	118
	अधीनस्थ विधान सम्बंधी समिति	
317.	कृत्य	118
318.	गठन	118
319.	आदेशों का संख्यांकन और प्रकाशन	119
320.	आदेशों की जांच	119
321.	प्रतिवेदन	120
322.	अध्यक्ष की निदेश देने की शक्ति	120

नियम		पृष्ठ
	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	
323.	कृत्य	120
324.	गठन	120
	सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
325.	गठन	121
326.	कृत्य	121
327.	जब अनुपस्थिति की अनुमति की सिफारिश की जाए तो सभा की इच्छा मालूम करना	121
328.	जब अनुपस्थिति की अनुमति की सिफारिश न की जाये तो प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना	122
	नियम समिति	
329.	कृत्य	122
330.	गठन	122
331.	प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना	122
	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
331क.	कृत्य	123
331ख.	गठन	124
	विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां	
331ग.	विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां	124
331घ.	गठन	124
331ङ	कृत्य	125
331च.	कृत्यों से संबंधित उपबन्धों की प्रयोज्यता	125
331छ.	अनुदानों की मांगों से संबंधित प्रक्रिया	126
331ज.	विधेयकों से संबंधित प्रक्रिया	126

नियम		पृष्ठ
331झ.	समितियों के प्रतिवेदन	126
331ञ.	सामान्य नियमों की प्रयोज्यता	127
331ट.	बैठकों का स्थल	127
331ठ.	विशेषज्ञ राय लेने का अधिकार	127
331ड.	विचार न किये जाने वाले विषय	127
331ढ.	प्रतिवेदनों का स्वरूप प्रत्ययकारी होगा	127
	महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
331ण.	गठन	127
331त.	कृत्य	128
331थ.	अन्य समितियों द्वारा विचार न किए जाने वाले विषय	128
	अध्याय 27	
	प्रक्रिया के सामान्य नियम	
	सूचनाएं	
332.	सूचनाएं देने की रीति	129
333.	संभाव्य सूचना	129
334.	सूचनाओं तथा पत्रों का सदस्यों में परिचालन	129
334क.	सूचनाओं का पहले से विख्यापन करने पर प्रतिबंध	130
335.	सत्रावसान होने पर लम्बित सूचनाओं का व्यपगमन	130
336.	प्रस्तुत प्रस्ताव, संकल्प या संशोधन सत्रावसान पर व्यपगत नहीं होंगे	130
337.	सूचनाओं में संशोधन करने संबंधी अध्यक्ष का अधिकार	130
	प्रस्ताव	
338.	प्रस्ताव की पुनरुक्ति	130
339.	प्रस्ताव की वापसी	130
340.	प्रस्ताव पर वाद-विवाद का स्थगन	131
341.	प्रस्ताव जिससे सभा के नियमों का दुरुपयोग होता हो अथवा विलम्बकारी प्रस्ताव	131

नियम		पृष्ठ
342.	नीति, स्थिति, वक्तव्य या किसी अन्य विषय पर विचार करने संबंधी प्रस्ताव	132
	चर्चा की प्रत्याशा	
343.	चर्चा की प्रत्याशा	132
	संशोधन	
344.	संशोधनों की व्याप्ति	132
345.	संशोधनों की सूचना	132
346.	संशोधनों का संवरण	132
347.	संशोधनों का रखा जाना	133
	राष्ट्रपति की सिफारिश की संसूचना	
348.	सिफारिश की संसूचना की रीति	133
	सदस्यों द्वारा पालनीय नियम	
349.	सदस्यों द्वारा सभा में पालनीय नियम	133
350.	अध्यक्ष द्वारा पुकारे गये सदस्यों को ही बोलने का हक	135
351.	सभा को सम्बोधित करने की रीति	135
352.	बोलते समय पालनीय नियम	135
353.	किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में प्रक्रिया	136
354.	राज्य सभा में दिए गए भाषणों के उद्धृत किए जाने पर निर्बन्धन	136
355.	प्रश्नों का अध्यक्ष के माध्यम से पूछा जाना	137
356.	असंगति या पुनरुक्ति	137
357.	वैयक्तिक स्पष्टीकरण	137
	भाषणों का क्रम, उत्तर देने का अधिकार और वाद-विवाद का समापन	
358.	भाषणों का क्रम और उत्तर देने का अधिकार	137
359.	वाद-विवाद का समापन	138

नियम		पृष्ठ
	अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन	
360.	अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन.....	138
	अध्यक्ष के खड़े होने पर प्रक्रिया	
361.	अध्यक्ष के खड़े होने पर प्रक्रिया.....	138
	समापन और वाद-विवाद की परिसीमा	
362.	समापन.....	138
363.	वाद-विवाद की परिसीमा	139
	सभा का विनिश्चय	
364.	प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर प्रश्न.....	139
365.	प्रस्ताव तथा प्रश्न का रखा जाना	139
366.	आवाजें संग्रहीत होने के बाद किसी भाषण का न होना	139
	विभाजन	
367.	विभाजन संबंधी प्रक्रिया	139
367क.	स्वचालित मतदान-यंत्र द्वारा विभाजन.....	140
367कक.	'हां' और 'ना' वाली पर्चियों का वितरण करके मत विभाजन.....	141
367ख.	लॉबी में जाकर विभाजन	141
	पत्रों का पटल पर रखा जाना	
368.	उद्धृत पत्रों का पटल पर रखा जाना.....	142
369.	पटल पर रखे गये पत्रों पर कार्यवाही और उनका प्रमाणीकरण	142
370.	दिए गए परामर्श या राय को प्रकट करने संबंधी दस्तावेजों का सभा पटल पर रखा जाना.....	143
	वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हित के आधार पर किसी सदस्य के मत पर आपत्ति	
371.	किसी सदस्य के मत पर आपत्ति.....	143
	मंत्री द्वारा वक्तव्य	
372.	मंत्री द्वारा वक्तव्य	143

नियम		पृष्ठ
	सदस्यों का बाहर चला जाना तथा निलम्बन	
373.	सदस्यों का बाहर चला जाना	144
374.	सदस्य का निलम्बन	144
374क.	सदस्य का स्वत: निलंबन	144
	घोर अव्यवस्था के कारण सभा का स्थगन या बैठक का निलम्बन	
375.	अध्यक्ष की सभा को स्थगित करने या बैठक को निलम्बित करने की शक्ति	145
	औचित्य प्रश्न	
376.	औचित्य प्रश्न और उन पर विनिश्चय	145
377.	ऐसा विषय उठाना जो औचित्य प्रश्न न हो	146
377क.	ग्राह्यता की शर्तें	146
377ख.	सूचनाएं देने के लिए समय और उनकी वैधता	146
377ग.	विषय उठाने पर प्रतिबंध	147
	व्यवस्था बनाये रखना	
378.	अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था को बनाये रखा जाना और विनिश्चयों का प्रवर्तन किया जाना	147
	सभा की कार्यवाही, संसदीय पत्र और पत्रों की अभिरक्षा	
379.	कार्यवाही वृत्तान्त का तैयार किया जाना और उसका प्रकाशन	147
380.	शब्दों का निकाला जाना	147
381.	निकाले गये शब्दों के संबंध में कार्यवाही वृत्तान्त में संकेत करना	147
382.	संसदीय पत्रों का मुद्रण तथा प्रकाशन	147
383.	पत्रों की अभिरक्षा	148
	सभा का भवन	
384.	सभा के भवन के उपयोग पर निर्बन्धन	148

नियम **पृष्ठ**

सभा में राज्य सभा के पदाधिकारियों का प्रवेश

385. राज्य सभा के पदाधिकारियों को सभा की बैठक में प्रवेश का हक 148

अजनबियों का प्रवेश, उनको बाहर जाने का आदेश और हटाया जाना

386. अजनबियों का प्रवेश 148

387. अजनबियों का बाहर चला जाना 148

387क. अजनबियों का हटाया जाना और अभिरक्षा में लिया जाना 148

राष्ट्रपति के शासनाधीन राज्य का कार्य संचालन

387ख. राष्ट्रपति के शासनाधीन राज्य से संबंधित कार्यवाही पर नियमों का लागू किया जाना 149

नियमों का निलम्बन

388. नियमों का निलम्बन 149

अवशिष्ट शक्तियां

389. अवशिष्ट शक्तियां 149

अनुसूचियां

प्रथम अनुसूची – याचिका का प्रपत्र 153

द्वितीय अनुसूची – लोप किया गया 154

तृतीय अनुसूची – किसी सदस्य के यथास्थिति, बन्दीकरण, निरोध, दोष सिद्धि या रिहाई के बारे में सूचना का प्रपत्र 155

चतुर्थ अनुसूची – सरकारी उपक्रमों की सूची 157

पांचवीं अनुसूची – स्थायी समितियों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय/विभाग 159

नियम पृष्ठ

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

संसद के सदनों (संयुक्त बैठकों तथा संवाद) संबंधी नियम

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम 165
2. परिभाषायें... 165

अध्याय 2

सदनों की संयुक्त बैठकें

3. सदस्यों को आमंत्रण.. 166
4. बैठक का समय 166
5. पीठासीन अधिकारी 166
6. गणपूर्ति.. 166
7. प्रक्रिया... 166
8. संयुक्त बैठकों की कार्यवाही का वृत्तांत.................................. 166

अध्याय 3

सदनों के बीच संवाद

9. सन्देशों द्वारा संवाद 167
10. सन्देशों के भेजने की रीति.. 167
11. सदस्यों को सन्देशों की सूचना 167
12. सन्देश के विषय के संबंध में कार्यवाही करने की प्रक्रिया 167

परिशिष्ट 2

प्रक्रिया नियमों में जिन समितियों का उल्लेख नहीं है उनके बारे में नियम

सामान्य प्रयोजनों सम्बंधी समिति

1. गठन 168
2. कृत्य 168
3. अन्य प्रकरणों में लागू होने वाले उपबंध................................ 168

नियम **पृष्ठ**

आवास समिति

1. गठन 168
2. गणपूर्ति..... 168
3. कृत्य 169
4. आवास स्थान उप-समिति..... 169
5. उप-समिति को नियुक्त करने की शक्ति 169
6. समिति के लिए सचिवालय..... 169
7. समिति की कार्यवाही और कार्यवाही के सारांश का अभिलेख... 170
8. अपील..... 170
9. अन्य प्रकरणों में लागू होने वाले उपबन्ध..... 170

ग्रन्थालय समिति

1. गठन 170
2. कृत्य 171
3. समिति से त्याग-पत्र..... 171
4. समिति की बैठकों से अनुपस्थित सदस्यों को हटाना..... 171
5. सदनों की बैठक के समय समिति की बैठक हो सकेगी 171
6. अन्य प्रकरणों में लागू होने वाले उपबन्ध..... 171

परिशिष्ट 3

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रावधान..... 172

परिशिष्ट 4

लोक सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985..... 175

अनुक्रमणिका 189

अध्याय 1

संक्षिप्त नाम और परिभाषाएं

संक्षिप्त नाम।

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम' है।

परिभाषाएं।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

"लोक सभा समाचार" का तात्पर्य सभा के समाचार से है, जिसमें (क) सभा की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख; (ख) सभा के कार्य के बारे में या उससे संबंधित किसी विषय पर या अन्य विषय पर, जो अध्यक्ष की राय में उसमें सम्मिलित किया जा सके, जानकारी; और (ग) संसदीय समितियों के बारे में जानकारी अन्तर्विष्ट हो;

'संविधान' का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

'परिषद' का तात्पर्य राज्य-परिषद (राज्य सभा) से है;

'वित्त मंत्री' के अंतर्गत कोई भी मंत्री है;

'गजट' का तात्पर्य भारत के राजपत्र से है;

'सभा' का तात्पर्य लोक सभा से है;

'सदनों' का तात्पर्य राज्य सभा तथा लोक सभा से है;

'सभा का नेता' का तात्पर्य प्रधान मंत्री से, यदि प्रधान मंत्री सभा का सदस्य हो, अथवा उस मंत्री से है जो सभा का सदस्य है और सभा के नेता के रूप में कार्य करने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो;

'लॉबी' का तात्पर्य उस बंद बरामदे से है जो सभा भवन के बिल्कुल सन्निकट है और जो सभा के भवन के साथ ही समाप्त होता है;

'लोक सभा सचिवालय/सविचालय' से तात्पर्य दिल्ली स्थित लोक सभा सचिवालय और उस समय अध्यक्ष के लिए अथवा उसके

अधिकार के अंतर्गत दिल्ली के बाहर स्थापित किसी शिविर कार्यालय से और उसे मिलाकर है;

'सदस्य' का तात्पर्य लोक सभा के सदस्य से है;

'विधेयक का प्रभारी' सदस्य का तात्पर्य उस सदस्य से है जिसने विधेयक पुर:स्थापित किया है और किसी सरकारी विधेयक की अवस्था में किसी मंत्री से है;

'मंत्री' का तात्पर्य मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य (जिसमें मंत्रिमंडल का कोई सदस्य भी शामिल है)[1], राज्य मंत्री, उपमंत्री या संसदीय सचिव से है;

(व्याख्या: संसदीय सचिव, जो सभा का सदस्य नहीं है इसकी बैठकों में भाग लेने का हकदार नहीं है।)[2]

'संसदीय समिति' का तात्पर्य उस समिति से है जिसे सभा नियुक्त या निर्वाचित करे या जिसे अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाए और जो अध्यक्ष के निर्देश के अंतर्गत काम करे और अपना प्रतिवेदन सभा या अध्यक्ष को दे और जिसके सचिवालय की व्यवस्था लोक सभा सचिवालय द्वारा की जाए;

'सभा के परिसर' का तात्पर्य सभा भवन, लॉबी, दीर्घाओं और उनको मिलाकर ऐसे अन्य स्थानों से है जिनका अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर उल्लेख किया जाए;

'गैर-सरकारी सदस्य' का तात्पर्य मंत्री के अतिरिक्त किसी सदस्य से है;

'महासचिव' का तात्पर्य लोक सभा के महासचिव से और किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जो उस समय महासचिव का कार्य कर रहा हो;

'पटल' का तात्पर्य सभा पटल से है।

(2) संविधान और इस नियमावली में प्रयुक्त शब्दों तथा पदावलियों के अर्थ, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, वही होंगे जो उन्हें संविधान में दिए गए हैं।

---

[1]लोक सभा समाचार भाग-दो, 9.5.1989, पैरा 2930 द्वारा अंत:स्थापित।

[2]**वही**, जोड़ा गया।

अध्याय 2

सदस्यों को आमंत्रण, उनका बैठना, शपथ या प्रतिज्ञान और सदस्यों की नामावली

आमंत्रण।

3. महासचिव द्वारा सभा के सत्र के लिए तिथि तथा स्थान का उल्लेख करते हुए प्रत्येक सदस्य को आमंत्रण भेजा जाएगा:

परन्तु जब सत्र अल्प सूचना पर या आपात में बुलाया जाए तो आमंत्रण प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग चाहे न भेजा जाए, किंतु सत्र की तिथि तथा स्थान की घोषणा गजट में और समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जाएगी और सदस्यों को तार द्वारा सूचना दी जा सकेगी।

बैठने का क्रम।

4. सदस्य ऐसे क्रम में बैठेंगे जो कि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाए।

शपथ या प्रतिज्ञान।

5. ऐसे किसी सदस्य द्वारा जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसरण में पहले ही शपथ न ली गई हो या प्रतिज्ञान न किया गया हो, महासचिव को लिखित रूप में पूर्व सूचना देकर किसी भी दिन सभा की बैठक के प्रारंभ अथवा सभा की बैठक के किसी अन्य समय पर, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दे, ऐसा किया जा सकता है।

सदस्यों की नामावली।

6. सभा के सदस्यों की एक नामावली होगी जिस पर प्रत्येक सदस्य द्वारा अपने स्वयं के स्थान पर बैठने से पहले महासचिव के सामने हस्ताक्षर किए जाएंगे।

अध्याय 3

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा सभापति तालिका का नामनिर्देशन

अध्यक्ष का निर्वाचन।

7. (1) अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाए और महासचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना भेजी जाएगी।

(2) इस प्रकार निश्चित तिथि के पूर्व दिन के मध्याह्न से पहले किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी समय इस प्रस्ताव की कि किसी अन्य सदस्य को सभा का अध्यक्ष चुना जाए, महासचिव को संबोधित लिखित रूप में सूचना दी जा सकेगी और उस सूचना का अनुमोदन एक तीसरे सदस्य द्वारा किया जाएगा तथा उसके साथ उस सदस्य का, जिसका नाम सूचना में प्रस्तावित किया जाए, यह कथन संलग्न होगा कि प्रस्तावित सदस्य निर्वाचित सदस्य होने पर अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को राजी है:

परन्तु किसी भी सदस्य द्वारा अपने स्वयं के नाम का प्रस्ताव नहीं किया जाएगा, न अपने नाम का प्रस्ताव करने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाएगा अथवा न ही एक से अधिक स्वयं के प्रस्तावों का प्रस्ताव या अनुमोदन किया जाएगा।

[(3) कार्य-सूची में, जिस सदस्य के नाम में कोई प्रस्ताव हो वह, जब तक यह नहीं कहता/कहती है कि वह प्रस्ताव नहीं करना चाहता/चाहती, प्रस्ताव के लिए पुकारे जाने पर प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा/करेगी। किसी भी मामले में वह अपना कथन इस बात तक सीमित रखेगा कि वह प्रस्ताव प्रस्तुत करता/करती है या कि वह प्रस्तुत करना नहीं चाहता/चाहती है।][1]

(4) जो प्रस्ताव प्रस्तुत तथा विधिवत अनुमोदित हो गए हों वे एक-एक करके उसी क्रम में रखे जाएंगे जिसमें कि वे प्रस्तुत किए गए हों और, यदि आवश्यक हुआ तो विभाजन द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे। यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो पीठासीन व्यक्ति द्वारा

[1]लोक सभा समाचार भाग-दो, 9.5.1989, पैरा 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

बाद के प्रस्तावों को रखे बिना यह घोषित किया जाएगा कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्तावित सदस्य को सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है।

उपाध्यक्ष का निर्वाचन।

8. (1) उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो कि अध्यक्ष द्वारा नियत की जाए और महासचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना भेजी जाएगी।

(2) इस प्रकार नियत तिथि के पूर्व-दिन के मध्याह्न से पहले किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी समय इस प्रस्ताव की कि किसी अन्य सदस्य को सभा का उपाध्यक्ष चुना जाए, महासचिव को संबोधित लिखित रूप में सूचना दी जा सकेगी और उस सूचना का अनुमोदन एक तीसरे सदस्य द्वारा किया जाएगा तथा उसके साथ उस सदस्य का, जिसका नाम सूचना का प्रस्ताव किया जाए, यह कथन संलग्न होगा कि प्रस्तावित सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने को राजी है:

परन्तु किसी भी सदस्य द्वारा अपने स्वयं के नाम का प्रस्ताव नहीं किया जाएगा, न अपने स्वयं के नाम का प्रस्ताव करने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाएगा और न ही एक से अधिक प्रस्तावों का प्रस्ताव या अनुमोदन किया जाएगा।

[(3) ऐसे किसी सदस्य द्वारा जिसके नाम में कार्य-सूची में प्रस्ताव हो, जब तक कि प्रस्ताव न लाए जाने की अनिच्छा व्यक्त करने संबंधी कथन न किया जाए, प्रस्ताव लाने के लिए पुकारे जाने पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा; दोनों ही दशाओं में, सदस्य द्वारा अपना कथन प्रस्ताव लाने या प्रस्ताव न लाए जाने तक ही सीमित रखा जाएगा।][2]

(4) जो प्रस्ताव प्रस्तुत तथा विधिवत अनुमोदित हो गए हों वे एक-एक करके उसी क्रम में रखे जाएंगे जिसमें कि वे प्रस्तुत किए गए हों और यदि आवश्यक हुआ तो विभाजन द्वारा विनिश्चत किए जाएंगे। यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो पीठासीन व्यक्ति द्वारा बाद के प्रस्तावों को रखे बिना यह घोषित किया जाएगा कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्तावित सदस्य सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है/ली गई है।

सभापति तालिका का नाम-निर्देशन।

9. (1) अध्यक्ष द्वारा यथास्थिति सभा के प्रारंभ पर या समय-समय पर सदस्यों में से अधिक से अधिक दस[3] सभापतियों की एक तालिका

[2]लोक सभा समाचार भाग-दो, 9.5.1989, पैरा 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3]लोक सभा समाचार भाग-दो, 4.8.1993, पैरा 2298 द्वारा प्रतिस्थापित।

नामनिर्देशित की जाएगी जिसमें से कोई एक अध्यक्ष के या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के कहने पर अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा में पीठासीन हो सकेगा।

(2) उपनियम (1) के अंतर्गत नामनिर्देशित सभापति एक नई सभापति-तालिका नामनिर्देशित किए जाने तक पद धारण करेगा।

उपाध्यक्ष या पीठासीन अन्य सदस्य की शक्तियां।

10. उपाध्यक्ष या संविधान अथवा इस नियमावली के अन्तर्गत सभा की बैठक में पीठासीन होने के लिए सक्षम किसी अन्य सदस्य की, जब वह पीठासीन हो, वही शक्तियां होगी जो कि पीठासीन होने पर अध्यक्ष की होती हैं और इन परिस्थितियों में इस नियमावली में अध्यक्ष के प्रति सब संदर्भ इस तरह पीठासीन ऐसे किसी व्यक्ति के प्रति संदर्भ समझे जाएंगे।

अध्याय 4

सभा की बैठकें

विधिवत गठित बैठक।

11. सभा की बैठक तभी विधिवत गठित होगी जबकि उसमें अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य पीठासीन हो जो संविधान अथवा इस नियमावली के अन्तर्गत सभा की बैठक में पीठासीन होने के लिए सक्षम हो।

बैठक का प्रारंभ और समाप्ति।

12. [जब तक अध्यक्ष द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, सभा की बैठक प्रतिदिन साधारणतया 11.00 बजे प्रारंभ होगी तथा 18.00 बजे समाप्त हो जाएगी जिसमें एक घंटे का मध्याह्न भोजनावकाश होगा जो साधारणतया 13.00 बजे से 14.00 बजे तक होगा][1]

बैठकों के दिन।

13. सभा की बैठकें उन दिनों को होंगी जिनके प्रति अध्यक्ष द्वारा सभा के कार्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर निदेश दिया जाए।

14. ** (****)[2]

सभा का स्थगन [और पुनः बुलाने की प्रक्रिया]।[3]

15. (1) अध्यक्ष द्वारा वह समय निर्धारित किया जाएगा जब सभा की विशिष्ट बैठक अनिश्चितकाल के लिए या किसी दिन तक के लिए या उसी दिन के किसी समय या भाग तक के लिए स्थगित की जाएगी:

परन्तु अध्यक्ष द्वारा, यदि उचित समझे, उस तिथि विशेष या समय से पूर्व, जब तक के लिए कि सभा की बैठक स्थगित की गई हो, या सभा के अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित होनें के बाद किसी भी समय, सभा की बैठक बुलाई जा सकेगी।

(2) [यदि सभा के स्थगन के बाद उप-नियम (1) के परन्तुक के अधीन सभा पुनः बुलायी जाती है तो महासचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को सत्र के अगले भाग की तिथि, समय, स्थान तथा अवधि की सूचना दी जाएगी।][4]

---

[1]लोक सभा समाचार भाग-दो, 9.5.1989, पैरा 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2]**वही,** लोप किया गया।

[3]**वही,** जोड़ा गया।

[4]**वही,** जोड़ा गया।

अध्याय 5

राष्ट्रपति का अभिभाषण और सभा को संदेश

अभिभाषण पर चर्चा के लिये समय का नियतन।

16. अध्यक्ष द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अधीन सदनों के सामने दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए, सदन-नेता के परामर्श से समय नियत किया जाएगा।

चर्चा की व्याप्ति।

17. ऐसे दिन या दिनों में या किसी दिन के भाग में सभा, किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा अन्य सदस्य द्वारा अनुमोदित धन्यवाद प्रस्ताव पर ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा करने के लिए स्वतंत्र होगी।

संशोधन।

18. ऐसे धन्यवाद प्रस्ताव पर ऐसे रूप में संशोधन प्रस्तुत किए जा सकेंगे, जिसे अध्यक्ष उचित समझें।

अन्य कार्य जो किया जा सकेगा।

19. (1) इस बात के होते हुए भी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए कोई दिन नियत किया जा चुका है,

(क) ऐसे दिन विधेयक या विधेयकों को पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव किए जा सकेंगे और विधेयक या विधेयकों को पुर:स्थापित किया जा सकेगा; और

(ख) ऐसे दिन अभिभाषण पर सभा द्वारा चर्चा आरंभ किए जाने या जारी रखे जाने से पूर्व औपचारिक रूप से अन्य कार्य किया जा सकेगा।

(2) यह प्रस्ताव किए जाने पर कि अभिभाषण पर चर्चा अध्यक्ष द्वारा नियत किए जाने वाले बाद के किसी दिन तक के लिए स्थगित की जाए, उस अभिभाषण पर चर्चा किसी सरकारी विधेयक या अन्य सरकारी कार्य के पक्ष में विलम्बित की जा सकेगी। अध्यक्ष द्वारा तुरंत वह प्रश्न रखा जाएगा और किसी संशोधन या वाद-विवाद की अनुमति नहीं होगी।

(3) किसी बैठक के दौरान, नियम 61 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव द्वारा अभिभाषण पर चर्चा रोक दी जाएगी।

उत्तर देने का अधिकार।[1]

20. (1) सरकार की ओर से प्रधानमंत्री या किसी अन्य मंत्री को, चाहे चर्चा में पहले भाग लिया गया हो या नहीं, चर्चा के अंत में सरकार की स्थिति स्पष्ट करने का सामान्य अधिकार होगा और अध्यक्ष द्वारा यह पूछा जा सकेगा कि भाषण के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी जिससे चर्चा समाप्त होने का समय निश्चित किया जा सके।

[(2) प्रस्तावक अथवा प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाले को प्रधानमंत्री अथवा किसी अन्य मंत्री द्वारा सरकार की स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद चर्चा के अंत में उत्तर देने का कोई अधिकार नहीं होगा।][1]

भाषणों के लिए समय-सीमा।

21. अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए, सभा का अभिप्राय जानकर भाषणों के लिए समय-सीमा विहित की जा सकेगी।

अनुच्छेद 86(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति का अभिभाषण।

22. संविधान के अनुच्छेद 86(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए अध्यक्ष द्वारा समय नियत किया जा सकेगा।

राष्ट्रपति से सन्देश।

23. अध्यक्ष द्वारा सभा के लिए संविधान के अनुच्छेद 86 के खंड (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति से संदेश मिलने पर सभा को ऐसा संदेश पढ़कर सुनाया जाएगा और संदेश में निर्दिष्ट विषयों पर विचार करने के लिए अनुकरणीय प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक निदेश दिए जाएंगे। ऐसे निदेश देने में अध्यक्ष को उस सीमा तक नियमों को निलंबित या परिवर्तित करने की शक्ति होगी, जो कि आवश्यक हो।

सत्रावसान पर राष्ट्रपति का अभिभाषण।

24. राष्ट्रपति द्वारा सभा या सदनों का सत्रावसान करने पर यथास्थिति, सभा या सदनों के सामने अभिभाषण दिया जा सकेगा।

---

[1]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय 6

कार्य-विन्यास और कार्य-सूची

सरकारी कार्य का विन्यास।

25. सरकारी कार्य के सम्पादन के लिए नियत किए गए दिनों में ऐसे कार्य की पूर्ववर्तिता होगी और महासचिव द्वारा उस कार्य का विन्यास ऐसे क्रम में किया जाएगा जैसा कि अध्यक्ष द्वारा सदन-नेता से परामर्श करने के बाद निर्धारित किया जाए:

परन्तु जिस दिन वह कार्य निपटाने के लिए रखा गया हो उस दिन कार्य के ऐसे क्रम में तब तक परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक अध्यक्ष का यह समाधान न हो जाए कि ऐसे परिवर्तन के लिए पर्याप्त आधार है।

गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए समय का नियतन।

26. शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घंटे गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के सम्पादन के लिए नियत किए जाएंगे:-

परन्तु अध्यक्ष द्वारा भिन्न-भिन्न वर्गों के ऐसे कार्य के निपटाने के लिए भिन्न-भिन्न शुक्रवार नियत किए जा सकेंगे और किसी वर्ग विशेष के कार्य के लिए इस प्रकार नियत शुक्रवारों को उस वर्ग के कार्य की पूर्ववर्तिता होगी:

परन्तु यह और भी कि अध्यक्ष द्वारा सदन-नेता के परामर्श से, गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के सम्पादन के लिए शुक्रवार के अतिरिक्त कोई और दिन नियत किया जा सकेगा:

परन्तु यह और भी कि यदि शुक्रवार को सभा की बैठक न हो तो अध्यक्ष यह निदेश दे सकेगा/सकेगी कि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए सप्ताह में किसी अन्य दिन ढाई घंटे नियत कर दिए जाएं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की पूर्ववर्तिता।

27. (1) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को निपटाने के लिए नियत किए गए दिन ऐसे विधेयकों की निम्नलिखित क्रम में सापेक्ष पूर्ववर्तिता होगी, अर्थात्:-

(क) वे विधेयक जिनके संबंध में प्रस्ताव यह है कि विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए;

(ख) वे विधेयक जो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत संदेश के साथ लौटाए गए हैं;

(ग) वे विधेयक जो सभा द्वारा पारित तथा राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाए गए हों;

(घ) वे विधेयक जो राज्य सभा द्वारा पारित तथा सभा को पहुंचाए गए हों;

(ङ) वे विधेयक जिनके संबंध में यह प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो कि विधेयक पर विचार किया जाए;

(च) वे विधेयक जिनके संबंध में किसी संयुक्त या प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका हो;

(छ) वे विधेयक जो राय जानने के लिए परिचालित किए गए हों;

(ज) वे विधेयक जो पुर:स्थापित किए गए हों और जिनके संबंध में कोई अग्रेतर प्रस्ताव न किया गया हो या स्वीकृत न हुआ हो; और

(झ) अन्य विधेयक।

(2) उप-नियम (1) के एक ही खण्ड के अंतर्गत आने वाले विधेयकों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता अध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार होने वाली शलाका द्वारा ऐसे दिन और ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, निर्धारित की जाएगी:

परन्तु उप-नियम (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत आने वाले विधेयकों के संबंध में प्रस्ताव कार्य-सूची में उस क्रम में दर्ज किया जाएगा जिस क्रम में ऐसे प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हों:

परन्तु यह और भी कि उप-नियम (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत आने वाले उन विधेयकों की, जो गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति द्वारा वर्ग 'क' में वर्गित किए गए हों, वर्ग 'ख' में रखे गए विधेयकों पर पूर्ववर्तिता होगी, और यह कि इनमें से प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत आने वाले विधेयकों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता शलाका द्वारा अलग-अलग निर्धारित की जाएगी:

[परंतु यह और भी कि जहां गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति ने उप-नियम (1) के खंड (ज) के अंतर्गत आने वाले विधेयकों को श्रेणी 'क' के रूप में वर्गीकृत किया हो, और ऐसे विधेयकों की संख्या बीस या उससे अधिक हो तो, श्रेणी 'ख' के विधेयकों का बैलट नहीं किया जाएगा।][1]:

परंतु यह और भी कि यदि समिति ने उप-नियम (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत आने वाले विधेयकों को वर्ग 'क' तथा वर्ग 'ख' में न रखा हो तो ऐसे विधेयकों के कार्य-सूची में रखे जाने का क्रम शलाका द्वारा ऐसे निदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा जो उसके लिए अध्यक्ष दे।

(3) अध्यक्ष विशेष आदेश द्वारा, जो सभा में विघोषित किया जाएगा उप-नियम (1) में दिए हुए विधेयकों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता में ऐसे परिवर्तन कर सकेगा/सकेगी जो अध्यक्ष आवश्यक या सुविधाजनक समझे।

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की पूर्ववर्तिता।

28. संकल्प प्रस्तुत करने के इच्छुक सदस्यों के नामों का बैलट (शलाका) अध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार ऐसे दिन किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष निदेश दें।[1]

दिन के अन्त में गैर-सरकारी सदस्यों का अवशिष्ट कार्य।

29. गैर-सरकारी सदस्यों का वह कार्य जो उस वर्ग के कार्य के लिए नियत किए गए दिन के लिए रखा गया हो और उस दिन जिसे निपटाया न गया हो, किसी बाद के दिन के लिए तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक उसे उस दिन के संबंध में की गई शलाका में पूर्ववर्तिता प्राप्त न हो गई हो:

परंतु नियम 27 तथा 28 में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी ऐसा कोई कार्य, जो उस दिन के अंत में चर्चाधीन हो, उस वर्ग के कार्य के लिए नियत अग्रिम दिन के लिए रखा जाएगा और उसकी उस दिन के लिए रखे गए अन्य सब कार्यों पर पूर्ववर्तिता होगी।

गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक या संकल्प पर स्थगित वाद-विवाद का पुनःआरंभ।

30. (1) जब किसी प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने पर किसी गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक या संकल्प पर वाद-विवाद उसी या अगले सत्र में गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए नियत किए गए अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया जाए तो उसे आगे चर्चा के लिए तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि उसे शलाका में पूर्ववर्तिता प्राप्त न की गई हो।

[1]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) जब गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक या संकल्प पर वाद-विवाद अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया जाए, और यदि विधेयक का प्रभारी सदस्य या संकल्प का प्रस्तावक, गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए नियत बाद के किसी दिन ऐसे विधेयक या संकल्प पर चर्चा जारी रखना चाहता हो, स्थगित वाद-विवाद को पुनः आरम्भ करने के लिए सूचना दे सकेगा और ऐसी सूचना मिलने पर विधेयक या संकल्प की सापेक्ष पूर्ववर्तिता शलाका द्वारा निर्धारित की जाएगी।

कार्य-सूची।

31. (1) महासचिव द्वारा प्रत्येक दिन के लिए एक कार्य-सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रति प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर, अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी बैठक में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जो उस दिन की कार्य-सूची में सम्मिलित न हो।

(3) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर, ऐसे किसी कार्य को, जिसके लिए सूचना अपेक्षित हो, उस कार्य के वर्ग के लिए अपेक्षित सूचना की कालावधि समाप्त होने के बाद वाले दिन से पूर्व किसी दिन के लिये नहीं रखा जाएगा।

(4) जब तक अध्यक्ष द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों को निपटाने के लिए नियत किसी दिन की कार्य-सूची में तीन से अधिक संकल्पों (किसी ऐसे संकल्प के अतिरिक्त जो नियम 29 के परन्तुक के अंतर्गत अवशिष्ट हों) नहीं रखे जायेंगे।

[कार्य मंत्रणा समिति और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति से संबंधित नियमों के लिए इस नियमावली का अध्याय 26 **देखिए**]।

अध्याय 7

प्रश्न

प्रश्न काल।

32. जब तक अध्यक्ष द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, प्रत्येक बैठक का पहला घण्टा प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने के लिए उपलब्ध होगा।

सूचना की अवधि।

33. जब तक अध्यक्ष द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, प्रश्न के लिए [कम से कम पूरे पन्द्रह दिन][1] की सूचना दी जाएगी।

सूचना का रूप।

34. (1) प्रश्न की सूचना महासचिव को लिखित रूप में दी जाएगी और इसमें इन बातों का उल्लेख होगा।

[2](क) प्रश्न का पाठ;

[3](ख) प्रश्न जिस मंत्री को सम्बोधित हो उसके पद का नाम;

(ग) वह तिथि जिसको कि प्रश्न के उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में रखवाने का विचार है; और

[4][(घ) यदि कोई सदस्य एक ही दिन के लिए प्रश्नों की एक से अधिक सूचनाएं देता/देती है तो प्रश्न-सूची में रखे जाने के लिए प्राथमिकता क्रम, यदि कोई हो।]

जब किसी सूचना पर एक से अधिक सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हों तो वह सूचना केवल प्रथम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दी गई मानी जाएगी।

गृहीत प्रश्नों की मंत्रियों को सूचना।

35. जब तक अध्यक्ष द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, कोई प्रश्न उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में तब तक नहीं रखा जायेगा जब तक कि महासचिव द्वारा ऐसे प्रश्न की सूचना उस मंत्री को, जिसे वह सम्बोधित हो, दिये हुए पांच दिन न बीत गये हों।

---

[1]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 19.3.2010, पैरा संख्या 1265 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा अंत:स्थापित।

[3]**वही**। वर्तमान खण्ड (क) और (ख) को क्रमश: (ख) और (ग) के रूप में पुनराक्षरांकित किया गया।

[4]**वही**, जोड़ा गया।

तारांकित प्रश्न।

36. जो सदस्य अपने प्रश्न का मौखिक उत्तर चाहता/चाहती हो वह तारांक लगाकर उसका विभेद करेगा/करेगी। यदि सदस्य द्वारा प्रश्न पर तारांक लगाकर विभेद न किया जाए तो वह प्रश्न लिखित उत्तर के लिये प्रश्नों की सूची में रखा जाएगा।

तारांकित प्रश्नों की संख्या पर सीमा।

37. (1) मौखिक उत्तर के लिए किसी एक दिन को प्रश्न-सूची में एक[5] ही सदस्य का एक तारांक लगाकर विभेद किया गया एक से अनधिक प्रश्न तथा कुल मिलाकर बीस से अधिक प्रश्न नहीं रखे जाएंगे:

परन्तु जब कोई प्रश्न स्थगित कर दिया जाता है या मौखिक उत्तर के लिए किसी प्रश्न-सूची से अन्य प्रश्न-सूची में स्थानान्तरित कर दिया जाता है, तो एक सदस्य के नाम से एक से अधिक प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं तथा प्रश्नों की कुल संख्या इस प्रकार स्थगित अथवा स्थानान्तरित प्रश्न संख्या के अनुसार बढ़ सकती है।

[(2) जब तक अध्यक्ष द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, यदि सदस्य द्वारा प्रश्नों के लिए एक ही दिन के लिए तारांक लगाकर एक से अधिक सूचनाएं दी जाती हैं तो मौखिक उत्तर की प्रश्न-सूची के लिए सदस्य का प्रश्न सदस्य द्वारा दर्शाए गए क्रम में चुना जाएगा और यदि कोई क्रम नहीं दर्शाया गया है तो इनमें से किसी भी प्रश्न को मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में उस क्रम में रखा जाएगा, जिस समय-क्रम में उनकी सूचनाएं प्राप्त हुई हों।][6]

प्रश्नों के लिए दिनों का चक्रानुक्रमानुसार नियतन।

38. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध समय, ऐसे मंत्रालय या मंत्रालयों से सम्बद्ध प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भिन्न-भिन्न दिनों में चक्रानुक्रम से उस प्रकार नियत किया जाए जैसा कि अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर उपबंधित किया जाए, और प्रत्येक ऐसे दिन जब तक कि अध्यक्ष द्वारा सम्बद्ध मंत्री की सम्मति से अन्यथा निदेश न दिया जाए केवल ऐसे मंत्रालय या मंत्रालयों से सम्बद्ध प्रश्न ही, जिनके लिए उस दिन समय नियत किया गया हो, मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में रखे जाएंगे।

अतारांकित प्रश्न।

39. (1) यदि किसी प्रश्न पर तारांक लगाकर विभेद न किया गया हो, अथवा यदि किसी दिन मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न-सूची

---

[5]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

[6]**वही**, जोड़ा गया।

में रखे गए किसी प्रश्न को उस दिन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध समय में उत्तर के लिए न पुकारा जाए [****][7] तो उस प्रश्न का लिखित उत्तर, जिस मंत्री को प्रश्न सम्बोधित हो उसके द्वारा प्रश्न काल की समाप्ति पर अथवा मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों के निपटाए जाने के पश्चात् यथास्थिति सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा:

[***][8]

[(2) यदि बैठक के रद्द किए जाने या कोई कार्य किए बिना इसके स्थगन किए जाने के कारण प्रश्न काल न हो, तो मौखिक और लिखित उत्तर के लिए प्रश्नों की सूचियों में शामिल किए गए प्रश्नों के उत्तर, उन मंत्रियों के द्वारा जिन्हें वे प्रश्न सम्बोधित किए गए हों, प्रश्न काल के पश्चात् सभा की आगामी बैठक में सभा पटल पर रखे गए माने जाएंगे और उस दिन की कार्यवाही का भाग बन जाएंगे।][9]

(3) यदि किसी दिन प्रश्न काल किसी [***][10] [***][11] कारण से समाप्त कर दिया जाता है तो उस दिन के लिए मौखिक तथा लिखित उत्तरों की प्रश्न-सूचियों में शामिल किए गए प्रश्नों के उत्तर, उन मंत्रियों के द्वारा जिन्हें ऐसे प्रश्न सम्बोधित किए गए हों, सभा पटल पर रखे गये माने जाएंगे और उस दिन की कार्यवाही का भाग बन जाएंगे:

परन्तु यदि सभा प्रश्न काल समाप्त [***][12] करने के पश्चात् अपनी बैठक को जारी नहीं रखती है, तो उस दिन के लिए मौखिक तथा लिखित उत्तर की प्रश्न-सूचियों में शामिल किए गए प्रश्नों के उत्तर सभा की अगली बैठक में प्रश्न काल के पश्चात् सभा पटल पर रखे माने जाएंगे और उस दिन की कार्यवाही का भाग बन जाएंगे:

---

[7] लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 19.3.2010, पैरा संख्या 1265 द्वारा प्रतिस्थापित।

[8] लोक सभा, समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[9, 10, 11] और [12]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 19.3.2010, पैरा संख्या 1265 द्वारा लोप किया गया।

परन्तु यह भी कि यदि प्रश्न काल में मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची को ले लिए जाने के पश्चात् व्यवधान पड़ जाता है और सूची आंशिक रूप से निपटायी जाती है और बैठक जारी रहती है तो मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची के शेष प्रश्नों के उत्तर तथा लिखित उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची के प्रश्नों के उत्तर 12 बजे के पश्चात् सभा पटल पर रखे गए माने जाएंगे और उस दिन की कार्यवाही का भाग बन जाएंगे।

[(4) यदि किसी सत्र की अंतिम बैठक रद्द हो जाती है तो उस दिन के लिए मौखिक तथा लिखित उत्तर के लिए प्रश्नों की सूचियों में रखे गए प्रश्न व्यपगत हो जाएंगे।][13]

गैर-सरकारी सदस्यों से प्रश्न।

40. प्रश्न किसी अन्य गैर-सरकारी सदस्य को सम्बोधित किया जा सकेगा, यदि प्रश्न का विषय किसी ऐसे विधेयक, संकल्प अथवा सभा के कार्य के अन्य विषय से सम्बंधित हो, जिसके लिए वह सदस्य उत्तरदायी हो और ऐसे प्रश्नों के संबंध में यथासम्भव उसी प्रक्रिया का, जो किसी मंत्री को संबोधित प्रश्नों के संबंध में प्रयुक्त की जाती है, ऐसे परिवर्तनों के साथ अनुसरण किया जाएगा जो अध्यक्ष आवश्यक या सुविधाजनक समझे।

प्रश्नों की ग्राह्यता।

41. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लोक-महत्व के किसी ऐसे विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछा जा सकेगा जो उस मंत्री के विशेष संज्ञान में हो जिसे वह सम्बोधित किया गया हो।

(2) प्रश्न पूछने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्:-

[(एक) यह स्पष्ट और सूक्ष्म रूप से अभिव्यक्त किया जाएगा तथा इतना अधिक सामान्य नहीं होगा कि उसका कोई विशिष्ट उत्तर न दिया जा सके अथवा सूचक प्रश्न के रूप में नहीं होगा।][14]

[15][(दो) उसमें कोई ऐसा नाम या कथन नहीं होगा जो प्रश्न को सुबोध बनाने के लिए सर्वथा आवश्यक न हो;

---

[13]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा जोड़ा गया।

[14]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा अन्त:स्थापित किया गया।

[15]**वही**, पुराक्षरांकित।

(तीन) यदि उसमें कोई कथन हो, तो सदस्य को उस कथन की परिशुद्धता के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा;

(चार) उसमें प्रतर्क, अनुमान व्यंग्यात्मक पद, अभ्यारोपण विशेषण या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे;

(पांच) उसमें राय प्रकट करने या किसी अमूर्त विधि संबंधी प्रश्न या किसी काल्पनिक प्रस्थापना के समाधान के लिए नहीं पूछा जाएगा;

(छह) उसमें किसी व्यक्ति के पदेन या सार्वजनिक हैसियत के उस व्यक्ति के चरित्र या आचरण के बारे में नहीं पूछा जाएगा;

(सात) उसमें साधारणतया 150 से अधिक शब्द नहीं होंगे;

(आठ) वह उस विषय से संबंधित नहीं होगा जो मुख्यतया भारत सरकार का विषय न हो;

(नौ) उसमें किसी समिति की ऐसी कार्यवाही के बारे में नहीं पूछा जाएगा जो समिति के प्रतिवेदन द्वारा सभा के सामने न रखी गई हो;

(दस) उसमें किसी ऐसे व्यक्ति के चरित्र या आचरण पर अभ्युक्ति नहीं की जाएगी जिसके आचरण पर मूल प्रस्ताव के द्वारा ही आपत्ति की जा सकती हो;

(ग्यारह) उसमें व्यक्तिगत स्वयं रूप का दोषारोपण नहीं किया जाएगा और न वह दोषारोपण ध्वनित होगा;

(बारह) उसमें ऐसी नीति के प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे जो इतनी विस्तीर्ण हो कि प्रश्न के उत्तर की सीमा के भीतर न आ सके;

(तेरह) उसमें ऐसे प्रश्नों की सारत: पुनरूक्ति नहीं की जाएगी जिनके उत्तर पहले दिए जा चुके हों या जिनका उत्तर देना अस्वीकार कर दिया गया हो;

(चौदह) उसमें तुच्छ विषयों पर जानकारी नहीं मांगी जाएगी;

(पन्द्रह) उसमें साधारणतया विगत इतिहास के विषयों पर जानकारी नहीं मांगी जाएगी;

(सोलह) उसमें ऐसी जानकारी नहीं मांगी जाएगी जो प्राप्त दस्तावेजों या साधारण निर्देश ग्रन्थों में दी गई हो;

(सत्रह) उसमें ऐसे निकायों या व्यक्तियों के नियंत्रण के अंतर्गत विषय नहीं उठाए जाएंगे जो मुख्यतया भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी न हों;

(अठारह) उसमें किसी ऐसे विषय पर जानकारी नहीं मांगी जाएगी जो भारत के किसी भाग में अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय के न्यायनिर्णय के अंतर्गत हो;

(उन्नीस) उसका किसी ऐसे विषय से संबंध नहीं होगा जिससे मंत्री का पदेन कोई [सरोकार][16] न हो;

(बीस) उसमें किसी मित्र देश के प्रति अविनयपूर्ण निर्देश नहीं होगा;

[(इक्कीस)उसमें ऐसे विषयों के बारे में जानकारी नहीं मांगी जाएगी जो गोपनीय स्वरूप के हों जैसे मंत्रिमंडल समितियों की रचना, मंत्रिमंडल में की जाने वाली चर्चाएं या राष्ट्रपति को किसी ऐसे विषय में दी गई मंत्रणा जिसके संबंध में जानकारी प्रकट न करने का संवैधानिक, संविहित या रूढ़िगत दायित्व हो;][17]

(बाईस) उसमें साधारणतया ऐसे विषयों पर जानकारी नहीं मांगी जाएगी जो किसी संसदीय समिति के विचाराधीन हों; और

(तेईस) उसमें साधारणतया ऐसे विषयों के बारे में नहीं पूछा जाएगा जो कोई न्यायिक या अर्धन्यायिक कृत्य करने वाली किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने विचाराधीन हो किंतु उसमें जांच की प्रक्रिया या विषय या प्रक्रम में संबंधित विषयों की ओर निर्देश किया जा सकेगा, यदि उससे न्यायाधिकरण या आयोग या जांच-पड़ताल द्वारा उस विषय के विचार किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना न हो।]

भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच पत्र-व्यवहार के विषयों पर प्रश्न।

42. जिन विषयों पर भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच पत्र-व्यवहार हो रहा हो या हो चुका हो, उसके बारे में तथ्य विषयों को छोड़कर, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, और उत्तर तथ्य कथन तक ही सीमित होगा।

[16]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

[17]**वही**, प्रतिस्थापित।

अध्यक्ष प्रश्नों की ग्राह्यता का विनिश्चय करेगा/करेगी।

43. (1) अध्यक्ष द्वारा यह विनिश्चय किया जाएगा कि कोई प्रश्न या उसका कोई भाग इन नियमों के अंतर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं और ऐसे किसी प्रश्न या उसके किसी भाग को अस्वीकृत किया जा सकेगा जो अध्यक्ष की राय में प्रश्न पूछने के अधिकार का दुरुपयोग हो या सभा की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किया गया हो या इन नियमों के उल्लंघन में हो।

(2) यदि अध्यक्ष की राय हो कि यह विनिश्चित करने के लिए कि प्रश्न ग्राह्य है या नहीं, अधिक समय की आवश्यकता है; तो नियम 38 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष द्वारा यह निदेश दिया जा सकेगा कि किसी प्रश्न को प्रश्न-सूची में उत्तर के लिए सदस्य द्वारा अपनी सूचना में उल्लिखित तिथि के बाद की किसी तिथि को रखा जाए।

अध्यक्ष विनिश्चय करेगा/करेगी कि कोई प्रश्न तारांकित माना जाए या अतारांकित।

44. यदि अध्यक्ष की राय में मौखिक उत्तर के लिए रखा गया कोई प्रश्न ऐसे स्वरूप का है कि उसका लिखित उत्तर अधिक उचित होगा जो अध्यक्ष द्वारा यह निदेश दिया जा सकेगा कि ऐसा प्रश्न लिखित उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में रख दिया जाए:

परन्तु अध्यक्ष द्वारा, यदि ठीक समझा जाए, मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न की सूचना देने वाले सदस्य से मौखिक उत्तर चाहने के कारणों को संक्षेप में बताने की अपेक्षा की जा सकेगी और उन पर विचार करने के बाद निदेश दिया जा सकेगा कि प्रश्न लिखित उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में सम्मिलित किया जाए।

[18][अतारांकित प्रश्नों की संख्या सीमा।]

45. (1) जो प्रश्न गृहित कर लिए गए हों और मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में शामिल न किए गए हों, अध्यक्ष के आदेश के अनुसार लिखित उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में दर्ज कर दिए जाएंगे।

(2) किसी दिन की लिखित उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में एक सदस्य के, यदि मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में उसका एक प्रश्न दर्ज है, चार से अनधिक और यदि मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में उस सदस्य का एक भी प्रश्न दर्ज नहीं है तो पांच से अनधिक तथा कुल मिलाकर 230 से अनधिक प्रश्न दर्ज किए जाएंगे:

परन्तु ये सीमाएं लिखित उत्तर के लिए किसी प्रश्न-सूची से अन्य प्रश्न-सूची में स्थानान्तरित अथवा स्थगित प्रश्न संख्या के अनुसार बढ़ाई जा सकेंगी:

---

[18]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु यह भी कि किसी दिन की लिखित उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में 230 प्रश्नों की कुल सीमा राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य अथवा राज्यों से संबंधित प्रश्न संख्या जो अधिक से अधिक 25 होगी, के अनुसार बढ़ सकेगी।]

तारांकित प्रश्नों के पुकारे जाने का क्रम।

46. मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न, [***][19-20] उस क्रम से पुकारे जाएंगे जिसमें कि वे सूची में दिए हों:

परन्तु जिस प्रश्न का मौखिक उत्तर देने के लिए समय नहीं बचा हो उसका उत्तर प्रश्न काल के समय के अंत में, यदि मंत्री द्वारा अध्यक्ष से अभ्यावेदन किया जाए कि वह प्रश्न विशेष लोकहित का है और उसका मंत्री उत्तर देना चाहता/चाहती है, अध्यक्ष की अनुज्ञा से दिया जा सकेगा।

प्रश्नों की वापसी या स्थगन।

47. कोई सदस्य उस बैठक से पहले, जिसके लिए ऐसे सदस्य का प्रश्न सूची में रखा गया है, किसी भी समय सूचना देकर उस प्रश्न को वापस ले सकेगा/सकेगी या उसे सूचना में उल्लिखित किसी बाद के दिन के लिए स्थगित करा सकेगा/सकेगी और बाद के ऐसे दिन वह प्रश्न, नियम 38 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सूची में उन सब प्रश्नों के बाद रखा जाएगा जो इस तरह स्थगित न किए गए हों:

परन्तु स्थगित किया गया कोई प्रश्न सूची में तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि महासचिव को स्थगन की सूचना प्राप्त हुए पूरे दो दिन समाप्त न हो गए हों।

प्रश्न पूछने की रीति।

48. (1) प्रश्न पूछने का समय आने पर अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक ऐसे सदस्य को, जिसके नाम में प्रश्न-सूची में कोई प्रश्न हो, क्रम-वार पुकारा जाएगा।

(2) इस प्रकार पुकारा गया सदस्य, अपने स्वयं के स्थान पर खड़ा होगा/होगी और, जब तक वह सदस्य जिसे उस सदस्य के नाम में रखे हुए प्रश्न को पूछने की अनिच्छा व्यक्त नहीं करता/करती है, उस प्रश्न की प्रश्न-सूची में उसी क्रम संख्या का उल्लेख करके पूछेगा/पूछेगी।

[19-20]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 19.3.2010, पैरा संख्या 1265 द्वारा लोप किया गया।

(3) यदि कोई प्रश्न पुकारे जाने पर न पूछा जाए [अथवा][21] वह सदस्य जिसके नाम में प्रश्न हो, वह अनुपस्थित हो, तो अध्यक्ष, [***][22] निदेश दिया जा सकेगा कि उसका उत्तर दिया जाए।

49. [***][23]

अनुपूरक प्रश्न।

50. [(1) कोई सदस्य, जिसका नाम मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में प्रश्न दर्ज है अथवा कोई अन्य सदस्य, अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर किसी ऐसे तथ्यात्मक विषय के अग्रेतर विशदीकरण के प्रयोजन के लिए जिसके बारे में उत्तर दिया गया है, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेगा/सकेगी।

(2) किसी अनुपूरक प्रश्न को अध्यक्ष द्वारा नियम के विरुद्ध ठहराया जाएगा यदि उसकी राय में:

(एक) वह मुख्य प्रश्न अथवा उसके उत्तर से उत्पन्न नहीं होता;

(दो) वह जानकारी मांगने की अपेक्षा, जानकारी देता है;

(तीन) उसमें एक से अधिक अलग प्रश्न अंतर्ग्रस्त हैं;

(चार) उससे किसी राय की पुष्टि अथवा अस्वीकृति के बारे में जानकारी मांगी गई है; और

(पांच) वह प्रश्नों के बारे में किसी नियम के उल्लंघन में है।

(3) नियम 32 के अंतर्गत प्रश्नों के समय में किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के उत्तर के संबंध में चर्चा की अनुज्ञा नहीं होगी।][24]

---

[21] लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 19.3.2010, पैरा संख्या 1265 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[22-23] **वही**, लोप किया गया।

[24] लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

उत्तर में राज्य सभा की कार्यवाही की ओर निर्देश नहीं किया जाएगा।

51. सभा में किसी प्रश्न के उत्तर में राज्य सभा के चालू सत्र के दौरान दिए गए किसी प्रश्न के उत्तर या राज्य सभा की कार्यवाही की ओर निर्देश नहीं किया जाएगा।

सदस्यों को निर्दिष्ट लम्बित प्रश्नों का व्यपगत होना।

52. जब किसी सदस्य से किसी प्रश्न की सूचना के सम्बन्ध में कुछ पूछा जाए और कोई उत्तर न मिले या ऐसे सदस्य से उत्तर इतनी देर से मिले कि अध्यक्ष उस पर विचार न कर सके और प्रश्न, यदि ग्राह्य होने पर उचित तिथि की प्रश्न-सूची में न रखा जा सके, तो ऐसी सूचना व्यपगत समझी जाएगी।

उत्तरों के पूर्व प्रकाशन पर रोक।

53. प्रश्नों के उत्तर जो मंत्री सभा में देना चाहते हों, तब तक प्रकाशनार्थ नहीं दिए जाएंगे जब तक वास्तव में वे सभा में न दिए जा चुके हों या पटल पर न रखे जा चुके हों।

अल्प-सूचना प्रश्न।

54. (1) लोक महत्व के विषय के सम्बंध में कोई प्रश्न पूरे दस दिन से कम की सूचना पर पूछा जा सकेगा और यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि प्रश्न अविलम्बनीय प्रकार का है तो अध्यक्ष द्वारा यह निदेश दिया जा सकेगा कि सम्बंधित मंत्री से पूछताछ की जाए कि मंत्री उत्तर देने की स्थिति में है या नहीं और यदि हां, तो किस तिथि को।

(2) यदि संबंधित मंत्री उत्तर देने के लिए सहमत हो तो ऐसे प्रश्न का उत्तर मंत्री द्वारा दर्शाए गए दिन को दिया जाएगा और वह प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में दिए गए प्रश्नों के निपटाए जाने के तुरन्त पश्चात् पुकारा जाएगा।

(3) यदि मंत्री अल्प-सूचना पर प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो और अध्यक्ष की यह राय हो कि प्रश्न पर्याप्त लोक-महत्व का है कि जिसका सभा में उसका मौखिक उत्तर दिया जाना चाहिए तो वह निदेश दिया जा सकेगा कि प्रश्न उस दिन प्रश्न-सूची में प्रथम प्रश्न के रूप में रखा जाए, जिस दिन कि नियम 33 के अंतर्गत उसका उत्तर दिया जा सकता हो:

परन्तु किसी एक दिन की प्रश्न-सूची में ऐसे एक से अधिक प्रश्न को प्रथम पूर्ववर्तिता प्रदान नहीं की जाएगी।

(3क) जब अल्प-सूचना प्रश्न की सूचना पर एक से अधिक सदस्य ने हस्ताक्षर किए हों तो यह सूचना केवल प्रथम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा ही मानी जाएगी।

(4) जब दो या अधिक सदस्य एक ही विषय पर अल्प-सूचना प्रश्न रखें और उनमें से एक प्रश्न अल्प-सूचना पर उत्तर के लिए स्वीकार कर लिया जाए तो जिस सदस्य की सूचना स्वीकार कर ली गई हो, उसके अतिरिक्त, बैलट द्वारा निर्धारित रूप में अधिक से अधिक चार सदस्यों के नाम स्वीकृत प्रश्न के सामने दिए जाएंगे:

परन्तु अध्यक्ष द्वारा यह निदेश दिया जा सकेगा कि सब सूचनाओं को एक ही सूचना में समेकित कर दिया जाए, यदि अध्यक्ष की राय में एक ही स्वयंपूर्ण ऐसा प्रश्न तैयार करना वांछनीय हो जिसमें सदस्यों द्वारा उठाई गई सब महत्वपूर्ण बातें आ जाएं और तब मंत्री द्वारा उस समेकित प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा:

परन्तु यह और भी कि समेकित प्रश्न की अवस्था में, जिस सदस्य की सूचना स्वीकार कर ली गई हो, उसके अतिरिक्त, बैलट द्वारा निर्धारित रूप से अधिक से अधिक चार सदस्यों के नाम प्रश्न के सामने दिए जाएंगे।

(5) यदि कोई सदस्य किसी प्रश्न का मौखिक उत्तर अल्प-सूचना पर चाहे तो ऐसा सदस्य संक्षेप में अल्प-सूचना पर प्रश्न पूछने के कारण बताएगा/बताएगी। यदि प्रश्न की सूचना में कोई कारण न दिए गए हों तो प्रश्न सदस्य को लौटा दिया जाएगा।

(6) वह सदस्य, जिसने प्रश्न की सूची दी हो वह उस समय प्रश्नों की सूची में उस प्रश्न की संख्या का हवाला देकर प्रश्न पूछने के लिए अपने स्वयं के स्थान पर होगा/होगी जब अध्यक्ष द्वारा पुकारा जाए और संबंधित मंत्री तुरंत उत्तर देगा/देगी:

परन्तु जब कोई प्रश्न एक से अधिक सदस्यों के नाम से दिखाया गया हो तो अध्यक्ष द्वारा, प्रथम सदस्य का नाम या उस समय की अनुपस्थिति में किसी अन्य नाम को पुकारा जाएगा।

(7) अन्य प्रकरणों में अल्प-सूचना प्रश्नों के लिए प्रक्रिया, ऐसे रूप भेदों के साथ, जो अध्यक्ष आवश्यक या सुविधाजनक समझे, वही होगी जो मौखिक उत्तर के लिए साधारण प्रश्नों के लिए है।

अध्याय 8

आधे घंटे की चर्चा

प्रश्नों के उत्तर से उठने वाले विषयों पर चर्चा।

55. (1) अध्यक्ष द्वारा एक सप्ताह में तीन बैठकों में आधा घंटा, ऐसे पर्याप्त लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने के लिए नियत किया जा सकेगा जो हाल ही में किसी मौखिक या लिखित प्रश्न का विषय रह चुका हो और जिसके उत्तर का किसी तथ्य विषय के सम्बंध में विशुद्धीकरण आवश्यक हो।

(2) ऐसा सदस्य जो कोई विषय उठाना चाहे, उस दिन से, जिस दिन उस विषय को उठाए जाने की वांछा की गई हो, तीन दिन पहले महासचिव को लिखित सूचना देगा/देगी और संक्षेप में उस बात या बातों का उल्लेख करेगा/करेगी जिन्हें ऐसा सदस्य उठाना चाहता हो/चाहती हो:

परन्तु सूचना के साथ व्याख्यात्मक टिप्पणी संलग्न होगी जिसमें उस विषय पर चर्चा उठाने के कारण दिए होंगे:

परन्तु यह और भी कि यदि सूचना पर एक से अधिक सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हों तो वह सूचना केवल प्रथम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दी गई मानी जाएगी:

परन्तु यह और भी कि अध्यक्ष सम्बंधित मंत्री की सम्मति से सूचना की कालावधि सम्बंधी आवश्यकता को हटा सकेगा/सकेगी।

(3) अध्यक्ष द्वारा यह विनिश्चिय किया जाएगा कि चर्चा के लिए रखे जाने वाला विषय पर्याप्त लोक-महत्व का है या नहीं, और किसी ऐसी सूचना को अग्राह्य किया जाएगा जिसका उद्देश्य अध्यक्ष की राय में सरकार की नीति में परिवर्तन करना हो।

(4) यदि दो से अधिक सूचनाएं प्राप्त हुई हों और अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य कर ली गई हों तो महासचिव द्वारा शलाका से दो सूचनाएं निकालने के लिए निर्णय किया जाएगा और सूचनाएं उस क्रम में रखी जाएंगी जिस समय-क्रम में वे प्राप्त हुई हों:

परन्तु यदि किसी विशेष दिन चर्चा के लिए रखा गया कोई विषय उस दिन न निपटाया जाए तो वह किसी अन्य दिन के लिए तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि सदस्य ऐसा न चाहे और उस अवस्था में उसे अगले प्राप्त दिन के लिए शलाका में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

(5) सभा के सामने न तो कोई औपचारिकता प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा/सकेगी। [जिन सदस्यों ने अध्यक्ष को पहले से सूचित कर दिया हो वे किसी तथ्य विषय के अग्रेतर विशुद्धीकरण के प्रयोजन से प्रश्न पूछ सकेंगे। तत्पश्चात् मंत्री संक्षेप में उत्तर देगा/देगी।][1]:

परन्तु अधिक से अधिक चार ऐसे सदस्यों को, जिन्होंने महासचिव को पहले सूचित कर दिया हो, किसी तथ्य विषय के अग्रेतर विशुद्धीकरण के प्रयोजन से एक-एक प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

व्याख्या—जो सदस्य प्रश्न पूछना चाहे वह जिस दिन चर्चा होनी हो उस दिन बैठक के आरम्भ होने से पहले इसके लिए लिखित रूप में प्रार्थना करेगा/करेगी। यदि ऐसी प्रार्थनाएं चार से अधिक सदस्यों से प्राप्त होंगी तो पहले चार सदस्यों के नाम निर्धारित करने के लिए बैलट किया जाएगा जिन्हें एक-एक प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

[1]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय 9

स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष की सहमति।

56. इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए अविलम्बनीय लोक-महत्व के किसी निश्चित विषय की चर्चा के प्रयोजन से सभा के कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की सहमति से किया जा सकेगा।

सूचना।

57. [स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन, जिस दिन कि प्रस्ताव करने का विचार हो, 10.00 बजे तक महासचिव को दी जाएगी और उसकी प्रतियां निम्नलिखित को पृष्ठांकित की जाएंगी:

(1) अध्यक्ष;

(2) संबंधित मंत्री;

(3) संसदीय कार्य मंत्री:

परन्तु 10.00 बजे के बाद प्राप्त सूचनाओं को सभा की अगली बैठक के दिन 10.00 बजे प्राप्त हुआ समझा जाएगा:

परन्तु यह भी कि किसी भी सदस्य द्वारा किसी एक बैठक के लिए एक से अधिक सूचना नहीं दी जाएगी।

व्याख्या—(एक) जहां किसी सूचना पर एक से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर हों वहां यह समझा जाएगा कि उसे केवल प्रथम हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा दिया गया है।

(दो) किसी बैठक के लिए एक ही विषय पर वैध सभी सूचनाओं की सापेक्ष वरीयता निर्धारित करने के लिए बैलट किया जाएगा।][1]

प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार पर निर्बन्धन।

58. अविलम्बनीय लोक-महत्व के किसी निश्चित विषय पर चर्चा करने के प्रयोजन से सभा को स्थगित करने के प्रस्ताव का अधिकार निम्नलिखित निर्बन्धन के अधीन होगा, अर्थात्:—

[1]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

(एक) एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जाएगा;

(दो) एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी;

(तीन) प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय [जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की][2] तक सीमित रहेगा;

(चार) प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा;

(पांच) प्रस्ताव द्वारा ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं की जाएगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी हो;

(छह) प्रस्ताव में उस विषय की पूर्वाशा न की जाएगी। जो विचार के लिए पहले ही नियत किया जा चुका हो। यह निर्धारित करने के लिए कि पूर्वाशा के आधार पर चर्चा नियमबाह्य है या नहीं; अध्यक्ष उचित समय के भीतर पूर्वाशित विषय के सभा के सामने आने की सम्भावना का ध्यान रखा जाएगा;

(सात) प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के सम्बंध में नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय-निर्णयन के अन्तर्गत हो; और

(आठ) प्रस्ताव में कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया जाएगा जो संविधान या इन नियमों के अंतर्गत महासचिव को लिखित सूचना देकर अलग प्रस्ताव द्वारा ही उठाया जा सकता हो।

न्यायाधिकरणों, आयोगों आदि के विचाराधीन विषय।

59. साधारणतया ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिए हो जो किसी न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लम्बित हो:

परन्तु अध्यक्ष द्वारा अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसे विषय को सभा में उठाने की अनुमति दी जा सकेगी जो जांच की प्रक्रिया या विषय या प्रक्रम से संबंधित हो, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाए कि इससे संविहित न्यायाधिकरण, सांविहित प्राधिकारी या

[2]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा अत: स्थापित किया गया।

जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति।

60. (1) यदि अध्यक्ष द्वारा नियम 56 के अंतर्गत सम्मति दी जाए और यह मान्य ठहराया जाए कि चर्चा के लिए प्रस्तावित विषय नियमानुकूल हैं तो अध्यक्ष द्वारा संबंधित सदस्य को पुकारा जाएगा जो अपने स्वयं के स्थान पर खड़ा होगा/होगी और सभा के स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगेगा/मांगेगी:

परन्तु जब अध्यक्ष द्वारा नियम 56 के अंतर्गत सम्मति देने से इंकार कर दिया हो या अध्यक्ष की राय हो कि चर्चा के लिए प्रस्तावित विषय नियमानुकूल नहीं है तो अध्यक्ष द्वारा यदि आवश्यक समझा जाए, उस प्रस्ताव की सूचना को पढ़कर सुनाया जा सकेगा और सम्मति देने से इन्कार करने या प्रस्ताव को नियमानुकूल न ठहराने के कारण बताए जा सकेंगे:

परन्तु यह भी कि यदि अध्यक्ष उसमें उल्लिखित मामले के बारे में पूर्ण तथ्यों से अवगत न हो तो अध्यक्ष द्वारा सम्मति देने या देने से इन्कार करने के पूर्व उस प्रस्ताव की सूचना को पढ़कर सुनाया जा सकेगा और सम्बंधित मंत्री या सदस्यों से तथ्यों पर संक्षिप्त विवरण की सुनवाई की जा सकेगी और उसके बाद प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में अपना निर्णय दिया जा सकेगा।

(2) यदि अनुमति दी जाने पर आपत्ति की जाए तो अध्यक्ष द्वारा उन सदस्यों से जो अनुमति दी जाने के पक्ष में हो, अपने स्थानों पर खड़े होने के लिए कहा जाएगा और तदनुसार यदि कम से कम पचास सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष द्वारा यह सूचित किया जाएगा कि अनुमति दी जाती है। यदि पचास से कम सदस्य उठें, तो अध्यक्ष द्वारा सदस्य को सूचित किया जाएगा कि उसे सभा की अनुमति नहीं है।

प्रस्ताव को लेने का समय।

61. प्रस्ताव "कि सभा अब स्थगित हो" 16.00 बजे या यदि अध्यक्ष, सभा में कार्य की स्थिति पर विचार करने के पश्चात् ऐसा निदेश दे तो उससे पहले किसी भी समय लिया जाएगा।

वाद-विवाद का समापन।

62. अध्यक्ष द्वारा यह समाधान होने पर कि पर्याप्त वाद-विवाद हो चुका है, 18.30 बजे या ऐसे अन्य समय, जो वाद-विवाद प्रारम्भ होने के समय से ढाई घंटे से कम न हो, प्रश्न रख सकेगा।

भाषणों के लिए समय-सीमा।

63. अध्यक्ष भाषणों के लिए समय-सीमा विहित करेगा।

अध्याय 10

विधान

1. सभा में प्रारम्भ होने वाले विधेयक

(विधेयकों का पुर:स्थापन और प्रकाशन)

पुर:स्थापन के पहले विधेयक का राजपत्र में प्रकाशन।

64. प्रार्थना किए जाने पर, अध्यक्ष किसी विधेयक (उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण, विधायनी शक्ति के प्रत्यायोजन सम्बंधी ज्ञापन और उसमें संलग्न वित्तीय ज्ञापन सहित) के गजट में प्रकाशन का आदेश दे सकेगा भले ही विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव न रखा गया हो। उस अवस्था में विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करना आवश्यक नहीं होगा और यदि विधेयक बाद में पुर:स्थापित किया जाये तो उसको फिर प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को पुर:स्थापित करने की अनुमति की सूचना।

65. (1) मंत्री के अतिरिक्त कोई सदस्य, जो किसी विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करना चाहता/चाहती हो, अपने इस अभिप्राय की सूचना देगा/देगी और सूचना के साथ विधेयक की एक प्रति और उद्देश्यों और कारणों का एक व्याख्यात्मक विवरण जिसमें प्रतर्क नहीं होंगे, भेजेगा/भेजेगी:

परन्तु अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए, उद्देश्यों और कारणों के विवरण को पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

(2) यदि विधेयक एक ऐसा विधेयक हो जो संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश के बिना पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता, तो सदस्य सूचना के साथ मंत्री के माध्यम से भेजी गई मंजूरी या सिफारिश अनुबद्ध करेगा/करेगी, और सूचना तब तक मान्य नहीं होगी जब तक इस अपेक्षा का पालन न हो जाये।

(3) इस नियम के अंतर्गत विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचना की कालावधि एक मास होगी यदि अध्यक्ष द्वारा इससे कम समय की सूचना पर प्रस्ताव किये जाने की अनुमति न दे दी जाए।

(4) अध्यक्ष द्वारा किसी विधेयक की सूचना को अस्वीकार किया जा सकेगा यदि विधेयक में इस नियम के उपनियम (2) या नियम 69 या 70 की अपेक्षाओं का पालन न किया गया हो।

लम्बित किसी अन्य विधेयक पर निर्भर विधेयक।

66. कोई विधेयक जो सभा में लम्बित किसी अन्य विधेयक पर पूर्णत: या अंशत: निर्भर है, उस विधेयक के पारित हो जाने की पूर्वाशा में जिस पर कि वह निर्भर है, सभा में पुर:स्थापित किया जा सकेगा:

परन्तु दूसरा विधेयक सभा में विचार किये जाने तथा पारित किये जाने के लिए केवल तभी लिया जायेगा जबकि पहला विधेयक सदनों द्वारा पारित किया जा चुका हो और राष्ट्रपति द्वारा उस पर अनुमति दी जा चुकी हो।

समान विधेयक।

67. जब कोई विधेयक सभा में लम्बित हो, तब किसी समान विधेयक की सूचना, चाहे वह लम्बित विधेयक के पुर:स्थापन से पूर्व या पश्चात् प्राप्त हुई हो, लम्बित सूचनाओं की सूची में से, यथास्थिति, निकाल दी जायेगी अथवा उसमें दर्ज नहीं की जायेगी, जब तक अध्यक्ष द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए।

विधेयक पर राष्ट्रपति की सिफारिश पहुंचाना।

68. किसी विधेयक को पुर:स्थापित करने या उस पर विचार किये जाने को मंजूरी देने या रोक लेने अथवा सिफारिश करने या रोक लेने के राष्ट्रपति के आदेश सम्बंधित मंत्री द्वारा लिखित रूप में महासचिव को पहुंचाये जायेंगे।

वित्तीय ज्ञापन और व्यय संबंधी खंड।

69. (1) जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खण्डों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायेगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायेगा जो विधेयक के विधि के रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो।

(2) विधेयकों के जिन खण्डों या उपबन्धों में भारत की संचित निधि में से व्यय अन्तर्ग्रस्त हो वे मोटे टाइप या तिरछे अक्षरों में छापे जायेंगे:

[1][परन्तु जहां किसी विधेयक में कोई खंड जिसमें व्यय अंतर्ग्रस्त हो अनजाने में मोटे टाइप या तिरछे अक्षरों में न छापा जाए, विधेयक के प्रभारी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से ऐसे खंडों को सभा की जानकारी में लाया जाएगा।]

---

[1]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, के पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन।

70. जिस विधेयक में विधायनी शक्ति के प्रत्यायोजन के प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त हों उसके साथ अग्रेतर एक ज्ञापन होगा जिसमें ऐसे प्रस्ताव की व्याख्या होगी और उनकी व्याप्ति की ओर ध्यान दिलाया जायेगा तथा यह भी बताया जायेगा कि वे सामान्य रूप की हैं या अपवाद स्वरूप की।

अध्यादेशों के बारे में विवरण।

71. (1) जब कभी कोई विधेयक जो किसी अध्यादेश के स्थान में उसमें रूपभेद सहित या उसके बिना सभा में पुर:स्थापित किया जाए तो सभा के सामने विधेयक के साथ उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण भी रखा जायेगा; जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था।

(2) जब कभी कोई ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित किया जाये, जिसमें सभा के सामने लंबित किसी विधेयक के उपबंध पूर्णत: या अंशत: या रूपभेद सहित समाविष्ट हों तो उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण, जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था, अध्यादेश को प्रख्यापित करने के बाद के सत्र के प्रारंभ में पटल पर रख दिया जाएगा।

विधेयक की पुर:स्थापना का विरोध होने पर प्रक्रिया।

72. (1) यदि किसी विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये, तो अध्यक्ष द्वारा, यदि ठीक समझा जाए, प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य और प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रेतर वाद विवाद के प्रश्न को रखा जा सकेगा:

परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाये कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष द्वारा उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दी जा सकेगी:

परन्तु यह और भी कि अध्यक्ष द्वारा वित्त विधेयक या विनियोग विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव तुरन्त मतदान के लिए रखा जाएगा।

[2][(2) किसी विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करने की सूचना [3](उठाई जाने वाली आपत्तियों को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में विनिर्दिष्ट करते हुए) महासचिव को संबोधित की जाएगी और जिस दिन विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव को

---

[2]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा जोड़ा गया।

[3]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 10.12.2004, पैरा संख्या 710 द्वारा अंत:स्थापित किया गया।

कार्य-सूची में शामिल किया गया हो उस दिन 10.00 बजे तक दी जाएगी।]

पुर:स्थापन के बाद विधेयक का राजपत्र में प्रकाशन।

73. विधेयक के पुर:स्थापित किये जाने के बाद यथाशीघ्र विधेयक गजट में प्रकाशित कर दिया जायेगा, यदि वह पहले ही प्रकाशित न किया जा चुका हो।

विधेयकों के पुर:स्थापन के बाद प्रस्ताव तथा वाद-विवाद की व्याप्ति

विधेयकों के पुर:स्थापन के बाद प्रस्ताव।

74. विधेयक जब पुर:स्थापित किया जाये तब या उसके बाद किसी अवसर पर, प्रभारी सदस्य अपने स्वयं के विधेयक के बारे में निम्न प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी, अर्थात्:–

(एक) कि उस पर विचार किया जाये; या

(दो) कि उसे सभा की प्रवर समिति को सौंपा जाये; या

(तीन) कि उसे राज्य सभा की सहमति से दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये; या

(चार) कि उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाये:

परन्तु खण्ड (तीन) में निर्दिष्ट कोई ऐसा प्रस्ताव किसी ऐसे विधेयक के सम्बन्ध में नहीं दिया जायेगा [4][यदि उसमें केवल ऐसे उपबंध हों जो संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उपखंड (क) से (छ) में उल्लिखित सभी विषयों या उनमें से किसी विषय से संबंधित हो]:

परन्तु यह और भी कि ऐसा प्रस्ताव उस समय तक नहीं किया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतियां सदस्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध न कर दी गई हों और विधेयक की प्रतियां प्रस्ताव करने के दिन से दो दिन पहले इस तरह उपलब्ध न कर दी गई हों तो कोई सदस्य ऐसे किसी प्रस्ताव के किए जाने पर आपत्ति कर सकेगा/सकेगी और यदि अध्यक्ष प्रस्ताव किये जाने की अनुमति न दे तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।

---

[4]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

विधेयक के सिद्धान्त पर चर्चा।

75. (1) नियम 74 में निर्दिष्ट किसी प्रस्ताव के किए जाने पर विधेयक के सिद्धान्त और उसके उपबंधों पर सामान्य रूप से चर्चा की जा सकेगी किन्तु विधेयक के ब्यौरे पर उससे अग्रेतर चर्चा नहीं होगी जितनी कि उसके सिद्धांतों को व्याख्या के लिए आवश्यक हो।

(2) इस प्रक्रम पर विधेयक में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे, किन्तु–

(क) यदि प्रभारी सदस्य प्रस्ताव करे कि विधेयक पर विचार किया जाये तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि विधेयक सदन की प्रवर समिति या, राज्य सभा की सहमति से, दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये या प्रस्ताव में उल्लिखित की जाने वाली तिथि तक उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाये;

(ख) यदि प्रभारी सदस्य प्रस्ताव करे कि विधेयक सदन की प्रवर समिति, या राज्य सभा की सहमति से दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि विधेयक, यथास्थिति राज्य सभा की सहमति से सदनों की संयुक्त समिति को अथवा एक प्रवर समिति को सौंपा जाये, या विधेयक को प्रस्ताव में उल्लिखित की जाने वाली तिथि तक उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।

(3) जब यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाये कि विधेयक पर राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाए और विधेयक उस निदेश के अनुसार परिचालित किया जा चुका हो और उस पर रायें प्राप्त हो गई हों तो प्रभारी सदस्य, यदि विधेयक पर उसके आगे कार्यवाही करना चाहता/चाहती हो, यह प्रस्ताव करेगा/करेगी कि विधेयक सदन की प्रवर समिति या, राज्य सभा की सहमति से, दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये, यदि अध्यक्ष द्वारा यह प्रस्ताव करने की अनुमति न दे दी जाए कि विधेयक पर विचार किया जाये:

परन्तु यदि इस उपनियम के अंतर्गत कोई संशोधन या प्रवर समिति अथवा संयुक्त समिति की नियुक्ति के लिए कोई प्रस्ताव किया गया हो, तो कोई सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि सभा, प्रवर समिति या संयुक्त समिति को जिसे यह विधेयक में कुछ खास या

अतिरिक्त उपबन्ध करने और यदि आवश्यक या सुविधाजनक हो तो ऐसे संशोधनों पर जो उस मूल अधिनियम के सम्बंध में प्रस्तावित किये जायें, जिसे विधेयक द्वारा संशोधित किया जा रहा हो, विचार करने और प्रतिवेदन देने का अनुदेश दे:

परन्तु यह और भी कि इस उपनियम के अंतर्गत कोई संशोधन या संयुक्त समिति की नियुक्ति के लिए कोई प्रस्ताव किसी ऐसे विधेयक के सम्बंध में नहीं किया जाएगा [यदि उसमें केवल ऐसे उपबंध हों जो संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उपखंड (क) से (छ) में उल्लिखित सभी विषयों या उनमें से किसी विषय से संबंधित हों।][5]

सदस्य विधेयकों के संबंध में प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी।

76. विधेयक के प्रभारी सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव नहीं किया जाएगा कि विधेयक पर विचार किया जाये या विधेयक को पारित किया जाये और विधेयक के प्रभारी सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य द्वारा, विधेयक के प्रभारी सदस्य द्वारा किए गये प्रस्ताव पर संशोधन के रूप के अतिरिक्त यह प्रस्ताव नहीं किया जाएगा कि विधेयक सभा की प्रवर समिति या राज्य सभा की सहमति से दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये या राय जानने के लिए परिचालित किया जाये:

परन्तु यदि किसी विधेयक का प्रभारी सदस्य, ऐसे कारणों से जिन्हें अध्यक्ष पर्याप्त समझे, उसके पुर:स्थापन के बाद के किसी प्रक्रम पर उस विधेयक के बारे में अगले प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तो वह सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से उस प्रस्ताव विशेष को प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य सदस्य को अधिकृत कर सकेंगा/सकेगी।

व्याख्या–परन्तुक में दिये गये उपबन्धों के होते हुए भी वह सदस्य जिसने विधेयक को पुर:स्थापित किया है, प्रभारी सदस्य बना रहेगा/रहेगी।

(विधेयकों सम्बंधी प्रवर समितियों विषयक नियमों के लिए इस नियमावली का अध्याय 26 **देखिए**)

---

[5]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा जोड़ा गया।

प्रवर समिति अथवा संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के बाद प्रस्ताव और वाद-विवाद की व्याप्ति

प्रवर/संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के बाद प्रस्तुत प्रस्ताव।

77. (1) किसी विधेयक पर, यथास्थिति, सदनों की संयुक्त समिति या सदन की प्रवर समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के बाद, प्रभारी सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी–

(क) कि यथास्थिति, सदनों की एक संयुक्त समिति या सभा की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाए; या

(ख) कि यथास्थिति, सभा को प्रवर समिति या सदनों की संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक को राज्य सभा की सहमति से या तो उसी प्रवर समिति या एक नयी प्रवर समिति या उसी संयुक्त समिति या एक नई संयुक्त समिति को–

(एक) परिसीमा के बिना; अथवा

(दो) केवल खास खण्डों या संशोधनों के सम्बंध में ही; अथवा

(तीन) समिति को विधेयक में कोई खास या कोई अतिरिक्त उपबन्ध करने के अनुदेशों के साथ पुन: सौंपा जाये; अथवा

(ग) सदनों की संयुक्त समिति या सभा की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक, यथास्थिति, उस पर राय या अग्रेतर राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित या पुन: परिचालित किया जाये;

परन्तु यदि प्रतिवेदन की प्रति सदस्यों के उपयोग के लिए प्रस्ताव किये जाने के दिन से दो दिन पहले उपलब्ध न कर दी गई हो, तो कोई सदस्य ऐसे किसी प्रस्ताव के किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा/सकेगी और यदि अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव किये जाने की अनुमति न दे दी जाए तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।

(2) यदि विधेयक का प्रभारी सदस्य यह प्रस्ताव करे कि यथास्थिति, सदनों की संयुक्त समिति या सभा की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाये, तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि विधेयक समिति को पुन: सौंपा जाये या उस पर राय या अग्रेतर राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित या पुन:परिचालित किया जाये।

78. इस प्रस्ताव पर कि, यथास्थिति, सदनों को संयुक्त समिति या सदन की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाए, वाद-विवाद समिति के प्रतिवेदन के विचार तक और उस प्रतिवेदन में निर्दिष्ट विषयों तक या विधेयक के सिद्धांत से सुसंगत किन्हीं वैकल्पिक सुझावों तक ही सीमित रहेगा। **प्रवर/संयुक्त समिति के प्रतिवेदन पर वाद-विवाद की व्याप्ति।**

खण्डों आदि का संशोधन तथा विधेयकों पर खण्ड-वार विचार

79. (1) यदि विधेयक के किसी खण्ड या अनुसूची के किसी संशोधन की सूचना उस दिन से एक दिन पूर्व न दी गई हो जिस दिन कि विधेयक पर विचार किया जाना हो, तो कोई भी सदस्य संशोधन के प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा/सकेगी और यदि अध्यक्ष द्वारा संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति न दी जाए तो आपत्ति अभिभावी होगी: **खण्डों अथवा अनुसूचियों पर संशोधनों की सूचना।**

परन्तु किसी सरकारी विधेयक की अवस्था में ऐसा संशोधन, जिसकी सूचना प्रभारी सदस्य से मिली हो, इस कारण व्यपगत नहीं होगा कि प्रभारी सदस्य मंत्री या सदस्य नहीं रहा/रही है और ऐसा संशोधन विधेयक के नये प्रभारी सदस्य के नाम में छापा जायेगा।

(2) यदि समय हो तो महासचिव द्वारा सदस्यों को, समय-समय पर, उन संशोधनों को सूचियां उपलब्ध कराई जाएंगी जिनकी सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हों।

80. किसी विधेयक के खण्डों या अनुसूचियों के संशोधनों की ग्राह्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:- **संशोधनों की ग्राह्यता।**

(एक) संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका सम्बंध हो उसके विषय से संगत होगा।

(दो) संशोधन सभा के उसी प्रश्न पर किसी पूर्व विनिश्चय से असंगत नहीं होगा।

(तीन) संशोधन ऐसा नहीं होगा कि जिससे वह खण्ड, जिसे संशोधन करने का उसमें प्रस्ताव हो, दुर्बोध या व्याकरण के अनुसार अशुद्ध हो जाये।

(चार) यदि संशोधन में बाद के किसी संशोधन या अनुसूची की ओर निर्देश किया जाये या उसके बिना वह बोधगम्य न हो तो प्रथम संशोधन का प्रस्ताव करने से पहले बाद के संशोधन

या अनुसूची की सूचना दी जायेगी, जिससे कि संशोधन माला पूर्ण रूप में बोधगम्य हो जाये।

(पांच) अध्यक्ष द्वारा उस स्थान का निर्धारण किया जाएगा जहां यह संशोधन प्रस्तुत किया जायेगा।

(छह) अध्यक्ष द्वारा ऐसे संशोधन का प्रस्ताव करने से इंकार किया जा सकेगा जो अध्यक्ष की राय में तुच्छ या अर्थहीन हो।

(सात) जो संशोधन अध्यक्ष द्वारा पहले ही प्रस्तावित हो चुका हो उसमे संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

संशोधनों के बारे में राष्ट्रपति की सिफारिश।

81. यदि कोई सदस्य ऐसा संशोधन प्रस्तुत करना चाहता/चाहती हो जो संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश के बिना पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता, तो सदस्य द्वारा इन नियमों द्वारा अपेक्षित सूचना के साथ किसी मंत्री के माध्यम से भेजी गई ऐसी मंजूरी या सिफारिश अनुबद्ध की जाएगी और सूचना तब तक मान्य नहीं होगी जब तक इस अपेक्षा का पालन नहीं हो जाता:

परन्तु राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश आवश्यक नहीं होगी यदि संशोधन में–

(क) विधेयक या किसी संशोधन में प्रस्तावित कर की सीमाओं को समाप्त या कम करने, या

(ख) ऐसे कर को किसी विद्यमान कर की सीमाओं तक बढ़ाने की अपेक्षा हो।

राष्ट्रपति की सिफारिश पहुंचाना।

82. किसी विधेयक के संशोधन की मंजूरी देने या रोक लेने अथवा सिफारिश करने या रोक लेने के राष्ट्रपति के सम्बंधित आदेश मंत्री द्वारा लिखित रूप में महासचिव को पहुंचाये जायेंगे।

नये खण्डों या संशोधनों को चुनना।

83. अध्यक्ष को प्रस्ताव किये जाने वाले नए खण्ड या संशोधन चुनने की शक्ति होगी और यदि अध्यक्ष ठीक समझे तो किसी सदस्य से, जिसने संशोधन की सूचना दी हो, उस संशोधन के उद्देश्य की ऐसी व्याख्या करने के लिए कह सकेगा/सकेगी जिससे कि अध्यक्ष द्वारा उस पर कोई निर्णय किया जा सके।

संशोधनों का विन्यास।

84. जिन संशोधनों की सूचना दी जा चुकी हो उनका विन्यास समय-समय पर निगमित संशोधन सूची में यथासाध्य उसी क्रम में

किया जायेगा जिसमें कि वे पुकारे जायें। किसी खण्ड के एक ही विषय पर एक-सा ही प्रश्न उठाने वाले संशोधनों का विन्यास करते समय विधेयक के प्रभारी सदस्य द्वारा [प्रस्तावित][6] संशोधन को पूर्ववर्तिता दी जा सकेगी। उपर्युक्त के अधीन रहते हुए संशोधनों का विन्यास उस क्रम में किया जा सकेगा जिसमें कि उनकी सूचनाएं प्राप्त हुई हों।

संशोधनों का क्रम।

85. (1) साधारणतया संशोधनों पर विधेयक के उन खण्डों के क्रम में विचार किया जायेगा जिनसे कि वे क्रमशः सम्बन्धित हों; और ऐसे किसी खण्ड के सम्बंध में यह प्रस्ताव किया गया समझा जायेगा, "कि यह खण्ड विधेयक का अंग बने।"

(2) अध्यक्ष द्वारा, यदि ठीक समझा जाए, किसी खण्ड के एक से संशोधनों को एक प्रश्न के रूप में रखा जा सकेगा:

परन्तु यदि किसी सदस्य द्वारा प्रार्थना की जाए कि कोई संशोधन अलग से रखा जाये तो अध्यक्ष द्वारा उस संशोधन को अलग से रखा जाएगा।

संशोधन प्रस्तुत करना।

86. जब यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया हो कि विधेयक पर विचार किया जाये तो कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर विधेयक में वह संशोधन प्रस्तुत कर सकेगा/सकेगी जिसकी सदस्य ने पहले सूचना दे दी हो:

परन्तु समय बचाने और तर्कों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए एक दूसरे पर आश्रित कितने ही संशोधनों के संबंध में एक ही चर्चा करने की अनुमति दी जा सकेगी।

संशोधनों की वापसी।

87. प्रस्तुत किया गया कोई संशोधन प्रस्तुत करने वाले/वाली सदस्य की प्रार्थना पर सभा की अनुमति से ही वापिस लिया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। यदि किसी संशोधन में संशोधन प्रस्तावित किया गया हो, तो मूल संशोधन तब तक वापस नहीं लिया जायेगा जब तक कि उसमें प्रस्तावित संशोधन न निपटा दिया जाये।

विधेयक का खण्डवार रखा जाना।

88. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष द्वारा, जब यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाये स्वीकृत हो गया हो, विधेयक को, या विधेयक के किसी भाग को, खंड-वार सभा के सामने रखा जा सकेगा। अध्यक्ष द्वारा, प्रत्येक खंड को अलग-अलग

---

[6]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

से पुकारा जा सकेगा और जब उससे सम्बंधित संशोधन निपटा दिये गये हों, यह प्रश्न रखा जाएगा "कि यह खंड (या, कि यह खंड संशोधित रूप में यथास्थिति), विधेयक का अंग बने"।

खंड का विलम्बन।

89. अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए, खंड पर विचार विलम्बित किया जा सकेगा।

अनुसूचियों पर विचार।

90. यदि कोई अनुसूची या अनुसूचियां हों तो उन पर विचार, खंडों, पर विचार के बाद होगा, अनुसूचियां सभापति द्वारा उसी रीति से रखी और संशोधित की जा सकेंगी जैसे कि खंड; और नयी अनुसूचियों पर विचार मूल अनुसूचियों के विचार के बाद किया जायेगा। तब यह प्रश्न रखा जायेगा: "कि यह अनुसूची (या, कि यह अनुसूची संशोधित रूप में, यथास्थिति), विधेयक का अंग बने":

परन्तु अध्यक्ष द्वरा अनुसूची या अनुसूचियों पर, यदि कोई हो, खंडों के निपटाये जाने के पहले या किसी खंड के साथ या अन्यथा जैसा अध्यक्ष द्वारा ठीक समझा जाए विचार किये जाने की अनुमति दी जा सकेगी।

खंडों और अनुसूचियों के समूह पर मतदान।

91. अध्यक्ष द्वारा यदि उचित समझा जाए, खण्डों और/या अनुसूचियों को, अथवा संशोधित रूप में खंडों और/या अनुसूचियों को, यथास्थिति, एक साथ एक प्रश्न के रूप में सभा के मतदान के लिए रखा जा सकता है:

परन्तु यदि कोई सदस्य प्रार्थना करे कि कोई खण्ड या अनुसूची अथवा संशोधित रूप में कोई खंड या अनुसूची, यथास्थिति, पृथक रूप से मतदान के लिए रखी जाये तो अध्यक्ष द्वारा उस खण्ड या अनुसूची को, अथवा संशोधित रूप में खण्ड या अनुसूची को, यथास्थिति, पृथक् रूप से रखा जाएगा।

विधेयक का खंड एक, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और नाम।

92. विधेयक का खंड एक, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना यदि कोई हो, और नाम पर विचार तब तक विलम्बित रखा जायेगा जब तक कि अन्य खंड तथा अनुसूचियां (नये खंड तथा नयी अनुसूचियों सहित) न निपटा दी जायें और अध्यक्ष द्वारा तब यह प्रश्न रखा जाएगा: "कि खंड 1 या अधिनियमन सूत्र, या प्रस्तावना या नाम (या, कि संशोधित रूप में खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना या नाम यथास्थिति), विधेयक का अंग बने"।

विधेयकों का पारण

विधेयक पारित करने का प्रस्ताव।

93. (1) जब यह प्रस्ताव, कि विधेयक पर विचार किया जाए, स्वीकार हो गया हो और विधेयक में कोई संशोधन न किया जाए, तब प्रभारी सदस्य तुरन्त ही यह प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि विधेयक पारित किया जाए।

(2) जब किसी विधेयक में संशोधन किए गए हों कि यह प्रस्ताव कि, विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए, उस दिन प्रस्तुत न किया जाएगा जिस दिन उस विधेयक पर विचार समाप्त हुआ हो, जब तक अध्यक्ष उस प्रस्ताव की अनुमति न दे।

(3) ऐसे प्रस्ताव पर कोई ऐसा संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा जो या तो औपचारिक या शब्दिक न हो या विधेयक पर विचार किए जाने के बाद किए गए संशोधन के कारण आनुषंगिक न हो।

विधेयक पारित करने के प्रस्ताव पर वाद-विवाद की व्याप्ति।

94. इस प्रस्ताव पर कि विधेयक या विधेयक संशोधित रूप में, यथास्थिति पारित किया जाए, चर्चा विधेयक के समर्थन में या उसे अस्वीकार करने के लिए दिए गए प्रतर्कों तक सीमित होगी। भाषण करते समय सदस्य विधेयक के ब्यौरे का उससे अधिक उल्लेख नहीं करेगा/करेगी जितना कि उसके प्रतर्कों के प्रयोजन के लिए जो कि सामान्य रूप के होंगें, आवश्यक हो।

प्रत्यक्ष गलतियों की शुद्धि।

95. जब कोई विधेयक सभा द्वारा पारित हो जाए, तब अध्यक्ष को विधेयक में प्रत्यक्ष गलतियों को शुद्ध करने और ऐसे अन्य परिवर्तन करने की शक्ति होगी जो सभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों से आनुषंगिक हों।

विधेयकों को राज्य सभा में पहुंचाना।

96. (1) जब कोई विधेयक सभा द्वारा पारित हो जाए तो वह राज्य सभा को उसकी सहमति के लिए उस संबंध में संदेश के साथ पहुंचाया जाएगा।

(2) राज्य सभा को इस प्रकार पहुंचाए गए विधेयक के प्रथम पृष्ठ के ऊपर महासचिव द्वारा निम्न प्रकार से प्रमाणित किया जाएगा:–

"यह विधेयक .....20.....को लोक सभा द्वारा पारित किया गया है।

दिनांक.....20.....महासचिव"

परन्तु यदि वह संविधान के अनुच्छेद 110 के अर्थ के अनुसार एक धन विधेयक हो तो विधेयक के अन्त में अध्यक्ष का प्रमाणपत्र निम्न प्रकार से अंकित होगा:

"मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूं कि यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 के अर्थ के अंतर्गत एक धन विधेयक है।

दिनांक.....20.....अध्यक्ष"

धन विधेयकों के अतिरिक्त अन्य विधेयकों के बारे में राज्य सभा का सन्देश।

97. यदि धन विधेयक के अतिरिक्त सभा द्वारा पारित तथा राज्य सभा को पहुंचाया गया कोई विधेयक राज्य सभा द्वारा बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया जाए तो उस विषय में राज्य सभा से प्राप्त सन्देश यदि सभा का सत्र चल रहा हो तो महासचिव द्वारा सभा को प्रतिवेदित किया जाएगा या यदि सभा का सत्र न चल रहा हो तो सदस्यों को जानकारी के लिए लोक सभा समाचार में प्रकाशित किया जाएगा।

धन विधेयकों के अतिरिक्त राज्य सभा द्वारा लौटाये गये विधेयक

संशोधन सहित लौटाया गया विधेयक।

98. यदि धन विधेयक के अतिरिक्त सभा द्वारा पारित तथा राज्य सभा को पहुंचाया गया कोई विधेयक सभा को संशोधन सहित लौटाया जाए, तो वह प्राप्त होने पर पटल पर रखा जाएगा।

संशोधनों पर विचार करने की सूचना।

99. संशोधित विधेयक के पटल पर रखे जाने के बाद, सरकारी विधेयक की अवस्था में कोई मंत्री या किसी अन्य अवस्था में कोई सदस्य, दो दिन की सूचना या अध्यक्ष की सहमति से, बिना सूचना दिए यह प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि संशोधनों पर विचार किया जाए।

संशोधनों पर विचार।

100. (1) यदि यह प्रस्ताव कि संशोधनों पर विचार किया जाए, स्वीकृत हो जाए, तो अध्यक्ष द्वारा ऐसे संशोधनों को सभा के सामने ऐसी रीति से रखा जाएगा जिसे उन पर विचार करने के लिए अध्यक्ष द्वारा सबसे अधिक सुविधाजनक समझा जाए।

(2) राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन के विषय से संगत कोई संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा, किन्तु विधेयक में कोई अग्रेतर संशोधन तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह

राज्य सभा द्वारा किए गए किसी संशोधन का आनुषंगिक या वैकल्पिक न हो।

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों का निपटाया जाना।

101. सभा, यदि वह राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन से सहमत हो, तो राज्य सभा को उस आशय का एक संदेश भेजेगी किन्तु यदि वह उस संशोधन से असहमत हो या कोई अग्रेतर संशोधन अथवा वैकल्पिक संशोधन प्रस्तावित करे तो सभा विधेयक को या अग्रेतर संशोधित रूप में विधेयक को उस आशय के एक संदेश के साथ राज्य सभा को लौटा देगी।

संशोधनों के बारे में सदनों के बीच असहमति।

102. यदि विधेयक सभा को इस संदेश के साथ लौटा दिया जाए कि राज्य सभा उस संशोधन या उन संशोधनों पर आग्रह करती है, जिनसे सभा असहमत है, तो यह समझा जाएगा कि संशोधन या संशोधनों के बारे में दोनों सदन अन्तिम रूप से असहमत हो गए हैं।

राज्य सभा द्वारा लौटाये गये धन विधेयक

बिना सिफारिश के लौटाया गया धन विधेयक।

103. यदि सभा द्वारा पारित तथा राज्य सभा को पहुंचाया गया कोई धन विधेयक सभा को बिना सिफारिश के लौटा दिया जाए तो उस आशय का उसका संदेश यदि सभा का सत्र चल रहा हो तो महासचिव द्वारा सभा को प्रतिवेदित किया जाएगा या यदि सभा का सत्र न चल रहा हो तो सदस्यों की जानकारी के लिए लोक सभा समाचार में प्रकाशित किया जाएगा। फिर विधेयक अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

सिफारिश के साथ लौटाया गया धन विधेयक।

104. यदि सभा द्वारा पारित तथा राज्य सभा को पहुंचाया गया कोई धन विधेयक राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधनों सहित सभा को लौटाया जाए तो वह प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखा जाएगा।

राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों पर विचार करने के प्रस्ताव की सूचना।

105. विधेयक के राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधनों सहित पटल पर रखे जाने के बाद सरकारी विधेयक की अवस्था में कोई मंत्री या किसी अन्य अवस्था में कोई सदस्य दो दिन की सूचना देने के बाद या अध्यक्ष की सम्मति से बिना सूचना के प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधनों पर विचार किया जाए।

राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों पर विचार करने की प्रक्रिया।

106. यदि यह प्रस्ताव, कि राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधनों पर विचार किया जाए, स्वीकृत हो जाए, तो अध्यक्ष द्वारा राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए ऐसे संशोधनों को सभा के सामने ऐसी रीति से रखा जाएगा जो अध्यक्ष के अनुसार उन पर विचार के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक हो।

राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों का निपटाया जाना।

107. यदि सभा, राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन या संशोधनों को स्वीकार कर ले, तो विधेयक राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए तथा सभा द्वारा स्वीकृत संशोधन या संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा परित किया गया समझा जाएगा और उस संबंध में एक संदेश राज्य सभा को भेजा जाएगा।

सभा द्वारा राज्य सभा की सिफारिशें स्वीकार न किये जाने पर विधेयक पारित माना जायेगा।

108. यदि सभा, राज्य सभा की सिफारिशों में से किसी को भी स्वीकार न करे, तो विधेयक सभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधनों में से किसी के बिना उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें कि वह सभा द्वारा पारित किया गया था और उस संबंध में एक संदेश राज्य सभा को भेजा जाएगा।

विधेयकों पर वाद-विवाद का स्थगन और उनको वापस लेना तथा हटाना

विधेयकों पर वाद-विवाद का स्थगन।

109. सभा में चर्चाधीन विधेयक के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष की सहमति से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित किया जाए।

विधेयक का वापस लिया जाना।

110. विधेयक का प्रभारी सदस्य विधेयक के किसी प्रक्रम पर विधेयक को इस आधार पर वापस लेने की अनुमति का प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि—

(क) विधेयक में अंतर्विष्ट विधायिनी प्रस्ताव समाप्त किया जाना है; या

(ख) बाद में उस विधेयक के स्थान में एक नया विधेयक लाया जाना है जिससे इसमें अंतर्विष्ट उपबंध में सारवान रूप से फेरबदल हो जाएगा; या

(ग) बाद में उस विधेयक के स्थान पर नया विधेयक लाया जाना है जिसमें अन्य उपबंधों के अतिरिक्त उसके सभी या कोई उपबंध सम्मिलित हो;

और यदि ऐसी अनुमति दी जाए तो उस विधेयक के संबंध में कोई अग्रेतर प्रस्ताव नहीं किया जाएगा:

परन्तु जब कोई विधेयक, यथास्थिति, सभा की प्रवर समिति या सदनों की संयुक्त समिति के विचाराधीन हो, तो विधेयक की वापसी के प्रस्ताव की सूचना स्वत: समिति को सौंपी गई मानी जाएगी और समिति द्वारा सभा को दिए गए प्रतिवेदन में राय व्यक्त करने के बाद प्रस्ताव कार्य-सूची में रखा जाएगा:

परन्तु आगे यह भी यदि किसी विधेयक का सूत्रपात राज्य सभा में हुआ हो और वह सभा में विचाराधीन हो, तो प्रभारी सदस्य सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा/करेगी जिसमें राज्य सभा से यह सिफारिश की जाएगी कि राज्य सभा विधेयक को वापस लेने की अनुमति देने से सहमत हो जाए और जब यह प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया जाए और उस पर राज्य सभा की सहमति प्राप्त हो जाए, तो प्रभारी सदस्य विधेयक को वापस लेने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेगा/करेगी।

विधेयक को वापस लिये जाने का विरोध किये जाने पर प्रक्रिया।

111. यदि किसी विधेयक को वापस लेने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाए तो अध्यक्ष, द्वारा यदि ठीक समझे गए, प्रस्ताव का विरोध करने वाले तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों[7] को संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य देने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और उसके वाद, अग्रेतर वाद-विवाद के बिना, प्रश्न रखा जा सकेगा।

विधेयकों की पंजी से विधेयक का हटाया जाना।

112. (1) जब सभा द्वारा किसी विधेयक के बारे में इन नियमों के विधेयकों के अंतर्गत प्रभारी सदस्य द्वारा किए गए निम्नलिखित प्रस्तावों में से कोई प्रस्ताव अस्वीकार किया जाए, तो उस विधेयक

[7]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

के संबंध में कोई और प्रस्ताव नहीं किया जाएगा और ऐसा विधेयक सभा में लम्बित विधेयकों की पंजी में से हटा दिया जाएगा:

(एक) कि विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए;

(दो) कि विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाए;

(तीन) कि विधेयक राज्य सभा की सहमति से सदनों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए;

(चार) कि विधेयक पर विचार किया जाए;

(पांच) कि, यथास्थिति, सभा की प्रवर समिति या सदनों की संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाए; और

(छह) विधेयक को (या विधेयक को, संशोधित रूप में यथास्थिति) पारित किया जाए।

(2) सभा के सामने लंबित विधेयक का सभा द्वारा सारवान रूप से समान विधेयक को पारित करने या नियम 110 के अंतर्गत विधेयक वापस लिए जाने की अवस्था में सभा में लंबित विधेयकों को पंजी में से हटा दिया जाएगा।

व्याख्या:— सभा के सामने लंबित विधेयक में ये सम्मिलित होंगे:

(एक) सभा में पुर:स्थापित विधेयक जो इस नियम या नियम 113 में उल्लिखित विधेयकों के वर्गों के अन्दर नहीं आता;

(दो) राज्य सभा को पहुंचाया गया तथा राज्य सभा द्वारा/ यथास्थिति संशोधन, या सिफारिश सहित, लौटाया गया और नियम 98 अथवा 104 के अंतर्गत पटल पर रखा गया विधेयक;

(तीन) राज्य सभा में, प्रारम्भ हुआ और सभा को पहुंचाया गया और नियम 114 या 122 के अंतर्गत पटल पर रखा गया विधेयक; और

(चार) संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संदेश के साथ लौटाया गया विधेयक।

विधेयकों की पंजी से गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक हटाने के लिए अतिरिक्त उपबन्ध।

113. सभा के सामने लंबित कोई गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक भी सभा में लम्बित विधेयकों की पंजी में से हटा दिया जाएगा यदि:—

(क) प्रभारी सदस्य सभा का सदस्य न रहे;

(ख) प्रभारी सदस्य मंत्री नियुक्त किया जाये।

2. राज्य सभा में आरम्भ होने वाले तथा सभा को पहुंचाये गये विधेयक

विधेयकों का पटल पर रखा जाना।

114. जब राज्य सभा में आरम्भ होने वाला कोई विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित हो गया हो और सभा को पहुंचाया जाए, तो विधेयक, यथासम्भव शीघ्र, पटल पर रखा जाएगा।

विचार किये जाने की सूचना।

115. विधेयक के इस प्रकार पटल पर रखे जाने के बाद किसी भी समय सरकारी विधेयक की अवस्था में कोई मंत्री, या किसी अन्य अवस्था में कोई भी सदस्य यह प्रस्ताव करने के अपने आशय की सूचना दे सकेगा कि विधेयक पर विचार किया जाए।

विचार करने का प्रस्ताव।

116. उस दिन जिस दिन के लिए विचार करने का प्रस्ताव कार्य-सूची में रखा जाए जो जब तक कि अध्यक्ष द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, सूचना प्राप्त होने के समय से कम से कम दो दिन बाद होगा, सूचना देने वाला सदस्य यह प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि विधेयक पर विचार किया जाए।

विधेयक के सिद्धांत पर चर्चा।

117. जिस दिन ऐसा प्रस्ताव किया जाए उस दिन या उसके बाद किसी दिन जिसके लिए चर्चा स्थगित की जाए, विधेयक के सिद्धांत और सामान्य उपबंधों पर चर्चा की जा सकेगी किन्तु विधेयक के ब्यौरे पर उससे अग्रेतर चर्चा नहीं की जानी चाहिए जितना कि उसके सिद्धांतों की व्याख्या के लिए आवश्यक हो।

प्रवर समिति को सौंपा जाना।

118. कोई भी सदस्य, यदि विधेयक पहले ही दोनों सदनों की किसी संयुक्त समिति को न सौंप दिया गया हो, संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाए और यदि ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाएगा, और तब सभा में आरम्भ होने वाले विधेयकों पर प्रवर समितियों से सम्बन्धित नियम लागू होंगे।

विधेयकों पर विचार तथा उनको पारित करना।

119. यदि यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाए, स्वीकृत हो जाए, तो विधेयक पर खंड-वार विचार किया जाएगा और विधेयकों के संशोधनों पर विचार से संबंधित सदन के नियमों के उपबन्ध और विधेयकों के पारित करने के संबंध में बाद की प्रक्रिया लागू होगी।

बिना संशोधनों के पारित विधेयक।

120. यदि विधेयक बिना किसी संशोधन के पारित हो जाए तो राज्य सभा को यह सूचित करते हुए संदेश भेजा जाएगा कि सभा ने विधेयक को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

संशोधनों के साथ पारित विधेयक।

121. (1) यदि विधेयक संशोधनों के साथ पारित किया जाए तो विधेयक इस संदेश के साथ राज्य सभा को लौटा दिया जाएगा कि संशोधनों पर अपनी सहमति दे।

(2) राज्य सभा को इस प्रकार लौटाए गए विधेयक के प्रथम पृष्ठ के ऊपर महासचिव द्वारा निम्न प्रकार से प्रमाणित किया जाएगा:-

"यह विधेयक.....20.....को लोक सभा द्वारा संशोधित रूप में पारित किया गया है।

दिनांक.....20.....महासचिव"

राज्य सभा द्वारा संशोधनों के निपटान के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

122. यदि राज्य सभा, सभा द्वारा किए गए संशोधनों या उनमें से किसी संशोधन से असहमत हो या सभा द्वारा किए गए संशोधनों में से किसी संशोधन को अग्रेतर संशोधनों के साथ स्वीकार करे या सभा द्वारा किए गए संशोधनों के स्थान पर अग्रेतर संशोधन का प्रस्ताव करे, तो विधेयक अग्रेतर संशोधित रूप में, सभा द्वारा प्राप्त किए जाने पर सभा पटल पर रखा जाएगा।

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार।

123. संशोधित विधेयक के पटल पर रखे जाने के बाद सरकारी विधेयक की अवस्था में कोई मंत्री और किसी अन्य अवस्था में कोई सदस्य, दो दिन की सूचना देकर, या अध्यक्ष की सहमति से, बिना सूचना के, यह प्रस्ताव कर सकेगा कि संशोधनों पर विचार किया जाए।

संशोधनों पर विचार की प्रक्रिया।

124. (1) यदि यह प्रस्ताव कि संशोधनों पर विचार किया जाए, स्वीकृत हो जाए तो अध्यक्ष द्वारा संशोधनों को सभा के सामने ऐसी रीति से रखा जाएगा जिसे अध्यक्ष द्वारा उन पर विचार करने के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक समझा जाए।

(2) राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों के विषय से संगत संशोधन प्रस्तुत किए जा सकेंगे किन्तु विधेयक में कोई अग्रेतर संशोधन तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह राज्य सभा द्वारा किए गए किसी संशोधन का आनुषंगिक या वैकल्पिक न हो।

विधेयक और संशोधनों का निपटाया जाना।

125. सभा, यथास्थिति, या तो राज्य सभा द्वारा मूल रूप में पारित या राज्य सभा द्वारा अग्रेतर संशोधित विधेयक से सहमत हो सकेगी या विधेयक को इस संदेश के साथ लौटा सकेगी कि वह उस संशोधन या संशोधनों पर, जिनसे राज्य सभा असहमत है, आग्रह करती है।

संशोधनों के बारे में सदनों के बीच असहमति।

126. यदि कोई विधेयक इस संदेश के साथ लौटाया जाए कि सभा उन संशोधनों पर आग्रह करती है जिनसे राज्य सभा सहमत होने में असमर्थ है तो यह समझा जाएगा कि संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं।

विधेयक का अस्वीकार किया जाना।

127. जब राज्य सभा में आरम्भ होने वाले तथा सभा को पहुंचाए गए किसी विधेयक के संबंध में निम्न प्रस्तावों में से कोई प्रस्ताव सभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए तो यह समझा जाएगा कि विधेयक सभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है:

(एक) कि विधेयक पर विचार किया जाए;

(दो) कि विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाए;

(तीन) कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाए; और

(चार) कि विधेयक को (या विधेयक को संशोधित रूप में, यथास्थिति) पारित किया जाए।

3. पारित किये गये विधेयकों का प्रमाणीकरण और उन पर अनुमति

प्रमाणीकरण और अनुमति।

128. (1) जब कोई विधेयक सदनों द्वारा पारित किया जाए और वह सभा के वश में हो तो विधेयक की दो प्रतियों पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उन्हें राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा:

परन्तु अध्यक्ष के नई दिल्ली में उपस्थित न होने पर अविलम्बनीयता की अवस्था में महासचिव द्वारा अध्यक्ष की ओर से विधेयक का प्रमाणीकरण किया जा सकेगा।

(2) इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक की एक प्रति सत्यापन और अभिलेख के लिए सुरक्षित रख दी जाएगी और अध्यक्ष की अनुमति के बिना सभा की अभिरक्षा से बाहर ले जाने नहीं दी जाएगी।

4. राष्ट्रपति द्वारा लौटाये गये विधेयकों पर पुनर्विचार (सभा में प्रारम्भ होने वाले विधेयक)

राष्ट्रपति का संदेश।

129. (1) जब सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक सभा को राष्ट्रपति द्वारा एक संदेश के साथ लौटाया जाए जिसमें यह कहा गया हो कि सभा विधेयक पर अथवा उसके किन्हीं उल्लिखित उपबंधों पर अथवा किन्हीं संशोधनों पर जिनकी संदेश में सिफारिश की गई हो पुनर्विचार करे तो अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रपति के संदेश को सभा में पढ़कर सुनाया जाएगा यदि वह सत्र में हो अथवा यदि सभा सत्र में न हो तो यह निदेश दिया जाएगा कि उसे सदस्यों की जानकारी के लिए बुलेटिन (समाचार) में प्रकाशित कर दिया जाए।

(2) उसके पश्चात् विधेयक को सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए गए रूप में सभा पटल पर रखा जाएगा।

संशोधनों पर विचार करने की सूचना।

130. विधेयक के इस प्रकार पटल पर रखे जाने के पश्चात् किसी समय, सरकारी विधेयक की दशा में कोई मंत्री या किसी अन्य दशा में कोई सदस्य, यह प्रस्ताव रखने के अपने अभिप्राय की सूचना दे सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा जिन संशोधनों की सिफारिश की गई है उन पर विचार किया जाए।

विचार करने का प्रस्ताव।

131. उस दिन, जिस दिन के लिए विचार करने का प्रस्ताव कार्य-सूची में रखा जाए, जो, यदि अध्यक्ष द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए सूचना प्राप्त होने के समय से कम से कम दो दिन बाद होगा, सूचना देने वाला सदस्य यह प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि संशोधनों पर विचार किया जाए।

वाद-विवाद की व्याप्ति।

132. ऐसे प्रस्ताव पर वाद-विवाद, राष्ट्रपति के संदेश में निर्दिष्ट विषयों तक या राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के विषय में संगत किसी सुझाव तक ही सीमित रहेगा।

संशोधनों पर विचार करने के प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के बाद अपनायी जाने वाली प्रक्रिया।

133. यदि यह प्रस्ताव, कि जिन संशोधनों की सिफारिश राष्ट्रपति ने की है उन पर विचार किया जाए, स्वीकृत हो जाए तो अध्यक्ष द्वारा उन संशोधनों को सभा के समक्ष ऐसी रीति से रखा जाएगा जिसे अध्यक्ष द्वारा उन पर विचार के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक समझा जाए।

संशोधन में संशोधन।

134. ऐसा कोई संशोधन, जो राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के विषय से संगत हो, प्रस्तावित किया जा सकता है किंतु विधेयक में अग्रेतर कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन का आनुषंगिक, प्रासंगिक या वैकल्पिक संशोधन न हो।

विधेयक का पुनःपारण।

135. जब सभी संशोधन निपटाए जा चुके हों तो नियम 130 के अंतर्गत प्रस्ताव की सूचना देने वाला सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि सदनों द्वारा मूल रूप में पारित विधेयक को यथास्थिति, पुन:पारित अथवा संशोधित रूप में पुन:पारित किया जाए।

संशोधनों पर विचार करने के प्रस्ताव के अस्वीकृत हो जाने के बाद अपनायी जाने वाली प्रक्रिया।

136. यदि यह प्रस्ताव पारित न हो कि राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश किए गए संशोधनों पर विचार किया जाए, तो नियम 130 के अंतर्गत प्रस्ताव की सूचना देने वाला सदस्य तत्काल यह प्रस्ताव कर सकता है कि सदनों द्वारा मूल रूप में पारित विधेयक को बिना किसी संशोधन के पुन:पारित किया जाए।

पुनःपारित विधेयक का राज्य सभा को पहुंचाया जाना।

137. (1) जब सभा द्वारा विधेयक को, यथास्थिति, संशोधन के साथ या बिना, पुन:पारित किया जाए, तब वह राज्य सभा को, सहमति के लिए उस आशय के संदेश के साथ पहुंचाया जाएगा।

(2) राज्य सभा को इस प्रकार पहुंचाए गए विधेयक के पहले पृष्ठ के ऊपर महासचिव द्वारा निम्न प्रकार से प्रमाणित किया जाएगा:–

"यह विधेयक जो संसद के सदनों द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया था, लोक सभा द्वारा .....20..... को संशोधन के साथ/बिना पुन:पारित किया गया है।

दिनांक ....., 20..... महासचिव"

विधेयक के पुन:पारण के बारे में राज्य सभा से संदेश।

138. यदि सभा द्वारा पुन:पारित और राज्य सभा को पहुंचाया गया विधेयक राज्य सभा द्वारा बिना संशोधन के पुन:पारित कर दिया जाए तो उस संबंध में राज्य सभा से प्राप्त संदेश यदि सभा का सत्र चल रहा हो तो महासचिव द्वारा सभा को प्रतिवेदित किया जाएगा या यदि सभा का सत्र न चल रहा हो तो सदस्यों की जानकारी के लिए बुलेटिन (समाचार) में प्रकाशित किया जाएगा।

राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटाया गया विधेयक।

139. यदि सभा द्वारा पुन:पारित और राज्य सभा को पहुंचाया गया विधेयक संशोधनों के साथ सभा को लौटाया गया हो, तो यह प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखा जाएगा।

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार।

140. संशोधित विधेयक को पटल पर रखे जाने के पश्चात् सरकारी विधेयक की दशा में कोई मंत्री, या किसी अन्य दशा में, कोई सदस्य, दो दिन की सूचना देकर या अध्यक्ष की अनुमति से, किसी सूचना के बिना, यह प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि संशोधनों पर विचार किया जाए।

संशोधनों पर विचार करने की प्रक्रिया।

141. (1) यदि संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए, तो अध्यक्ष द्वारा संशोधनों को सभा के समक्ष ऐसी रीति से रखा जाएगा जिसे अध्यक्ष द्वारा उस पर विचार करने के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक समझा जाए।

(2) ऐसा कोई संशोधन, जो राज्य सभा द्वारा किए गए किसी संशोधन के विषय से संगत हो, प्रस्तावित किया जा सकता है किन्तु विधेयक में अग्रेतर कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह राज्य सभा द्वारा किए गए किसी संशोधन के आनुषंगिक, प्रासंगिक या वैकल्पिक न हो।

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों का निपटाया जाना।

142. यदि सभा, राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन से सहमत हो, तो वह इस आशय का एक संदेश राज्य सभा को भेजेगी, किन्तु यदि वह उस संशोधन से असहमत हो अथवा किसी अग्रेतर संशोधन या वैकल्पिक संशोधन का प्रस्ताव करे तो सभा उस आशय के एक संदेश के साथ विधेयक को या अग्रेतर संशोधित रूप से विधेयक को राज्य सभा को लौटा देगी।

संशोधनों के बारे में सदनों के बीच असहमति।

143. यदि राज्य सभा इस आशय के संदेश के साथ विधेयक को सभा के पास लौटा दे कि वह उसे संशोधन या संशोधनों पर जिनसे सभा असहमत है, आग्रह करती है तो यह समझा जाएगा कि उस संशोधन या संशोधनों पर दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हैं।

राज्य सभा में प्रारम्भ होने वाले विधेयक

विधेयक का सभा पटल पर रखा जाना।

144. जब दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक को, जिसे राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा के पास पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो, राज्य सभा ने, संशोधनों के सहित या बिना, पुन:पारित कर दिया हो और सभा को भेज दिया हो तो उस विधेयक को राष्ट्रपति के संदेश के साथ, यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रखा जाएगा।

विचार करने का प्रस्ताव।

145. राष्ट्रपति के संदेश के साथ विधेयक के इस प्रकार पटल पर रखे जाने के पश्चात् किसी समय भी सरकारी विधेयक की दशा में कोई मंत्री या किसी अन्य दशा में कोई सदस्य दो दिन की सूचना देकर या अध्यक्ष की सहमति से, सूचना के बिना यह प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पुन:पारित रूप में, विचार किया जाए।

विचार करने के प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

146. (1) यदि राज्य सभा द्वारा विधेयक को पुन:पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो अध्यक्ष द्वारा विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों को, यदि कोई हों, सभा के समक्ष ऐसी रीति से रखा जाएगा जिसे अध्यक्ष द्वारा उन पर विचार करने के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक समझा जाए।

(2) राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों के विषय से संगत संशोधन प्रस्तुत किए जा सकेंगे, किन्तु विधेयक में कोई अग्रेतर संशोधन तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह राज्य सभा द्वारा किए गए किसी संशोधन से आनुषंगिक, प्रासंगिक या वैकल्पिक न हो:

परन्तु यदि राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन से राज्य सभा सहमत नहीं हुई हो तो सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश किए गए संशोधन के विषय से संगत कोई संशोधन प्रस्तुत कर सकेगा/सकेगी।

संशोधन के बिना पुन:पारित विधेयक।

147. यदि राज्य द्वारा सभा पुन:पारित विधेयक को सभा द्वारा संशोधन के बिना पुन:पारित कर दिया जाए तो इस आशय का एक संदेश राज्य सभा को भेज दिया जाएगा।

संशोधनों सहित पुन:पारित विधेयक।

148. यदि सभा विधेयक को संशोधनों सहित पुन:पारित करे तो विधेयक को इस संदेश के साथ राज्य सभा को लौटाया जाएगा कि वह ऐसे संशोधनों से सहमत हो जाए।

राज्य सभा द्वारा संशोधनों के निपटाए जाने के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

149. यदि राज्य सभा, सभा द्वारा किए गए संशोधनों या उनमें से किसी संशोधन से, असहमत हो या सभा द्वारा किए गए किसी संशोधन से अग्रेतर संशोधनों के साथ सहमत हो अथवा सभा द्वारा किए गए संशोधनों के स्थान पर नए संशोधनों का प्रस्ताव करे तो विधेयक को, अग्रेतर संशोधित रूप में, सभा को प्राप्त होने पर, पटल पर रखा जाएगा।

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार।

150. संशोधित विधेयक के इस प्रकार पटल पर रखे जाने के पश्चात् सरकारी विधेयक की दशा में कोई मंत्री या किसी अन्य दशा में कोई सदस्य दो दिन की सूचना देकर या अध्यक्ष की सहमति से सूचना के बिना, यह प्रस्ताव कर सकता/सकती है कि संशोधन पर विचार किया जाए।

संशोधनों पर विचार करने की प्रक्रिया।

151. (1) यदि संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत जो जाए तो अध्यक्ष द्वारा संशोधनों को सभा के समक्ष ऐसी रीति से, रखा जाएगा जिसे अध्यक्ष उन पर विचार करने के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक समझे।

(2) राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों के विषय से संगत संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा किन्तु विधेयक में अग्रेतर संशोधन तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन के आनुषंगिक, प्रासंगिक या वैकल्पिक न हो।

विधेयकों और संशोधनों का निपटाया जाना।

152. सभा, राज्य सभा द्वारा, यथास्थिति, पुन:पारित रूप में या राज्य सभा द्वारा अग्रेतर संशोधित रूप में विधेयक से सहमत हो सकेगी या विधेयक को इस संदेश के साथ लौटा सकेगी कि वह उस संशोधन या संशोधनों पर, जिनसे राज्य सभा असहमत है, आग्रह करती है।

संशोधनों के बारे में सदनों के बीच असहमति।

153. यदि सभा इस आशय के संदेश के साथ विधेयक को लौटा दे कि वह उस संशोधन या संशोधनों पर, जिनसे राज्य सभा सहमत होने में असमर्थ है, आग्रह करती है तो यह समझा जाएगा कि उस संशोधन या संशोधनों पर दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हैं।

सदनों द्वारा पुन:पारित विधेयकों का प्रमाणीकरण

154. जब कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पुन:पारित किया जाए तथा वह सभा के वश में हो, तो उसकी दो प्रतियों पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उन्हें राष्ट्रपति के समक्ष निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा: **प्रमाणीकरण।**

'उक्त विधेयक संविधान के अनुच्छेद 111 के परन्तुक के अनुसरण में संसद के दोनों सदनों द्वारा पुन:पारित किया गया है।

दिनांक.....20..... अध्यक्ष':

परन्तु अध्यक्ष के नई दिल्ली में उपस्थित न होने पर अविलम्बनीयता की अवस्था में महासचिव द्वारा अध्यक्ष की ओर से विधेयक का प्रमाणीकरण किया जा सकेगा।

अध्याय 11

संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक

खण्डों तथा अनुसूचियों पर मतदान।

155. संविधान में संशोधन की व्यवस्था करने वाले विधेयक का, यथास्थिति, प्रत्येक खण्ड या अनुसूची अथवा संशोधित रूप में खण्ड या अनुसूची सभा के मत के लिए अलग-अलग रखी जाएगी और विधेयक का अंग बन जाएगी यदि वह सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों से कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से पारित हो जाये:

परन्तु अध्यक्ष द्वारा सभा की सहमति से, यथास्थिति, खण्डों तथा/या अनुसूचियों को, अथवा संशोधित रूप से खण्डों तथा/या अनुसूचियों को सभा के मत के लिए एक साथ रखा जा सकेगा और उस अवस्था में मतदान का परिणाम प्रत्येक खंड या अनुसूची पर अलग-अलग लागू समझा जाएगा और कार्यवाही में उसी तरह दर्शाया जाएगा:

परन्तु यह और भी कि यदि कोई सदस्य प्रार्थना करे कि यथास्थिति कोई खण्ड या अनुसूची अथवा संशोधित रूप में कोई खण्ड या अनुसूची पृथक् रूप से मतदान के लिए रखी जाए तो अध्यक्ष द्वारा यथास्थिति उस खण्ड या अनुसूची को अथवा संशोधित रूप में खण्ड या अनुसूची को पृथक् रूप से रखा जाएगा:

परन्तु यह और भी कि संक्षिप्त नाम, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम साधारण बहुमत द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा।

संशोधनों पर मतदान।

156. खंडों या अनुसूचियों के संशोधनों का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से उसी रीति से होगा जैसा कि किसी अन्य विधेयक की अवस्था में।

प्रस्तावों पर मतदान।

157. यदि ऐसे विधेयक के संबंध में प्रस्ताव यह है कि:-

(एक) विधेयक पर विचार किया जाए; या

(दो) विधेयक पर सभा की, यथास्थिति, प्रवर समिति अथवा सदनों की संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाए; या

(तीन) यथास्थिति, विधेयक अथवा यथासंशोधित विधेयक पारित किया जाए;

तो वह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ समझा जाएगा यदि वह सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से पारित हो जाए।

158. (1) जब कभी कोई प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत किया जाना हो तो मतदान विभाजन द्वारा होगा। **विभाजन द्वारा मतदान।**

(2) यदि मतदान का परिणाम यह बतलाए कि सभा की समस्त सदस्य संख्या बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है तो अध्यक्ष द्वारा परिणाम विघोषित करते हुए यह कथन किया जाएगा कि प्रस्ताव सभा की समस्त संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ है।

159. दूसरे सब प्रकरणों में, इन नियमों में अन्य विधेयकों के संबंध में दी गई प्रक्रिया लागू होगी। **अवशिष्ट प्रक्रिया।**

व्याख्या—इन नियमों में निर्दिष्ट पदावली "समस्त सदस्य संख्या" का तात्पर्य सदस्यों की उस समस्त संख्या से है जिससे सभा सन्निर्मित हो चाहे किसी भी कारण कुछ रिक्तियां या अनुपस्थितियां हों।

अध्याय 12

याचिकाएं

याचिकाओं की व्याप्ति।

160. [किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की सम्मति से निम्न पर याचिकाएं सभा में उपस्थित की जा सकेंगी;][1]

(एक) ऐसा विधेयक जो नियम 64 के अंतर्गत प्रकाशित हो चुका हो या जो सभा में पुर:स्थापित हो चुका हो;

(दो) सभा के सामने लम्बित कार्य से संबंधित कोई विषय; और

(तीन) सामान्य लोक-हित का कोई भी विषय, परन्तु जब तक कि वह ऐसा न हो:-

(क) जो भारत के किसी भाग में अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय या किसी जांच न्यायालय या किसी संविहित न्यायाधिकरण या प्राधिकारी या किसी अर्द्धन्यायिक निकाय या आयोग के संज्ञान में हो;

(ख) जो साधारणतया किसी राज्य के विधान मंडल में उठाया जाना चाहिए;

(ग) जो किसी मूल प्रस्ताव या संकल्प द्वारा उठाया जा सकता है; या

(घ) जिसके लिये विधि के अंतर्गत उपचार उपलब्ध है, और विधि में नियम, विनियम, उपनियम सम्मिलित हैं जो भारत सरकार या किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा बनाए गये हों जिसे ऐसे नियम, विनियम आदि बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित हो।

वित्तीय विषयों से संबंधित याचिकाएं।

160क. ऐसी याचिका, जो अनुच्छेद 110 के खण्ड (1) के उप खण्डों (क) से (च) में उल्लिखित किसी विषय से संबंधित हो अथवा जिसमें भारत की संचित निधि से व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, सभा में प्रस्तुत नहीं की जायेगी जब तक उस पर राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश न की गई हो।

याचिका का सामान्य प्रपत्र।

161. (1) पहली अनुसूची में दिया गया याचिका का सामान्य प्रपत्र ऐसे परिवर्तनों के साथ, जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में

[1]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 17.02.2014, पैरा संख्या 6174 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

अपेक्षित हों, उपयोग में लाया जा सकेगा और यदि उपयोग में लाया जाए तो वह पर्याप्त होगा।

(2) प्रत्येक याचिका सम्मानपूर्ण, शिष्ट और संयत भाषा में लिखी जाएगी।

(3)प्रत्येक याचिका या तो हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में ही होगी। यदि कोई याचिका किसी अन्य भारतीय भाषा में दी जाए तो उसके साथ उसका हिन्दी या अंग्रेजी अनुवाद संलग्न होगा और उस पर याचिका देने वाले के हस्ताक्षर होंगे।

याचिका का प्रमाणीकरण।

162. (1) याचिका के प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम और पता उसमें दिया जाएगा और याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर से और यदि निरक्षर हो तो याचिकाकर्ता के अंगूठे के निशान से प्रमाणीकृत किया जाएगा।

[2](2) जब किसी याचिका के एक से अधिक हस्ताक्षरकर्ता हों, तो उस पत्र पर जिस पर याचिका उत्कीर्ण की गई हो तो कम से कम एक व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा अथवा, यदि निरक्षर हो, तो अपने अंगूठे का निशान लगाएगा। यदि एक से अधिक पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हों अथवा अंगूठे के निशान लगाए गए हों, तो प्रत्येक पत्र के शीर्ष पर याचिका की प्रार्थना को दोहराया जाएगा। जब सदस्य पोर्टल के माध्यम से याचिका ऑनलाइन दी जाए तो इसमें याचिकाकर्ता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, जैसी भी स्थिति हो, दर्शाया जाएगा।"

किसी याचिका के साथ दस्तावेज नहीं लगाया जाएगा।

163. किसी याचिका के साथ पत्र, शपथ-पत्र या अन्य दस्तावेज नहीं लगाया जाएगा।

प्रतिहस्ताक्षर।

164. [2](1) यदि याचिका किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत की जाए तो ऐसी प्रत्येक याचिका पर वह प्रतिहस्ताक्षर करेगा। यदि याचिका हिन्दी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भारतीय भाषा में दी जाए तो उसके हिन्दी या अंग्रेजी अनुवाद पर याचिका प्रस्तुत करने वाले सदस्य के प्रतिहस्ताक्षर होंगे।

---

[2]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 2.8.2017, पैरा संख्या 5673 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

परन्तु यह कि सदस्य पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत याचिका को सदस्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित माना जाएगा:

परन्तु यह और कि सदस्य के पास याचिका पर प्रतिहस्ताक्षर करने और उसकी स्कैन कॉपी अपलोड करने का विकल्प होगा।"

(2) सदस्य अपनी स्वयं की कोई याचिका प्रस्तुत नहीं करेगा/करेगी।

याचिका सभा को सम्बोधित की जाएगी।

165. प्रत्येक याचिका सभा को सम्बोधित की जाएगी और जिस विषय से उसका सम्बंध हो उसके बारे में याचिका देने वाले के निश्चित उद्देश्य का वर्णन करने वाली प्रार्थना के साथ समाप्त होगी।

प्रस्तुतीकरण की सूचना।

166. सदस्य महासचिव को याचिका प्रस्तुत करने के अपने विचार की पूर्व सूचना देगा/देगी।

याचिका का प्रस्तुतीकरण।

167. [याचिका सदस्य द्वारा सभा को प्रस्तुत की जा सकेगी। ऐसे प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण पर किसी वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी।][3]

प्रस्तुतीकरण का रूप।

168. याचिका प्रस्तुत करने वाला सदस्य निम्न रूप में कथन करने तक ही सीमित रहेगा/रहेगी:-

महोदया/महोदय, मैं.....के संबंध में.....याचिका देने वाले(लों) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं और इस कथन पर किसी वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी।

याचिका समिति को निर्देश।

169. [प्रत्येक याचिका सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये जाने के बाद][4] याचिका समिति को सौंपी गई समझी जायेगी।

[याचिका समिति सम्बंधी नियमों के लिए इस नियमावली का अध्याय 26 **देखिये**।]

[3-4]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 17.2.2014, पैरा संख्या 6174 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

अध्याय 13

संकल्प

संकल्प की सूचना।

170. मंत्री को छोड़कर कोई सदस्य, जो गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिये नियत दिन संकल्प प्रस्तुत करना चाहता हो, शलाका (बैलट) की तारीख से कम से कम दो दिन पहले इस आशय की सूचना देगा/देगी। उन सब सदस्यों के नामों की, जिनसे ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, शलाका निकाली जायेगी (बैलट किया जायेगा) और जो सदस्य गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिये नियत दिन के लिये शलाका में पहले तीन स्थान प्राप्त करेंगे वे शलाका की तारीख के बाद दो दिन के अन्दर एक-एक संकल्प की सूचना दे सकेंगे।

संकल्प का रूप।

171. संकल्प, राय की घोषणा अथवा सिफारिश के रूप में हो सकेगा या ऐसे रूप में हो सकेगा जिससे कि सरकार के किसी काम अथवा नीति का सभा द्वारा अनुमोदन या निरनुमोदन अभिलिखित किया जाये या कोई संदेश दिया जाये या किसी कार्यवाही के लिये संस्तवन, अनुरोध या प्रार्थना की जाये या किसी विषय अथवा स्थिति पर सरकार द्वारा पुनर्विचार के लिये ध्यान आकर्षित किया जाये या किसी ऐसे अन्य रूप में हो सकेगा जो अध्यक्ष उचित समझे।

संकल्प का विषय।

172. इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य या मंत्री सामान्य लोक-हित के किसी विषय के संबंध में संकल्प प्रस्तुत कर सकेगा/सकेगी।

संकल्प की ग्राह्यता।

173. कोई संकल्प ग्राह्य हो सके इसके लिए वह निम्न शर्तें पूरी करेगा, अर्थात्:–

(एक) वह स्पष्टतया और सुतथ्यतया व्यक्त किया जायेगा;

(दो) उसमें सारवान रूप से एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायेगा;

(तीन) उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद, लांछन या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे;

(चार) उसमें व्यक्तियों के पदेन या सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उसके आचरण या चरित्र का निदेश नहीं होगा; और

(पांच) वह किसी ऐसे विषय से संबंधित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय के न्यायनिर्णयन के अंतर्गत हो।

अध्यक्ष ग्राह्यता विनिश्चित करेगा/करेगी।

174. अध्यक्ष द्वारा यह विनिश्चित करेगा कि कोई संकल्प या उसका कोई भाग इन नियमों के अंतर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं और किसी संकल्प अथवा उसके किसी भाग को अस्वीकृत किया जा सकेगा जो अध्यक्ष की राय में संकल्प प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग हो अथवा सभा की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये किया गया हो या इन नियमों के उल्लंघन में हो।

न्यायाधिकरण, आयोग आदि के विचाराधीन मामले।

175. साधारणतया ऐसे संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिए हो जो किसी न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लम्बित हो:

परन्तु अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से ऐसे विषय को सभा में उठाने की अनुमति दी जा सकेगी जो जांच की प्रक्रिया का विषय या प्रक्रम से संबंधित हो, यदि अध्यक्ष का यह समाधान हो जाये कि इससे संविहित न्यायाधिकरण, संविहित प्राधिकारी, आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं हैं।

संकल्प का प्रस्तुत किया जाना।

176. (1) कार्यसूची में जिस सदस्य के नाम में संकल्प हो वह सदस्य सिवाय उस स्थिति में जबकि वह सदस्य उसे वापस लेना चाहता/चाहती हो, पुकारे जाने पर संकल्प प्रस्तुत करेगा/करेगी और उस अवस्था में, कार्य-सूची में दिये गये रूप में औपचारिक प्रस्ताव के साथ, वह सदस्य अपना स्वयं का भाषण प्रारम्भ करेगा/करेगी।

(2) कोई सदस्य, अध्यक्ष की अनुज्ञा से किसी अन्य सदस्य को, जिसके नाम में वही संकल्प कार्य-सूची में नीचे दिया हुआ हो, उसे अपनी ओर से प्रस्तुत करने का प्राधिकार दे सकेगा/सकेगी और इस तरह प्राधिकृत सदस्य उसे तद्नुसार प्रस्तुत कर सकेगा/सकेगी।

(3) मंत्री के अतिरिक्त कोई सदस्य यदि पुकारे जाने के समय अनुपस्थित हो तो सदस्य द्वारा उसकी ओर से लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य सदस्य अध्यक्ष की अनुज्ञा से ऐसे सदस्य के नाम में रखा हुआ संकल्प प्रस्तुत कर सकेगा/सकेगी।

संशोधन।

177. (1) संकल्प प्रस्तुत किये जाने के बाद कोई सदस्य, संकल्पों से संबंधित नियमों के अधीन रहते हुए संकल्प में संशोधन प्रस्तुत कर सकेगा/सकेगी।

(2)यदि ऐसे संशोधन की सूचना उस दिन से एक दिन पूर्व नहीं दी गई हो जिस दिन कि संकल्प प्रस्तुत किया जाये तो कोई भी सदस्य संशोधन के प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा/सकेगी और यदि अध्यक्ष संशोधन के प्रस्तुत किए जाने की अनुमति न दे तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।

(3) यदि समय हो तो महासचिव द्वारा सदस्यों को समय-समय पर उन संशोधनों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी जिनकी सूचनायें प्राप्त हुई हों।

भाषणों के लिए समय-सीमा।

178. किसी संकल्प पर भाषण की अवधि, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना, पन्द्रह मिनट से अधिक नहीं होगी:

परन्तु संकल्प का प्रस्तावक उसे प्रस्तुत करते समय और संबंधित मंत्री प्रथम बार भाषण देते समय तीस मिनट तक या उससे इतने अधिक समय तक, जितने की अध्यक्ष अनुज्ञा दे, भाषण दे सकेंगे।

चर्चा की व्याप्ति।

179. किसी संकल्प पर चर्चा संकल्प से सर्वथा संगत और उसकी व्याप्ति के भीतर होगी।

संकल्प और संशोधन की वापसी।

180. (1) कोई-सूची में जिस सदस्य के नाम में कोई संकल्प हो, वह सदस्य पुकारे जाने पर संकल्प वापस ले सकेगा/सकेगी और उस अवस्था में वह सदस्य अपना कथन उस बात तक ही सीमित रखेगा/रखेगी।

(2) जिस सदस्य ने कोई संकल्प या संकल्प में संशोधन प्रस्तुत किया हो, वह उसे सभा की अनुमति के बिना वापस नहीं लेगा/लेगी।

संकल्प को विभाजित करना।

181. जब अनेक विषयों से अन्तर्ग्रस्त किसी संकल्प पर चर्चा हो चुकी हो तो अध्यक्ष द्वारा संकल्प को विभाजित किया जा सकेगा और जैसा अध्यक्ष द्वारा उचित समझा जाए प्रत्येक विषय या कोई विषय मत के लिये अलग-अलग रखा जा सकेगा।

संकल्प की पुनरुक्ति।

182. जब कोई संकल्प प्रस्तुत किया गया हो तो सारवान रूप से वही विषय उठाने वाला कोई संकल्प या संशोधन पूर्व संकल्प को प्रस्तुत करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जायेगा:

परन्तु जब कोई संकल्प सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया हो तो सारवान रूप से वही विषय उठाने वाला कोई संकल्प उसी सत्र के दौरान प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

मंत्री के पास पारित संकल्प भेजना।

183. प्रत्येक संकल्प की, जिसे सभा से पारित किया हो, एक प्रति संबंधित मंत्री के पास भेजी जायेगी।

अध्याय 14

प्रस्ताव

लोक हित के किसी विषय पर चर्चा।

184. संविधान में या इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर अध्यक्ष की सम्मति से किये गये प्रस्ताव के बिना सामान्य लोक हित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी।

प्रस्ताव की सूचना।

185. प्रस्ताव की सूचना लिखित रूप में दी जायेगी और महासचिव को सम्बोधित होगी।

प्रस्ताव की ग्राह्यता।

186. कोई प्रस्ताव ग्राह्य हो सके इसके लिए वह निम्न शर्तें पूरी करेगा, अर्थात्:—

(एक) उसमें सारवान रूप से एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायेगा;

(दो) उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद, लांछन या मान-हानिकारण कथन नहीं होंगे;

(तीन) उसमें व्यक्तियों की सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उनके आचरण या चरित्र का निर्देश नहीं होगा;

(चार) वह किसी हाल ही में घटित विषय तक निर्बंधित रहेगा;

(पांच) उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा;

(छह) उसमें ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं चलाई जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो;

(सात) उसमें ऐसे विषय की पूर्वाशा नहीं की जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा होने की संभावना हो;

[1][***]

(आठ) वह किसी ऐसे विषय से सम्बंधित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय के न्यायनिर्णयन के अंतर्गत हो;

[2][(नौ) यदि उसमें कोई कथन हो तो सदस्य उस कथन की परिशुद्धता के लिये उत्तरदायी होगा/होगी;

---

[1]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा लोप किया गया।

[2]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा जोड़ा गया।

(दस) उसमें गैर-सरकारी सदस्य द्वारा सभा पटल पर रखे गये दस्तावेज अथवा पत्र पर चर्चा की मांग नहीं की जायेगी;

(ग्यारह) सामान्यतया वह किसी संसदीय समिति के विचाराधीन मामलों से संबंधित नहीं होगा;

(बारह) उसमें राय प्रकट करने या किसी अमूर्त विधि सम्बंधी प्रश्न या किसी काल्पनिक प्रस्थापना के समाधान के लिए नहीं पूछा जाएगा;

(तेरह) वह उस विषय से संबंधित नहीं होगा जो मुख्यतया भारत सरकार का विषय न हो;

(चौदह) उसमें ऐसे निकायों या व्यक्तियों के नियंत्रणाधीन विषय नहीं उठाये जायेंगे जो मुख्यतया भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी न हों;

(पन्द्रह) उसका किसी ऐसे विषय से संबंध नहीं होगा जिसमें मंत्री पदेन संबंधित न हो;

(सोलह) उसमें किसी मित्र देश के प्रति अविनयपूर्ण निर्देश नहीं होगा;

(सत्रह) उसमें ऐसे विषयों के बारे में निर्देश नहीं किया जाएगा या उनके बारे में जानकारी प्रकट करने की मांग नहीं की जायेगी जो गोपनीय स्वरूप के हों, जैसे मंत्रिमंडल में की जाने वाली चर्चाएं या राष्ट्रपति को किसी ऐसे विषय के बारे में दी गई मंत्रणा जिसके संबंध में जानकारी प्रकट न करने का संवैधानिक, संविहित या रूढ़िगत दायित्व हो; और

(अठारह) वह किसी तुच्छ विषय से संबंधित नहीं होगा।]

अध्यक्ष ग्राह्यता विनिश्चित करेगा/करेगी।

187. अध्यक्ष द्वारा यह विनिश्चित किया जाएगा कि कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग इन नियमों के अंतर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं और किसी प्रस्ताव या उसके किसी भाग को अस्वीकृत किया जा सकेगा जो अध्यक्ष की राय में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग हो या सभा की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये हो या इन नियमों के उल्लंघन में हो।

188. साधारणतया ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिए हो जो किसी न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लम्बित हो: **न्यायाधिकरण, आयोग आदि के विचाराधीन मामले।**

परन्तु अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से ऐसे विषय को सभा में उठाने की अनुमति दी जा सकेगी जो जांच की प्रक्रिया या विषय या प्रक्रम से संबंधित हो यदि अध्यक्ष का यह समाधान हो जाए कि इससे संविहित न्यायाधिकरण, संविहित प्राधिकरण या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

189. यदि अध्यक्ष द्वारा किसी प्रस्ताव की सूचना ग्रहण कर ली जाए और ऐसे प्रस्ताव की चर्चा के लिए कोई तिथि निश्चित न की जाए तो वह सूचना [********][3] लोक सभा समाचार में, "अनियत दिन वाले प्रस्ताव" शीर्षक के साथ, अधिसूचित की जायेगी। **गृहीत प्रस्तावों का प्रकाशन।**

190. अध्यक्ष द्वारा सभा के कार्य की स्थिति पर विचार किये जाने के बाद और सभा नेता के परामर्श से [या कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश पर][4] ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का भाग नियत किया जा सकेगा। **चर्चा के लिए समय का नियतन।**

191. अध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, नियत दिन या नियत दिनों के अंतिम दिन निश्चित समय पर मूल प्रश्न पर सभा का विनिश्चय निर्धारित करने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखा जाएगा। **निश्चित समय पर प्रश्न पूछा जाना।**

192. अध्यक्ष द्वारा यदि वह ठीक समझा जाए, भाषणों के लिए समय-सीमा विहित की जा सकेगी। **भाषणों के लिए समय-सीमा।**

---

[3]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा लोप किया गया।

[4]**वही**, अंत:स्थापित किया गया।

अध्याय 15

अल्पकालीन चर्चा

चर्चा उठाने की सूचना।

193. अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर चर्चा उठाने का इच्छुक कोई सदस्य उठाये जाने वाले विषय का स्पष्टतया तथा सुतथ्यतया उल्लेख कर महासचिव को लिखित रूप में सूचना दे सकेगा/सकेगी:

परन्तु सूचना के साथ उक्त विषय पर चर्चा उठाने के कारण देते हुए एक व्याख्यात्मक टिप्पणी संलग्न होगी:

परन्तु यह और भी कि सूचना का समर्थन कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षरों से होगा।

अध्यक्ष ग्राह्यता का विनिश्चय और समय का नियतन करेगा/करेगी।

194. (1) यदि अध्यक्ष का, सूचना देने वाले सदस्य से और मंत्री से ऐसी जानकारी मांगने के बाद, जिसे अध्यक्ष आवश्यक समझे, समाधान हो जाये कि विषय अविलम्बनीय है और सभा में जल्दी ही उठाये जाने के लिये पर्याप्त महत्व का है तो अध्यक्ष द्वारा सूचना ग्रहण की जा सकेगी:

परन्तु यदि ऐसे विषय पर चर्चा के लिए अन्यथा जल्दी अवसर उपलब्ध हो तो अध्यक्ष द्वारा सूचना ग्रहण करने से इन्कार किया जा सकेगा।

(2) अध्यक्ष द्वारा एक सप्ताह में ऐसी दो बैठकें नियत की जा सकेंगी जब ऐसे विषय चर्चा हेतु लिए जा सकें और चर्चा के लिए उतने समय की अनुमति दी जा सकेगी जितना कि अध्यक्ष परिस्थितियों में उचित समझे और जो बैठक की समाप्ति पर अथवा उससे पहले [1][दो] घंटे से अधिक न हो।

कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा जायेगा।

195. सभा के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा/सकेगी और मंत्री द्वारा संक्षेप में उत्तर दिया जाएगा। जिस सदस्य ने अध्यक्ष को पहले से सूचित कर दिया हो उसे चर्चा में भाग लेने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

भाषणों के लिए समय-सीमा।

196. अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए, भाषणों के लिए समय-सीमा विहित की जा सकेगी।

---

[1]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 30.04.1987, पैरा संख्या 1639 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

अध्याय 16

ध्यानाकर्षण

197. (1) कोई सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय पर मंत्री का ध्यान दिला सकेगा/सकेगी और मंत्री संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा/सकेगी या बाद के किसी समय या तिथि को वक्तव्य देने के लिए समय मांग सकेगा/सकेगी: **ध्यानाकर्षण के बारे में प्रक्रिया।**

परन्तु कोई सदस्य किसी एक बैठक के लिए ऐसी दो से अधिक सूचनायें नहीं दे सकेगा/सकेगी।

[1][(2) ऐसे वक्तव्य पर, जब वह दिया जाए, कोई वाद-विवाद नहीं होगा, परन्तु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम में कार्य-सूची में मद दिखाई गई हो, अध्यक्ष की अनुमति से स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछ सकेगा/सकेगी और ऐसे सभी प्रश्नों के अन्त में मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिया जाएगा:

परंतु कार्य-सूची में पांच से अधिक सदस्यों के नाम नहीं दिखाए जाएंगे।]

व्याख्या—(एक) जहां किसी सूचना पर एक से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे वहां यह समझा जाएगा कि केवल पहले हस्ताक्षरकर्ता ने सूचना दी है।

(दो) किसी बैठक के लिए 10.00 बजे तक प्राप्त सूचनाओं को उसी दिन 10.00 बजे तक प्राप्त समझा जाएगा और एक ही विषय पर प्रत्येक ऐसी सूचना की सापेक्ष पूर्ववर्तिता निर्धारित करने के लिए बैलट किया जाएगा। 10.00 बजे के पश्चात् प्राप्त सूचनाओं को अगली बैठक के लिए दिया गया समझा जाएगा।

[2][(तीन) किसी सप्ताह में उसकी पहली बैठक से सप्ताह के अंतिम दिन 10.00 बजे तक जिस दिन सभा की बैठक हुई हो, प्राप्त

---

[1]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 30.4.1987, पैरा संख्या 1639 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
[2]**वही**, जोड़ा गया।

सूचनाएं उस सप्ताह के लिए वैध होंगी, सप्ताह के अंतिम दिन, जिस दिन सभा की बैठक हुई हो 10.00 बजे के बाद प्राप्त सूचनाएं अगले सप्ताह के लिए वैध होंगी।

(चार) यदि अध्यक्ष द्वारा गृहीत किसी विषय संबंधी सूचनाएं देने वाले सदस्यों की संख्या (पांच या पांच से कम)[3] हो तो उनकी परस्पर वरीयता सूचना प्राप्त होने की तिथि और समय के अनुसार निर्धारित की जाएगी।]

(3) एक ही बैठक में दो से अधिक ऐसे विषय नहीं उठाए जाएंगे:

परन्तु दूसरा विषय उन्हीं सदस्यों द्वारा नहीं उठाया जाएगा जिन्होंनें पहला विषय उठाया है और वह (ऐसे समय)[4] उठाया जाएगा, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा निश्चित किया जाए।

(4) एक ही दिन के लिए एक से अधिक विषय प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में उस विषय को पूर्ववर्तिता दी जाएगी जो अध्यक्ष की राय में अधिक अविलम्बनीय और महत्वपूर्ण हो।

[5][(5) वे सभी सूचनाएं जो उस सप्ताह में नहीं ली गई हैं, जिसके लिए वे दी गई थीं उस सप्ताह के अंत में व्यपगत हो जाएंगी, जब तक कि अध्यक्ष द्वारा उनमें किसी को किसी बाद की बैठक के लिए गृहीत न कर लिया हो:

परन्तु मंत्री को तथ्यों की जानकारी के लिए भेजी गई सूचना तब तक व्यपगत नहीं होगी जब तक कि अध्यक्ष द्वारा उसे निपटा न दिया जाए।]

---

[3]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[4]**वही**, प्रतिस्थापित किया गया।

[5]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 30.4.1987, पैरा संख्या 1639 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

अध्याय 17

मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव और पद-त्याग करने वाले मंत्री का वक्तव्य

मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव करने संबंधी प्रक्रिया।

198. (1) मंत्रिपरिषद् में विश्वास का अभाव प्रकट करने का प्रस्ताव निम्नलिखित निबंधनों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा, अर्थात्:–

(क) प्रस्ताव करने की अनुमति अध्यक्ष द्वारा बुलाए जाने पर सदस्य को मांगनी होगी;

(ख) अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन [दस बजे तक][1] महासचिव के पास उस प्रस्ताव की, जिसे वह सदस्य प्रस्तुत करना चाहे, लिखित सूचना देनी होगी:

[परन्तु 10.00 बजे के बाद प्राप्त सूचनाओं को सभा की अगले दिन होने वाली बैठक के 10.00 बजे तक प्राप्त हुआ माना जायेगा।][2]

(2) यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि प्रस्ताव नियमानुसार है तो अध्यक्ष द्वारा सभा में प्रस्ताव पढ़कर सुनाया जाएगा और उन सदस्यों से, जो अनुमति दिए जाने के पक्ष में हों, अपने स्थानों में खड़े होने के लिए प्रार्थना की जाएगी और यदि तद्नुसार कम से कम पचास सदस्य खड़े हो जायें तो अध्यक्ष द्वारा यह सूचित किया जाएगा कि अनुमति दी जाती है और प्रस्ताव किसी ऐसे दिन लिया जाएगा जो अनुमति मांगने के दिन से दस दिन से अधिक बाद का न हो। यदि पचास से कम सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष द्वारा सदस्य को यह सूचित किया जाएगा कि उस सदस्य को सभा की अनुमति नहीं है।

(3) यदि उपनियम (2) के अंतर्गत अनुमति दे दी जाए तो अध्यक्ष द्वारा सभा के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद, प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का भाग नियत किया जा सकेगा।

---

[1]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 1.8.1989, पैरा संख्या 3091 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[2]**वही**, जोड़ा गया।

(4) अध्यक्ष द्वारा यथास्थिति, नियत दिन या नियत दिनों में से अंतिम दिन निश्चित समय पर, प्रस्ताव सभा का विनिश्चय निर्धारित करने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखा जाएगा।

(5) अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए, भाषणों के लिए समय-सीमा विहित की जा सकेगी।

मंत्री का वक्तव्य जिसने पद-त्याग किया हो।

199. (1) जो सदस्य मंत्रिपद का त्याग कर दे वह सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से अपने पदत्याग के स्पष्टीकरण के लिए [उस सत्र के दौरान किसी दिन जिसमें राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किया गया हो, व्यक्तिगत वक्तव्य दे सकेगा/सकेगी:

परंतु यदि राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र ऐसे समय स्वीकार किया जाता है जब सभा का सत्र न हो तो सदस्य सत्र शुरू होने की तारीख से सात दिन के भीतर शीघ्र ही किसी दिन ऐसा वक्तव्य दे सकेगा/सकेगी।][3]

(2) जिस दिन वक्तव्य दिया जाए उससे [कम से कम][4] एक दिन पहले, उसकी एक प्रति अध्यक्ष और सभा-नेता को भेजी जाएगी:

[*** *** ***][5]

(3) ऐसे वक्तव्य पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा, किन्तु उसके दिए जाने के बाद कोई मंत्री तत्संगत वक्तव्य दे सकेगा/सकेगी।

---

[3]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा जोड़ा गया।

[4]**वही**, अंत:स्थापित किया गया।

[5]**वही**, लोप किया गया।

अध्याय 18

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए संकल्प

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प की सूचना।

200. (1) कोई सदस्य जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 94 के खंड (ग) के अंतर्गत किसी संकल्प की सूचना देना चाहे तो वह लिखित रूप में महासचिव को देगा/देगी [और ऐसे संकल्प का पूर्णपाठ प्रस्तुत करेगा/करेगी][1]

(2) उपनियम (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने पर संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा निश्चित किए गए किसी दिन की कार्य-सूची में संबंधित सदस्य के नाम में दर्ज कर दिया जाएगा, परन्तु उस तरह निश्चित किया गया दिन संकल्प की सूचना प्राप्त होने की तिथि से चौदह दिन बाद का कोई दिन होगा।

संकल्प की ग्राह्यता।

200क. [इस प्रकार के संकल्प को ग्राह्य बनाने के लिए उसे निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

(एक) वह आरोपों के संबंध में सुस्पष्ट होगा;

(दो) वह स्पष्ट और सही रूप से व्यक्त किया गया होगा;

(तीन) इसमें तर्क-वितर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक भाषा, आरोप अथवा मानहानिकारक वक्तव्यों का समावेश नहीं होगा।][2]

संकल्प प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति।

201. (1) संविधान के अनुच्छेद 96 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जब नियम 200 के उपनियम (2) के अंतर्गत कोई प्रस्ताव विचार के लिए लिया जाये तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या संविधान के अनुच्छेद 95 के खंड (2) में निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा/होगी।

(2) कार्य-सूची में जिस सदस्य के नाम में प्रस्ताव हो वह सदस्य [जब तक वह सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त

[1]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 1.8.1989, पैरा संख्या 3091 द्वारा जोड़ा गया।

[2]**वही**, अंत:स्थापित किया गया।

करते हुए एक वक्तव्य नहीं देता/देती, प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पुकारे जाने पर प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा/करेगी, किन्तु इनमें से किसी भी मामले से][3] इस प्रक्रम पर भाषण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(3) यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति द्वारा उसके बाद प्रस्ताव को सभा के सामने रखा जाएगा और उन सदस्यों से, जो अनुमति दिए जाने के पक्ष में हों अपने स्थानों में खड़े होने के लिए प्रार्थना की जाएगी। यदि तद्नुसार कम से कम पचास सदस्य खड़े हो जाएं तो, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति द्वारा यह कथन किया जाएगा कि अनुमति दी गई है और यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति द्वारा यह कथन किया जाएगा कि संकल्प किसी ऐसे दिन लिया जाएगा जो यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति द्वारा नियत किया जाए और जो अनुमति मांगने के दिन से दस दिन से अधिक बाद का न हो। यदि पचास से कम सदस्य खड़े हों तो, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति द्वारा सदस्य को सूचित किया जाएगा कि उस सदस्य को सभा की अनुमति नहीं है।

कार्य-सूची में संकल्प का सम्मिलित किया जाना।

202. संकल्प नियत दिन की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाएगा।

[चर्चा की व्याप्ति।

202क. संकल्प पर चर्चा पूरी तरह से संकल्प में लगाए गए आरोपों तक ही सीमित होगी।][4]

भाषणों के लिए समय-सीमा]

203. किसी संकल्प पर भाषण की अवधि, अध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति की अनुमति के बिना, पन्द्रह मिनट से अधिक नहीं होगी:

परन्तु संकल्प का प्रस्तावक उसे प्रस्तुत करते समय इतने अधिक समय तक भाषण दे सकेगा/सकेगी जितना कि अध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति द्वारा अनुज्ञा दी जाए।

---

[3]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[4]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 1.8.1989, पैरा संख्या 3091 द्वारा अन्त:स्थापित किया गया।

अध्याय 19

वित्तीय कार्य

बजट

बजट का प्रस्तुतीकरण।

204. (1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बंध में भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण या प्राक्कलित आय और व्यय का विवरण (जिसे इसके पश्चात् "बजट" कहा गया है) सभा में ऐसे दिन प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा निदेश दिया जाए।

(2) बजट सभा के सामने ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जाएगा जो वित्त मंत्री द्वारा प्राक्कलन समिति के सुझावों पर, यदि कोई हों, विचार करने के बाद तय किया जाए।

प्रस्तुतीकरण के दिन चर्चा न होना।

205. बजट पर उस दिन कोई चर्चा नहीं होगी जिस दिन कि वह सभा में प्रस्तुत किया जाए।

अनुदानों की मांगें

अनुदानों की मांगें।

206. (1) प्रत्येक मंत्रालय के लिए प्रस्तावित अनुदान के सम्बंध में साधारणतया एक पृथक मांग की जायेगी, परन्तु वित्त मंत्री द्वारा दो या अधिक मंत्रालयों या विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदानों को एक मांग में सम्मिलित की जा सकेगी या ऐसे व्यय के सम्बंध में एक मांग की जा सकेगी, जिसका वर्गीकरण विशेष मंत्रालयों के अंतर्गत सहज में न किया जा सके।

(2) प्रत्येक मांग में पहले समस्त प्रस्तावित अनुदान का विवरण और उसके बाद मदों में विभाजित प्रत्येक अनुदान के अंतर्गत विस्तृत प्राक्कलन का विवरण होगा।

बजट पर सामान्य चर्चा।

207. (1) जिस दिन बजट प्रस्तुत किया जाए उसके बाद अध्यक्ष द्वारा नियत किए जाने वाले दिन, और उतने समय के लिए, जितना कि अध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत किया जाए, सभा बजट पर सम्पूर्ण रूप से या उसमें अन्तर्निहित सिद्धांत के किसी प्रश्न पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र होगी, किन्तु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और न ही बजट सभा में मतदान के लिए रखा जाएगा।

(2) वित्त मंत्री को चर्चा के अन्त में उत्तर देने का सामान्य अधिकार होगा।

(3) अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए, भाषणों के लिए समय-सीमा विहित की जा सकेगी।

अनुदानों की मांगों पर मतदान।

208. (1) अध्यक्ष द्वारा, सभा नेता के परामर्श से, अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए उतने दिन नियत किए जाएंगे जो लोक हित से सुसंगत हों।

(2) अध्यक्ष द्वारा नियत दिनों के अंतिम दिन 17.00 बजे अथवा किसी ऐसे अन्य समय पर जो अध्यक्ष द्वारा पहले से निश्चित कर दिया जाए अनुदानों की मांगों के सम्बंध में सभी अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखा जाएगा।

(3) किसी अनुदान की मांग को कम करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

(4) किसी अनुदान की मांग को कम करने के प्रस्तावों में संशोधन की अनुज्ञा नहीं होगी।

(5) जब एक ही अनुदान की मांग से संबंधित कई प्रस्ताव दिए जायें तब उन पर क्रम से चर्चा होगी जिसमें कि उनसे संबंधित शीर्ष आय-व्ययक में दिए हों।

कटौती प्रस्ताव।

209. किसी मांग की राशि कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसी ढंग से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा:–

(क) "कि मांग की राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाए", मांग में अन्तर्निहित नीति से अननुमोदन प्रकट करने के लिए हो। ऐसा प्रस्ताव "नीति अननुमोदन कटौती" कहा जाएगा। ऐसे प्रस्ताव की सूचना देने वाले सदस्य द्वारा उस नीति का ब्यौरा सुतथ्यतया दर्शित किया जाएगा जिस पर सदस्य चर्चा करना चाहता/चाहती हो। चर्चा, सूचना में उल्लिखित विशिष्ट बात या बातों तक ही सीमित रहेगी और सदस्य वैकल्पिक नीति का सुझाव दे सकेंगे।

(ख) "कि मांग की राशि में उल्लिखित राशि की कमी की जाए" जो की जा सकने वाली मितव्ययिता का प्रतीक हो। ऐसी उल्लिखित राशि या तो मांग में से एकमुश्त

घटाई जाने वाली राशि हो सकेगी या मांग की किसी मद का विलोपन अथवा उसमें घटाई जाने वाली राशि हो सकेगी। ऐसा प्रस्ताव "मितव्ययिता कटौती" कहा जाएगा।

सूचना में संक्षेप में और सुतथ्यतया वह विशेष विषय दर्शाया जायेगा, जिस पर चर्चा उठानी हो और भाषण इस बात की चर्चा करने के लिए ही सीमित होंगे कि मितव्ययिता कैसे की जा सकती है;

(ग) "कि मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाए", जो ऐसी विशिष्ट शिकायत को प्रकट करने के लिए हो, जो भारत सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में हो, ऐसा प्रस्ताव "सांकेतिक कटौती" कहा जाएगा और उस पर चर्चा, प्रस्ताव में उल्लिखित विशेष शिकायत तक ही सीमित होगी।

कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता।

210. मांग की राशि कम करने की सूचना ग्राह्य हो सके, इसके लिए वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी, अर्थात्:–

(एक) उसका संबंध केवल एक मांग से होगा;

(दो) वह स्पष्टतया व्यक्त की जाएगी और उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद, लांछन, विशेषण या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे;

(तीन) वह एक ही विशिष्ट विषय तक सीमित रखी जायेगी जिसका वर्णन सुतथ्य शब्दों में किया जाएगा;

(चार) उसमें किसी ऐसे व्यक्ति के चरित्र या आचरण पर अभ्युक्ति नहीं की जाएगी, जिसके आचरण पर मूल प्रस्ताव के द्वारा ही आपत्ति की जा सकती हो;

(पांच) उसमें वर्तमान विधियों का संशोधन या निरसन करने के लिए सुझाव नहीं दिये जाएंगे;

(छह) वह ऐसे विषय का निर्देश नहीं करेगी, जो मुख्यतया भारत सरकार का विषय न हो;

(सात) उसका किसी ऐसे व्यय से सम्बंध नहीं होगा जो कि भारत की संचित निधि पर भारित हो;

(आठ) उसका किसी ऐसे विषय से संबंध नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय के न्यायनिर्णयन के अन्तर्गत हो;

(नौ) उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा;

(दस) उसमें ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं की जाएगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी हो और जिस पर विनिश्चिय किया जा चुका हो;

(ग्यारह) उसमें उस विषय की पूर्वाशा नहीं की जाएगी, जो विचार के लिए पहले ही नियत किया जा चुका हो;

(बारह) उसमें साधारणतया ऐसे विषय पर चर्चा नहीं उठाई जाएगी जो कोई न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के, या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने विचाराधीन हो:

परन्तु अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से ऐसे विषय को सभा में उठाने की अनुमति दी जा सकेगी, जो जांच की प्रक्रिया अथवा प्रक्रम से संबंधित हो, यदि अध्यक्ष का यह समाधान हो जाए कि इससे संविहित न्यायाधिकरण, संविहित प्राधिकारी, आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है; और

(तेरह) उसका संबंध तुच्छ विषय से नहीं होगा।

अध्यक्ष ग्राह्यता का विनिश्चय करेगा/करेगी।

211. अध्यक्ष द्वारा यह विनिश्चय किया जाएगा कि कोई कटौती प्रस्ताव इन नियमों के अंतर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं और कोई कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत किया जा सकेगा जो अध्यक्ष की राय में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग हो या सभा की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किया गया हो या इन नियमों के उल्लंघन में हो।

कटौती प्रस्ताव की सूचना।

212. यदि किसी मांग के अनुदान को कम करने के प्रस्ताव की उस दिन से एक दिन पूर्व सूचना दी गई हो, जिस दिन कि वह मांग विचाराधीन हो, तो कोई भी सदस्य प्रस्ताव के प्रस्तुत किए जाने पर आपत्ति कर सकेगा और यदि अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव के प्रस्तुत किए जाने की अनुमति न दी जाए, तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।

बजट का भागों में प्रस्तुतीकरण।

213. इससे पहले अंतर्विष्ट किसी नियम को सभा में बजट के दो या अधिक भागों में प्रस्तुत किए जाने से रोकने वाला नहीं समझा जायेगा और जब ऐसा प्रस्तुतीकरण हो तो प्रत्येक भाग पर इन नियमों के अनुसार उस प्रकार कार्रवाई की जायेगी जैसे कि वह बजट हो।

214. (1) लेखानुदान के प्रस्ताव में समस्त अपेक्षित राशि बतायी जाएगी और प्रत्येक मंत्रालय, विभाग या व्यय की मद के लिए आवश्यक विभिन्न धनराशियां जिनसे वह राशि बनी है, प्रस्ताव में संलग्न अनुसूची में बतायी जाएगी। **लेखानुदान।**

(2) सम्पूर्ण अनुदान को कम करने के लिए या जिन मदों से मिलकर अनुदान बना हो, उनको कम करने या निकाल देने के लिए संशोधन प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

(3) प्रस्ताव पर या उस में प्रस्तावित किए गए संशोधनों पर सामान्य प्रकार की चर्चा की अनुमति दी जा सकेगी किन्तु अनुदान के ब्यौरे पर उससे अग्रेतर चर्चा नहीं होगी जितनी की सामान्य विषयों को बताने के लिए आवश्यक हो।

(4) अन्य प्रकरणों में लेखानुदान के प्रस्ताव पर उसी प्रकार कार्यवाही की जायेगी जैसे कि वह अनुदान की मांग हो।

215. अनुपूरक, अपर, अतिरिक्त और अपवाद अनुदान तथा प्रत्ययानुदान ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जो चाहे रूप भेद के हों या कुछ अंश जोड़कर या निकाल कर बनाए गए हों जैसाकि अध्यक्ष द्वारा आवश्यक या वांछनीय समझा जाए, उसी प्रक्रिया से विनियमित होंगे जो अनुदानों की मांगों के संबंध में लागू होती हैं। **अनुपूरक आदि अनुदान तथा प्रत्ययानुदान।**

216. अनुपूरक अनुदानों पर वाद-विवाद केवल उन मदों तक ही सीमित रहेगा जिनसे वे बने हों जहां तक चर्चाधीन मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक न हो, उस सीमा तक मूल अनुदानों पर या उनसे संबंधित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी। **अनुपूरक अनुदानों पर वाद-विवाद की व्याप्ति।**

217. जब किसी नई सेवा पर प्रस्तावित व्यय के लिए पुनर्विनियोग द्वारा धन उपलब्ध किया जा सके तो किसी सांकेतिक राशि के अनुदान की मांग सभा में मतदान के लिए रखी जा सकेगी और यदि सभा मांग पर अनुमति दे दे तो धन इस तरह उपलब्ध किया जा सकेगा। **सांकेतिक अनुदान।**

विनियोग विधेयक

218. (1) संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विनियोग विधेयक के बारे में प्रक्रिया ऐसे रूप भेदों के साथ जैसे अध्यक्ष द्वारा **विनियोग विधेयक के बारे में प्रक्रिया।**

आवश्यक समझे जाएं, वही होगी जो सामान्यतया विधेयकों के लिए होती है।

[2 *** *** ***][1]

[2][विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद लोक-महत्व के या विधेयक में आने वाले अनुदानों में अन्तर्निहित प्रशासकीय नीति के ऐसे विषयों तक सीमित रहेगा जो पहले ही उस समय न उठाये जा चुके हों जबकि संगत अनुदानों की मांगें विचाराधीन थीं।]

(3) अध्यक्ष द्वारा वाद-विवाद की पुनरुक्ति को रोकने की दृष्टि से विनियोग विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के इच्छुक सदस्यों द्वारा उन विशिष्ट विषयों पर पूर्व सूचना दिए जाने की अपेक्षा की जा सकेगी जो वे उठाना चाहते हों और अध्यक्ष द्वारा ऐसे विषयों को उठाने के लिए अनुज्ञा रोकी जा सकेगी जो अध्यक्ष की राय में किसी अनुदान की मांग के संबंध में चर्चा किए गए विषयों की पुनरुक्ति प्रतीत होते हों या जो पर्याप्त लोक महत्व के न हों।

(4) यदि विनियोग विधेयक किसी वर्तमान सेवा के संबंध में अनुपूरक अनुदान के अनुसरण में हो तो चर्चा केवल उन्हीं मदों तक सीमित रहेगी जिनसे वह अनुदान बना हो और जहां तक चर्चाधीन खास मद की व्याख्या करने या उसे स्पष्ट करने के लिए आवश्यक न हो, उस सीमा तक मूल अनुदान पर या उससे संबंधित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी।]

(5) अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए, भाषणों के लिए समय-सीमा विहित की जा सकेगी। [3][***]

वित्त विधेयक

वित्त विधेयक के बारे में प्रक्रिया।

219. (1) इस नियम में "वित्त विधेयक" का तात्पर्य भारत सरकार की अगले वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए साधारणतया प्रत्येक वर्ष पुर:स्थापित विधेयक से है

---

[1]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा लोप किया गया।

[2]**वही**, पुनराक्षरांकित।

[3]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा लोप किया गया।

और उसमें किसी कालावधि के लिए अनुपूरक वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने का विधेयक सम्मिलित है।

(2) सभा में वित्त विधेयक के पुर:स्थापित होने के बाद किसी भी समय अध्यक्ष द्वारा सभा द्वारा विधेयक के पारण में अंतर्ग्रस्त सभी या किसी प्रक्रम को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से अलग-अलग एक या कई दिन नियत किया जा सकेगा और जब ऐसा नियतन किया जा चुका है तो अध्यक्ष द्वारा यथास्थिति नियत दिन या नियत दिनों के अंतिम दिन[4] [विनिर्दिष्ट समय पर], उस प्रक्रम या प्रक्रमों के संबंध में, जिनके लिए एक या कई दिन नियत किए गए हों, सभी अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखा जा सकेगा:

परन्तु यदि किसी मंत्री को उस प्रस्ताव पर वाद-विवाद का उत्तर देने का अधिकार हो[5] [जो विनिर्दिष्ट समय से एक घंटे पूर्व] चर्चाधीन हो और उसने उस समय उसका उत्तर देना आरम्भ न किया हो तो अध्यक्ष द्वारा उनसे पूछा जाएगा कि वह उत्तर देने के लिए कितना समय चाहता है, जो एक घंटे से अधिक न हो और सभा को तत्समय सम्बोधित कर रहे किसी भी सदस्य से ऐसे समय अपना आसन ग्रहण करने के लिए कहा जाएगा जिससे कि वह[6] [विनिर्दिष्ट समय] से पहले उतना समय उपलब्ध रहे जितना मंत्री ने कहा है कि उसे अपने उत्तर के लिए आवश्यक है।

(3) जब उपनियम (2) के अनुसार, नियत दिन या नियत दिनों के अंतिम दिन[7] [विनिर्दिष्ट समय] पर रखा जाने वाला प्रश्न या प्रश्नों में एक प्रश्न यह हो कि विधेयक पारित किया जाए तो इस बात के होते हुए भी कि विधेयक में संशोधन किए गए हैं, उपनियम (2) प्रभावी होगा।

(4) उपनियम (2) के परन्तुक के अधीन रहते हुए अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए, सभी या किसी प्रक्रम पर जिसके लिए उस उपनियम के अंतर्गत एक या अधिक दिन नियत किए गए हों, भाषणों के लिए समय-सीमा विहित की जा सकेगी।

[4-5]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा लोप किया गया।

[6-7]**वही**, प्रतिस्थापित किया गया।

(5) इस प्रस्ताव पर कि वित्त विधेयक पर विचार किया जाए, कोई सदस्य सामान्य प्रशासन, भारत सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में आने वाली स्थानीय शिकायतों या सरकार की धन या वित्तीय नीति से संबंधित विषयों की चर्चा कर सकेगा।

(6) अन्य प्रकरणों में इन नियमों के अध्याय 10 में विधेयकों पर लागू होने वाले नियम लागू होंगे।

वित्तीय कार्य के संबंध में सामान्य उपबन्ध

वित्तीय कार्य के लिए नियत दिन को लिया जा सकने वाला कार्य।

220. इस बात के होते हुए भी कि नियम 207, 208, 218 या 219 के अंतर्गत वित्तीय कार्य के लिए कोई दिन नियत किया जा चुका हो, विधेयक या विधेयकों को पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव किए जा सकेंगे और ऐसे दिन सभा द्वारा वह कार्य प्रारम्भ करने से पहले जिसके लिए वह दिन नियत किया गया हो, विधेयक या विधेयकों को पुर:स्थापित किया जा सकेगा।

वित्तीय कार्य का समय पर पूरा किया जाना।

221. इन नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के अतिरिक्त अध्यक्ष द्वारा ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकेगा जो समस्त वित्तीय कार्य को समय पर पूरा करने के प्रयोजन के लिए, जिसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य को निपटाने के लिए नियत समय सम्मिलित है, आवश्यक हों और जब इस तरह समय नियत किया जाए तो अध्यक्ष द्वारा निश्चित समय पर ऐसे प्रक्रम या प्रक्रमों से संबंधित, जिनके लिए समय नियत किया गया हो, सब अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखा जाएगा।

व्याख्या—वित्तीय कार्य में कोई भी ऐसा कार्य सम्मिलित है जिसे अध्यक्ष द्वारा संविधान के अंतर्गत इस वर्ग का ठहराया जाए।

[लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों संबंधी नियमों के लिए इस नियमावली का अध्याय 26 **देखिए**।]

अध्याय 20

विशेषाधिकार

विशेषाधिकार के प्रश्न

अध्यक्ष की अनुमति।

222. कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की अनुमति से, कोई ऐसा प्रश्न उठा सकेगा/सकेगी जिसमें या तो किसी सदस्य के या सभा के या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार का भंग अंतर्ग्रस्त हो।

विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना।

223. जो सदस्य विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहे वह उसकी लिखित सूचना उस दिन [10.00 बजे तक][1] जिस दिन कि प्रश्न उठाने का विचार हो, महासचिव को देगा/देगी। यदि उठाया गया वह प्रश्न किसी दस्तावेज पर आधारित हो तो सूचना के साथ वह दस्तावेज भी संलग्न होगा:

[परन्तु 10.00 बजे के पश्चात् प्राप्त सूचनाओं को सभा की अगली बैठक के दिन 10.00 बजे प्राप्त हुई सूचनाएं समझा जाएगा।][2]

विशेषाधिकार के प्रश्नों की ग्राह्यता।

224. विशेषाधिकार प्रश्न उठाने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:–

(एक) एक ही बैठक में एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे;

(दो) प्रश्न हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा;

(तीन) विषय में सभा का हस्तक्षेप अपेक्षित है।

विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने की रीति।

225. (1) अध्यक्ष यदि नियम 222 के अंतर्गत सम्मति दी जाए और यह ठहराया जाए कि चर्चा के लिए प्रस्तावित विषय नियमानुकूल है तो वह संबंधित सदस्य को पुकारा जाएगा जो अपने स्वयं के स्थान पर खड़े होंगे और विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की अनुमति मांगते हुए उससे संगत एक संक्षिप्त वक्तव्य देंगे:

---

[1]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2]**वही**, जोड़ा गया।

परन्तु जब अध्यक्ष द्वारा इस नियम 222 के अंतर्गत अपनी सम्मति देने से इंकार कर दिया गया हो या अध्यक्ष की यह राय हो कि चर्चा के लिए प्रस्तावित विषय नियमानुकूल नहीं है, तो यदि आवश्यक समझा जाए, अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना को पढ़कर सुनाया जा सकेगा और यह कथन किया जा सकेगा कि सम्मति देने से इंकार किया जाता है या विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना नियमानुकूल नहीं है:

परंतु यह और भी कि यदि अध्यक्ष द्वारा विषय की अविलंबनीयता के संबंध में यह समाधान हो जाने पर प्रश्नों के निपटाए जाने के बाद बैठक के दौरान किसी भी समय विशेषाधिकार प्रश्न उठाए जाने की अनुमति दी जा सकेगी।

(2) यदि अनुमति दी जाने पर आपत्ति की जाए तो अध्यक्ष द्वारा उन सदस्यों से जो अनुमति दी जाने के पक्ष में हों, अपने स्थानों पर खड़े होने के लिए कहा जाएगा और तद्नुसार यदि कम से कम पच्चीस सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष द्वारा यह सूचित किया जाएगा कि उसे सभा की अनुमति दी जाती है। यदि पच्चीस से कम सदस्य खड़े हों, तो अध्यक्ष द्वारा सदस्य को यह सूचित किया जाएगा कि ऐसे सदस्य को सभा की अनुमति नहीं है।

विशेषाधिकार के प्रश्न पर सभा या समिति विचार करेगी।

226. यदि नियम 225 के अंतर्गत अनुमति दे दी जाए, तो सभा प्रश्न पर विचार कर सकेगी और विनिश्चय कर सकेगी या विशेषाधिकार प्रश्न उठाने वाले सदस्य द्वारा या किसी अन्य सदस्य द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर उसे विशेषाधिकार समिति को सौंप सकेगी।

अध्यक्ष द्वारा समिति को विशेषाधिकार के प्रश्न का सौंपा जाना।

227. इन नियमों में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए अध्यक्ष द्वारा कोई भी विशेषाधिकार प्रश्न जांच, अनुसंधान या प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकेगा।

अध्यक्ष की निदेश देने की शक्ति।

228. अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार समिति में या सभा में विशेषाधिकार प्रश्न पर विचार से संबंधित सब विषयों के बारे में प्रक्रिया विनियमन के लिए ऐसे निदेश दिए जा सकेंगे जो आवश्यक हों।

अध्यक्ष को सदस्य के बन्दीकरण, निरोध आदि और रिहाई की सूचना

सदस्य के बन्दीकरण, निरोध आदि के बारे में अध्यक्ष को सूचना।

229. जब कोई सदस्य किसी आपराधिक आरोप या किसी दंडापराध के लिए बन्दी बनाया जाए या उसे किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया जाए या किसी कार्यपालिका के आदेश के अंतर्गत निरुद्ध किया जाए, तो यथास्थिति, दंड देने वाला न्यायाधीश

या दंडाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी तृतीय अनुसूची में दिए गए समुचित प्रपत्र में, यथास्थिति, बन्दीकरण, निरोध, या दोषसिद्धि के कारण तथा सदस्य के निरोध या कारावास का स्थान भी दर्शाते हुए ऐसे तथ्य की सूचना तुरन्त अध्यक्ष को देगा/देगी।

सदस्य की रिहाई की अध्यक्ष को सूचना।

230. जब कोई सदस्य बन्दी बनाया जाए और दोषसिद्धि के बाद अपील लंबित होने तक जमानत पर रिहा किया जाए या अन्यथा रिहा किया जाए तो ऐसे तथ्य की सूचना भी संबंधित प्राधिकारी द्वारा तृतीय अनुसूची में दिए गए समुचित प्रपत्र में अध्यक्ष को दी जाएगी।

बन्दीकरण, निरोध, रिहाई, आदि के बारे में प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही।

231. नियम 229 या नियम 230 में निर्दिष्ट संसूचना प्राप्त होने के बाद अध्यक्ष द्वारा यथासंभव शीघ्र उसे सभा में पढ़कर सुनाया जाएगा, यदि वह सत्र में हो या यदि सभा सत्र में न हो तो यह निदेश दिया जाएगा कि वह सदस्यों की जानकारी के लिए बुलेटिन (समाचार) में प्रकाशित कर दी जाए:

परंतु यदि किसी सदस्य की जमानत पर रिहाई या अपील पर मुक्ति की सूचना सभा को मूल बन्दीकरण की सूचना दी जाने से पहले ही प्राप्त हो जाए तो उसके बन्दीकरण या उसके बाद में रिहाई या मुक्ति का तथ्य अध्यक्ष चाहे तो सभा को सूचित न करे।

सभा के परिसर में बन्दीकरण और वैध आदेशों के निर्वहन के बारे में प्रक्रिया

सभा के परिसर में बन्दीकरण।

232. सभा के परिसर में अध्यक्ष की आज्ञा प्राप्त किए बिना कोई बन्दीकरण नहीं किया जाएगा।

वैध आदेश का निर्वहन।

233. सभा के परिसर में, अध्यक्ष की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना किसी सिविल अथवा आपराधिक वैध आदेश का निर्वहन नहीं किया जाएगा।

[विशेषाधिकार समिति के नियमों के लिए इस नियमावली का अध्याय 26 **देखिए**]

अध्याय 20क[1]

आचार संबंधी शिकायतों की प्रक्रिया

आचार संबंधी शिकायतों की प्रक्रिया।

233क. (1) कोई भी व्यक्ति अथवा सदस्य लोक सभा के सदस्य के अनीतिपूर्ण आचरण के संबंध में शिकायत कर सकता है। बशर्ते यदि शिकायत किसी व्यक्ति द्वारा की जाए तो इसे सदस्य द्वारा अग्रेषित किया जाएगा।

(2) शिकायत लिखित में की जाएगी और अध्यक्ष को संबोधित की जाएगी जो इसे जांच एवं प्रतिवेदन हेतु लोक सभा की आचार समिति के सभापति को अग्रेषित कर सकेगा/सकेगी।

(3) शिकायतकर्ता को अपनी पहचान बतानी होगी और उसे अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए संबंधित साक्ष्य, दस्तावेजी अथवा अन्यथा, प्रस्तुत करने होंगे।

(4) शिकायत करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि शिकायत असत्य, तुच्छ या परेशान करने वाली नहीं है और यह सच्चाइपूर्वक की गई है। इस आशय का एक शपथ-पत्र शिकायत के साथ संलग्न करना होगा।

यदि शिकायत किसी सदस्य द्वारा की जाती है, तो ऐसे सदस्य के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि शिकायत असत्य, तुच्छ या परेशान करने वाली नहीं है और यह सच्चाइपूर्वक की गई है। सदस्य द्वारा शिकायत किए जाने की स्थिति में शपथ-पत्र संलग्न किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

(5) प्रत्येक शिकायत आदरपूर्ण और संयत भाषा में की जाएगी।

(6) प्रत्येक शिकायत हिन्दी में अथवा अंग्रेजी में की जाएगी। यदि कोई शिकायत किसी अन्य भारतीय भाषा में की जाती है, तो इसके साथ उसका हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद संलग्न करना होगा जिस पर शिकायतकर्ता को अपने हस्ताक्षर करने होंगे।

[1]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 13.8.2015, पैरा संख्या 2295 द्वारा जोड़ा गया।

(7) किसी व्यक्ति द्वारा की गई प्रत्येक शिकायत पर अध्यक्ष को शिकायत अग्रेषित करने वाले सदस्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे।।

(8) यदि शिकायतकर्ता द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी।

(9) अपुष्ट मीडिया रिपोर्टों पर आधारित शिकायत को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(10) आचार समिति किसी न्यायाधीन मामले पर विचार नहीं करेगी और इन नियमों के प्रयोजनार्थ समिति का यह निर्णय कि यह मामला न्यायाधीन है अथवा नहीं, अंतिम माना जाएगा।

आचार तथा अन्य दुराचरण के प्रश्न को समिति को प्रेषित करने संबंधी लोक सभा अध्यक्ष की शक्ति।

233ख. इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष लोक सभा में किसी सदस्य के अनीतिपूर्ण आचरण के संबंध में किसी प्रश्न को जांच, अन्वेषण और प्रतिवेदन हेतु आचार समिति को भेज सकता/सकती है।

अध्याय 21

अधीनस्थ विधान

विनियम, नियम आदि का पटल पर रखा जाना।

234.(1) जब संविधान के या संसद द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में बनाए गए विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि सभा के सामने रखी जाए, तो संविधान या तत्संगत अधिनियम में उल्लिखित कालावधि जिसके लिए उसके रखे जाने की अपेक्षा हो, सभा के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने तथा बाद में सत्रावसान होने से पहले पूरी की जाएगी, तब तक कि संविधान या संगत अधिनियम में अन्यथा उपबंधित न हो।

(2) जब उल्लिखित कालावधि इस तरह पूरी न हो, तो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि अनुवर्ती सत्र या सत्रों में पुनः रखे जाएंगे जब तक कि कथित कालावधि एक सत्र में पूरी न हो जाए।

विनियमों, नियमों आदि में संशोधनों पर विचार के लिये समय का नियतन।

235. अध्यक्ष द्वारा सदन-नेता के परामर्श से, ऐसे विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि के किसी संशोधन पर, जिसकी किसी सदस्य द्वारा सूचना दी जाए, विचार करने और उसे पारित करने के लिए, एक या अधिक दिन या दिन का कोई भाग जैसाकि वह ठीक समझे, निश्चित किया जाएगा:

परन्तु संशोधन की सूचना ऐसे रूप में होगी, जैसा कि अध्यक्ष समुचित समझे और उसमें इन नियमों का पालन किया जाएगा।

राज्य सभा को संशोधन भेजना।

236. संशोधन सभा द्वारा पारित किए जाने के बाद, राज्य सभा को उसकी सहमति के लिए पहुंचाया जाएगा और राज्य सभा संशोधन की स्वीकृति का संदेश प्राप्त होने पर वह महासचिव द्वारा संबंधित मंत्री को भेजा जाएगा।

राज्य सभा द्वारा लौटाया गया संशोधन।

237. यदि राज्य सभा, सभा द्वारा पारित संशोधन से असहमत हो या उसे उसके अग्रेतर संशोधन के अधीन स्वीकार करे या उसके स्थान में अन्य संशोधन प्रस्तावित करे, तो सभा या तो संशोधन को

छोड़ सकेगी या प्रस्तावित संशोधन में राज्य सभा से सहमत हो सकेगी या सभा द्वारा पारित मूल संशोधन पर आग्रह कर सकेगी। प्रत्येक दशा में राज्य सभा को संदेश भेजा जाएगा और यदि सभा, राज्य सभा द्वारा अग्रेतर संशोधित संशोधन से सहमत हो तो संशोधित संशोधन महासचिव द्वारा संबंधित मंत्री को भेजा जाएगा।

सदनों के बीच असहमति।

238. यदि सभा द्वारा पारित मूल संशोधन से राज्य सभा सहमत हो जाए, तो वह महासचिव द्वारा संबंधित मंत्री को भेजा जाएगा, किन्तु यदि राज्य सभा असहमत हो या ऐसे संशोधन पर आग्रह करे जिससे सभा सहमत न हुई हो तो समझा जाएगा कि दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं और उस पर सब अग्रेतर कार्यवाही छोड़ दी जाएगी।

विनियम, नियम आदि का संशोधित रूप में पटल पर रखा जाना।

239. यदि किसी विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि में सदनों द्वारा पारित संशोधन के अनुसार रूप भेद किया जाए तो संशोधित विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि पटल पर रखे जाएंगे।

[अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के नियमों के लिए इस नियमावली का अध्याय 26 **देखिए**]

अध्याय 22

सभा के स्थानों का त्याग तथा उनकी रिक्तता

सभा में स्थानों का त्याग।

240. (1) ऐसे किसी सदस्य द्वारा, जो सभा में अपने स्थान का त्याग करना चाहे सभा में अपने स्थान का त्याग करने के विचार की सूचना अध्यक्ष को संबोधित अपने स्वयं का हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा निम्न रूप में दी जाएगी और पदत्याग के लिए कोई कारण नहीं दिया जाएगा।

'सेवा में,

अध्यक्ष,
लोक सभा,
नई दिल्ली।

महोदया/महोदय,

मैं, एतद्द्वारा.....से सभा में अपने स्थान से पदत्याग करता/करती हूं।

भवदीय,

स्थान.....तिथि..... सभा सदस्य':

परन्तु जब कोई सदस्य कोई कारण दे या कोई बाह्य विषय का उल्लेख करे तो अध्यक्ष द्वारा अपने, स्वविवेक का प्रयोग करते हुए ऐसे शब्दों, वाक्यांशों या विषय का लोप किया जाएगा और उन्हें सभा में नहीं पढ़ा जाएगा।

(1क) यदि कोई सदस्य अपना त्यागपत्र व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष को देता/देती है और सूचित करता/करती है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक एवं स्वाभाविक है एवं अध्यक्ष को इसके विपरीत कोई सूचना अथवा जानकारी न हो, तो अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र तत्काल स्वीकार कर लिया जाएगा।

(1ख) यदि त्यागपत्र अध्यक्ष को डाक द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति के जरिए प्राप्त होता है, तो अध्यक्ष द्वारा इस बात का समाधान करने के लिए कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और स्वाभाविक है, ऐसी जांच जो भी आवश्यक समझी जाए, की जा सकती है। यदि अध्यक्ष का स्वयं अपने द्वारा अथवा लोक सभा सचिवालय द्वारा अथवा किसी अन्य ऐसे अभिकरण द्वारा, जैसा अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझा जाए, की गई संक्षिप्त जांच के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक अथवा स्वाभाविक नहीं है तो अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(1ग) सदस्य द्वारा अपना त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने से पूर्व किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।

(2) अध्यक्ष द्वारा सदस्य का त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र सभा को सूचित किया जाएगा कि अमुक सदस्य ने अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया है और ऐसे त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है।

व्याख्या—यदि सभा का सत्र न चल रहा हो तो अध्यक्ष द्वारा सभा के पुनः समवेत होते ही सभा को इसकी सूचना दी जाएगी।

(3) अध्यक्ष द्वारा सदस्य का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात् महासचिव द्वारा, यथासम्भव शीघ्र, वह जानकारी बुलेटिन तथा गजट में प्रकाशित कराई जाएगी तथा अधिसूचना की एक प्रति निर्वाचन आयोग को इस प्रकार हुई रिक्तता की पूर्ति हेतु कार्रवाई करने के लिए भेजी जाएगी:

परन्तु जब त्यागपत्र आगे की किसी तिथि से लागू होना है तो सूचना इसके लागू होने की तिथि से पूर्व बुलेटिन और गजट में प्रकाशित नहीं की जाएगी।

सभा में स्थानों का रिक्त होना।

241. (1) संविधान के अनुच्छेद 101 के खंड (4) के अंतर्गत किसी सदस्य का स्थान सभा की अनुमति से सदन-नेता के या किसी ऐसे अन्य सदस्य के प्रस्ताव पर, जिसे इस संबंध में कृत्यों का प्रत्यायोजन किया गया हो, रिक्त घोषित किया जाएगा।

(2) यदि उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो महासचिव द्वारा यह जानकारी गजट में प्रकाशित कराई जाएगी और अधिसूचना की एक प्रति निर्वाचन आयोग को इस प्रकार हुई रिक्तता की पूर्ति हेतु कार्रवाई करने के लिए भेजी जाएगी।

अध्याय 23

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

अनुपस्थिति की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र।

242. (1) ऐसा सदस्य, जो संविधान के अनुच्छेद 101 के खंड (4) के अंतर्गत सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुज्ञा प्राप्त करना चाहे, अध्यक्ष को लिखित रूप में आवेदन-पत्र देगा/देगी।

(2) उपनियम (1) के अंतर्गत आवेदन-पत्र में उस कालावधि का उल्लेख होगा, जिसके लिए अनुपस्थिति की अनुमति अपेक्षित हो और उसमें ऐसी अनुपस्थिति की अनुमति के आरम्भ होने तथा समाप्त होने की तिथि और ऐसी अनुपस्थिति को अनुमति के आधार भी दर्शाए जाएंगे:

परन्तु किसी एक समय साठ दिन की कालावधि से अधिक की अनुपस्थिति की अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया जाएगा।

समिति को आवेदन-पत्रों का प्रस्तुतीकरण।

243. नियम 242 के अंतर्गत सारे आवेदन-पत्र "सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति" संबंधी समिति को निर्दिष्ट होंगे।

सभा का विनिश्चय सदस्य को संसूचित किया जाना।

244. अनुपस्थिति की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र के बारे में समिति की सिफारिश पर सभा द्वारा विनिश्चय व्यक्त किए जाने के पश्चात् महासचिव द्वारा यथासंभव शीघ्र, उस सदस्य को उसकी संसूचना दी जाएगी।

छुट्टी के असमाप्त भाग का व्यपगमन।

245. यदि कोई सदस्य, जिसे इन नियमों के अंतर्गत अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई हो, उस कालावधि के दौरान, जिसके लिए ऐसे सदस्य की अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई हो, सभा के सत्र में उपस्थित हो जाए तो सदस्य की पुनः उपस्थिति की तिथि से छुट्टी का असमाप्त भाग व्यपगत हो जाएगा।

[सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के नियमों के लिए इस नियमावली का अध्याय 26 **देखिए**]

अध्याय 24

राष्ट्रपति तथा सभा के बीच संसूचना

राष्ट्रपति से सभा को संसूचना।

246. राष्ट्रपति से सभा को संसूचना राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए हुए लिखित संदेश द्वारा अध्यक्ष को दी जाएगी या यदि राष्ट्रपति सभा की बैठक के स्थान से अनुपस्थित हो तो वह संदेश मंत्री के माध्यम से अध्यक्ष को भेजा जाएगा।

सभा से राष्ट्रपति को संसूचना।

247. सभा से राष्ट्रपति को संसूचना–

(1) सभा में प्रस्ताव किए जाने और स्वीकृत हो जाने के बाद औपचारिक समावेदन द्वारा; और

(2) अध्यक्ष के माध्यम से,

दी जाएगी।

अध्याय 25

सभा की गोपनीय बैठक

गोपनीय बैठक।

248. (1) सदन-नेता द्वारा प्रार्थना किए जाने पर अध्यक्ष द्वारा कोई दिन या उसका भाग सभा को गोपनीय बैठक के लिए निश्चित किया जाएगा।

(2) जब सभा की गोपनीय बैठक हो तो किसी बाहरी व्यक्ति को सभा-भवन, सभाकक्ष या दीर्घाओं में उपस्थित रहने की अनुज्ञा नहीं होगी:

परन्तु राज्य सभा के सदस्य अपनी दीर्घा में उपस्थित रह सकेंगे:

परन्तु यह और भी कि अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति सभा-भवन, सभाकक्ष या दीर्घाओं में उपस्थित रह सकेंगे।

कार्यवाही का वृत्तांत।

249. अध्यक्ष द्वारा किसी गोपनीय बैठक की कार्यवाही का वृत्तांत ऐसी रीति से निकलवाया जा सकेगा जो अध्यक्ष ठीक समझे परन्तु कोई अन्य उपस्थित व्यक्ति गोपनीय बैठक की किसी कार्यवाही या विनिश्चयों की, चाहे अंशत: अथवा पूर्णत: कोई टिप्पणी या अभिलेख नहीं रखेगा और न ऐसी कार्यवाही का वृत्तांत निकालेगा, न ही उसके वर्णन की चेष्टा करेगा।

अन्य प्रकरणों में प्रक्रिया।

250. गोपनीय बैठक के संबंध में अन्य सब प्रकरणों में प्रक्रिया ऐसे निदेशों के अनुसार होगी जो अध्यक्ष द्वारा दिए जाएं।

कार्यवाही के प्रकाशन पर लगे प्रतिबंध का हटाया जाना।

251. (1) जब यह समझा जाए कि किसी गोपनीय बैठक की कार्यवाही के बारे में गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता नहीं रही है तो अध्यक्ष की सहमति के अधीन रहते हुए, सदन-नेता या इस प्रकार प्राधिकृत किसी सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि गोपनीय बैठक के दौरान हुई सभा की कार्यवाही को अब गोपनीय न समझा जाए।

(2) उपनियम (1) के अंतर्गत प्रस्ताव के सभा द्वारा स्वीकार होने पर, महासचिव द्वारा गोपनीय बैठक की कार्यवाही का वृतांत

तैयार कराया जाएगा और उसे, यथासाध्य शीघ्र, ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति से प्रकाशित कराया जाएगा, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया जाए।

कार्यवाही या विनिश्चयों का प्रकट किया जाना।

252. नियम 251 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी गोपनीय बैठक की कार्यवाही या विनिश्चयों का किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी रीति से प्रकट किया जाना सभा के विशेषाधिकार का घोर हनन समझा जाएगा।

अध्याय 26

संसदीय समितियां

सामान्य नियम

संसदीय समिति।

253. इस अध्याय में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो "समिति" का तात्पर्य है और उसके अंतर्गत है नियम 2 के उपनियम (1) में परिभाषित "संसदीय समिति"।

समिति की नियुक्ति।

254. (1) समिति के सदस्य, प्रस्ताव किए जाने पर सभा द्वारा, यथास्थिति, नियुक्त या निर्वाचित अथवा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे।

(2) यदि कोई सदस्य संसदीय समिति में काम करने के लिए राजी न हो तो उसे समिति का/की सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा। प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि जिस सदस्य का नाम प्रस्तावित किया जा रहा है, वह समिति में सेवा करने के लिए राजी है या नहीं।

(3) समिति में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति, यथास्थिति, प्रस्ताव किए जाने पर सभा द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचन से अथवा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशन से की जाएगी, और ऐसी रिक्तता की पूर्ति के लिए नियुक्त या निर्वाचित या नामनिर्देशित कोई सदस्य उस कालावधि तक पद धारण करेगा/करेगी जिसके लिए सदस्य को, जिसके स्थान पर नैमित्तिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित या नामनिर्देशित किया गया है, सामान्यतया पदधारण करता/करती।

समिति की सदस्यता पर आपत्ति।

255. जब किसी सदस्य के किसी समिति में सम्मिलित किए जाने पर इस आधार पर आपत्ति की जाए कि उस सदस्य का इतना अधिक वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हित है कि उससे समिति द्वारा विचारणीय विषयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो प्रक्रिया निम्नलिखित होगी:

(क) ऐसे सदस्य द्वारा जिसने ऐसी आपत्ति की हो ऐसी आपत्ति का आधार तथा समिति के सामने आने वाले विषयों में प्रस्तावित सदस्य के आरोपित हित के स्वरूप को, चाहे वह वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हो सुतथ्यता कथित किया जाएगा;

(ख) आपत्ति का कथन किए जाने के बाद अध्यक्ष द्वारा समिति के लिए प्रस्तावित सदस्य को, जिसके विरुद्ध आपत्ति की गई हो, स्थिति बताने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा;

(ग) यदि तथ्यों के संबंध में विवाद हो तो अध्यक्ष द्वारा आपत्ति करने वाले सदस्य से तथा उस सदस्य से जिसकी समिति में नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति की गई हो अपने-अपने मामले के समर्थन में लिखित या अन्य साक्ष्य पेश करने की अपेक्षा की जा सकेगी;

(घ) अध्यक्ष द्वारा इस तरह दिये गये साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् विनिश्चय किया जाएगा, जो अंतिम होगा;

(ङ) जब तक अध्यक्ष द्वारा खण्ड (घ) के अधीन अपना विनिश्चय न किया गया हो तब तक ऐसा सदस्य, जिसकी समिति में नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति की गई हो, यदि निर्वाचित या नामनिर्देशित हो गया हो, तो समिति का सदस्य बना रहेगा/रहेगी और चर्चा में भाग लेगा/लेगी, किन्तु उसे मत देने का हक नहीं होगा; और

(च) यदि अध्यक्ष द्वारा यह ठहराया जाए कि जिस सदस्य की नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति की गई है उसका समिति के समक्ष विचाराधीन विषय में कोई वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हित है, तो सदस्य की समिति की सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाएगी:

परन्तु समिति की जिन बैठकों में ऐसा सदस्य उपस्थित था उनकी कार्यवाही अध्यक्ष के विनिश्चय द्वारा किसी भी तरह प्रभावित नहीं होगी।

व्याख्या—इस नियम के प्रयोजनों के लिए सदस्य का हित प्रत्यक्ष, वैयक्तिक या आर्थिक होना चाहिए और वह हित जनसाधारण या उसके किसी वर्ग या भाग के साथ सम्मिलित रूप में या राज्य की नीति के किसी विषय में न होकर उस व्यक्ति का, जिसके समिति में सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति की जाये, पृथक रूप से होना चाहिए।

अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित समिति की पदावधि।

256. अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित कोई समिति, जब तक इस अध्याय में निहित नियमों में अन्यथा निर्दिष्ट न हो अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट कालावधि के लिए या जब तक कोई नई समिति नामनिर्देशित न हो जाये, पद धारण करेगी।

[1][**समिति से पदत्याग।**

257. (1) किसी भी सदस्य द्वारा निम्नलिखित प्रपत्र में अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा समिति से अपने स्थान का त्याग किया जा सकेगा;

'सेवा में,

अध्यक्ष महोदय/महोदया,
लोक सभा,
नई दिल्ली।

महोदया/महोदय,

मैं एतद्द्वारा.....समिति की सदस्यता से तारीख.....से पदत्याग करता/करती हूं, जो (दिनांक).....से प्रभावी होगा।

भवदीय,

स्थान.....दिनांक..... (सदस्य का नाम)'

(2) यह पदत्याग त्यागपत्र में उल्लिखित तिथि से प्रभावी होगा।

(3) यदि त्यागपत्र में पदत्याग के प्रभावी होने की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है, तो यह पदत्याग की तिथि से प्रभावी होगा।

(4) यदि त्यागपत्र पर कोई तिथि नहीं है, तो यह पदत्याग लोक सभा सचिवालय में त्यागपत्र की प्राप्ति से प्रभावी होगा।][1]

समिति का/की सभापति।

258. (1) समिति के/की सभापति को अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जायेगा:

परन्तु उपाध्यक्ष यदि समिति का सदस्य/की सदस्य हो तो समिति का/की सभापति नियुक्त किया जायेगा/की जाएगी।

(2) यदि सभापति किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो तो अध्यक्ष द्वारा उसके स्थान पर अन्य सभापति नियुक्त किया जा सकेगा।

(3) यदि सभापति किसी बैठक से अनुपस्थित हो तो समिति किसी अन्य सदस्य को उस बैठक में सभापति का कार्य करने के लिए चुनेगी।

समिति में गणपूर्ति।

259. (1) समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति समिति के सदस्यों की समस्त संख्या का, यथासम्भव एक तिहाई के निकट होगी।

---

[1]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) यदि समिति की किसी बैठक के लिए निश्चित समय पर, या यदि बैठक के दौरान किसी समय गणपूर्ति न हो तो समिति के सभापति द्वारा या तो उस बैठक को गणपूर्ति होने तक निलम्बित रखा जाएगा या उस बैठक को किसी आगामी दिन के लिए स्थगित किया जाएगा।

(3) जब समिति उपनियम (2) के अनुसरण में, समिति की बैठकों के लिए निश्चित की गई लगातार दो तिथियों को स्थगित की जा चुकी हो, तो सभापति द्वारा उस तथ्य की सूचना सभा को दी जाएगी:

परन्तु जब समिति अध्यक्ष द्वारा नियुक्त की गई हो तो सभापति द्वारा ऐसे स्थगन के तथ्य की सूचना अध्यक्ष को दी जाएगी।

समिति की बैठकों से अनुपस्थित सदस्यों को हटाया जाना।

260. यदि कोई सदस्य समिति की लगातार दो या अधिक बैठकों से सभापति की अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित रहे तो ऐसे सदस्य को समिति से हटाने के लिए सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा:

परन्तु जब समिति के सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएं तो सदस्य को अध्यक्ष द्वारा हटाया जा सकेगा।

समिति में निर्णय।

261. समिति की किसी बैठक में सब प्रश्न उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्धारित किए जाएंगे।

सभापति का निर्णायक मत।

262. किसी विषय पर मत समता की अवस्था में सभापति या सभापतित्व करने वाले व्यक्ति का दूसरा या निर्णायक मत होगा।

उपसमितियां नियुक्त करने की शक्ति।

263. (1) समिति किन्हीं ऐसे विषयों की, जो उसे निर्दिष्ट किए जाएं, जांच करने के लिए एक या अधिक उपसमितियां नियुक्त कर सकेगी, जिनमें से प्रत्येक को अविभक्त समिति की शक्तियां प्राप्त होंगी और ऐसी उपसमितियों के प्रतिवेदन सम्पूर्ण समिति के प्रतिवेदन समझे जाएंगे, यदि वे सम्पूर्ण समिति की किसी बैठक में अनुमोदित हो जाएं।

(2) उपसमिति को निर्देश के आदेश में अनुसंधान के विषय या विषयों का स्पष्टतया उल्लेख किया जाएगा। उपसमिति के प्रतिवेदन पर सम्पूर्ण समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

समिति की बैठकें।

264. समिति की बैठकें ऐसे दिन और ऐसे समय पर होंगी जो समिति का सभापति द्वारा निश्चित किया जाए:

परन्तु यदि समिति का सभापति तत्काल उपलब्ध न हो, तो महासचिव द्वारा बैठक की तिथि और समय निश्चित किया जा सकेगा:

परन्तु यह और भी कि यदि विधेयक संबंधी प्रवर समिति या संयुक्त समिति के मामले में समिति का/की सभापति तत्काल उपलब्ध नहीं हो, तो महासचिव द्वारा उस मंत्री के परामर्श से, जिसके मंत्रालय का विधेयक से संबंध हो, बैठक की तिथि और समय निश्चित किया जा सकेगा।

जिस समय सभा की बैठक हो रही हो उस समय भी समिति की बैठक हो सकेगी।

265. जिस समय सभा की बैठक हो रही हो उस समय भी समिति की बैठक हो सकेगी, परन्तु सभा में विभाजन की मांग की जाने पर समिति के सभापति द्वारा समिति की कार्यवाही को ऐसे समय के लिए निलम्बित किया जाएगा जिसके भीतर, सभापति की राय में, सदस्य विभाजन में मत दे सकें।

समिति की गुप्त रूप में बैठकें।

266. समिति की बैठकें गुप्त रूप से होंगी।

बैठकों का स्थल।

267. समिति की बैठकें संसद भवन के परिसर में होंगी और यदि बैठक या स्थान संसद भवन के बाहर बदलना आवश्यक हो जाए तो यह विषय अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

जब समिति विचार-विमर्श कर रही हो तो अजनबी बाहर चले जायेंगे।

268. जब कभी समिति विचार-विमर्श कर रही हो तो समिति के सदस्यों तथा लोक सभा सचिवालय के पदाधिकारियों के अतिरिक्त सब व्यक्ति बाहर चले जाएंगे।

साक्ष्य लेने अथवा दस्तावेज मंगाने की शक्ति।

269. (1) कोई साक्षी महासचिव के हस्ताक्षरित आदेश द्वारा आहूत किया जा सकेगा और वह ऐसे दस्तावेज पेश करेगा जो समिति के उपयोग के लिए आवश्यक हों।

(2) यह समिति के स्वविवेक पर निर्भर होगा कि उसके सामने दिए गए साक्ष्य को वह गोपनीय या गुप्त समझे।

(3) समिति के समक्ष रखा गया कोई दस्तावेज समिति के ज्ञान और अनुमोदन के बिना न तो वापस लिया जाएगा और न उसमें फेरबदल किया जाएगा।

व्यक्तियों को बुलाने तथा पत्रों और अभिलेखों को मंगाने की शक्ति।

270. समिति को व्यक्तियों को बुलाने तथा पत्रों और अभिलेखों को मंगाने की शक्ति होगी:

परन्तु यदि कोई प्रश्न उठता है कि किसी व्यक्ति या साक्ष्य या किसी दस्तावेज का पेश किया जाना समिति के प्रयोजनों के लिए संगत है या नहीं, तो वह प्रश्न अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा:

परन्तु यह और भी कि सरकार किसी दस्तावेज को पेश करने से इस आधार पर इंकार कर सकेगी कि उसका प्रकट किया जाना राज्य की सुरक्षा या हित के प्रतिकूल होगा।

साक्षी के लिए वकील।

271. कोई समिति, अध्यक्ष के निदेश के अंतर्गत, किसी साक्षी को अपनी बात किसी ऐसे वकील द्वारा कहलवाने की अनुज्ञा दे सकेगी जो साक्षी द्वारा नियुक्त तथा समिति द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

शपथ पर साक्ष्य।

272. (1) कोई समिति अपने समक्ष परीक्षित साक्षी को शपथ या प्रतिज्ञान करा सकेगी।

(2) शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप निम्नलिखित होगा:

"मैं, अमुक $\frac{\text{ईश्वर की शपथ लेता/लेती हूं}}{\text{सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूं}}$

कि मैं इस मामले में जो साक्ष्य दूंगा/दूंगी वह सच्चा होगा, मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा/छिपाऊंगी और मेरे साक्ष्य का कोई अंश झूठा नहीं होगा।"

साक्षियों की जांच।

273. समिति के सामने साक्षियों की जांच निम्न प्रकार से की जाएगी:

(एक) समिति, किसी साक्षी को जांच के लिए बुलाये जाने से पूर्व प्रक्रिया की रीति को तथा ऐसे प्रश्नों के स्वरूप को विनिश्चित करेगी जो साक्षी से पूछे जा सकेंगे।

(दो) समिति के सभापति द्वारा इस नियम के खंड (1) में उल्लिखित प्रक्रिया की रीति के अनुसार साक्षी से पहले ऐसा प्रश्न या ऐसे प्रश्न पूछे जा सकेंगे जो विचाराधीन विषय या तत्संबंधी किसी विषय के संबंध में आवश्यक समझे जाएं।

(तीन) सभापति द्वारा एक-एक करके समिति के अन्य सदस्यों से कोई अन्य प्रश्न पूछने के लिए कहा जा सकेगा।

(चार) साक्षी से समिति के सामने कोई ऐसी अन्य संगत बातें रखने के लिए कहा जा सकेगा जो पहले न आ चुकी हों और जिन्हें साक्षी समिति के सामने रखना आवश्यक समझता हो।

(पांच) जब किसी साक्षी को साक्ष्य देने के लिए आहूत किया जाए तो समिति की कार्यवाही का शब्दशः अभिलेख रखा जाएगा।

(छह) समिति के सामने दिया गया साक्ष्य समिति के सब सदस्यों को उपलब्ध किया जा सकेगा।

विनिश्चयों का अभिलेख।

274. समिति के विनिश्चयों का अभिलेख रखा जाएगा और सभापति के निदेश के अधीन समिति के सदस्यों में परिचालित किया जाएगा।

साक्ष्य, प्रतिवेदन तथा कार्यवाही का गोपनीय समझा जाना।

275. (1) समिति निदेश दे सकेगी कि सम्पूर्ण साक्ष्य या उसका कोई अंश अथवा उसका सारांश पटल पर रख दिया जाए।

(2) कोई भी व्यक्ति, अध्यक्ष द्वारा दिए गए प्राधिकार के सिवाय मौखिक या लिखित साक्ष्य के किसी अंश का, अथवा समिति के प्रतिवेदन या उसकी कार्यवाही का, जो पटल पर न रखी गई हो, निरीक्षण नहीं कर सकेगा।

(3) किसी संसदीय समिति के सामने दिया गया साक्ष्य संसदीय समिति के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक प्रकाशित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह पटल पर न रख दिया गया हो:

परन्तु अध्यक्ष द्वारा अपने स्वविवेक का उपयोग करते समय निदेश दिया जा सकेगा कि उसे सभा पटल पर औपचारिक रूप से रखे जाने से पहले सदस्यों को गुप्त रूप से उपलब्ध करा दिया जाए।

विशेष प्रतिवेदन।

276. कोई संसदीय समिति, यदि वह ठीक समझे, किसी ऐसे विषय पर, जो उसके कार्य के दौरान उत्पन्न हो या प्रकाश में आये और जिसे समिति अध्यक्ष या सभा के ध्यान में लाना आवश्यक समझे, विशेष प्रतिवेदन दे सकेगी, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा विषय समिति के निदेश पदों से प्रत्यक्षतया संबंधित नहीं है या उनके भीतर नहीं आता या उनसे आनुषंगिक नहीं है।

समिति का प्रतिवेदन।

277. (1) जब सभा ने प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के लिए कोई समय, निश्चित न किया हो तो प्रतिवेदन उस तिथि से एक मास के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा जिस तिथि को समिति को निर्देश किया गया था:

परन्तु सभा किसी भी समय, प्रस्ताव किए जाने पर निदेश दे सकेगी कि समिति द्वारा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के लिए समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाए।

(2) प्रतिवेदन या तो प्रारंभिक हो सकेंगे या अन्तिम।

(3) समिति के प्रतिवेदन पर समिति की ओर से सभापति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे:

परन्तु यदि सभापति अनुपस्थित हो या तत्काल उपलब्ध न हो तो समिति द्वारा प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए समिति का कोई अन्य सदस्य चुना जाएगा/चुनी जाएगी।

प्रस्तुतीकरण से पहले प्रतिवेदन का सरकार को उपलब्ध किया जाना।

278. समिति, यदि वह ठीक समझे, अपने प्रतिवेदन के किसी पूरे भाग को सभा में प्रस्तुत करने से पहले सरकार को उपलब्ध करा सकेगी। ऐसे प्रतिवेदन, जब तक कि वे सभा में प्रस्तुत न किए जाएं, गुप्त समझे जाएंगे।

प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण।

279. (1) समिति का प्रतिवेदन सभा में सभापति द्वारा या सभापति की अनुपस्थिति में समिति के किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय सभापति की अनुपस्थिति में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले सदस्य द्वारा यदि कोई अभ्युक्ति की जाए तो उसे संक्षिप्त तथ्य कथन किए जाने तक सीमित रखा जाएगा, किन्तु उस कथन पर कोई वाद-विवाद इस अवसर पर नहीं किया जाएगा।

प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण से पहले मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन।

280. अध्यक्ष द्वारा, प्रार्थना किए जाने पर और जब सभा सत्र में न हो तो किसी समिति के प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन का आदेश दिया जाएगा यदि वह सभा में प्रस्तुत न किया गया हो। उस अवस्था में प्रतिवेदन सभा में उसके आगामी सत्र के दौरान प्रथम सुविधाजनक अवसर पर प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रक्रिया पर सुझाव देने की शक्ति।

281. किसी समिति को उस समिति से संबंधित प्रक्रिया के विषयों पर अध्यक्ष के विचारार्थ संकल्प पारित करने की शक्ति होगी, जो प्रक्रिया में ऐसे परिवर्तन कर सकेगा जिन्हें अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझा जाए।

विस्तृत नियम बनाने की शक्ति।

282. कोई समिति अध्यक्ष के अनुमोदन से इस अध्याय के नियमों में निहित उपबंधों को पूरा करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया के नियम बना सकेगी।

अध्यक्ष की निदेश देने की शक्ति।

283. (1) अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर समिति के सभापति को ऐसे निदेश दिए जा सकेंगे जो अध्यक्ष द्वारा उसकी प्रक्रिया के विनियमन तथा उसके कार्य संगठन के लिए आवश्यक समझे जाएं।

(2) यदि प्रक्रिया के किसी प्रश्न पर या अन्य प्रकार का कोई संदेह उत्पन्न हो तो सभापति द्वारा यदि ठीक समझा जाए, उस प्रश्न को अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जा सकेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

सभा के सत्रावसान पर समिति के समक्ष लम्बित कार्य व्यपगत नहीं होगा।

284. किसी समिति के समक्ष लंबित कोई कार्य केवल सभा के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा और इस प्रकार सत्रावसान होने पर भी समिति कार्य करती रहेगी।

समितियों का असमाप्त काम।

285. कोई समिति जो अपना कार्यकाल पूरा होने या सभा के विघटन से पहले अपना काम पूरा न कर सके, सभा को सूचित कर सकेगी कि समिति अपना काम पूरा नहीं कर सकी है। कोई प्रारंभिक प्रतिवेदन, ज्ञापन या टिप्पणी जो समिति ने तैयार की हो या कोई साक्ष्य जो समिति ने लिया हो, नई समिति को उपलब्ध कराया जाएगा।

सामान्य नियमों का समितियों पर लागू होना।

286. उन विषयों को छोड़कर जिनके लिए किसी विशेष समिति से संबंधित नियमों में विशेष उपबन्ध किया जाए, इस अध्याय के सामान्य नियम सभी समितियों पर लागू होंगे; और यदि जहां तक किसी समिति से संबंधित विशिष्ट नियमों में कोई उपबन्ध सामान्य नियमों से असंगत हों तो पूर्वोक्त नियम लागू होंगे।

कार्य-मंत्रणा समिति

गठन।

287. अध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, सभा के प्रारम्भ पर या समय-समय पर कार्य-मंत्रणा समिति नामक एक समिति नामनिर्देशित की जा

सकेगी जिसमें अध्यक्ष को मिलाकर, जो समिति का/की सभापति होगा/होगी, पन्द्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

कृत्य।

288. (1) समिति का यह कृत्य होगा कि वह ऐसे सरकारी विधेयकों के प्रक्रम या प्रक्रमों तथा अन्य कार्य पर चर्चा के लिए समय के बंटवारे की सिफारिश करे जिन्हें अध्यक्ष द्वारा सदन-नेता के परामर्श से समिति को सौंपे जाने का निदेश दिया जाए।

(2) समिति को प्रस्तावित समय-सूची में यह दर्शाने की शक्ति होगी कि विधेयक के विभिन्न प्रक्रम तथा अन्य कार्य किस-किस समय पूरे होंगे।

(3) समिति ऐसे अन्य कृत्य करेगी जो अध्यक्ष द्वारा उसे समय-समय पर सौंपे जाएं।

व्याख्या—इस नियम तथा नियम 290क और 291 में उल्लिखित 'अन्य कार्य' शब्द से तात्पर्य नियम 65 के अन्तर्गत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और नियम 170 के अंतर्गत गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों को छोड़कर अन्य कार्य से है।

प्रतिवेदन।

289. समिति की सिफारिशें सभा को प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत की जाएंगी।

सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद प्रस्ताव।

290. प्रतिवेदन के सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद किसी भी समय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि सभा प्रतिवेदन को स्वीकार करती है या संशोधनों के साथ स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है:

परन्तु यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन या तो बिना परिसीमा के या किसी विशेष विषय के संबंध में समिति को वापस भेज दिया जाए:

परन्तु यह और भी कि प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आधे घंटे से अधिक समय नियत नहीं किया जाएगा और कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव पर पांच मिनट से अधिक नहीं बोलेगा/बोलेगी।

समय के नियतन के आदेश की अधिसूचना।

290क. विधेयकों तथा अन्य कार्य के विषय में सभा द्वारा अनुमोदित समय का बंटवारा ऐसे लागू होगा जैसे कि वह सभा का आदेश हो और वह लोक सभा समाचार में अधिसूचित कर दिया जाएगा।

निश्चित समय पर अवशिष्ट विषयों का निपटारा।

291. अध्यक्ष द्वारा विधेयक के किसी विशेष प्रक्रम या अन्य कार्य को पूरा करने के लिए समय के नियतन के आदेश के अनुसार निश्चित समय पर विधेयक के उस प्रक्रम या अन्य कार्य के संबंध में सभी अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखा जाएगा।

समय के नियतन के आदेश में परिवर्तन।

292. समय के नियतन के आदेश में कोई परिवर्तन अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव किए जाने और उसके सभा द्वारा स्वीकार किए जाने के अतिरिक्त नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह कि अध्यक्ष द्वारा सभा का अभिप्राय जानकर, कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किए बिना, समय को एक घंटे से अनधिक बढ़ाया जा सकेगा।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

गठन।

293. (1) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी एक समिति होगी जिसमें पन्द्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

(2) समिति अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित की जाएगी और एक वर्ष तक पद धारण करेगी।

कृत्य।

294. (1) समिति के ये कृत्य होंगे–

(क) विधेयक के पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव को कार्य-सूची में सम्मिलित करने से पूर्व प्रत्येक ऐसे विधेयक की जांच करना जो संविधान में संशोधन करने वाला हो और जिसकी सूचना गैर-सरकारी सदस्य द्वारा दी गई हो;

(ख) गैर-सरकारी सदस्यों के सभी विधेयकों की, उन्हें पुर:स्थापित किए जाने के बाद तथा सभा में उन पर विचार किए जाने से पूर्व, जांच करना और उन्हें उनके स्वरूप, अविलम्बनीयता तथा महत्व के अनुसार दो वर्गों अर्थात् वर्ग 'क' तथा वर्ग 'ख' में वर्गीकृत करना;

(ग) यह सिफारिश करना कि गैर-सरकारी सदस्यों के प्रत्येक विधेयक के प्रक्रम या प्रक्रमों पर चर्चा के लिए कितना समय नियत किया जाना चाहिए और इस प्रकार तैयार की गई समय-सूची में यह

भी दर्शाना कि दिन में किस-किस समय पर विधेयक के विभिन्न प्रक्रम पूरे होंगे;

(घ) गैर-सरकारी सदस्यों के प्रत्येक विधेयक की जांच करना जिसका सभा में इस आधार पर विरोध किया जाये कि विधेयक द्वारा ऐसे विधान का सूत्रपात होता है जो सभा की विधायिनी सक्षमता से परे है और अध्यक्ष द्वारा ऐसी आपत्ति को ऊपरी दृष्टि से ठीक समझा जाए;

(ङ) गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों और सहायक विषयों की चर्चा के लिये समय-सीमा की सिफारिश करना।

(2) समिति गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों के संबंध में अन्य ऐसे कृत्य करेगी जो उसे अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।

सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद प्रस्ताव।

295. प्रतिवेदन के सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के बाद किसी समय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि सभा प्रतिवेदन को स्वीकार करती है या संशोधनों के साथ स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है:

परन्तु यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन या तो बिना परिसीमा के या किसी विशेष विषय के संबंध में समिति को वापस भेज दिया जाए:

परन्तु यह और भी कि प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आधे घंटे से अधिक समय नियत नहीं किया जायेगा और कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव पर पांच मिनट से अधिक नहीं बोलेगा/बोलेगी।

वर्गीकरण और समय का नियतन।

296. विधेयकों का सभा द्वारा अनुमोदित वर्गीकरण और विधेयकों तथा संकल्पों के संबंध में समय का नियतन ऐसे लागू होगा जैसे कि वह सभा का आदेश हो।

निश्चित समय पर अवशिष्ट विषयों का निपटारा।

297. अध्यक्ष द्वारा समय नियतन के आदेश के अनुसार निश्चित समय पर विधेयक या संकल्प के किसी खास प्रक्रम की समाप्ति के संबंध में सभी अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखा जाएगा।

विधेयकों पर प्रवर समितियां

गठन।

298. किसी विधेयक की प्रवर समिति के सदस्य, सभा द्वारा तब नियुक्त किये जायेंगे जब यह प्रस्ताव किया जाये कि विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाये।

बैठकों में अन्य सदस्यों की उपस्थिति।

299. जो सदस्य प्रवर समिति के सदस्य नहीं हैं वे समिति के पर्यालोचन के दौरान उपस्थित रह सकेंगे किन्तु वे न तो समिति को सम्बोधित करेंगे और न समिति के सदस्यों में बैठेंगे:

परन्तु सभापति की अनुज्ञा से मंत्री द्वारा उस समिति को सम्बोधित किया जा सकेगा जिसका कि वह मंत्री सदस्य न हो।

संशोधनों की सूचना और सामान्य रूप में प्रक्रिया।

300. (1) यदि प्रस्तावित संशोधन की सूचना प्रवर समिति द्वारा विधेयक लिये जाने के दिन से पूर्व न दी गई हो, तो कोई भी सदस्य संशोधन के प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा और यदि सभापति द्वारा संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति न दी जाए, तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।

(2) अन्य प्रकरणों में, प्रवर समिति में प्रक्रिया ऐसे अनुकूलनों के साथ जो चाहे रूपभेद के हों, अथवा कोई अंश जोड़कर या निकालकर किये गये हों, जैसा कि अध्यक्ष आवश्यक या सुविधाजनक समझा जाए, यथासाध्य वही होगी जिसका सभा में विधेयक के विचार प्रक्रम के दौरान अनुसरण किया जाता है।

अन्य सदस्यों द्वारा संशोधनों की सूचना।

301. जब कोई विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जा चुका हो तो विधेयक के किसी खंड के संशोधन की किसी सदस्य द्वारा दी गई सूचना समिति को सौंपी गई समझी जायेगी, परन्तु यदि संशोधन की सूचना किसी ऐसे सदस्य से प्राप्त हुई हो जो प्रवर समिति का सदस्य नहीं है तो ऐसे संशोधन समिति द्वारा तब तक नहीं लिये जायेंगे जब तक कि वे समिति के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत न किये गये हों।

साक्ष्य लेने की शक्ति।

302. प्रवर समिति विशेषज्ञी साक्ष्य को और उन विशेष हितों के प्रतिनिधियों के बयान सुन सकेगी जिन पर उसके समक्ष विद्यमान विधान का प्रभाव पड़ता हो।

प्रतिवेदन।

303. (1) किसी विधेयक के प्रवर समिति को सौंपे जाने के बाद यथासम्भव शीघ्र प्रवर समिति विधेयक पर विचार करने के लिये

नियम 264 के अनुसार समय-समय पर समवेत होगी और सभा द्वारा निश्चित समय के भीतर उस पर प्रतिवेदन देगी:

परन्तु जब सभा ने प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के लिए कोई समय निश्चित न किया हो तो प्रतिवेदन उस तिथि से तीन मास की समाप्ति से पहले प्रस्तुत कर दिया जाएगा जिस तिथि को सभा ने प्रवर समिति को विधेयक सौंपे जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था:

परन्तु यह और भी कि सभा किसी भी समय, प्रस्ताव किये जाने पर, निदेश दे सकेगी कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के लिये समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाये।

(2) प्रवर समिति अपने प्रतिवेदन में यह बतायेगी कि इन नियमों के निदेश के अनुसार विधेयक का प्रकाशन हो गया है या नहीं और प्रकाशन किस तिथि को हुआ है।

(3) जब विधेयक में फेरबदल की गई हो, तो प्रवर समिति, यदि ठीक समझे, अपने प्रतिवेदन में विधेयक के प्रभारी सदस्य के लिये यह सिफारिश सम्मिलित कर सकेगी कि ऐसे सदस्य का अगला प्रस्ताव परिचालन का प्रस्ताव होना चाहिए अथवा जब विधेयक पहले ही परिचालित किया जा चुका हो तो पुन: परिचालन का।

(4) प्रवर समिति के किसी भी सदस्य द्वारा विधेयक से संबंधित या प्रतिवेदन में दिये गये किसी विषय या विषयों पर विमत टिप्पण अभिलिखित किया जा सकेगा।

(5) विमत टिप्पण संयत और शिष्ट भाषा में लिखा जायेगा और उसमें न तो प्रवर समिति में की गई चर्चा का उल्लेख किया जायेगा और न ही समिति पर आक्षेप किया जायेगा।

(6) यदि अध्यक्ष की राय में किसी विमत टिप्पण में ऐसे शब्द, वाक्यांश या पदावलियां हों जो असंसदीय या अन्यथा अनुपयुक्त हों, तो अध्यक्ष द्वारा ऐसे शब्दों, वाक्यांशों या पदावलियों को विमत टिप्पण में से निकाल दिये जाने का आदेश दिया जा सकेगा।

प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण।

304. किसी विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन, विमत टिप्पण सहित, यदि कोई हो, सभा में सभापति द्वारा या सभापति की अनुपस्थिति में समिति के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रतिवेदन का मुद्रण तथा प्रकाशन।

305. महासचिव द्वारा प्रवर समिति के प्रत्येक प्रतिवेदन को मुद्रित कराया जाएगा और प्रतिवेदन की एक प्रति सभा के प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिये उपलब्ध कराई जाएगी। प्रतिवेदन तथा विधेयक प्रवर समिति द्वारा, प्रतिवेदित रूप में, गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति

गठन।

305क. (1) सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी एक समिति होगी जिसमें 15 से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

(2) समिति अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित की जायेगी और अधिक से अधिक एक वर्ष तक पद धारण करेगी।

कृत्य।

305ख. (1) समिति के कृत्य यह होंगे कि वह मंत्रियों द्वारा सभा पटल पर रखे गये सभी पत्रों की जांच करेगी और सभा को इन बातों के बारे में प्रतिवेदन देगी:–

(क) क्या संविधान, अधिनियम, नियम या विनियम के उन उपबंधों का पालन किया गया है, जिसके अंतर्गत पत्र सभा पटल पर रखा गया है;

(ख) क्या पत्रों को सभा पटल पर रखने में कुछ अनुचित विलम्ब हुआ है;

(ग) यदि ऐसा विलम्ब हुआ है तो क्या विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है और क्या वे कारण संतोषजनक हैं;

(घ) क्या पत्र के हिन्दी और अंग्रेजी दोनों संस्करण सभा पटल पर रखे गये हैं; और

(ङ) क्या हिन्दी संस्करण के सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों के बारे में विवरण दिया गया है और क्या वे कारण संतोषजनक हैं?

(2) समिति सभा पटल पर रखे गये पत्रों के संबंध में अन्य ऐसे कृत्य करेगी जो उसे अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं।

सभा पटल पर रखे गये पत्रों के बारे में सदन में चर्चा उठाने पर प्रतिबंध।

305ग. यदि कोई सदस्य नियम 305ख के उपनियम (1) में उल्लिखित किसी विषय पर कोई चर्चा उठाना चाहे तो वह उसके द्वारा समिति के पास भेजा जाएगा और उसके द्वारा ऐसा मामला सदन में नहीं उठाया जाएगा।

याचिका समिति

306. अध्यक्ष द्वारा यथास्थिति, सभा के प्रारम्भ पर, या समय-समय पर, एक याचिका समिति नाम-निर्देशित की जाएगी जिसमें पन्द्रह से कम सदस्य नहीं होंगे: **गठन।**

परन्तु किसी मंत्री को समिति का सदस्य नाम-निर्देशित नहीं किया जाएगा और जहां किसी सदस्य को समिति में नाम-निर्देशन के पश्चात् मंत्री नियुक्त कर दिया जाए तो ऐसा/ऐसी सदस्य ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का/की सदस्य नहीं रहेगा/रहेगी।

307. (1) समिति, उसे सौंपी गई प्रत्येक याचिका की जांच करेगी और यदि याचिका में इन नियमों का पालन किया गया हो, तो समिति निदेश दे सकेगी कि उसे परिचालित किया जाये। यदि याचिका के परिचालित किये जाने का निदेश दिया गया हो तो अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय यह निदेश दिया जा सकेगा कि याचिका को परिचालित किया जाए। **कृत्य।**

(2) याचिका उसके विस्तृत अथवा संक्षिप्त रूप में परिचालित की जायेगी जैसा कि यथास्थिति, समिति या अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया जाए।

(3) समिति का यह भी कर्तव्य होगा कि वह ऐसा साक्ष्य प्राप्त करने के बाद, जैसा कि वह ठीक समझे, उसे सौंपी गई याचिका में की गई विशिष्ट शिकायतें सभा को प्रतिवेदित करे और विचाराधीन मामले से संबंधित, ठोस रूप में या भविष्य में ऐसे मामले रोकने के लिए, प्रतिकारक उपायों का सुझाव दे।

[1क]**307क.** (1) समिति अपने स्वयं की पहल पर अथवा अनुरोध किए जाने पर याचिकाओं/अभ्यावेदनों के संबंध में विशेषज्ञों अथवा हितबद्ध पक्षकारों का साक्ष्य ले सकती है। **विशेषज्ञों, हितबद्ध पक्षकारों का साक्ष्य और जनता की राय लेना।**

(2) समिति याचिकाओं/अभ्यावेदनों पर प्रतिवेदन तैयार करने के लिए जनता की राय भी ले सकती है।

समिति के समक्ष उपस्थित होने की इच्छा अभिव्यक्त करने वाले साक्षी समिति के सदस्यों को परिचालनार्थ लिखित ज्ञापनों की पर्याप्त प्रतियों की आपूर्ति करेंगे जो अपनी बैठक में इस पर विचार कर सकते हैं और तत्पश्चात् इस संबंध में अभिनिश्चय करेंगे कि क्या ऐसे साक्षियों को समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है।

[1क]लोक सभा समाचार भाग-2 दिनांक 2.8.2017, पैरा संख्या 5673 द्वारा जोड़ा गया।

लोक लेखा समिति

कृत्य।

308. (1) भारत सरकार के व्यय के लिए सभा द्वारा अनुदत्त राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखों, भारत सरकार के वार्षिक वित्त लेखों और सभा के सामने रखे गये ऐसे अन्य लेखों की जांच के लिये, जो समिति ठीक समझे, एक लोक लेखा समिति होगी।

(2) भारत सरकार के विनियोग लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन की छानबीन करते समय समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान कर ले:-

(क) कि लेखों में व्यय के रूप में दिखाया गया धन उस सेवा या प्रयोजन के लिए विधिवत उपलब्ध और लगाए जाने योग्य था, जिसमें वह लगाया गया है या भारित किया गया है;

(ख) कि व्यय उस प्राधिकार के अनुसार है जिसके वह अधीन है; और

(ग) कि प्रत्येक पुनर्विनियोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्मित नियमों के अंतर्गत इस संबंध में किये गये उपबंधों के अनुसार किया गया है।

(3) समिति का यह भी कर्तव्य होगा:-

(क) राज्य निगमों, व्यापार तथा निर्माण योजनाओं, संस्थाओं और परियोजनाओं को आय तथा व्यय दिखाने वाले लेखा-विवरणों की तथा तुलन-पत्रों और लाभ तथा हानि के लेखों के ऐसे विवरणों की जांच करना जिन्हें तैयार करने की राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा की गई हो या जो किसी विशेष निगम, व्यापार या निर्माण-योजना या संस्था या परियोजना के लिये वित्त-व्यवस्था विनियमित करने वाले सांविधिक नियमों के उपबंधों के अंतर्गत तैयार किए गए हों और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करना;

(ख) स्वायत्तशासी तथा अर्ध-स्वायत्तशासी निकायों की आय तथा व्यय दिखाने वाले लेखा विवरण की जांच करना, जिसकी लेखा-परीक्षा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक द्वारा राष्ट्रपति के निदेशों के अंतर्गत या संसद की किसी संविधि के अनुसार की जा सके; और

(ग) उन मामलों में नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना जिसके संबंध में राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक तथा

महालेखा-परीक्षक से किन्हीं प्राप्तियों की लेखा-परीक्षा करने की या भंडार के और स्कंध के लेखों की परीक्षा करने की अपेक्षा की गई हो।

(4) यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उसके प्रयोजन के लिये सभा द्वारा अनुदत्त राशि से कुछ अधिक धन व्यय किया गया हो, तो समिति प्रत्येक मामले के तथ्यों के संबंध में उन परिस्थितियों की जांच करेगी जिसके कारण अधिक व्यय हुआ और ऐसी सिफारिशें करेगी जो वह ठीक समझे:

परन्तु समिति ऐसे सरकारी उपक्रमों के सम्बंध में, जो सरकारी उपक्रमों सम्बंधी समिति की इन नियमों द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये हों, अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं करेगी।

गठन।

309. (1) समिति में [बाईस से अनधिक सदस्य होंगे जिनमें से पन्द्रह सदस्य][2] सभा द्वारा प्रत्येक वर्ष उसके सदस्यों में से अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे [और समिति के साथ सहयोजित किये जाने के लिए राज्य सभा द्वारा उस सभा से सात से अनधिक सदस्य नाम-निर्दिष्ट किए जायेंगे][2क]:

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जाएगा या, यदि किसी सदस्य को समिति के लिए निर्वाचित होने के बाद मंत्री नियुक्त किया जाए तो ऐसा/ऐसी सदस्य ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का/की सदस्य नहीं रहेगा/रहेगी।

(2) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्राक्कलन समिति

कृत्य।

310. ऐसे प्राक्कलनों की परीक्षा के लिए, जो समिति को ठीक प्रतीत हों या जो उसे सभा या अध्यक्ष द्वारा विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट किए जाएं, एक प्राक्कलन समिति होगी। समिति के कृत्य ये होंगे:

(क) प्राक्कलनों से सम्बंधित नीति से संगत क्या मितव्ययता, संगठन में सुधार, कार्यपटुता या प्रशासनिक सुधार किये जा सकते हैं इस सम्बंध में प्रतिवेदित करना;

---

[2]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[2क]**वही**, जोड़ा गया।

(ख) प्रशासन में कार्यपटुता और मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना;

(ग) प्राक्कलनों में अन्तर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन ठीक ढंग से लगाया गया है या नहीं इसकी जांच करना; और

(घ) प्राक्कलन जिस रूप में संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे इसका सुझाव देना:

परन्तु समिति ऐसे सरकारी उपक्रमों के संबंध में, जो सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति को इन नियमों द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये हों, अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं करेगी।

गठन।

311. (1) समिति में तीस से अनधिक सदस्य होंगे, जो सभा द्वारा प्रत्येक वर्ष उसके सदस्यों में से अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे:

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जाएगा और यदि किसी सदस्य को समिति के लिए निर्वाचित होने के बाद, मंत्री नियुक्त किया जाए तो, वह ऐसा/ऐसी सदस्य ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का/की सदस्य नहीं रहेगा/रहेगी।

(2) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्राक्कलनों की जांच।

312. समिति प्राक्कलनों की जांच वित्तीय वर्ष भर समय-समय पर जारी रख सकेगी और जैसे-जैसे वह जांच करती जाए सभा को प्रतिवेदित कर सकेगी। समिति के लिए वह अनिवार्य नहीं होगा कि वह किसी एक वर्ष के सब प्राक्कलनों की जांच करे। इस बात के होते हुए भी कि समिति ने कोई प्रतिवेदन नहीं किया है, अनुदानों की मांगों पर अंतिम रूप से मतदान हो सकेगा।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

कृत्य।

312क. (1) चतुर्थ अनुसूची में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों के कार्य-संचालन की जांच करने के लिए एक सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति होगी। समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे:

(क) चतुर्थ अनुसूची में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखों की जांच करना;

(ख) सरकारी उपक्रमों के विषय में नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदनों की, यदि कोई हो, जांच करना;

(ग) सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में यह जांच करना कि क्या सरकारी उपक्रमों के कार्य समुचित व्यापार सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुरूप चल रहे हैं; और

(घ) चतुर्थ अनुसूची में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों के संबंध में लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति में निहित ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो उपरोक्त खंड (क), (ख) और (ग) के अंतर्गत न आते हों और जो समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे जाएं:

परन्तु समिति निम्नलिखित में से किसी के बारे में भी जांच और छानबीन नहीं करेगी, अर्थात्:

(एक) प्रमुख सरकारी नीति सम्बंधी मामले जो सरकारी उपक्रमों के व्यापार अथवा वाणिज्यिक कृत्यों से भिन्न हैं;

(दो) दिन-प्रतिदिन के प्रशासन सम्बंधी मामले;

(तीन) ऐसे मामले जिन पर विचार के लिए उस विशेष संविधि में व्यवस्था की गई है जिसके अंतर्गत कोई सरकारी उपक्रम विशेष स्थापित किया गया है।

312ख. (1) समिति में [बाईस से अनधिक सदस्य होंगे, जिनमें से पन्द्रह][3] सभा द्वारा प्रत्येक वर्ष उसके सदस्यों में से अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे [और समिति के साथ सहयोजित किये जाने के लिए राज्य सभा द्वारा उस सभा से सात से अनधिक सदस्य नाम-निर्दिष्ट किए जाएंगे][4]: **गठन।**

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जाएगा और यदि किसी सदस्य को, समिति के लिए निर्वाचित होने के बाद मंत्री नियुक्त किया जाए, तो ऐसा/ऐसी सदस्य ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का/की सदस्य नहीं रहेगा/रहेगी।

(2) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी:

[5][* * * * * *]

---

[3]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।
[4]**वही**, जोड़ा गया।
[5]**वही**, लोप किया गया।

विशेषाधिकार समिति

गठन।

313. यथास्थिति, सभा के प्रारम्भ पर या समय-समय पर, अध्यक्ष द्वारा एक विशेषाधिकार समिति नामनिर्देशित की जाएगी जिसमें पन्द्रह से अनधिक सदस्य होंगे।

कृत्य।

314. (1) समिति उसे सौंपे गये प्रत्येक प्रश्न की जांच करेगी और प्रत्येक मामले के तथ्यों के अनुसार यह निर्धारित करेगी कि किसी विशेषाधिकार का भंग अंतर्ग्रस्त है या नहीं और यदि है, तो किस स्वरूप का है और किन परिस्थितियों में हुआ है और ऐसी सिफारिशें करेगी जो वह ठीक समझे।

(2) प्रतिवेदन में यह भी बताया जा सकेगा कि सभा समिति द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने में किस प्रक्रिया का अनुसरण करे।

सभा द्वारा प्रतिवेदन पर विचार।

315. (1) प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने के बाद, सभापति या समिति के किसी सदस्य या किसी अन्य सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाए, जिसके बाद अध्यक्ष द्वारा प्रश्न को सभा के सामने रखा जा सकेगा।

(2) प्रश्न को सभा के सामने रखने से पूर्व अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव पर वाद-विवाद की अनुज्ञा दी जा सकेगी जिसकी अवधि आधे घंटे से अधिक नहीं होगी और ऐसे वाद-विवाद में प्रतिवेदन के ब्यौरे का उससे अग्रेतर निर्देश नहीं किया जाएगा जितना यह सिद्ध करने के लिए आवश्यक हो कि सभा द्वारा प्रतिवेदन पर विचार किया जाए।

(3) उपनियम (1) के अंतर्गत किये गये प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के बाद, यथास्थिति, सभापति या समिति के किसी सदस्य या किसी अन्य सदस्य द्वारा, प्रस्ताव किया जा सकेगा कि सभा प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों को स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है या संशोधनों के साथ स्वीकार करती है।

सभा द्वारा प्रतिवेदन पर विचार के लिए पूर्ववर्तिता।

316. ऐसे प्रस्ताव को कि विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाये, जब तक कि उसे लाने में अनुचित विलम्ब न हो गया हो, पूर्ववर्तिता प्रदान की जाएगी जो नियम 225 के उपनियम (1)

के अंतर्गत किसी विशेषाधिकार विषय के लिए नियत है:

परन्तु जब प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए पहले ही कोई तिथि निश्चित की जा चुकी हो, तो विशेषाधिकार विषय की पूर्ववर्तिता इस तरह निश्चित दिन को दी जाएगी।

आचार समिति[5क]

गठन। **316क.** (1) एक आचार समिति होगी जिसके सदस्यों की संख्या 15 से अनधिक होगी।

(2) समिति का गठन अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा और इस समिति का कार्यकाल एक वर्ष से अनधिक होगा।

कार्य। **316ख.** समिति:–

(क) अध्यक्ष द्वारा समिति को भेजी गयी लोक सभा के किसी सदस्य के अनीतिपूर्ण आचरण से संबंधित प्रत्येक शिकायत की जांच करेगी और ऐसी सिफारिशें करेगी जो वह उचित समझे।

(ख) सदस्यों के लिए आचार संहिता बनाएगी और समय-समय पर आचार संहिता में संशोधन किए जाने अथवा नए प्रावधान शामिल किए जाने संबंधी सुझाव देगी।

प्रक्रिया। **316ग.** (1) समिति को प्रेषित किसी मामले की समिति द्वारा प्रारंभिक जांच की जाएगी।

(2) प्रारंभिक जांच के पश्चात् यदि समिति की राय में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है, तो वह यह सिफारिश कर सकेगी कि मामले को छोड़ दिया जाए और सभापति तद्नुसार इसकी जानकारी अध्यक्ष को देगा/देगी।

(3) प्रारंभिक जांच के पश्चात् यदि समिति की राय में कोई प्रथम दृष्टया मामला है, तो समिति मामले पर आगे जांच करेगी।

(4) समिति समय-समय पर उसे प्रेषित मामलों की जांच हेतु प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगी।

प्रतिवेदन। **316घ.** (1) समिति की सिफारिशों को प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

[5क]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 13.8.2015, पैरा संख्या 2295 के द्वारा जोड़ा गया।

(2) प्रतिवेदन अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा जो इसे सभा पटल पर रखने का निदेश दे सकेगा/सकेगी।

(3) समिति के प्रतिवेदन में समिति द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने में सभा द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का भी उल्लेख होना चाहिए।

सभा द्वारा प्रतिवेदन पर विचार।

316ङ(1) प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् सभापति या समिति का कोई सदस्य अथवा कोई अन्य सदस्य यह प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाए और इसके पश्चात् अध्यक्ष इस प्रस्ताव को सभा के समक्ष रख सकेगा/सकेगी।

(2) प्रस्ताव को सभा के समक्ष रखने से पहले अध्यक्ष प्रस्ताव पर वाद-विवाद की अनुमति दे सकेगा/सकेगी जिसकी अवधि आधे घंटे से अधिक नहीं होगी।

(3) उप-नियम (1) के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर सहमति के पश्चात् सभापति या समिति का कोई सदस्य या कोई अन्य सदस्य, यथास्थिति, प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि सभा प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों से सहमत है अथवा असहमत है अथवा संशोधनों के साथ सहमत है।

सभा द्वारा प्रतिवेदन पर विचार हेतु प्राथमिकता।

316च. कार्य-सूची में प्रश्नकाल के पश्चात् यह प्रस्ताव रखा जायेगा कि समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाए।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

कृत्य।

317. एक अधीनस्थ विधान संबंधी समिति इस बात की छानबीन करने और सभा को प्रतिवेदित करने के लिए होगी कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजित विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियों का प्रयोग ऐसे प्रत्यायोजन के अंतर्गत उचित रूप से किया जा रहा है।

गठन।

318. (1) समिति में पन्द्रह से अनधिक सदस्य होंगे जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे:

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य नामनिर्देशित नहीं किया जायेगा और यदि किसी सदस्य को, समिति के लिये नामनिर्देशित किए जाने के पश्चात् मंत्री नियुक्त किया जाये तो ऐसा/ऐसी सदस्य ऐसी नियुक्ति को तिथि से समिति का/की सदस्य नहीं रहेगा/रहेगी।

(2) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी।

आदेशों का संख्यांकन और प्रकाशन।

319. संविधान के उपबंधों या संसद द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित वैधानिक कृत्यों के अनुसरण में बनाये गये प्रत्येक विनियम, नियम, उपनियम उपविधि आदि, जिसको सभा के समक्ष रखा जाना अपेक्षित हो और जिसको इसके पश्चात् "आदेश" कहा गया है, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो अध्यक्ष सदन के नेता के परामर्श से विहित किया जाए, प्रख्यापित होने के तुरन्त बाद केन्द्रीय स्थान में संख्यांकित किया जाएगा और गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

आदेशों की जांच।

320. नियम 319 में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसे आदेश के सभा के समक्ष रखे जाने के बाद, समिति विशेष रूप से इस बात पर विचार करेगी कि:–

(एक) वह संविधान अथवा उस अधिनियम के सामान्य उद्देश्यों के अनुकूल है या नहीं जिसके अनुसरण में वह बनाया गया है;

(दो) उसमें ऐसा विषय अंतर्विष्ट है या नहीं जिसको अधिक समुचित ढंग से निपटाने के लिए समिति की राय में संसद का अधिनियम होना चाहिए;

(तीन) उसमें कोई करारोपण अन्तर्विष्ट है या नहीं;

(चार) उसमें न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रुकावट होती है या नहीं;

(पांच) वह उन उपबंधों में से किसी को भूतलक्षी प्रभाव देता है या नहीं जिनके संबंध में संविधान या अधिनियम स्पष्ट रूप से ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता;

(छह) उसमें भारत की संचित निधि या लोक राजस्व में से व्यय अंतर्ग्रस्त है या नहीं;

(सात) उसमें संविधान या उस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का असामान्य अथवा प्रत्याशित उपयोग किया गया प्रतीत होता है या नहीं, जिसके अनुसरण में यह बनाया गया है;

(आठ) उसके प्रकाशन में या संसद के समक्ष रखे जाने में अनुचित विलम्ब हुआ प्रतीत होता है या नहीं; और

(नौ) किसी कारण से उसके रूप या अभिप्राय के लिए किसी विशदीकरण की आवश्यकता है या नहीं।

प्रतिवेदन।

321. (1) यदि समिति की राय हो कि कोई आदेश पूर्णत: या अंशत: रद्द कर दिया जाना चाहिए या उसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिए तो वह उक्त राय तथा उसके कारण सभा को प्रतिवेदित करेगी।

(2) यदि समिति की राय हो कि किन्हीं आदेशों से संबंधित कोई अन्य विषय सभा के ध्यान में लाया जाना चाहिए तो वह उक्त राय तथा विषय सभा को प्रतिवेदित कर सकेगी।

अध्यक्ष की निदेश देने की शक्ति।

322. अध्यक्ष द्वारा समिति में या सभा में अधीनस्थ विधान के किसी प्रश्न पर विचार से संबंधित सब विषयों के बारे में प्रक्रिया के विनियमन के लिए ऐसे निदेश दिए जा सकेंगे जिन्हें आवश्यक समझा जाए।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

कृत्य।

323. मंत्रियों द्वारा समय-समय पर सभा के अन्दर दिये गये आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं, वचनों आदि की छानबीन करने के लिए और निम्न बातों पर प्रतिवेदन करने के लिए सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी एक समिति होगी:-

(क) ऐसे आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं, वचनों आदि का कहां तक परिपालन किया गया है; तथा

(ख) जहां परिपालन किया गया हो तो ऐसा परिपालन उस प्रयोजन के लिए आवश्यक न्यूनतम समय के भीतर हुआ है या नहीं।

गठन।

324. (1) समिति में पन्द्रह से अनधिक सदस्य होंगे जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे:

परन्तु किसी मंत्री को समिति का सदस्य नामनिर्देशित नहीं किया जाएगा और यदि कोई सदस्य समिति के लिए नामनिर्देशित किए जाने के पश्चात् मंत्री नियुक्त हो जाये, तो ऐसा/ऐसी सदस्य ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का/की सदस्य नहीं रहेगा/रहेगी।

(2) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

गठन।

325. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित पन्द्रह सदस्यों से गठित होगी और उसकी पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

कृत्य।

326. (1) समिति के ये कृत्य होंगे:-

(एक) सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति के लिए सदस्यों के सब आवेदन-पत्रों पर विचार करना, और

(दो) ऐसे प्रत्येक मामले की जांच करना जिसमें कोई सदस्य अनुज्ञा के बिना सभा की बैठकों से साठ दिन या अधिक की कालावधि तक अनुपस्थित रहा हो और प्रतिवेदित करना कि अनुपस्थिति माफ की जानी चाहिए या नहीं अथवा मामले की परिस्थितियों को देखते हुये उचित है कि सभा को सदस्य का स्थान रिक्त घोषित करना चाहिए।

(2) समिति, सदस्यों की सभा में उपस्थिति के बारे में ऐसे अन्य कृत्य करेगी जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं।

जब अनुपस्थिति की अनुमति की सिफारिश की जाए तो सभा की इच्छा मालूम करना।

327. जब समिति सिफारिश करे कि किसी सदस्य को, यथास्थिति, अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाए अथवा अनुपस्थिति माफ की जाए तो अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित रूप में प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के यथासम्भव शीघ्र पश्चात् किसी दिन सभा की इच्छा मालूम की जाएगी:-

"सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने अपने.....प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि श्रीमती/कुमारी/श्री .....को प्रतिवेदन में दर्शायी गयी कालावधि के लिए (यथास्थिति) अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाये या उसकी अनुपस्थिति माफ की जाए।

सदस्य को तद्नुसार सूचित किया जा रहा है।"

जब अनुपस्थिति की अनुमति की सिफारिश न की जाये तो प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना।

328. जब किसी आवेदन-पत्र के बारे में समिति द्वारा अनुपस्थिति की अनुमति की सिफारिश न की जाए तो किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि सभा उस आवेदन-पत्र के संबंध में समिति की सिफारिश से सहमत है या संशोधन सहित सहमत है या असहमत है।

नियम समिति

कृत्य।

329. सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विषयों पर विचार करने और इन नियमों में ऐसे संशोधनों तथा वृद्धियों की सिफारिश करने के लिए, जो आवश्यक समझी जाएं, एक नियम समिति होगी।

गठन।

330. नियम समिति अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित की जाएगी और उसमें समिति के सभापति को मिलाकर पन्द्रह सदस्य होंगे। अध्यक्ष समिति का पदेन सभापति होगा/होगी।

प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना।

331. (1) समिति की सिफारिशें पटल पर रखी जाएंगी और जिस दिन वे इस तरह रखी जाएं, उससे प्रारम्भ होकर सात दिनों की कालावधि के भीतर, कोई सदस्य ऐसी सिफारिशों में किसी संशोधन की सूचना दे सकेगा/सकेगी।

(2) समिति की सिफारिशों में किसी सदस्य द्वारा की गई किसी संशोधन की सूचना समिति को निर्दिष्ट होगी, जो उस पर विचार करेगी तथा अपनी सिफारिशों में ऐसे परिवर्तन कर सकेगी जो समिति उचित समझे। समिति का अन्तिम प्रतिवेदन सदस्यों द्वारा सुझाये गये संशोधनों पर विचार करने के पश्चात् पटल पर रख दिया जायेगा। तत्पश्चात् समिति के सदस्य द्वारा किये गये प्रस्ताव पर प्रतिवेदन से सभा के सहमत हो जाने पर नियमों के संशोधन, सभा द्वारा अनुमोदित किये गये रूप में, अध्यक्ष द्वारा लोक सभा समाचार में प्रख्यापित कर दिये जायेंगे।

(3) यदि ऐसे संशोधन की सूचना सात दिन के भीतर न दी गई हो तो समिति की सिफारिशें सभा द्वारा अनुमोदित की गई समझी जायेंगी और उक्त कालावधि की समाप्ति पर अध्यक्ष द्वारा समिति द्वारा सिफारिश किये गये नियमों में संशोधनों को लोक सभा समाचार में प्रख्यापित करवाया जाएगा।

(4) जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, नियमों के संशोधन, बुलेटिन (समाचार) में उनके प्रकाशन पर प्रवृत्त होंगे।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

331क. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी एक समिति होगी। समिति के कृत्य ये होंगे:- **कृत्य।**

(क) संविधान के अनुच्छेद 338(5)(घ) के अंतर्गत [राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग][5ख] द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदनों पर विचार करना और संघ सरकार, जिसमें संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन भी शामिल हैं, के क्षेत्राधिकार के अंदर आने वाले मामलों के बारे में संघ सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों को प्रतिवेदित करना;

(ख) समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर संघ सरकार और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदित करना;

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का विधिवत् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये अनुच्छेद 335 के उपबन्धों को दृष्टि में रखते हुए संघ सरकार के नियंत्रणाधीन सेवाओं तथा पदों में (जिनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, संविहित और अर्द्ध-सरकारी निकायों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में नियुक्तियां भी शामिल हैं) संघ सरकार द्वारा किये गये उपायों पर विचार करना;

(घ) संघ राज्यक्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवेदन देना; और

(ङ) ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना जो समिति उचित समझे या जो सदन अथवा अध्यक्ष द्वारा उसे विशेष रूप से निर्दिष्ट किये जायें।

[5ख]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 3.3.2010, पैरा संख्या 1265 द्वारा अन्त:स्थापित।

गठन।

331ख. समिति में [तीस से अनधिक सदस्य होंगे जिनमें से बीस सदस्य][6] एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार सदन द्वारा प्रतिवर्ष अपने सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे [और समिति के साथ सहयोजित किए जाने के लिए राज्य सभा द्वारा उस सभा से दस से अनधिक सदस्य नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे][7]:

परन्तु किसी मंत्री को समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जायेगा और यदि सदस्य को समिति में निर्वाचन के पश्चात् मंत्री नियुक्त हो जाये, तो ऐसा/ऐसी सदस्य ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का/की सदस्य नहीं रहेगा/रहेगी।

(2) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी:

[8][* * * * * *]

[9][विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां।

331ग. (1) सदनों की विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियां होंगी (जिन्हें स्थायी समितियां कहा जाएगा)।

(2) प्रत्येक स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले मंत्रालय/विभाग पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे:

परन्तु यह कि सभापति, राज्य सभा तथा अध्यक्ष समय-समय पर एक दूसरे के परामर्श से उक्त अनुसूची में परिवर्तन कर सकेंगे।

गठन।

331घ. (1) नियम 331ग के अन्तर्गत गठित प्रत्येक स्थायी समिति में [10][31 से अनधिक सदस्य होंगे, 21 सदस्यों को लोक सभा के सदस्यों में से अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा और 10] सदस्यों को राज्य सभा के सदस्यों में से सभापति, राज्य सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

---

[6] लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

[7] **वही,** जोड़ा गया।

[8] **वही,** लोप किया गया।

[9] लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 29.3.1989, पैरा संख्या 1921 द्वारा प्रतिस्थापित।

[10] लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 20.7.2004, पैरा संख्या 253 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा और यदि सदस्य को समिति के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाने के बाद मंत्री नियुक्त किया जाए, तो ऐसा/ऐसी सदस्य ऐसी नियुक्ति की तारीख से समिति का/की सदस्य नहीं रहेगा/रहेगी।

(3) पांचवीं अनुसूची के भाग-एक में विनिर्दिष्ट समितियों के सभापतियों की नियुक्ति सभापति, राज्य सभा द्वारा की जायेगी तथा उक्त अनुसूची के भाग-दो में विनिर्दिष्ट समितियों के सभापतियों की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से की जायेगी।

(4) समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।

कृत्य।

331ङ. (1) प्रत्येक स्थायी समिति के कृत्य इस प्रकार होंगे:-

(क) संबंधित मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार करना और उनके संबंध में सभाओं को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। प्रतिवेदन में किसी भी प्रकार के कटौती प्रस्तावों का सुझाव नहीं दिया जायेगा;

(ख) संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित ऐसे विधेयकों की जांच करना जो सभापति, राज्य सभा अथवा अध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, सौंपे गए हैं और उनके संबंध में सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;

(ग) मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना; और

(घ) दोनों सदनों में प्रस्तुत राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घावधि नीति संबंधी दस्तावेजों, जो राज्य सभा के सभापति या अध्यक्ष, यथास्थिति, द्वारा समिति को सौंपे गए हों, पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

(2) स्थायी समितियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के मामलों पर विचार नहीं करेंगी।

कृत्यों से संबंधित उपबन्धों की प्रयोज्यता।

331च. नियम 331ङ के उपनियम (1) के खण्ड (क) से (घ) में यथाउपबंधित इन समितियों के प्रत्येक कृत्य, सभापति राज्य सभा और अध्यक्ष द्वारा किसी कृत्य विशेष की प्रयोज्यता के संबंध में अधिसूचित तारीख से इन समितियों के लिए लागू होंगे।

अनुदानों की मांगों से संबंधित प्रक्रिया।

331छ. प्रत्येक स्थायी समिति द्वारा अनुदानों की मांगों पर विचार करने और उन पर सदनों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:-

(क) सभा में बजट पर सामान्य चर्चा हो चुकने के पश्चात् सभा एक निश्चित अवधि के लिए स्थगित कर दी जाएगी;

(ख) समितियां उपर्युक्त अवधि के दौरान संबंधित मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर विचार करेंगी;

(ग) समितियां उपर्युक्त अवधि के दौरान अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी और इससे अधिक समय दिये जाने का अनुरोध नहीं करेंगी;

(घ) सभा द्वारा अनुदानों की मांगों पर इन समितियों के प्रतिवेदनों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जायेगा; और

(ङ) प्रत्येक मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर पृथक् प्रतिवेदन होगा।

विधेयकों से संबंधित प्रक्रिया।

331ज. प्रत्येक स्थायी समिति द्वारा विधेयकों की जांच तथा उनके संबंध में सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा:-

(क) समितियां, उन्हें सौंपे गए विधेयकों के सामान्य सिद्धांतों तथा खण्डों पर विचार करेंगी और उन पर सम्बन्धित सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी;

(ख) समिति किसी भी सभा में पुर:स्थापित केवल ऐसे विधेयकों पर विचार करेगी जिन्हें, यथास्थिति, सभापति, राज्य सभा अथवा अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपा जाए; और

(ग) समिति दिए गए समय में विधेयकों पर अपना प्रतिवेदन देगी।

समितियों के प्रतिवेदन।

331झ. (1) समितियों के प्रतिवेदन व्यापक आम सहमति पर आधारित होंगे।

(2) समिति का कोई भी सदस्य समिति के प्रतिवेदन पर विमत टिप्पण दे सकेगा/सकेगी।

(3) विमत टिप्पण दोनों सभाओं के प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

सामान्य नियमों की प्रयोज्यता।

331ञ. उन मामलों के सिवाय जिनके लिए स्थायी समितियों से संबंधित नियमों में विशेष उपबंध किया जाए, राज्य सभा में अन्य संसदीय समितियों के लिए लागू सामान्य नियम, आवश्यक परिवर्तनों के साथ पांचवीं अनुसूची के भाग-एक में यथाविनिर्दिष्ट स्थायी समितियों पर लागू होंगे और लोक सभा में अन्य संसदीय समितियों पर लागू होने वाले आम नियम अनुसूची के भाग-दो में यथाविनिर्दिष्ट स्थायी समितियों पर लागू होंगे।

बैठकों का स्थल।

331ट. स्थायी समितियां, जब तक यथास्थिति सभापति, राज्य सभा अथवा अध्यक्ष अन्यथा विशिष्ट अनुमति न दे, संसद के परिसर को छोड़कर अन्यत्र बैठक नहीं करेंगी।

विशेषज्ञ राय लेने का अधिकार।

331ठ. स्थायी समितियां प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञों की राय अथवा जनमत प्राप्त कर सकेंगी।

विचार न किये जाने वाले विषय।

331ड. स्थायी समितियां उन मामलों पर सामान्यत: विचार नहीं करेंगी जिन पर अन्य संसदीय समितियों द्वारा विचार किया जाता है।

प्रतिवेदनों का स्वरूप प्रत्ययकारी होगा।

331ढ. स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों का स्वरूप प्रत्ययकारी होगा और उन्हें समितियों के सुविचारित परामर्श के रूप में माना जायेगा।]

[11][महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

गठन।

331ण. (1) महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी एक समिति होगी-

(2) समिति में 30 से अनधिक सदस्य होंगे जिनमें से 20 सदस्य अध्यक्ष द्वारा लोक सभा के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और 10 सदस्य राज्य सभा के सभापति द्वारा राज्य सभा के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

---

[11]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 6.3.1997, पैरा संख्या 1003 द्वारा जोड़ा गया।

(3) कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं होगा/होगी और यदि किसी सदस्य को समिति के लिये नामनिर्दिष्ट किए जाने के पश्चात् मंत्री नियुक्त किया जाये, तो ऐसा/ऐसी सदस्य ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का/की सदस्य नहीं रहेगा/रहेगी।

(4) समिति के सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से की जाएगी।

(5) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

कृत्य।

331त. समिति के कृत्य इस प्रकार होंगे:

(1) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर विचार करना और इस बात की सूचना देना कि संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन सहित केन्द्रीय सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले मामलों के संबंध में महिलाओं की स्थिति/दशा सुधारने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने चाहिएं;

(2) महिलाओं को सभी मामलों में समानता, प्रतिष्ठा और उचित दर्जा दिलाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए उपायों की जांच करना;

(3) महिलाओं के लिये व्यापक शिक्षा तथा विधायी निकायों/सेवाओं और अन्य क्षेत्रों में उनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए उपायों की जांच करना;

(4) महिलाओं के लिये कल्याण कार्यक्रमों के कार्यकरण के बारे में सूचित करना;

(5) समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर केन्द्रीय सरकार तथा संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सूचित करना; और

(6) ऐसे अन्य मामलों की जांच करना, जो समिति को उपयुक्त लगे अथवा जो इसे सभा या अध्यक्ष द्वारा तथा राज्य सभा या राज्य सभा के सभापति द्वारा विशेष रूप से भेजे जाएं।

अन्य समितियों द्वारा विचार न किए जाने वाले विषय।

331थ. विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों सहित अन्य संसदीय समितियां, यथासंभव उन मामलों पर विचार नहीं करेंगी, जो नियमों के अन्तर्गत विशेष रूप से इस समिति को सौंपे गये हों।

अध्याय 27

प्रक्रिया के सामान्य नियम

सूचनाएं

सूचनाएं देने की रीति।

332. (1) इन नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना महासचिव को सम्बोधित करके लिखित रूप में दी जायेगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी और संसदीय सूचनालय में छोड़ दी जायेगी जो कि इस प्रयोजन के लिए रविवार या सार्वजनिक छुट्टी के दिन को छोड़कर प्रत्येक दिन समय-समय पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के लिए खुला रहेगा।

(2) संसदीय सूचनालय में उपनियम (1) के अन्तर्गत अधिसूचित समय के बाद छोड़ी गई सूचनाएं अगले खुलने वाले दिन को दी गई समझी जाएंगी।

संभाव्य सूचना।

333. (1) ऐसे किसी भी सदस्य द्वारा ऐसे प्रस्ताव या संकल्प या विधेयक की सूचना दी जा सकेगी, जिसे वह चाहता/चाहती हो कि ऐसे अन्य कार्य की समाप्ति पर लिया जाये जिस पर यह प्रस्ताव संभाव्य हो और यदि ऐसी सूचना अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य कर ली जाये तो उसे कार्य-सूची में, यथास्थिति, प्रस्ताव या संकल्प या विधेयक की संभाव्य सूचना शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकेगा।

(2) संभाव्य सूचना ऐसे रूप में होगी जो अध्यक्ष द्वारा विहित की जाए और सभा में उस कार्य के निपटाये जाने के बाद ही ली जायेगी जिस पर कि सूचना संभाव्य हो।

सूचनाओं तथा पत्रों का सदस्यों में परिचालन।

334. (1) महासचिव प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक सूचना या पत्र की एक प्रति, जिसकी इन नियमों के अनुसार सदस्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा है, परिचालित करने का भरसक प्रयत्न किया जाएगा।

(2) कोई सूचना या अन्य पत्र प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया समझा जायेगा यदि उसकी एक प्रति ऐसी रीति से और ऐसे स्थान में रख दी जाये जैसा कि अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निदेश दिया जाए।

सूचनाओं का पहले से विख्यापन करने पर प्रतिबंध।

334क. किसी सूचना का विख्यापन किसी सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि यह अध्यक्ष द्वारा गृहीत न कर ली गई हो और सदस्यों में परिचालित न कर दी गई हो:

परन्तु किसी प्रश्न की सूचना का, उस दिन तक कोई विख्यापन नहीं किया जायेगा जिस दिन उस प्रश्न का सभा में उत्तर दिया जाये।

सत्रावसान होने पर लम्बित सूचनाओं का व्यपगमन।

335. सत्रावसान होने पर किसी विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करने के विचार की सूचनाओं के अतिरिक्त सब लम्बित सूचनाएं व्यपगत हो जायेंगी और अगले सत्र के लिए नई सूचनाएं देनी पड़ेंगी:

परन्तु किसी ऐसे विधेयक को, जिसके संबंध में संविधान के अंतर्गत मंजूरी या सिफारिश प्रदान की गई हो, पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करने के विचार की नई सूचना का दिया जाना आवश्यक होगा यदि, यथास्थिति, मंजूरी या सिफारिश प्रवर्तित नहीं रही हो।

प्रस्तुत प्रस्ताव, संकल्प या संशोधन सत्रावसान पर व्यपगत नहीं होंगे।

336. कोई प्रस्ताव, संकल्प अथवा संशोधन जो प्रस्तुत किया गया है और सभा में लम्बित है केवल सत्रावसान होने के कारण ही व्यपगत नहीं होगा।

सूचनाओं में संशोधन करने संबंधी अध्यक्ष का अधिकार।

337. यदि अध्यक्ष की राय में किसी सूचना में ऐसे शब्द, वाक्यांश या पत्र हैं जो प्रतीकात्मक, असंसदीय, व्यंग्यात्मक, असंगत, आडम्बरपूर्ण या अन्यथा अनुचित हों, तो अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक का प्रयोग करते हुए, ऐसी सूचना में परिचालन से पूर्व संशोधन किया जा सकेगा।

प्रस्ताव

प्रस्ताव की पुनरुक्ति।

338. किसी प्रस्ताव में कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिये जो सारवान रूप में उस प्रश्न के समान हो जिस पर सभा उसी सत्र में विनिश्चय कर चुकी है।

प्रस्ताव की वापसी।

339. (1) जिस सदस्य ने कोई प्रस्ताव किया है वह उसे सभा की अनुमति से वापस ले सकेगा/सकेगी।

(2) अनुमति, प्रश्न पर नहीं अपितु अध्यक्ष द्वारा सभा की इच्छा जानकर व्यक्त की जायेगी। अध्यक्ष द्वारा यह पूछा जाएगा: "क्या यह आपकी इच्छा है कि प्रस्ताव वापस लिया जाये?" यदि कोई विमत में न हो तो अध्यक्ष द्वारा कथन किया जाएगा: "प्रस्ताव अनुमति से वापस लिया गया"। किन्तु यदि कोई विमत ध्वनि सुनाई दे या कोई सदस्य वाद-विवाद जारी रखने के लिए उठे, तो अध्यक्ष द्वारा तुरन्त प्रस्ताव रखा जाएगा:

परन्तु यदि किसी प्रस्ताव पर कोई संशोधन प्रस्तावित किया गया हो तो मूल प्रस्ताव वापस नहीं लिया जायेगा जब तक कि संशोधन न निपटा दिया गया हो।

प्रस्ताव पर वाद-विवाद का स्थगन।

340. किसी प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने के बाद किसी समय किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्ताव किया जा सकेगा कि प्रस्ताव पर वाद-विवाद को स्थगित कर दिया जाये।

प्रस्ताव जिससे सभा के नियमों का दुरुपयोग होता हो अथवा विलम्बकारी प्रस्ताव।

341. (1) यदि अध्यक्ष की राय हो कि वाद-विवाद के स्थगन का कोई प्रस्ताव सभा के नियमों का दुरुपयोग है तो अध्यक्ष द्वारा उस पर या तो तुरन्त प्रश्न रखा जा सकेगा या प्रश्न प्रस्तुत करने से इंकार किया जा सकेगा।

(2) यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि किसी विधेयक पर अग्रेतर राय जानने के लिए उसे पुन: परिचालन का प्रस्ताव ऐसे विलम्बकारी प्रस्ताव के स्वरूप का है, जिससे सभा के नियमों का दुरुपयोग होगा क्योंकि मूल परिचालन ही पर्याप्त या व्यापक था या यह कि पूर्व परिचालन के बाद विधेयक को पुन: परिचालन की आवश्यकता हेतु कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, तो अध्यक्ष द्वारा उस पर अध्यक्षपीठ से तुरन्त प्रश्न रख सकेगा या प्रश्न प्रस्तुत करने से इंकार किया जा सकेगा।

(3) यदि अध्यक्ष की राय यह हो कि किसी विधेयक पर सभा की प्रवर समिति या सदनों की संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने के बाद विधेयक के सभा की प्रवर समिति या सदनों की संयुक्त समिति को फिर से सौंपे जाने या उसके परिचालन या पुन: परिचालन का प्रस्ताव ऐसे विलम्बकारी प्रस्ताव के स्वरूप का है जिससे सभा के नियमों का दुरुपयोग होगा क्योंकि यथास्थिति, सभा की प्रवर समिति या सदनों की संयुक्त समिति विधेयक पर उचित रीति से विचार कर चुकी है, या यह कि विधेयक के किसी समिति से आने

के बाद कोई अप्रत्याशित या नई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है तो अध्यक्ष द्वारा उस पर या तो तुरन्त प्रश्न रखा जा सकेगा या प्रश्न प्रस्तुत करने से इन्कार किया जा सकेगा।

नीति, स्थिति, वक्तव्य या किसी अन्य विषय पर विचार करने संबंधी प्रस्ताव।

342. यह प्रस्ताव कि नीति या स्थिति या वक्तव्य या किसी अन्य विषय पर विचार किया जाये, सभा के मत के लिए नहीं रखा जायेगा, किन्तु सभा ऐसे विषय पर प्रस्तावक का भाषण समाप्त होने के बाद तुरन्त चर्चा करेगी और निश्चित समय पर वाद-विवाद की समाप्ति पर कोई अग्रेतर प्रश्न नहीं रखा जायेगा जब तक कि कोई सदस्य, अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले उचित रूप में मूल प्रस्ताव न रखे और ऐसे प्रस्ताव पर सभा का मत लिया जायेगा।

चर्चा की प्रत्याशा

चर्चा की प्रत्याशा।

343. कोई सदस्य किसी ऐसे विषय की चर्चा की प्रत्याशा नहीं करेगा जिसकी सूचना दी जा चुकी हो परन्तु यह निर्धारित करने के लिए कि चर्चा की प्रत्याशा के आधार पर नियमबाह्य है या नहीं अध्यक्ष द्वारा प्रत्याशित विषय के सभा के सामने उचित समय के भीतर लाए जाने की संभावना को ध्यान में रखा जाएगा।

संशोधन

संशोधनों की व्याप्ति।

344. (1) संशोधन उस प्रस्ताव से सुसंगत तथा उसकी व्याप्ति के भीतर होगा जिस पर वह प्रस्तुत किया जाये।

(2) ऐसा संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जायेगा जिसका प्रभाव केवल नकारात्मक मत हो।

(3) किसी प्रश्न पर कोई संशोधन उसी प्रश्न पर किये गये पूर्व विनिश्चय से असंगत नहीं होगा।

संशोधनों की सूचना।

345. किसी प्रस्ताव में संशोधन की सूचना जिस दिन प्रस्ताव पर विचार किया जाना है उससे एक दिन पहले दी जायेगी यदि अध्यक्ष द्वारा ऐसी सूचना के बिना संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति न दे दी जाए।

संशोधनों का संवरण।

346. किसी प्रस्ताव के संबंध में, अध्यक्ष को प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधनों का संवरण करने की शक्ति होगी और यदि अध्यक्ष द्वारा ठीक समझा जाए तो किसी सदस्य से, जिसने संशोधन की सूचना दी हो, संशोधन के उद्देश्य की ऐसी व्याख्या करने के लिए कहा जा सकेगा जिससे वह उसका निर्णय करने में समर्थ हो सके।

347. अध्यक्ष संशोधनों को उस क्रम में रख सकेगा/सकेगी, जिसे वह ठीक समझे: **संशोधनों का रखा जाना।**

परन्तु अध्यक्ष द्वारा किसी ऐसे संशोधन को रखने से इंकार किया जा सकेगा जो अध्यक्ष की राय से तुच्छ हो।

राष्ट्रपति की सिफारिश की संसूचना

348. राष्ट्रपति की प्रत्येक मंजूरी या सिफारिश मंत्री द्वारा महासचिव को निम्न रूप में संसूचित की जाएगी:— **सिफारिश की संसूचना की रीति।**

"राष्ट्रपति द्वारा, प्रस्तावित विधेयक प्रस्ताव, अनुदान की मांग या संशोधन की विषय-वस्तु से सूचित किए जाने के बाद विधेयक के पुर:स्थापित किये जाने या संशोधन के प्रस्तुत किये जाने के लिए अपनी पूर्व मंजूरी प्रदान की जाती है अथवा सभा में विधेयक के पुर:स्थापित किये जाने या प्रस्ताव, अनुदान की मांग या संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की सिफारिश की जाती है अथवा सभा से विधेयक पर विचार करने की सिफारिश की जाती है।"

यह सभा की कार्यवाही में ऐसी रीति से छापा जाएगा जैसा कि अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया जाए।

सदस्यों द्वारा पालनीय नियम

349. जब सभा की बैठक हो रही हो तो कोई सदस्य— **सदस्यों द्वारा सभा में पालनीय नियम।**

(एक) ऐसी पुस्तक, समाचार-पत्र या पत्र नहीं पढ़ेगा/पढ़ेगी, जिसका सभा की कार्यवाही से सम्बन्ध न हो;

(दो) किसी सदस्य के भाषण करते समय उसमें अव्यवस्थित बात या शोर या किसी अन्य अव्यवस्थित रीति से बाधा नहीं डालेगा/डालेगी;

(तीन) सदन में प्रवेश करते समय या सदन से बाहर जाते समय और अपने स्थान पर बैठते समय या वहां से उठते समय भी अध्यक्षपीठ के प्रति नमन करेगा/करेगी;

(चार) अध्यक्षपीठ और ऐसे सदस्य के बीच से, जो भाषण दे रहा/रही हो, नहीं गुजरेगा/गुजरेगी;

(पांच) जब अध्यक्ष द्वारा सभा को सम्बोधित किया जा रहा हो तो सदन से बाहर नहीं जायेगा/जायेगी;

(छह) सदैव अध्यक्षपीठ को ही सम्बोधित करेगा/करेगी;

(सात) सभा को सम्बोधित करते समय अपने स्वयं के स्थान पर ही रहेगा/रहेगी;

(आठ) जब सभा में नहीं बोल रहा/रही हो तो शान्त रहेगा/रहेगी;

(नौ) कार्यवाही में रुकावट नहीं डालेगा/डालेगी, सीत्कार नहीं करेगा/करेगी, या बाधा नहीं डालेगा/डालेगी और जब [कोई दूसरा सदस्य बोल रहा हो][1] तो साथ-साथ उनकी टीका नहीं करेगा/करेगी;

(दस) जब किसी दीर्घा में अथवा विशेष स्थान (बाक्स) में कोई अजनबी प्रवेश करे तो प्रशंसा-घोष नहीं करेगा/करेगी;

[2][(ग्यारह) सभा में नारे नहीं लगाएगा/लगाएगी;

(बारह) अध्यक्षपीठ की ओर पीठ करके नहीं बैठेगा/बैठेगी या खड़ा नहीं होगा/खड़ी नहीं होगी;

(तेरह) सभा के अध्यक्षपीठ के पास स्वयं नहीं जाएगा/जाएगी। यदि आवश्यक हो तो वह पटल अधिकारी को पर्चियां भेज सकता/सकती है;

(चौदह) सभा में [3][लैपेलपिन अथवा बिल्ले के रूप में राष्ट्रीय ध्वज के सिवाए] किसी प्रकार के बिल्ले नहीं लगायेगा/लगायेगी या प्रदर्शित नहीं करेगा/करेगी;

(पन्द्रह) सभा में शस्त्र नहीं लाएगा/लाएगी या प्रदर्शित नहीं करेगा/करेगी;

(सोलह) सभा में झंडे, प्रतीक या कोई प्रदर्शित वस्तु प्रदर्शित नहीं करेगा/करेगी;

(सत्रह) अपना भाषण देने के तुरन्त बाद सभा से बाहर नहीं जाएगा/जाएगी;

(अठारह) संसद भवन के परिसर में ऐसे साहित्य प्रश्नावली पुस्तिकाओं, प्रेस टिप्पणियों, पर्चों, इत्यादि का वितरण नहीं करेगा/करेगी जो सभा के कार्य से संबंधित न हो;

(उन्नीस) सभा में डेस्क पर अपना हैट/टोपी नहीं रखेगा/रखेगी, फाइल रखने या लेखन के कार्य के लिए सदन में फलक नहीं लायेगा/लायेगी, सभा में धूम्रपान नहीं करेगा/करेगी; या बांह पर कोट लटकाकर सभा में प्रवेश नहीं करेगा/करेगी;

---

[1]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[2]**वही**, प्रतिस्थापित।

[3]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 19.3.2010, पैरा संख्या 1265 द्वारा जोड़ा गया।

(बीस) जब तक स्वास्थ्य के आधार पर अध्यक्ष की अनुमति न दी गई हो, सभा भवन में छड़ी नहीं लायेगा/लायेगी;

(इक्कीस) सभा में अभ्यापत्तिपूर्वक दस्तावेजों को नहीं फाड़ेगा/फाड़ेगी;

(बाईस) सभा में कैसेट या टेप रिकार्डर नहीं लाएगा/लाएगी या बजाएगा/बजाएगी;

(तेईस) लॉबी में इतनी जोर से बात नहीं करेगा/करेगी अथवा हंसेगा/हंसेगी जो सभा में सुनाई दे]

अध्यक्ष द्वारा पुकारे गये सदस्य को ही बोलने का हक।

350. जब कोई सदस्य बोलने के लिए खड़ा/खड़ी हो तो अध्यक्ष द्वारा ऐसे सदस्य का नाम पुकारा जायेगा। यदि एक ही समय पर एक से अधिक सदस्य खड़े हों तो जिस सदस्य का नाम इस तरह पुकारा जाये उसी को बोलने का हक होगा।

सभा को सम्बोधित करने की रीति।

351. सभा के समक्ष किसी विषय पर कुछ चर्चा करने का इच्छुक सदस्य अपने स्वयं के स्थान से बोलेगा/बोलेगी, बोलते समय खड़ा/खड़ी होगी और अध्यक्ष को सम्बोधित करेगा/करेगी:

परन्तु रोग या दुर्बलता के कारण असमर्थ किसी सदस्य को बैठ कर बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

बोलते समय पालनीय नियम।

352. बोलते समय कोई सदस्य—

(एक) किसी ऐसे तथ्य, विषय का निर्देश नहीं करेगा/करेगी जिस पर न्यायिक विनिश्चय लम्बित हो;

(दो) [सभा के किसी अन्य सदस्य पर कोई हेतु का लांछन लगाते हुए अभिकथन नहीं करेगा/करेगी या उसकी सद्भावना पर आपत्ति करके उसका वैयक्तिक निर्देश नहीं करेगा/करेगी जब तक कि ऐसा निर्देश विचाराधीन प्रश्न या सुसंगत होने के कारण वाद-विवाद के प्रयोजनों के लिए अनिवार्यत: आवश्यक न हो;][4]

(तीन) संसद या किसी राज्य विधानमंडल के व्यवहार या कार्यवाही के विषय में आपत्तिजनक पदावलि का उपयोग नहीं करेगा/करेगी;

(चार) सभा के किसी निर्धारण पर, उसे रद्द करने के प्रस्ताव को छोड़कर आक्षेप नहीं करेगा/करेगी;

(पांच) उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप नहीं करेगा/करेगी जब तक कि चर्चा उचित रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो;

---

[4]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

व्याख्या: शब्द "उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों" का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनके आचरण की चर्चा संविधान के अन्तर्गत केवल उचित रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर की जा सकती है या ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिनके आचरण की चर्चा अध्यक्ष की राय में, अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर की जानी चाहिये।

(छह) वाद-विवाद पर प्रभाव डालने के प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति के नाम पर उपयोग नहीं करेगा/करेगी;

(सात) अभिद्रोहात्मक, राजद्रोहात्मक या मानहानिकारक शब्द नहीं कहेगा/कहेगी;

[5][***]

(आठ) अपने भाषण के अधिकार का उपयोग सभा के कार्य में बाधा डालने के प्रयोजन के लिए नहीं करेगा/करेगी;

[6][(नौ) किसी भी दीर्घा में बैठे हुए अजनबियों के प्रति कोई निर्देश नहीं करेगा/करेगी;

(दस) सरकारी अधिकारियों का नाम लेकर उल्लेख नहीं करेगा/करेगी;

(ग्यारह) अध्यक्षपीठ की पूर्व अनुमति के बिना लिखित भाषण नहीं पढ़ेगा/पढ़ेगी।]

किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में प्रक्रिया।

353. किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को भी [7][पर्याप्त अग्रिम सूचना] न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके:

परन्तु अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्ध किया जा सकेगा यदि अध्यक्ष की राय हो कि ऐसा आरोप सभा की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोकहित सिद्ध नहीं होता।

राज्य सभा में दिए गए भाषणों के उद्धृत किए जाने पर निर्बन्धन।

354. राज्य सभा में दिया गया कोई भाषण सभा में उद्धृत नहीं किया जायेगा जब तक कि वह किसी मंत्री द्वारा दिया गया कोई नीति संबंधी निश्चित वक्तव्य न हो:

---

[5]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा लोप किया गया।

[6]**वही,** जोड़ा गया।

[7]**वही,** प्रतिस्थापित किया गया।

परन्तु अध्यक्ष द्वारा उससे पहले से प्रार्थना किए जाने पर, किसी सदस्य को राज्य सभा में दिये गये किसी भाषण को उद्धृत करने या राज्य सभा की कार्यवाही का निर्देश करने की अनुज्ञा दिया जा सकेगा यदि अध्यक्ष यह समझे कि ऐसा करना किसी सदस्य के लिए किसी विशेषाधिकार या प्रक्रिया के प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है।

प्रश्नों का अध्यक्ष के माध्यम से पूछा जाना।

355. जब चर्चा के दौरान स्पष्टीकरण के प्रयोजनों के लिए या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, किसी सदस्य को उस समय सभा के विचाराधीन किसी विषय पर किसी अन्य सदस्य से कोई प्रश्न पूछना हो तो वह सदस्य अध्यक्ष के माध्यम से प्रश्न पूछेगा/पूछेगी।

असंगति या पुनरुक्ति।

356. अध्यक्ष द्वारा ऐसे सदस्य के आचरण की ओर, जो वाद-विवाद में बार-बार असंगत बातें करे या जो स्वयं अपने प्रतर्कों की या अन्य सदस्यों द्वारा प्रयुक्त प्रतर्कों की उकता देने वाली पुनरुक्ति करता रहे, सभा का ध्यान दिला देने के बाद उस सदस्य को अपना भाषण बन्द करने का निदेश दिया जा सकेगा।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण।

357. कोई सदस्य, अध्यक्ष की अनुज्ञा से, वैयक्तिक स्पष्टीकरण कर सकेगा/सकेगी यद्यपि सभा के सामने कोई प्रश्न न हो किन्तु उस अवस्था में कोई विवादास्पद विषय नहीं उठाया जाएगा और कोई वाद-विवाद नहीं होगा।

भाषणों का क्रम, उत्तर देने का अधिकार और वाद-विवाद का समापन

भाषणों का क्रम और उत्तर देने का अधिकार।

358. (1) प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य के बोल चुकने के बाद अन्य सदस्य प्रस्ताव पर ऐसे क्रम में बोल सकेंगे जिसमें कि अध्यक्ष द्वारा उनको पुकारा जाए। यदि कोई सदस्य इस प्रकार पुकारे जाने पर न बोले तो फिर ऐसे सदस्य को अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना, वाद-विवाद के किसी आगे के प्रक्रम में प्रस्ताव पर बोलने का हक नहीं होगा।

(2) उत्तर देने के अधिकार के प्रयोग को छोड़कर या इन नियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर कोई सदस्य किसी प्रस्ताव पर, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना, एक बार से अधिक नहीं बोलेगा/बोलेगी।

(3) कोई सदस्य, जिसने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया हो, उत्तर के रूप में पुनः बोल सकेगा/सकेगी और यदि प्रस्ताव किसी गैर-सरकारी

सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया हो तो संबंधित मंत्री, (चाहे वाद-विवाद में पहले बोल चुका हो या नहीं), अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्ताव के उत्तर देने के बाद बोल सकेगा/सकेगी:

परन्तु इस उप-नियम की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि किसी विधेयक या संकल्प में संशोधन के प्रस्तावक को अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना उत्तर देने का कोई अधिकार मिलता है।

वाद-विवाद का समापन।

359. नियम 358 के उप-नियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वाद-विवाद सब अवस्थाओं में मूल प्रस्ताव के प्रस्तावक के उत्तर देने पर समाप्त हो जाएगा।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन।

360. अध्यक्ष द्वारा स्वयं ही या किसी सदस्य द्वारा प्रश्न उठाये जाने पर या प्रार्थना किये जाने पर, किसी भी समय सभा में विचाराधीन विषय पर सदस्यों को उनके पर्यालोचन में सहायता करने की दृष्टि से सभा को सम्बोधित किया जा सकेगा और इस प्रकार व्यक्त किये गये मत के किसी प्रकार के विनिश्चय के स्वरूप में नहीं समझा जाएगा।

अध्यक्ष के खड़े होने पर प्रक्रिया

अध्यक्ष के खड़े होने पर प्रक्रिया।

361. (1) अध्यक्ष को, जब कभी खड़े हों, शान्तिपूर्वक सुना जाएगा और कोई सदस्य, जो उस समय बोल रहा/रही हो या बोलने वाला/वाली हो, तुरन्त अपना स्थान ग्रहण कर लेगा/लेगी।

(2) जब अध्यक्ष द्वारा सभा को सम्बोधित किया जा रहा हो तो कोई सदस्य अपने स्थान को नहीं छोड़ेगा/छोड़ेगी।

समापन और वाद-विवाद की परिसीमा

समापन।

362. (1) किसी प्रस्ताव के किये जाने के बाद किसी समय कोई भी सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी "कि अब प्रश्न रखा जाए" और, जब तक अध्यक्ष को यह प्रतीत न हो कि प्रस्ताव इन नियमों का दुरुपयोग है या उचित वाद-विवाद अधिकार का उल्लंघन करता है, तब अध्यक्ष द्वारा यह प्रस्ताव रखा जाएगा: "कि अब प्रश्न रखा जाएगा"।

(2) जब यह प्रस्ताव "कि अब प्रश्न रखा जाए" स्वीकृत हो जाये तो उससे आनुषंगिक प्रश्न या प्रश्नों को, अग्रेतर वाद-विवाद के

बिना तुरन्त रख दिया जाएगा:

परन्तु अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य को कोई उत्तर देने का अधिकार दिया जा सकेगा जो सदस्य को इन नियमों के अन्तर्गत प्राप्त हो।

वाद-विवाद की परिसीमा।

363. (1) जब कभी विधेयक के संबंध में किसी प्रस्ताव पर या किसी अन्य प्रस्ताव पर वाद-विवाद अनुचित रूप से लंबा हो जाये तो अध्यक्ष द्वारा सभा का अभिप्राय जानने के बाद, यथास्थिति, विधेयक या प्रस्ताव के किसी प्रक्रम या सब प्रक्रमों पर चर्चा की समाप्ति के लिए समय-सीमा निश्चित की जा सकेगी।

(2) विधेयक या प्रस्ताव के किसी खास प्रक्रम को पूरा करने के लिए निश्चित समय-सीमा के अनुसार नियम समय पर, यदि वाद-विवाद उससे पूर्व समाप्त न हो गया हो, तो अध्यक्ष द्वारा विधेयक या प्रस्ताव के उस प्रक्रम के संबंध में सभी अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखा जाएगा।

सभा का विनिश्चय

प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर प्रश्न।

364. जिस विषय पर सभा का विनिश्चय अपेक्षित हो वह सदस्य द्वारा किये गये प्रस्ताव पर अध्यक्ष द्वारा रखे गये प्रश्न के द्वारा विनिश्चय किया जायगा।

प्रस्ताव तथा प्रश्न का रखा जाना।

365. जब कोई प्रस्ताव किया गया हो तो अध्यक्ष द्वारा प्रश्न को विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और उसे सभा के विनिश्चय के लिए रखा जाएगा। यदि कोई प्रस्ताव में दो या अधिक अलग-अलग प्रस्थापनाएं शामिल हों तो वे प्रस्थापनाएं अध्यक्ष द्वारा अलग-अलग प्रश्नों के रूप में प्रस्तुत की जा सकेंगी।

आवाजें संग्रहीत होने के बाद किसी भाषण का न होना।

366. किसी प्रश्न पर अध्यक्ष "हां" वालों और "ना" वालों, दोनों की आवाजें संग्रहीत कर ले तो उसके बाद कोई सदस्य उस प्रश्न पर नहीं बोलेगा।

विभाजन

विभाजन सम्बन्धी प्रक्रिया।

367. (1) किसी वाद-विवाद की समाप्ति पर अध्यक्ष द्वारा प्रश्न रखा जाएगा और जो प्रस्ताव के पक्ष में हों उनसे "हां" और जो प्रस्ताव के विरुद्ध हों उनसे "ना" कहने के लिए कहा जाएगा।

(2) अध्यक्ष द्वारा तब यह कथन किया जाएगा: "मैं समझता/समझती हूं कि 'हां' (या यथास्थिति 'ना') वाले जीत गये हैं"। यदि किसी प्रश्न के विनिश्चय के संबंध में अध्यक्ष की राय पर आक्षेप नहीं किया जाता है, तो अध्यक्ष द्वारा दो बार यह कथन किया जाएगा: " 'हां' (या यथास्थिति 'ना') वाले जीत गये" और सभा के समक्ष प्रश्न तद्नुसार निर्धारित किया जाएगा।

(3) (क) यदि किसी प्रश्न के विनिश्चय के संबंध में अध्यक्ष की राय पर आक्षेप किया जाता है, तो अध्यक्ष "लॉबी" खाली किये जाने का आदेश देगा।

(ख) [3 मिनट और 30 सैकेंड][8] बीतने पर अध्यक्ष द्वारा प्रश्न को दूसरी बार रखा जाएगा और घोषित किया जाएगा कि अध्यक्ष की राय में 'हां' वाले जीत गये या 'ना' वाले।

(ग) यदि इस तरह घोषित राय पर फिर आपत्ति की जाये तो अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया जाएगा कि स्वचालित मतदान-यंत्र को चलाकर अथवा सभा में 'हां' और 'ना' वाली पर्चियों का प्रयोग करके अथवा सदस्यों द्वारा लॉबी में जाकर मतदान किया जाये:

परन्तु यदि अध्यक्ष की यह राय है कि विभाजन की मांग अनावश्यक रूप से की गई है, तो अध्यक्ष द्वारा क्रमश: 'हां' तथा 'ना' वाले सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा जा सकेगा और गणना हो जाने के बाद सभा का निश्चय विघोषित किया जा सकेगा। ऐसी दशा में मत देने वालों के नाम अभिलिखित नहीं किए जायेंगे।

स्वचालित मतदान-यंत्र द्वारा विभाजन।

367क. (1) अध्यक्ष द्वारा जब नियम 367 के उप-नियम (3) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत यह निदेश दिया जाए कि स्वचालित मतदान-यंत्र चलाकर मत अभिलिखित किया जाए तो मतदान यंत्र चलाया जायेगा और सदस्य अपने नियत स्थान से मतदान के लिए लगाये गए बटन दबाकर अपने मत देंगे।

(2) परिणाम-सूचक बोर्ड पर मतदान का परिणाम आ जाने पर, विभाजन का परिणाम अध्यक्ष द्वारा विघोषित किया जायेगा और उस पर आपत्ति नहीं की जायेगी।

---

[8]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) जो सदस्य मतदान के लिये लगाये गये बटन को, किसी ऐसे कारण से जो अध्यक्ष के विचार में पर्याप्त हो, दबाकर अपना मत न दे सका/सकी हो, वह विभाजन का परिणाम विघोषित किये जाने से पहले अध्यक्ष की अनुज्ञा से [यह कहकर कि वह] प्रस्ताव के पक्ष में अथवा विपक्ष में अपना मत मौखिक रूप से अभिलिखित करा सकेगा/सकेगी।

(4) यदि किसी सदस्य को पता चले कि उसने भूल से गलत बटन दबा कर मत दे दिया तो ऐसे सदस्य को अपनी भूल सुधारने की अनुमति दी जा सकेगी यदि वह सदस्य उसे अध्यक्ष की जानकारी में विभाजन का परिणाम घोषित किये जाने से पहले लाये।

'हां' और 'ना' वाली पर्चियों का वितरण करके मत-विभाजन।

367ककक. (1) जहां अध्यक्ष द्वारा नियम 367 के उप-नियम (3) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत यह निदेश दिया जाए कि सदस्यों द्वारा मत 'हां' और 'ना' वाली पर्चियों पर अभिलिखित किये जायेंगे, मत-विभाजन लिपिक ऐसे सदस्यों को उनके स्थानों पर उनके द्वारा दर्शाई गयी इच्छानुसार 'हां' अथवा 'ना' वाली एक पर्ची देंगे। सदस्य द्वारा इस पर्ची पर हस्ताक्षर करके तथा स्वयं की विभाजन संख्या लिखकर अपना मत अभिलिखित किया जाएगा।

(2) जब सदस्य अपना मत अभिलिखित कर लेंगे तो उसके पश्चात् मत-विभाजन लिपिक 'हां' वाली तथा 'ना' वाली पर्चियां इकट्ठी करेंगे और उन्हें सभा पटल पर लायेंगे जहां पर सभा पटल के निकट बैठे अधिकारियों द्वारा मतों की गणना की जायेगी तथा 'हां' और 'ना' वालों के योग अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

(3) मत-विभाजन का परिणाम अध्यक्ष द्वारा विघोषित किया जायेगा और उस पर आपत्ति नहीं की जायेगी।

लॉबी में जाकर विभाजन।

367ख. (1) अध्यक्ष द्वारा जब नियम 367 के उप-नियम (3) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत यह निदेश दिया जाए कि सदस्यों द्वारा सभा-कक्ष में जाकर मत अभिलिखित करवाये जायेंगे तो उसके द्वारा 'हां' वालों से दायीं लॉबी में जाने के लिए कहा जाएगा और 'ना' वालों से बायीं लॉबी में। यथास्थिति 'हां' या 'ना' वाली लॉबी में प्रत्येक सदस्य द्वारा अपनी विभाजन संख्या बतायी जाएगी और विभाजन लिपिक विभाजन सूची में उसकी संख्या पर निशान लगाते हुए साथ-साथ सदस्य का नाम पुकारेगा।

(2) लॉबी में मतदान पूर्ण हो जाने के बाद विभाजन लिपिक विभाजन सूचियां पटल पर ले आयेंगे और तब पटल पर बेठे हुए पदाधिकारियों द्वारा मतों की गणना की जायेगी और 'हां' वालों और 'ना' वालों के योग अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किये जायेंगे।

(3) विभाजन का परिणाम अध्यक्ष द्वारा विघोषित किया जायेगा और उस पर आपत्ति नहीं की जायेगी।

(4) जो सदस्य बीमारी या दौर्बल्य के कारण विभाजन लॉबी तक जाने में असमर्थ हों, वह विभाजन का परिणाम विघोषित किये जाने से पहले अध्यक्ष की अनुज्ञा से या तो उस सदस्य को आवंटित स्थान पर या लॉबी में मत अभिलिखित करा सकेगा/सकेगी।

(5) यदि किसी सदस्य को यह पता चले कि भूल से गलत लॉबी में मत दे दिया गया है तो ऐसे सदस्य को भूल सुधारने की अनुमति दी जा सकेगी यदि उस सदस्य द्वारा इस बात की जानकारी विभाजन का परिणाम विघोषित किये जाने से पहले अध्यक्ष के ध्यान में लायी जाए।

(6) जब विभाजन लिपिक विभाजन सूचियां पटल पर ला चुके हों तो कोई सदस्य, जिसने उस समय तक अपना मत अभिलिखित न कराया हो, किन्तु जो तब अपना मत अभिलिखित कराना चाहता/चाहती हो, विभाजन का परिणाम विघोषित किये जाने से पहले, अध्यक्ष की अनुज्ञा से ऐसा कर सकेगा/सकेगी।

पत्रों का पटल पर रखा जाना

उद्धृत पत्रों का पटल पर रखा जाना।

368. यदि किसी मंत्री द्वारा सभा में किसी ऐसे प्रेषण-पत्र या अन्य राजपत्र को उद्धृत किया जाए जो सभा के समक्ष नहीं रखा गया हो, तो मंत्री द्वारा संगत पत्र को पटल पर रखा जाएगा:

परन्तु यह नियम ऐसी किसी दस्तावेज पर लागू नहीं होगा जिसे मंत्री ऐसे स्वरूप का बताये कि उसका पेश किया जाना लोकहित के प्रतिकूल होगा:

परन्तु यह और भी कि जब मंत्री द्वारा ऐसे प्रेषण-पत्र या राजपत्र का अपने शब्दों में संक्षेप या सारांश बता दिया जाए तो संगत पत्रों को पटल पर रखना आवश्यक नहीं होगा।

पटल पर रखे गये पत्रों पर कार्यवाही और उनका प्रमाणीकरण।

369. (1) पटल पर रखा गया पत्र या दस्तावेज, उसे प्रस्तुत करने वाले सदस्य द्वारा उचित प्रकार से प्रमाणित किया जायेगा।

(2) पटल पर रखे गये सब पत्र और दस्तावेज सार्वजनिक समझे जायेंगे।

दिए गए परामर्श या राय को प्रकट करने संबंधी दस्तावेजों का सभा पटल पर रखा जाना।

370. यदि किसी मंत्री द्वारा किसी प्रश्न के उत्तर में या वाद-विवाद के दौरान कोई ऐसा परामर्श या राय प्रकट की जाए जो मंत्री को सरकार के किसी पदाधिकारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दी गई हो तो मंत्री द्वारा साधारणतया उस राय या परामर्श वाला संगत दस्तावेज या दस्तावेज का भाग या उसका संक्षेप पटल पर रखा जाएगा।

[सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति विषयक नियमों के लिए इस नियमावली का अध्याय 26 देखिये]

वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हित के आधार पर किसी सदस्य के मत पर आपत्ति

किसी सदस्य के मत पर आपत्ति।

371. यदि सभा के किसी विभाजन में किसी सदस्य के मत का विनिश्चय किये जाने वाले विषय में उस सदस्य के वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हित होने के आधार पर आपत्ति की जाये तो अध्यक्ष द्वारा, यदि आवश्यक समझा जाए, आपत्ति करने वाले सदस्य से अपनी आपत्ति के आधारों को सुतथ्यत: कहने के लिए और जिस सदस्य के मत पर आपत्ति की गई हो उससे अपना मामला बताने के लिए कहा जा सकेगा और यह विनिश्चित किया जाएगा कि उस सदस्य का मत अस्वीकृत किया जाना चाहिये या नहीं और अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा:

परन्तु किसी सदस्य या सदस्यों के मत पर आपत्ति मत विभाजन समाप्त होने के तुरन्त बाद और अध्यक्ष द्वारा परिणाम विघोषित किये जाने से पहले की जाये।

व्याख्या-इस नियम के प्रयोजनों के लिए सदस्य का हित प्रत्यक्ष, वैयक्तिक या आर्थिक होना चाहिये और वह हित जन साधारण या उसके किसी वर्ग या भाग के साथ सम्मिलित रूप में राज्य की नीति के किसी विषय में न होकर उस व्यक्ति का, जिसके मत पर आपत्ति की जाये, पृथक रूप से होना चाहिये।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

मंत्री द्वारा वक्तव्य।

372. लोक-महत्व के किसी विषय पर अध्यक्ष की सम्मति से मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकेगा किन्तु जिस समय वक्तव्य दिया जायेगा कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।

सदस्यों का बाहर चला जाना तथा निलम्बन

सदस्यों का बाहर चला जाना।

373. यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि किसी सदस्य का व्यवहार अव्यवस्थापूर्ण है तो अध्यक्ष द्वारा उस सदस्य को, तत्काल सभा से बाहर चले जाने का निदेश दिया जा सकेगा और जिस सदस्य को इस तरह बाहर चले जाने का आदेश दिया जा सकेगा वह तुरंत सभा से बाहर चला जाएगा/चली जाएगी और उस दिन की अवशिष्ट बैठक के समय तक अनुपस्थित रहेगा/रहेगी।

सदस्य का निलम्बन।

374. (1) अध्यक्ष द्वारा, यदि आवश्यक समझा जाए उस सदस्य का नाम लिया जा सकेगा जो अध्यक्षपीठ के प्राधिकार की उपेक्षा करे या जो हठपूर्वक और जान बूझकर सभा के कार्य में बाधा डालकर सभा के नियमों का दुरुपयोग करे।

(2) यदि किसी सदस्य का अध्यक्ष द्वारा इस तरह नाम लिया जाये तो अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव किये जाने पर, तुरन्त यह प्रश्न रखा जाएगा कि सदस्य (उस सदस्य का नाम लेकर) को सत्र के अवशिष्ट काल तक सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये:

परन्तु सभा किसी भी समय प्रस्ताव किये जाने पर संकल्प कर सकेगी कि ऐसा निलम्बन समाप्त किया जाये।

(3) इस नियम के अंतर्गत निलंबित सदस्य तुरन्त सभा के परिसर से बाहर चला जाएगा/चली जाएगी।

सदस्य का स्वतः निलंबन।

[9]**374क.** (1) नियम 373 और 374 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष के आसन के निकट आकर अथवा सभा में नारे लगाकर या अन्य प्रकार से सभा की कार्यवाही में बाधा डालकर लगातार और जानबूझकर सभा के नियमों का दुरुपयोग करते हुए घोर अव्यवस्था उत्पन्न किए जाने की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा सदस्य का नाम लिए जाने पर वह सभा की सेवा से लगातार पांच बैठकों के लिए या सत्र की शेष अवधि के लिए, जो भी कम हो, स्वत: निलंबित हो जाएगा/जाएगी:

परन्तु सभा किसी भी समय, प्रस्ताव किए जाने पर, संकल्प कर सकेगी कि ऐसा निलंबन समाप्त किया जाए।

(2) अध्यक्ष द्वारा इस नियम के अंतर्गत निलंबन किए जाने की घोषणा के बाद निलंबित सदस्य सभा के परिसर से तुरंत बाहर चला जाएगा।

---

[9]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 5.12.2001, के पैरा संख्या 2430 द्वारा जोड़ा गया।

घोर अव्यवस्था के कारण सभा का स्थगन या बैठक का निलम्बन

अध्यक्ष की सभा को स्थगित करने या बैठक को निलम्बित करने की शक्ति।

375. सभा में घोर अव्यवस्था उत्पन्न होने की दशा में, अध्यक्ष द्वारा यदि ऐसा करना आवश्यक समझा जाए, अध्यक्ष द्वारा उसके बताये गये समय के लिए सभा को स्थगित किया जा सकेगा या किसी बैठक को निलम्बित किया जा सकेगा।

औचित्य प्रश्न

औचित्य प्रश्न और उन पर विनिश्चय।

376. (1) औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सभा का कार्य विनियमित होता है, निर्वाचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसके द्वारा ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।

(2) औचित्य प्रश्न तत्समय सभा के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा:

परन्तु अध्यक्ष द्वारा सदस्य को कार्य की एकमद समाप्त होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दी जा सकेगी यदि वह सभा में व्यवस्था बनाये रखने या सभा के समक्ष कार्य विन्यास के संबंध में हो।

(3) उपनियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए किसी सदस्य द्वारा औचित्य प्रश्न उठाया जा सकेगा और अध्यक्ष द्वारा यह विनिश्चय किया जाएगा कि उठाया गया प्रश्न औचित्य प्रश्न है या नहीं और यदि हो तो उस पर अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) किसी औचित्य प्रश्न पर वाद-विवाद की अनुमति नहीं होगी, किन्तु अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए, विनिश्चय देने से पहले सदस्यों की बात सुनी जा सकेगी।

(5) औचित्य प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

(6) किसी सदस्य द्वारा-

(क) जानकारी मांगने के लिए, या

(ख) अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए, या

(ग) जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सभा के सामने रखा जा रहा हो, या

(घ) काल्पनिक, या

(ङ) विभाजन की घंटियां नहीं बजीं या सुनाई नहीं पड़ीं, ऐसा औचित्य प्रश्न नहीं उठाया जाए।

[10][**ऐसा विषय उठाना जो औचित्य प्रश्न न हो।**

377. ऐसे किसी सदस्य द्वारा जो सभा की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे जो औचित्य प्रश्न न हो तो वह उठाये जाने वाले विषय के पाठ की सूचना स्पष्ट तथा सही रूप से लिखित रूप में महासचिव को दी जाएगी। सदस्य को ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सहमति दिये जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के लिए दी जायेगी जो अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जाए।]

[11][**ग्राह्यता की शर्तें।**

377क. सूचना को ग्राह्य बनाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:–

(एक) वह उस विषय से सम्बन्धित नहीं होगी जो मुख्यतया भारत सरकार से संबंधित नहीं है;

(दो) वह उस विषय के संबंध में नहीं होगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी हो अथवा सत्र के दौरान इस नियम के अन्तर्गत सदस्य द्वारा उठाये गये विषय के समान हो;

(तीन) उसमें 250 से अधिक शब्द नहीं होंगे;

(चार) उसमें एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे;

(पांच) उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मकपद, अभ्यारोप, विशेषण या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे; और

(छह) उसमें संसदीय/सलाहकार समिति की कार्यवाही वृत्तांतों का उल्लेख नहीं किया जायेगा।

सूचनाएं देने के लिए समय और उनकी वैधता।

377ख. (एक) सप्ताह के दौरान पहली बैठक प्रारंभ होने के समय से सप्ताह के अंतिम दिन, जब सभा की बैठक हो, 10.00 बजे तक प्राप्त होने वाली सूचनायें उस सप्ताह के लिए वैध होंगी।

(दो) सप्ताह के अंतिम दिन, जिस दिन सभा की बैठक हो, 10.00 बजे के बाद प्राप्त होने वाली सूचनायें अगले सप्ताह के लिये वैध होंगी। उस दिन 10.00 बजे के बाद तथा 10.30 बजे तक प्राप्त सूचनायें उसी समय दी गई सूचनायें समझी जायेंगी तथा सदस्यों की पारस्परिक प्राथमिकता निश्चित करने के लिए इनका बैलट किया जायेगा। बाद में प्राप्त होने वाली सूचनायें उनके प्राप्त होने की तिथि तथा समय के अनुसार क्रमबद्ध की जायेंगी।

(तीन) उस सप्ताह के दौरान, जिसके लिये उन्हें दिया गया है, न चुनी गई सूचनायें, सप्ताह के अंत में व्यपगत हो जायेंगी:

परन्तु अध्यक्ष के आदेश के अधीन तथ्यों के लिए निर्दिष्ट कोई सूचना उसके अंतिम रूप से निपटाये जाने तक व्यपगत नहीं होगी।

---

[10]लोक सभा समाचार भाग–दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[11]**वही** जोड़ा गया।

विषय उठाने पर प्रतिबंध।

377ग. (एक) किसी भी सदस्य द्वारा सप्ताह के दौरान एक से अधिक विषय नहीं उठाये जाएंगे।

(दो) केवल अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित पाठ ही कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जायेगा।]

व्यवस्था बनाये रखना

अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था को बनाये रखा जाना और विनिश्चयों का प्रवर्तन किया जाना।

378. अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था बनायी रखी जाएगी और अपने विनिश्चयों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष को सब आवश्यक शक्तियां होंगी।

सभा की कार्यवाही, संसदीय पत्र और पत्रों की अभिरक्षा

कार्यवाही वृत्तान्त का तैयार किया जाना और उसका प्रकाशन।

379. महासचिव द्वारा सभा की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का पूरा वृत्तान्त तैयार करवाया जाएगा और उसे यथासाध्य शीघ्र ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति से प्रकाशित कराया जाएगा जैसा कि अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निदेश दिया जाए।

शब्दों का निकाला जाना।

380. यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि वाद-विवाद में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं जो मानहानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र हैं तो अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिया जा सकेगा कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सभा की कार्यवाही में से निकाल दिये जायें।

निकाले गये शब्दों के संबंध में कार्यवाही वृत्तान्त में संकेत करना।

381. सभा की कार्यवाही में से इस तरह निकाले गये अंश पर तारांक लगाया जायेगा और कार्यवाही में निम्नलिखित व्याख्यात्मक टिप्पणी समाविष्ट की जायेगी:

अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया-

संसदीय पत्रों का मुद्रण तथा प्रकाशन।

382. (1) अध्यक्ष द्वारा सभा के कार्य के संबंध में किसी पत्र, दस्तावेज या प्रतिवेदन अथवा पटल पर रखे गये या सभा या उसकी किसी समिति के सामने प्रस्तुत किये गये किसी पत्र, दस्तावेज या प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन, वितरण या विक्रय का प्राधिकार दिया जा सकेगा।

(2) उपनियम (1) के अनुसरण में मुद्रित, प्रकाशित, वितरित या विक्रीत कोई पत्र, दस्तावेज या प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 105 के खण्ड (2) के अर्थ में सभा के प्राधिकार के अन्तर्गत मुद्रित, प्रकाशित, वितरित या विक्रीत समझा जायेगा।

(3) यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई पत्र, दस्तावेज या प्रतिवेदन सभा के कार्य से संबंधित है या नहीं, तो उस प्रश्न को अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

पत्रों की अभिरक्षा।

383. सभा या उसकी किसी समिति के अथवा लोक सभा सचिवालयों के सभी अभिलेख, दस्तावेज और पत्र महासचिव की अभिरक्षा में रहेंगे और महासचिव द्वारा किन्हीं ऐसे अभिलेखों, दस्तावेजों या पत्रों को, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना, संसद भवन से बाहर नहीं ले जाने दिया जाएगा।

सभा का भवन

सभा के भवन के उपयोग पर निर्बन्धन।

384. सभा के भवन का उपयोग सभा की बैठकों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

सभा में राज्य सभा के पदाधिकारियों का प्रवेश

राज्य सभा के पदाधिकारियों को सभा की बैठक में प्रवेश का हक।

385. राज्य सभा के सचिवीय कर्मचारीवृन्द के किसी भी पदाधिकारी को सभा की किसी बैठक के दौरान सदन में प्रवेश करने का हक होगा।

अजनबियों का प्रवेश, उनको बाहर जाने का आदेश और हटाया जाना

अजनबियों का प्रवेश।

386. सभा की बैठकों के दौरान सदन के उन भागों में जो सदस्यों के अनन्य उपयोग के लिए रक्षित न हो, अजनबियों का प्रवेश अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार विनियमित किया जायेगा।

अजनबियों का बाहर चला जाना।

387. अध्यक्ष द्वारा जब कभी ठीक समझा जाये, अजनबियों को सदन के किसी भाग से बाहर चले जाने का आदेश दिया जा सकेगा।

अजनबियों का हटाया जाना और अभिरक्षा में लिया जाना।

387क. अध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत सचिवालय के किसी पदाधिकारी द्वारा सभा के परिसर के किसी भाग में, जो सदस्यों के अनन्य उपयोग के लिए रक्षित है, देखे गए किसी अजनबी को या जिसका वहां होना ऐसे पदाधिकारी को बताया जाये और ऐसे किसी अजनबी को भी, जो सभा के परिसर के किसी भाग में प्रविष्ट हो गया हो, जो स्वयं दुर्व्यवहार करे अथवा अध्यक्ष द्वारा नियम 386 के अंतर्गत बनाये गये विनियमों का जान-बूझकर उल्लंघन करे या सभा की बैठक के समय नियम 387 के अन्तर्गत जब अजनबियों से बाहर जाने को कहा जाये, बाहर न जाये, सभा के परिसर से हटा दिया जायेगा अथवा अभिरक्षा में ले लिया जाएगा।

राष्ट्रपति के शासनाधीन राज्य का कार्य संचालन

राष्ट्रपति के शासनाधीन राज्य से संबंधित कार्यवाही पर नियमों का लागू किया जाना।

387ख. ये नियम, ऐसे परिवर्तनों या रूप भेदों के साथ जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर किए जाएं, ऐसे राज्य से संबंधित कार्यवाही पर लागू होंगे जिनके विधानमंडल की शक्तियां राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा की सामर्थ्य से, संसद द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य हों।

नियमों का निलंबन

नियमों का निलंबन।

388. किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की सम्मति से, यह प्रस्ताव किया जा सकेगा कि सभा के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाये और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो वह प्रासंगिक नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जाएगा।

अवशिष्ट शक्तियां

अवशिष्ट शक्तियां।

389. ऐसे सभी विषय जिनका इन नियमों में विशिष्ट रूप से उपबन्ध न किया गया हो और इन नियमों की विस्तृत क्रियान्विति से संबंधित सभी प्रश्न ऐसी रीति से विनियमित किये जायेंगे जैसा कि अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निदेश दिया जाए।

अनुसूचियां

प्रथम अनुसूची

(**देखिए** नियम 161)

याचिका का प्रपत्र

सेवा में

लोक सभा

(यहां संक्षिप्त रूप में याचिका देने वाले/वाली या देने वालों के नाम तथा पद या विवरण, यथा "क, ख तथा अन्य" या ".....के/की निवासी" या "..... की नगरपालिका आदि" समाविष्ट कीजिए) की विनम्र याचिका दर्शाती है।

(यहां मामले का संक्षिप्त विवरण लिखिए)

और तद्नुसार आपको याचिका देने वाला/वाली (या याचिका देने वाले) प्रार्थना करता/करती है (करते हैं) कि—

(यहां समाविष्ट कीजिए "कि विधेयक के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही की जाये या न की जाये" या "कि आपको याचिका देने वाले/वाली (वालों) के मामले के लिए विधेयक में विशेष उपबन्ध किया जाये" या सभा के समक्ष विधेयक या विषय अथवा सामान्य लोक हित के विषय के संबंध में कोई अन्य समुचित प्रार्थना)

और आपको याचिका देने वाला/वाली (वाले) कर्त्तव्यबद्ध होकर सदा प्रार्थना करेगा/करेगी (करेंगे)।

याचिका देने वाले/वाली का नाम	पता	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

प्रस्तुत करने वाले सदस्य के प्रतिहस्ताक्षर।

द्वितीय अनुसूची

[1][*** ***]

[1]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 17.02.2014, पैरा संख्या 6174 द्वारा लोप किया गया।

तृतीय अनुसूची

(**देखिए** नियम 229 और 230)

किसी सदस्य के, यथास्थिति, बन्दीकरण, निरोध, दोषसिद्धि या रिहाई के बारे में सूचना का प्रपत्र

स्थान .....
दिनांक .....

सेवा में

अध्यक्ष,
लोक सभा,
नई दिल्ली।

प्रिय अध्यक्ष महोदया/महोदय,

क

मुझे आपको यह सूचना देनी है कि ..... (अधिनियम) की धारा ..... के अन्तर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेश देना अपना कर्त्तव्य समझा कि लोक सभा के सदस्य, श्रीमती/कुमारी/श्री ..... को ..... (यथास्थिति बन्दीकरण या निरोध के कारण) के लिए बंदी/निरुद्ध कर लिया जाये।

तद्नुसार श्रीमती/कुमारी/श्री ....., संसद् सदस्य को ..... (तिथि) को ..... पर (समय) बंदी बना लिया गया है। / हवालात में रखा गया है। और उसे इस समय ..... जेल.....(स्थान) में रखा गया है।

ख

मुझे आपको सूचना देनी है कि लोक सभा के सदस्य श्रीमती/कुमारी/श्री ..... पर ..... (दोषसिद्धि के कारण) के दोषारोप (या दोषारोपों के लिए) ..... न्यायालय में मेरे सामने मुकदमा चलाया गया।

..... दिन तक मुकदमा चलने के बाद ..... (तिथि) को मैंने उसे ..... का अपराधी पाया और उसे ..... (कालावधि) के कारावास का दंडादेश दिया।

(.....* को अपील करने की अनुमति के लिए उसका प्रार्थनापत्र विचारार्थ लम्बित है)।

*न्यायालय का नाम।

ग

मुझे आपको सूचना देनी है कि लोक सभा के सदस्य श्रीमती/कुमारी/श्री ..... को, जिसे ..... (तिथि) को ..... (बन्दीकरण/निरोध/दोषसिद्धि) के कारण बन्दी बनाया गया/निरुद्ध किया गया/सिद्धदोष ठहराया गया था, ... (तिथि) को ..... (रिहाई के कारण) रिहा कर दिया गया था।

भवनिष्ठ,
(न्यायाधीश, दण्डाधिकारी,
या कार्यपालिका प्राधिकारी)

चतुर्थ अनुसूची

(**देखिए** नियम 312क)

सरकारी उपक्रमों की सूची

भाग 1

(केन्द्रीय अधिनियमों द्वारा स्थापित किए गए सरकारी उपक्रम)

1. दामोदर घाटी निगम

   [******][1]

2[3]. (भारतीय)[2] जीवन बीमा निगम

3. केन्द्रीय भंडारण निगम

   [******]

4. भारतीय खाद्य निगम

5[8]. भारतीय [******] विमानपत्तन प्राधिकरण

   [******][9]

6. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण[10]

---

[1] प्रविष्टि 2, 3, 4 का लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 11.3.2015, पैरा 1540 द्वारा लोप किया गया।

[2] लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा 2930 द्वारा जोड़ा गया।

[3] प्रविष्टि 5 को लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 11.3.2015, पैरा 1540 द्वारा बदलकर 2 कर दिया गया।

[4] प्रविष्टि 6 को पूर्वोक्त द्वारा बदलकर 3 किया गया।

[5] प्रविष्टि 7 का पूर्वोक्त द्वारा लोप किया गया।

[6] प्रविष्टि 8 को पूर्वोक्त द्वारा बदलकर 4 किया गया।

[7] पूर्वोक्त द्वारा लोप किया गया।

[8] प्रविष्टि 9 को पूर्वोक्त द्वारा बदलकर 6 किया गया।

[9] प्रविष्टि 10, 11 को पूर्वोक्त द्वारा लोप किया गया।

[10] पूर्वोक्त द्वारा जोड़ा गया।

भाग 2

(सरकारी उपक्रम जो कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई सरकारी कम्पनियां हैं)

प्रत्येक सरकारी कम्पनी जिसका वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत संसद के सदनों के समक्ष रखा जाता है।

भाग 3

1. हिन्दुस्तान [11][एयरोनोटिक्स] लिमिटेड, बंगलौर।
2. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर।
3. मझगांव डाक्स लिमिटेड, मुम्बई।
4. गार्डन रीच [12][शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स] लिमिटेड, कलकत्ता।

---

[11] लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[12] **वही,** प्रतिस्थापित किया गया।

पांचवीं अनुसूची[1]

(**देखिए** नियम 331ग)

स्थायी समितियों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले मंत्रालय/विभाग

क्रमांक	समिति का नाम	मंत्रालय/विभाग
1	2	3
	भाग एक	
1.	वाणिज्य संबंधी समिति	वाणिज्य और उद्योग
2.	गृह कार्य संबंधी समिति	(1) गृह (2) पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास
3.	मानव संसाधन विकास संबंधी समिति	(1) मानव संसाधन विकास (2) युवा मामले और खेल (3) महिला और बाल विकास
4.	उद्योग संबंधी समिति	(1) भारी उद्योग और लोक उद्यम (2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
5.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति	(1) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (2) अंतरिक्ष (3) पृथ्वी विज्ञान (4) परमाणु ऊर्जा (5) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन[2]
6.	परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति	(1) नागर विमानन (2) सड़क परिवहन और राजमार्ग (3) पोत परिवहन (4) संस्कृति (5) पर्यटन

[1]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 20.7.2004, (पैरा 253) द्वारा 17 समितियों की वर्तमान अनुसूची को 24 समितियों की संशोधित अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और इसे समाचार भाग-दो, दिनांक 5.5.2006 (पैरा 2367), दिनांक 10.4.2007 (पैरा 3493), दिनांक 10.9.2008 (पैरा 6008), दिनांक 10.11.2009 (पैरा 675) और दिनांक 1.11.2011 (पैरा 3223) द्वारा स्वीकार किया गया।

[2]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 5.5.2015, पैरा संख्या 1827 द्वारा जोड़ा गया।

1	2	3
7.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति	(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (2) आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)[3]
8.	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति	(1) विधि और न्याय (2) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन
		भाग दो
9.	कृषि संबंधी समिति	(1) कृषि तथा किसान कल्याण[4] (2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
10.	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति	(1) संचार (2) इलेक्ट्रोनिकी[5] और सूचना प्रौद्योगिकी (3) सूचना और प्रसारण
11.	रक्षा संबंधी समिति	रक्षा
12.	ऊर्जा संबंधी समिति	(1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (2) विद्युत
13.	विदेशी मामलों संबंधी समिति	विदेश
14.	वित्त संबंधी समिति	(1) वित्त (2) कॉर्पोरेट मामले (3) योजना (4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन
15.	खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
16.	श्रम संबंधी समिति	(1) श्रम और रोजगार (2) वस्त्र (3) कौशल विकास और उद्यमिता[3]
17.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
18.	रेल संबंधी समिति	रेल

[3]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 5.5.2015, पैरा संख्या 1827 द्वारा जोड़ा गया।

[4]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 4.4.2016, पैरा संख्या 3250 द्वारा जोड़ा गया।

[5]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 8.11.2016, पैरा संख्या 4238 द्वारा जोड़ा गया।

1	2	3
19.	शहरी विकास संबंधी समिति	आवासन और शहरी कार्य[6]
20.	जल संसाधन संबंधी समिति	जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा जीर्णोद्धार[7]
21.	रसायन और उर्वरक संबंधी समिति	रसायन और उर्वरक
22.	ग्रामीण विकास संबंधी समिति	(1) ग्रामीण विकास (2) पंचायती राज
23.	कोयला और इस्पात संबंधी समिति	(1) कोयला (2) खान (3) इस्पात
24.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति	(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता (2) जनजातीय कार्य (3) अल्पसंख्यक मामले

[6]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 31.7.2018, पैरा संख्या 7187 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[7]लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 5.5.2015, पैरा संख्या 1827 द्वारा जोड़ा गया।

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

संसद के सदनों (संयुक्त बैठकों तथा संवाद) सम्बन्धी नियम*

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम। 1. ये नियम संसद के सदनों (संयुक्त बैठक तथा संवाद) संबंधी नियम कहलायेंगे।

परिभाषाएं। 2. इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "परिषद्" का तात्पर्य राज्य सभा से है;

(ख) "सभा" का तात्पर्य लोक सभा से है;

(ग) "सदनों" का तात्पर्य राज्य सभा तथा लोक सभा से है;

(घ) "संयुक्त बैठक" का तात्पर्य सदनों की किसी संयुक्त बैठक से है;

(ङ) "सदस्य" का तात्पर्य राज्य सभा या लोक सभा के/की सदस्य से है;

(च) "महासचिव" का तात्पर्य लोक सभा के महासचिव से और किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जो उस समय महासचिव का कार्य कर रहा हो/रही हो; और

(छ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य सभा के/की अध्यक्ष से है।

---

*राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 118 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सभा के सभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात् बनाये गये नियम। [संसदीय कार्य विभाग अधिसूचना संख्या 5(1) पी.ए. 52, दिनांक 16.5.1952, राजपत्र असाधारण (I-1) 20.5.1952]

अध्याय 2

सदनों की संयुक्त बैठकें

सदस्यों को आमंत्रण।

3. महासचिव द्वारा संयुक्त बैठक के लिए समय तथा स्थान का उल्लेख करते हुए प्रत्येक सदस्य को आमंत्रण भेजा जाएगा।

बैठक का समय।

4. अध्यक्ष द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि संयुक्त बैठक किस समय स्थगित की जायेगी तथा किस दिन और किस समय अथवा उसी दिन के किस भाग तक के लिए स्थगित की जायेगी।

पीठासीन अधिकारी।

5. किसी संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान, सभा का उपाध्यक्ष या, यदि उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो राज्य सभा का उप-सभापति या, यदि उप-सभापति भी अनुपस्थित हो तो ऐसा अन्य व्यक्ति, जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जाये, पीठासीन होगा।

गणपूर्ति।

6. संयुक्त बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति सदनों के सदस्यों की समस्त संख्या का दसवां भाग होगी।

प्रक्रिया।

7. किसी संयुक्त बैठक में सभा की प्रक्रिया ऐसे रूपभेदों तथा परिवर्तनों के साथ लागू होगी जिन्हें अध्यक्ष द्वारा आवश्यक या उचित समझा जाए।

संयुक्त बैठकों की कार्यवाही का वृत्तांत।

8. महासचिव द्वारा प्रत्येक संयुक्त बैठक की कार्यवाही का पूरा वृत्तांत तैयार करवाया जाएगा और उसे यथासाध्य शीघ्र ऐसे रूप में तथा ऐसी नीति से प्रकाशित करवाया जाएगा, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निर्देश दिया जाए।

अध्याय 3

सदनों के बीच संवाद

9. सदनों के बीच संवाद सन्देशों द्वारा होगा। **सन्देशों द्वारा संवाद।**

10. सभा से राज्य सभा को या राज्य सभा से सभा को प्रत्येक सन्देश लिखा हुआ या छपा हुआ या आंशिक रूप में लिखा हुआ और आंशिक रूप में छपा हुआ होगा तथा उस पर, यथास्थिति सभा या राज्य सभा के महासचिव के हस्ताक्षर होंगे और वह यथास्थिति राज्य सभा या सभा के महासचिव को भेजा जायेगा। **सन्देशों के भेजने की रीति।**

11. (1) सभा या राज्य सभा जबकि वह सत्र में हो, से किसी सन्देश के प्राप्त होने पर महासचिव द्वारा यथास्थिति, सभा या राज्य सभा को, संदेश प्राप्त होने के बाद प्रथम सुविधाजनक अवसर पर, उनकी सूचना दी जाएगी। **सदस्यों को सन्देशों की सूचना।**

(2) जब कभी, यथास्थिति सभा या राज्य सभा, जिसे सन्देश भेजा जाये, सत्र में न हो तो सन्देश की प्रति सभा या राज्य सभा के महासचिव को जैसे ही प्राप्त हो उस के द्वारा सभा या राज्य सभा के प्रत्येक सदस्य को भेजी जायेगी।

12. यथास्थिति, सभा या राज्य सभा जिसे कोई सन्देश भेजा जाये उसके द्वारा सन्देश के विषय के संबंध में कार्यवाही उसकी प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन को विनियमित करने वाले नियमों के अनुसार की जायेगी। **सन्देश के विषय के संबंध में कार्यवाही करने की प्रक्रिया।**

परिशिष्ट 2

प्रक्रिया नियमों में जिन समितियों का उल्लेख नहीं है उनके बारे में नियम*

सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति

गठन। 1. एक सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति होगी जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति तालिका के सदस्य, लोक सभा की सभी स्थायी संसदीय समितियों के/की सभापति, लोक सभा के मान्यता प्राप्त दलों और गुटों के नेता और ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाये। अध्यक्ष, समिति का पदेन सभापति होगा/होगी।

कृत्य। 2. समिति का कृत्य, सभा के मामलों से संबंधित ऐसे विषयों पर जो उसे अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें, विचार करना और उनके सम्बन्ध में मंत्रणा देना होगा।

अन्य प्रकरणों में लागू होने वाले उपबंध। 3. अन्य प्रकरणों में, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के अध्याय 26 में दिये गये संसदीय समितियों को लागू होने वाले सामान्य नियम ऐसे परिवर्तनों के साथ, चाहे वे रूपभेद, वृद्धि अथवा लोप द्वारा हों, लागू होंगे जैसे कि अध्यक्ष आवश्यक अथवा सुविधाजनक समझे।

आवास समिति

गठन। 1. (1) एक आवास समिति होगी, जिसमें सभापति को मिलाकर बारह से अनधिक सदस्य होंगे।

(2) समिति, अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित की जायेगी और उसकी पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। कोई सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नई आवास समिति के लिए पुनः नामनिर्देशित किया जा सकेगा।

गणपूर्ति। 2. समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति पांच होगी।

---

*अध्यक्ष द्वारा बनाये गये नियम।

3. (1) आवास समिति के कृत्य ये होंगे:— **कृत्य।**

(एक) लोक सभा के सदस्यों के निवास-स्थान संबंधी प्रश्नों के बारे में कार्यवाही करना; और

(दो) सदस्यों को दिल्ली में उनके निवास-स्थानों और होस्टलों में दी गई आवास, भोजन, चिकित्सा सहायता संबंधी और अन्य सुविधाओं की देखभाल करना।

(2) समिति के कृत्य मंत्रणात्मक होंगे।

4. (1) एक आवास-स्थान उप-समिति होगी, जिसमें आवास समिति के/की सभापति सहित, जो उप-समिति का/की पदेन सभापति होगा/होगी, चार से अनधिक सदस्य होंगे। **आवास स्थान उप-समिति।**

(2) उप-समिति के सदस्य, आवास समिति के/की सभापति द्वारा आवास समिति के सदस्यों में से नामनिर्देशित किये जायेंगे।

(3) उप-समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति दो होगी।

(4) उप-समिति का कृत्य सदस्यों को निवास-स्थान देने के संबंध में मंत्रणा देना होगा।

5. (1) समिति, आवास-स्थान, भोजन, चिकित्सा सहायता और सदस्यों के निवास-स्थानों में अन्य सुविधाओं के संबंध में किसी विशेष बात की जांच करने के लिए एक या अधिक उप-समितियां नियुक्त कर सकेगी, जिनमें से प्रत्येक को अविभक्त समिति की शक्तियां प्राप्त होंगी और ऐसी उप-समितियों के प्रतिवेदन सम्पूर्ण समिति के प्रतिवेदन समझे जायेंगे, यदि वे सम्पूर्ण समिति की किसी बैठक में अनुमोदित हो जायें। **उप-समिति को नियुक्त करने की शक्ति।**

(2) किसी उप-समिति को निर्देश के आदेश में जांच की बात या बातें स्पष्टतया लिखी होंगी। उप-समिति के प्रतिवेदन पर सम्पूर्ण समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

6. आवास समिति अथवा इसकी उप-समिति के लिए सचिवालय की व्यवस्था लोक सभा सचिवालय द्वारा की जायेगी। लोक-सभा के महासचिव द्वारा इस विषय में नामनिर्देशित लोक सभा सचिवालय **समिति के लिए सचिवालय।**

का/की एक पदाधिकारी आवास समिति तथा आवास-स्थान उप-समिति का सचिव होगा/होगी।

समिति की कार्यवाही और कार्यवाही के सारांश का अभिलेख।

7. (1) आवास समिति और आवास स्थान उप-समिति की बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखा जायेगा।

(2) कार्यवाही के सारांश का प्रारूप समिति के सचिव द्वारा तैयार किया जायेगा और सभापति द्वारा अनुमोदित होगा।

(3) प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का सारांश, यथास्थिति, समिति या उप-समिति के सदस्यों को परिचालित किया जायेगा। उसमें से संगत उद्धरण संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजे जा सकेंगे।

अपील।

8. आवास समिति अथवा आवास स्थान उप-समिति के विनिश्चय के विरुद्ध अपील अध्यक्ष से की जायेगी जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

अन्य प्रकरणों में लागू होने वाले उपबन्ध।

9. अन्य प्रकरणों में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के अध्याय 26 में दिये गये संसदीय समितियों को लागू होने वाले सामान्य नियम ऐसे परिवर्तनों के साथ, चाहे वे रूपभेद, वृद्धि अथवा लोप द्वारा हों, लागू होंगे जैसे कि अध्यक्ष आवश्यक तथा सुविधाजनक समझे।

ग्रंथालय समिति

गठन।

1. (1) एक ग्रंथालय समिति होगी जिसमें—

(क) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट लोक सभा के छह[1] सदस्य;

(ख) राज्य सभा के सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य सभा के तीन सदस्य होंगे।

(2) समिति एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पदधारण करेगी।

(3) [2]समिति के/की सभापति को अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जायेगा:

परन्तु उपाध्यक्ष यदि समिति का सदस्य हो तो समिति का/की सभापति नियुक्त किया जायेगा/की जायेगी।

---

[1]माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा 15.9.2014 को दिये गये आदेशों के तहत।

[2]माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा 5.9.2014 को दिये गये आदेशों के तहत।

(4) समिति में आकस्मिक रिक्त स्थानों को, लोक सभा के सदस्यों के संबंध में अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशन से और राज्य सभा के सदस्यों के संबंध में राज्य सभा के/की सभापति द्वारा नामनिर्देशन से भरा जायेगा।

2. समिति के कृत्य ये होंगे:- **कृत्य।**

(क) ग्रंथालय से संबंधित ऐसे विषयों पर विचार करना और मंत्रणा देना जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जायें;

(ख) ग्रंथालय की उन्नति के लिए सुझावों पर विचार करना; और

(ग) ग्रंथालय द्वारा दी गई सेवाओं से पूरा-पूरा लाभ उठाने में संसद सदस्यों की सहायता करना।

3. कोई सदस्य अध्यक्ष को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा समिति से अपने स्थान का त्याग कर सकेगा/सकेगी। **समिति से त्यागपत्र।**

4. यदि कोई सदस्य समिति की लगातार दो या अधिक बैठकों से समिति के सभापति की अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित रहे तो ऐसे सदस्य को, यथास्थिति, लोक सभा का अध्यक्ष अथवा राज्य सभा का सभापति, समिति से हटा सकेगा/सकेगी। **समिति की बैठकों से अनुपस्थित सदस्यों को हटाना।**

5. जिस समय लोक सभा अथवा राज्य सभा की बैठक हो रही हो उस समय भी समिति की बैठक हो सकेगी परन्तु किसी भी सदन में विभाजन की मांग किए जाने पर समिति का सभापति समिति की कार्यवाही ऐसे समय के लिए निलम्बित कर देगा/देगी जिसके भीतर, सभापति की राय में, सदस्य, विभाजन में मत दे सकें। **सदनों की बैठक के समय समिति की बैठक हो सकेगी।**

6. अन्य प्रकरणों में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के अध्याय 26 में दिये गये संसदीय समितियों को लागू होने वाले सामान्य नियम ऐसे परिवर्तनों के साथ, चाहे वे रूपभेद, वृद्धि अथवा लोप द्वारा हों, लागू होंगे जैसे कि अध्यक्ष आवश्यक अथवा सुविधाजनक समझे। **अन्य प्रकरणों में लागू होने वाले उपबन्ध।**

परिशिष्ट 3

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रावधान

संसद सदस्य वेतन, भत्ते तथा पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 9 के उद्धरण:

9. नियम बनाने की शक्ति: (1) इस धारा के अधीन नियम बनाने के प्रयोजन से संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति गठित की जायेगी जिसमें राज्य सभा के पांच सदस्य, जो सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे और लोक सभा के दस सदस्य होंगे जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति अपना सभापति निर्वाचित करेगी और उसे अपनी प्रक्रिया के विनियमन की शक्ति होगी।

[1][(2क) संयुक्त समिति का एक सदस्य अपने नामनिर्देशन की तारीख से एक वर्ष तक इस प्रकार के सदस्य के रूप में पदधारण करेगा और संयुक्त समिति में कोई आकस्मिक रिक्ति, यथास्थिति, राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशन द्वारा भरी जा सकेगी।

स्पष्टीकरण-संसद सदस्य वेतन भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 1958 के प्रारम्भ से तुरन्त पूर्व इस प्रकार के पदधारण करने वाले संयुक्त समिति के सदस्य की अवस्था में एक वर्ष की अवधि इस प्रकार के प्रारम्भ की तारीख से गिनी जायेगी।]

(3) उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति [2][केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के बाद] निम्न विषयों में से सभी या किसी की व्यवस्था के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्-

(क) किसी यात्रा के करने के लिए प्रयाणमार्ग;

[3][(कक) वे व्यक्ति जो धारा 2 के खंड (कक) के उपखंड (छ) के अधीन आश्रित के रूप में विनिर्दिष्ट किए जाएं];

---

[1]1958 के अधिनियम 55 द्वारा प्रतिस्थापित 30.12.1958 से लागू।

[2]तदेव।

[3]2004 के अधिनियम 9 द्वारा अंत:स्थापित 9.1.2004 से लागू।

(ख) रीति, जिसमें दिन के भागों को उस दिन के लिए समनुज्ञेय दैनिक भत्ते का अवधारण करने के प्रयोजन से गिनती में लिया जायेगा;

(ग) जहां किसी सदस्य के किसी पूरी यात्रा का उसके या उसके किसी भाग के लिए नि:शुल्क आने-जाने की व्यवस्था की गई है, वहां देय यात्रा भत्ता और [4][जहां किसी सदस्य के लिए सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार के खर्चे पर नि:शुल्क भोजन या निवास की व्यवस्था की गई है, वहां दैनिक भत्ते में कमी];

[5][(गग) वह दर, जिस पर धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (ii) के अधीन सड़क मील भत्ता दिया जाएगा];

[6][(गगग) वह मार्गस्थ वास-सुविधा और अवधि, जिसके लिए धारा 5क के अधीन ऐसी वास-सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी];

(घ) जहां वह स्थान जिससे कोई सदस्य अपनी यात्रा प्रारम्भ करता है या जहां वह वापस लौट आता है, ऐसा स्थान नहीं है, जहां वह प्राय: निवास करता हो, वहां देय यात्रा-भत्ता;

[7][(घघ) जहां कोई नियमित स्टीमर सेवा न हो वहां किसी जहाज द्वारा की गई यात्रा के संबंध में देय यात्रा भत्ता;

(घघघ) किसी सदस्य द्वारा सदस्य के नाते अपने कर्तव्य से संबद्ध भारत से बाहर के दौरे में की गई यात्राओं के लिए देय यात्रा और दैनिक भत्ते];

(ङ) प्रपत्र, जिसमें प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, तो सदस्य द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी भत्ते का दावा करने के लिए दिये जायेंगे;

[8][(ङङ) प्रपत्र, जिसमें प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो, तो किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी पेंशन के दावे के प्रयोजन के लिए दिए जायेंगे];

---

[4]1958 के अधिनियम 55 द्वारा अंत:स्थापित 30.12.1958 से लागू।

[5]1982 के अधिनियम 61 द्वारा अंत:स्थापित 6.11.1982 से लागू।

[6]2004 के अधिनियम 9 द्वारा अंत:स्थापित 9.1.2004 से लागू।

[7]1958 के अधिनियम 55 द्वारा प्रतिस्थापित 30.12.1958 से लागू।

[8]1976 के अधिनियम 105 द्वारा अंत:स्थापित 9.9.1976 से लागू।

[9][(च) धारा 8 में उल्लिखित निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ता तथा चिकित्सीय और अन्य सुविधाएं तथा ऐसे भत्तों और सुविधाओं के बदले में नकद संदत्त की जाने वाली रकम;

(चच) वह रकम जिसका वाहन क्रय करने के लिए प्रतिसंदेय अग्रिम के रूप में संदाय किया जा सकेगा, उस पर ब्याज की दर तथा ऐसी रकम और उस ब्याज की वसूली का ढंग];

[10][(चचच) 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी वर्ष से संबंधित अनुपयोजित नि:शुल्क टेलीफोन कॉल किसी पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत होने के संबंध में उपबंध करना]; और

(छ) साधारणतया इस अधिनियम के अधीन दैनिक तथा यात्रा भत्तों और पेंशन के संदाय के विनियमन के लिए।

(4) उपधारा (3) के अधीन बनाये गये कोई नियम तब तक प्रभावशील न होंगे, जब तक कि राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन और पुष्ट न कर दिये गये हों और राजकीय गजट में प्रकाशित न कर दिये गये हों और नियमों का ऐसा प्रकाशन निश्चायक प्रमाण होगा कि वे विधिवत् बनाये गये हैं।

---

[9]1975 के अधिनियम 48 द्वारा प्रतिस्थापित 16.8.1975 से लागू।

[10]2004 के अधिनियम 9 द्वारा अंत:स्थापित 9.1.2004 से लागू।

परिशिष्ट 4

लोक सभा सदस्य (दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985

लोक सभा के अध्यक्ष भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम।

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम, लोक सभा सदस्य (दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 है।

परिभाषाएं।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "समाचार" से लोक सभा समाचार अभिप्रेत है;

(ख) "समिति" से लोक सभा की विशेषाधिकार समिति अभिप्रेत है;

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) इन नियमों के संबंध में "प्रारम्भ की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है, जिस तारीख को ये नियम दसवीं अनुसूची, के पैरा 8 के उपपैरा (2) के अधीन प्रभावी होंगे;

(ङ) "सदन" से लोक सभा अभिप्रेत है;

(च) किसी विधानमंडलीय पार्टी के संबंध में "नेता" से उस दल का ऐसा सदस्य अभिप्रेत है जिसे उस दल ने अपना नेता चुना है और इसके अंतर्गत उस दल का कोई ऐसा अन्य सदस्य भी है जो उसकी अनुपस्थिति में नियमों के प्रयोजनार्थ उस दल के नेता के रूप में कार्य करने, उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उस दल द्वारा प्राधिकृत किया गया है;

(छ) "सदस्य" से लोक सभा का सदस्य अभिप्रेत है;

(ज) "दसवीं अनुसूची" से भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची अभिप्रेत है;

(झ) "महासचिव" से लोक सभा का महासचिव अभिप्रेत है, और उसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है, जो महासचिव के कर्तव्यों का तत्समय निर्वहन कर रहा है।

विधान-दल के नेता द्वारा जानकारी का दिया जाना।

3. (1) प्रत्येक विधानमंडलीय पार्टी का नेता (ऐसे विधान-दल से भिन्न जिसमें केवल एक सदस्य हो) सभा की पहली बैठक की तारीख से तीस दिन के भीतर या जहां ऐसे विधान-दल का गठन ऐसी तारीख के बाद किया गया है, वहां उसके गठन की तारीख से तीस दिन के भीतर अथवा प्रत्येक स्थिति में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, अध्यक्ष को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:-

(क) एक विवरण (लिखित रूप में) जिसमें ऐसे विधान-दल के सदस्यों के नाम और उसके साथ ऐसे सदस्यों से संबंधित अन्य विवरण होंगे जैसे कि प्ररूप 1 में हैं और ऐसे दल के उन सदस्यों के नाम और पदनाम होंगे, जिन्हें उस दल ने इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष से पत्र-व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत किया है;

(ख) संबंधित राजनीतिक दल के नियमों और विनियमों की एक प्रति (चाहे उन्हें इस नाम से या संविधान या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो); और

(ग) जहां ऐसे विधानमंडलीय पार्टी के कोई पृथक नियम और विनियम हैं (चाहे उन्हें इस नाम से अथवा संविधान या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो) वहां ऐसे नियमों और विनियमों की एक प्रति।

(2) जहां किसी विधानमंडलीय पार्टी में केवल एक सदस्य है वहां ऐसा सदस्य सदन की पहली बैठक की तारीख से तीस दिन के भीतर या जहां वह ऐसी तारीख के बाद सदन का सदस्य बना है वहां सदन में अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से तीस दिन के भीतर अथवा प्रत्येक स्थिति में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, अध्यक्ष के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित नियमों और विनियमों की एक प्रति भेजेगा/भेजेगी।

(3) ऐसे किसी विधान-दल की संख्या में, जिसमें केवल एक सदस्य है, वृद्धि होने पर, उपनियम (1) के उपबन्ध ऐसे विधान-दल के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, मानों वह विधान-दल उस तारीख को बनाया गया है, जिसको उसकी संख्या में वृद्धि हुई है।

(4) जब कभी किसी विधान-दल के नेता द्वारा उपनियम (1) के अन्तर्गत या किसी सदस्य द्वारा उपनियम (2) के अन्तर्गत दी गई सूचना में कोई परिवर्तन होता है तो संबंधित सदस्य उसके पश्चात् 30 दिन के भीतर अथवा ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, अध्यक्ष को ऐसे परिवर्तन की लिखित सूचना देगा/देगी।

(5) इन नियमों के प्रवर्तन की तारीख को विद्यमान सदन की दशा में उपनियम (1) और उपनियम (2) में सदन की पहली बैठक की तारीख के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इन नियमों के आरम्भ की तारीख के प्रति निर्देश है।

(6) जहां किसी राजनीतिक दल का कोई सदस्य, ऐसे राजनीतिक दल द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निदेश के विरुद्ध ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है, तो संबंधित विधान-दल का नेता या जहां ऐसा सदस्य ऐसे विधान-दल का, यथास्थिति, नेता या एकमात्र सदस्य है तो ऐसा सदस्य ऐसा मतदान करने या मतदान से विरत रहने की तारीख से पन्द्रह दिन की समाप्ति के पश्चात्, यथाशीघ्र, और किसी भी स्थिति में ऐसे मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने के तीस दिन के भीतर, प्ररूप 2 के अनुसार, अध्यक्ष को यह संसूचित करेगा कि ऐसा मतदान करने या मतदान से विरत रहने के लिए ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने माफ किया है या नहीं।

स्पष्टीकरण-किसी सदस्य का मतदान से विरत रहना तभी माना जायेगा जब ऐसा/ऐसी सदस्य मतदान करने के लिए अधिकृत किये जाने पर स्वेच्छा से मतदान से विरत रहेगा/रहेगी।

सदस्यों द्वारा सूचना आदि का दिया जाना।

4. (1) ऐसे प्रत्येक सदस्य जिसने इन नियमों के आरम्भ होने की तारीख से पूर्व सदन में अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, द्वारा ऐसी तारीख से तीस दिन के भीतर अथवा ऐसी आगे की अवधि के भीतर जिसकी अनुमति अध्यक्ष पर्याप्त कारण से दे, प्ररूप 3 में विशिष्टियों का एक विवरण और घोषणा महासचिव को भेजी जाएगी।

(2) प्रत्येक सदस्य द्वारा जो इन नियमों के आरम्भ के पश्चात् सदन में अपना स्थान ग्रहण करता है, संविधान के अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, महासचिव के पास, यथास्थिति, अपना निर्वाचन प्रमाणपत्र या उसे सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना की प्रमाणित प्रति जमा करायी जाएगी और प्ररूप 3 में विशिष्टियों का एक विवरण और घोषणा महासचिव को दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण-इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "निर्वाचन प्रमाणपत्र" से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी किया गया निर्वाचन प्रमाणपत्र है।

(3) इस नियम के अधीन सदस्य जो जानकारी देंगे उसका संक्षेप समाचार में प्रकाशित किया जायेगा और यदि अध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में उसमें कोई विसंगति बतायी जाती है तो समाचार में आवश्यक शुद्धि पत्र प्रकाशित किया जायेगा।

सदस्यों के बारे में जानकारी का रजिस्टर।

5. (1) महासचिव द्वारा प्ररूप 4 में एक रजिस्टर रखा जाएगा जो सदस्यों के संबंध में नियम 3 और नियम 4 के अधीन जानकारी पर आधारित होगा।

(2) प्रत्येक सदस्य के संबंध में जानकारी रजिस्टर में पृथक पृष्ठ पर अभिलिखित की जाएगी।

निर्देश का अर्जी द्वारा किया जाना।

6. (1) कोई सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है, या नहीं इस प्रश्न का निर्देश उस सदस्य के संबंध में इस नियम के उपबंधों के अनुसार दी गई अर्जी द्वारा ही किया जाएगा अन्यथा नहीं।

(2) किसी सदस्य के संबंध में कोई अर्जी किसी अन्य सदस्य द्वारा अध्यक्ष को लिखित रूप में दी जा सकेगी:

परन्तु अध्यक्ष के संबंध में कोई अर्जी महासचिव को सम्बोधित की जाएगी:

(3) महासचिव द्वारा,-

(क) उप-नियम (2) के परन्तुक के अधीन दी गई अर्जी की प्राप्ति के पश्चात्, यथाशीघ्र, उसके बारे में सदन को एक रिपोर्ट दी जाएगी; और

(ख) दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (1) के परन्तुक के अनुसरण में सदन द्वारा किसी सदस्य के निर्वाचित किये जाने के पश्चात्, अर्जी को यथाशीघ्र उस सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) किसी सदस्य के संबंध में कोई अर्जी देने से पूर्व अर्जीदार अपना यह समाधान करेगा कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं।

(5) प्रत्येक:-

(क) अर्जी में उन तात्विक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा, जिन पर अर्जीदार निर्भर करता है; और

(ख) अर्जी के साथ ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की, यदि कोई हो, प्रतियां संलग्न होंगी, जिस पर अर्जीदार निर्भर करता है और जहां अर्जीदार किसी व्यक्ति द्वारा उसे दी गई किसी जानकारी पर निर्भर करता है, वहां उन व्यक्तियों के नाम और पते सहित विवरण और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दी गई ऐसी जानकारी का सारांश संलग्न होगा।

(6) प्रत्येक अर्जी पर अर्जीदार के हस्ताक्षर होंगे और उसे, अभिवचनों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित रीति से सत्यापित किया जाएगा।

(7) अर्जी के प्रत्येक उपबन्ध पर भी अर्जीदार के हस्ताक्षर होंगे और उसे अर्जी के समान रीति से ही सत्यापित किया जायेगा।

प्रक्रिया।

7. (1) नियम 6 के अधीन अर्जी प्राप्त होने पर अध्यक्ष द्वारा इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या अर्जी उक्त नियम की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है।

(2) यदि अर्जी नियम 6 की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती है तो अध्यक्ष द्वारा अर्जी को रद्द किया जाएगा और अर्जीदार को तद्नुसार संसूचित किया जाएगा।

(3) यदि अर्जी नियम 6 की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है तो अध्यक्ष अर्जी और उसके उपबंधों की प्रतियां-

(क) उस सदस्य को भिजवाई जाएंगी, जिसके संबंध में अर्जी दी गई है; और

(ख) जहां ऐसा सदस्य किसी विधानमंडलीय पार्टी का है और ऐसी अर्जी उस दल के नेता ने नहीं दी है वहां ऐसे नेता को भी भिजवाई जाएगी और ऐसा सदस्य या नेता द्वारा, ऐसी प्रतियों की प्राप्ति से सात दिन के भीतर, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, उस पर अपनी लिखित टिप्पणियां अध्यक्ष को भिजवाई जाएंगी।

(4) अर्जी के संबंध में अनुज्ञात अवधि (चाहे मूलत: या उक्त उप-नियम के अधीन विस्तारित) के भीतर, उप-नियम (3) के अधीन प्राप्त टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् अध्यक्ष या तो प्रश्न का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा/होगी या यदि अध्यक्ष का उस मामले की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो अध्यक्ष अर्जी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उसे समिति को निर्दिष्ट करेगा/करेगी।

(5) अध्यक्ष उप-नियम (4) के अधीन समिति को अर्जी निर्दिष्ट करने के पश्चात् यथाशीघ्र अर्जीदार को तद्नुसार संसूचित करेगा/करेगी और ऐसे निर्देश के संबंध में सदन में घोषणा करेगा/करेगी या यदि सदन का सत्र उस समय नहीं चल रहा है तो उस निर्देश की सूचना समाचार में प्रकाशित कराएगा/कराएगी।

(6) जहां अध्यक्ष समिति को उप-नियम (4) के अधीन निर्देश करता/करती है, वहां अध्यक्ष समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र उस प्रश्न का अवधारण करेगा/करेगी।

(7) वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण अध्यक्ष उप-नियम (4) के अधीन किसी प्रश्न के अवधारणा के लिए करेगा/करेगी और वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण समिति प्रारंभिक जांच के प्रयोजन के लिए करेगी, यथासंभव, वही प्रक्रिया होगी जिसका समिति किसी सदस्य द्वारा सदन के विशेषाधिकार का भंग किये जाने के किसी प्रश्न का अवधारण करने के लिए अनुसरण करती है और अध्यक्ष या समिति इस निष्कर्ष पर कि वह सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है, तभी पहुंचेगी जबकि उस सदस्य को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का और व्यक्तिगत रूप से और यदि वह चाहता/चाहती है तो उसकी इच्छानुसार परामर्शी की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

(8) उप-नियम (1) से (7) तक के उपबन्ध अध्यक्ष के संबंध में दी गई अर्जी के बारे में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी अन्य सदस्य के संबंध में दी गई अर्जी के बारे में लागू होते हैं तथा इस प्रयोजनार्थ, इन उप-नियमों में अध्यक्ष के प्रति निर्देश का अर्थ दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (1) के परन्तुक के अन्तर्गत सदन द्वारा निर्वाचित सदस्य के प्रति निर्देश सहित लगाया जाएगा।

अर्जी पर विनिश्चय।

8. (1) अर्जी पर विचार पूरा होने के पश्चात् यथास्थिति, अध्यक्ष या दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (1) परन्तुक के अधीन निर्वाचित सदस्य लिखित आदेश द्वारा:-

(क) अर्जी को खारिज करेगा/करेगी; या

(ख) यह घोषणा करेगा/करेगी कि वह सदस्य जिसके संबंध में अर्जी दी गई है, दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है, और उस आदेश की प्रतियां अर्जीदार को, उस सदस्य को, जिसके संबंध में अर्जी दी गई है और संबंधित विधानमंडलीय पार्टी के नेता को, यदि कोई हो, परिदत्त या अग्रेषित करवाएगा/करवाएगी।

(2) ऐसा प्रत्येक विनिश्चय, जिसमें किसी सदस्य को दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त घोषित किया गया है सदन को, यदि वह सत्र में है, तुरन्त रिपोर्ट किया जाएगा और यदि सदन सत्र में नहीं है तो सदन के पुन: समवेत होने के तुरन्त पश्चात् रिपोर्ट किया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक विनिश्चय समाचार में प्रकाशित किया जाएगा और राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा तथा महासचिव उस विनिश्चय की प्रतियां भारत के निर्वाचन आयोग को और केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा/करेगी।

इन नियमों के विस्तृत कार्यकरण के संबंध में निदेश।

9. अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर ऐसे निदेश जारी किए जा सकेंगे, जो वह इन नियमों के विस्तृत कार्यकरण के बारे में आवश्यक समझे।

प्ररूप 1

[**देखिए** नियम (3)1(क)]

विधान दल का नाम: **तत्स्थानी राजनीतिक दल का नाम:**

क्रम संख्या	सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	राज्य का नाम जहां से निर्वाचित हुए	निर्वाचन क्षेत्र का नाम जहां से निर्वाचित हुए
1	2	3	4	5	6

तारीख **विधानमंडलीय पार्टी के नेता के हस्ताक्षर**

प्ररूप 2

[**देखिए** नियम (3)(6)]

सेवा में,

अध्यक्ष,
लोक सभा।

महोदय/महोदया,

सदन की ..... (तारीख) को हुई बैठक में ..... विषय पर हुए मतदान में

+श्रीमती/कुमारी/श्री ....., संसद सदस्य ने (विभाजन संख्या .....) जो ..... (राजनीतिक दल का नाम) के सदस्य तथा जो ..... (विधानमंडलीय पार्टी का नाम) के सदस्य हैं, ने	+मैंने/मैं ..... (सदस्य का नाम) संसद सदस्य (विभाजन संख्या .....), ... (राजनीतिक दल का नाम) का सदस्य और ..... (विधानमंडलीय पार्टी का नाम) का नेता/एकमात्र सदस्य हूं, ने

..... (*व्यक्ति/प्राधिकारी/दल) द्वारा दिए गए निदेशों के विरुद्ध उक्त *व्यक्ति/प्राधिकारी/दल की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना मतदान किया है/मतदान करने से विरत रहा है/रही है/रहा हूं/रही हूं।

2. ..... (तारीख) को पूर्वोक्त मामले पर ..... *(+व्यक्ति/प्राधिकारी/दल) द्वारा विचार किया गया और उक्त मतदान करने/मतदान करने से विरत+ रहने को, उसके+ द्वारा माफ+ किया गया/माफ नहीं किया गया।

भवदीय,

तारीख **(हस्ताक्षर)**

+अनुपयुक्त शब्दों/अंशों को काट दें।

*(यहां पर, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति, प्राधिकारी, दल का नाम लिखें जिसने निदेश जारी किया है)।

प्ररूप 3

(**देखिए** नियम 4)

1. सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में):
2. पिता/पति का नाम:
3. स्थायी पता:
4. दिल्ली का पता:
5. निर्वाचन/नामनिर्देशन की तारीख:
6. जिस दल से संबद्ध है/हैं-
   (1) निर्वाचन/नामनिर्देशन की तारीख को:
   (2) *28 फरवरी, 1985 को:
   (3) इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने की तारीख:

घोषणा

मैं .....; यह घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त जानकारी सत्य और सही है।

ऊपर दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन होने पर मैं अध्यक्ष महोदय को तत्काल सूचित करने का वचन देता/देती हूं।

तारीख **सदस्य के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान**

*1 मार्च, 1985 अर्थात् संविधान (52वां संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ होने की तारीख से पूर्व निर्वाचित या नाम-निर्देशित सदस्यों द्वारा ही भरा जाएगा।

प्ररूप 4

[**देखिए** नियम 5(1)]

सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	दिल्ली का पता	राज्य जिससे निर्वाचित हुए हैं	निर्वाचन/ नामनिर्देशन की तारीख	उस राजनीतिक दल का नाम जिससे वह संबद्ध है	उस विधान-मंडलीय पार्टी का नाम जिससे वह संबद्ध है	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अनुक्रमणिका

अनुक्रमणिका

अ

अजनबी (बियों):

प्रवेश, अध्यक्ष के आदेशानुसार विनियमित, [नि. 386], पृ. 148
बाहर चले जाने का आदेश, [नि. 387], पृ. 148

अतारांकित प्रश्न (नों):

देखिये "प्रश्न(नों)"

अधीनस्थ विधान:

राज्य सभा द्वारा लौटाया गया संशोधन, [नि. 237], पृ. 88
लोक सभा द्वारा पारित संशोधनों का राज्य सभा को पहुंचाना, [नि. 236], पृ. 88
विनियम, नियम आदि का पटल पर रखा जाना, [नि. 234], पृ. 88
विनियम, नियम आदि का संशोधित रूप में पटल पर रखा जाना, [नि. 239], पृ. 89
संशोधनों पर चर्चा के लिए समय का नियतन, [नि. 235], पृ. 88
संशोधनों पर सदनों के बीच असहमति, [नि. 238], पृ. 89

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति:

देखिये "समिति(यां)" के नीचे

अध्यक्ष

अधीनस्थ विधान:

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, अध्यक्ष की निदेश देने की शक्ति, [नि. 322], पृ. 120
संशोधनों पर चर्चा के लिए समय का नियतन, [नि. 235], पृ. 88
आचार समिति, [नि. 316क], पृ. 117

कटौती प्रस्ताव:

ग्राह्यता का अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय, [नि. 211], पृ. 78
के आदेशानुसार अजनबियों का प्रवेश नियमित, [नि. 386], पृ. 148
के खड़े होने पर प्रक्रिया, [नि. 361], पृ. 138

गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य:

चर्चा के लिए समय का नियतन, [नि. 26], पृ. 10

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक:

निर्धारित पूर्ववर्तिता में अध्यक्ष द्वारा परिवर्तन, [नि. 127 (3)], पृ. 49

धन विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित और राज्य सभा को प्रेषित:

प्रमाण पत्र का अध्यक्ष द्वारा अंकित किया जाना, [नि. 96(2)], पृ. 41

नामनिर्देशित संसदीय समिति की पदावधि, [नि. 256], पृ. 97

निर्वाचन प्रक्रिया, [नि. 7], पृ. 4

प्रश्नों और प्रस्तावों आदि की सूचनाओं का अध्यक्ष द्वारा संशोधन, [नि. 337], पृ. 130

प्रश्नों का पूछा जाना, [नि. 355], पृ. 137

प्रश्नों की ग्राह्यता का विनिश्चय, [नि. 43], पृ. 20

प्रश्नों के तारांकित अथवा अतारांकित माने जाने के बारे में विनिश्चय, [नि. 44], पृ. 20

लोकहित के विषय पर चर्चा संबंधी प्रस्ताव की ग्राह्यता का विनिश्चय, [नि. 187], पृ. 66

विधेयक:

खंड पर विचार का विलम्बन, [नि. 89], पृ. 40

प्रस्ताव किये जाने वाले नये खंड या संशोधन का चुनाव, [नि. 83], पृ. 38

विधेयकों का प्रमाणीकरण, [नि. 128], पृ. 49

विधेयकों में प्रत्यक्ष गलतियों को शुद्ध करने की शक्ति, [नि. 95], पृ. 41

विशेषाधिकार प्रश्न:

उठाने की रीति, [नि. 225], पृ. 83

विशेषाधिकार समिति को सौंपना, [नि. 227], पृ. 84

सभा में या समिति में प्रक्रिया के विनियमन के बारे में निदेश की शक्ति, [नि. 228], पृ. 84

व्यवस्था तथा विनिश्चयों के प्रवर्तन के लिए शक्तियां, [नि. 378], पृ. 147

संकल्प, अध्यक्ष को हटाने के लिये:

कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाना, [नि. 202], पृ. 74

भाषणों के लिए समय-सीमा, [नि. 203], पृ. 74

सभा की अनुमति, [नि. 201], पृ. 73

संकल्पों की ग्राह्यता का विनिश्चय, [नि. 174], पृ. 62

संसदीय समितियां:

निदेश देने की शक्ति, [नि. 283], पृ. 104

प्रक्रिया पर सुझाव देने की शक्ति, [नि. 281], पृ. 104

सभापति की नियुक्ति, [नि. 258], पृ. 98

सदनों द्वारा पुन:पारित विधेयकों का प्रमाणीकरण, [नि. 154], पृ. 55

सदस्य का निलम्बन, [नि. 374], पृ. 144

सदस्यों का बाहर चला जाना, [नि. 373], पृ. 144

सदस्यों की रिहाई:

सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा सूचना, [नि. 230], पृ. 85

सदस्यों के बन्दीकरण, निरोध आदि के बारे में दण्डाधिकारी द्वारा सूचना, [नि. 229], पृ. 84

सभा के परिसर में बन्दीकरण, [नि. 232], पृ. 85

सभा के परिसर में वैध आदेश के निर्वहन के लिए अनुज्ञा, [नि. 233], पृ. 85

सभा को सम्बोधन, [नि. 360], पृ. 138

सभा को स्थगित करने या बैठक को निलम्बित करने की शक्ति, [नि. 375], पृ. 145

सभापति तालिका का नामनिर्देशन, [नि. 9], पृ. 5

सरकारी कार्य का विन्यास निर्धारित करना, [नि. 25], पृ. 10

स्थगन प्रस्ताव:

सम्मति आवश्यक, [नि. 56], पृ. 27

सूचना, [नि. 57], पृ. 27

अध्यक्ष द्वारा प्रश्न:

सभा का विनिश्चय प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया, [नि. 364], पृ. 139

अध्यादेश (शों):

विवरण, [नि. 71], पृ. 32

अनियत दिन वाले प्रस्ताव (वों):

देखिये "प्रस्ताव (वों)" के नीचे

अनुदानों की मांगें:

देखिये "आय-व्ययक" के नीचे

अनुपस्थिति की अनुमति:

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति के लिए आवेदन-पत्र, [नि. 242], पृ. 92

अनुपूरक अनुदान:

देखिये "आय-व्ययक" के नीचे

अनुपूरक प्रश्न:

देखिये "प्रश्न (नों)" के नीचे

अल्प सूचना प्रश्न:

देखिये "प्रश्न (नों)" के नीचे

अवशिष्ट शक्तियां, [नि. 389], पृ. 149

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय (यों):

थोड़े समय की चर्चा:

अध्यक्ष द्वारा ग्राह्यता का विनिश्चय, [नि. 194], पृ. 68

औपचारिक प्रस्ताव तथा मतदान की अनावश्यकता, [नि. 195], पृ. 68

थोड़े समय की चर्चा उठाने की सूचना, [नि. 193], पृ. 68

भाषणों के लिए समय-सीमा, [नि. 196], पृ. 68

अविश्वास प्रस्ताव:

मंत्रिमंडल में, [नि. 198], पृ. 71

आ

आधे घंटे की चर्चा:

प्रश्नों के उत्तरों से उठने वाले लोक-महत्व के विषय;

औपचारिक प्रस्ताव या मतदान का निषेध, [नि. 55(5)], पृ. 26

ग्राह्यता, [नि. 55(3)], पृ. 25

दो से अधिक सूचनाओं में से दो का शलाका द्वारा निर्णय, [नि. 55(4)], पृ. 25

समय का नियतन, [नि. 55(1)], पृ. 25

सूचना की अवधि, [नि. 55(2)], पृ. 25

आमंत्रण:

सदस्य को सभाओं के सत्र के लिए, [नि. 3], पृ. 3

आय-व्ययक:

अनुदानों की मांगें, [नि. 206], पृ. 75

मतदान की प्रक्रिया, [नि. 208], पृ. 76

अनुपूरक अनुदान:

चर्चा की व्याप्ति, [नि. 216], पृ. 79

विनियमन प्रक्रिया, [नि. 215], पृ. 79

प्रस्तुतीकरण के दिन चर्चा निषिद्ध, [नि. 205], पृ. 75

कटौती प्रस्ताव:

अध्यक्ष द्वारा ग्राह्यता का विनिश्चय, [नि. 21], पृ. 9

ग्राह्यता की शर्तें, [नि. 210], पृ. 77

सूचना, [नि. 212], पृ. 78

कटौती प्रस्तावों के प्रकार, [नि. 209], पृ. 76

राष्ट्रपति के निदेशानुसार प्रस्तुतीकरण, [नि. 204], पृ. 75

लेखानुदान, [नि. 214], पृ. 79

सांकेतिक अनुदान, [नि. 217], पृ. 79

सामान्य चर्चा, [नि. 207], पृ. 75

आयोग (गों) संविहितः

लोकहित के विषय पर चर्चा के प्रस्ताव द्वारा विचाराधीन विषयों पर चर्चा निषिद्ध, [नि. 188], पृ. 67

संकल्पों द्वारा विचाराधीन विषयों पर चर्चा निषिद्ध, [नि. 175], पृ. 62

स्थगन प्रस्तावः

विचाराधीन विषयों पर चर्चा निषिद्ध, [नि. 59], पृ. 28

आरोपः

किसी व्यक्ति के विरुद्ध, [नि. 353], पृ. 136

आवाजों का संग्रहः

तत्पश्चात् भाषणों का निषेध, [नि. 366], पृ. 139

आवास समितिः

देखिये "समिति(यां)" के नीचे

उ

उद्धृत पत्र (त्रों):

पटल पर रखा जाना, [नि. 368], पृ. 142

उप-नियम (मों):

देखिये "अधीनस्थ विधान" के नीचे

उप-विधि (यां):

देखिये "अधीनस्थ विधान" के नीचे

उपाध्यक्षः

निर्वाचन प्रक्रिया, [नि. 8], पृ. 5

शक्तियां, [नि. 10], पृ. 6

संकल्प हटाने के लियेः

कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाना, [नि. 202], पृ. 74

भाषणों के लिए समय-सीमा, [नि. 203], पृ. 74

सभा की अनुमति, [नि. 201], पृ. 73

औ

औचित्य प्रश्न (नों):

प्रक्रिया, [नि. 376], पृ. 145

नियम 377 के अंतर्गत मामले:

सभा की जानकारी में लाने की प्रक्रिया, [नि. 377], पृ. 146

ग्राह्यता की शर्तें, [नि. 377क], पृ. 146

सूचनाएं देने का समय, [नि. 377ख], पृ. 146

विषय उठाने पर प्रतिबंध, [नि. 377ग], पृ. 147

क

कटौती प्रस्ताव:

देखिये "आय-व्ययक" के नीचे

कार्य-मंत्रणा समिति:

देखिये "समिति(यां)" के नीचे

कार्य-सूची, [नि. 31], पृ. 13

अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प का सम्मिलित किया जाना, [नि.202], पृ. 74

उपाध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प का सम्मिलित किया जाना, [नि. 202], पृ. 74

संकल्पों का समावेश, [नि. 31(4)], पृ. 13

ग

गजट:

परिभाषा, [नि. 2], पृ. 1

लोक सभा में स्थानों की रिक्तता की सूचना का प्रकाशन, [नि. 241], पृ. 91

लोक सभा में सदस्यों द्वारा स्थानों के त्याग संबंधी सूचनाओं का प्रकाशन, [नि. 240], पृ. 90

विधेयकों का पुर:स्थापन के बाद प्रकाशन, [नि. 73], पृ. 33

गणपूर्ति:

संसदीय समितियां:

बैठक का निलम्बन या स्थगन,—न होने पर, [नि. 259(2)], पृ. 99

बैठक के लगातार दो दिन तक गणपूर्ति न होने पर स्थगित होने की सभा या अध्यक्ष को सूचना, [नि. 259(3)], पृ. 99

बैठकों के लिए, [नि. 259(1)], पृ. 98

गैर-सरकारी विधेयक (कों):

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

गैर-सरकारी सदस्य:

परिभाषा, [नि. 2], पृ. 1

प्रश्नों का संबोधन तथा उनका उत्तर, [नि. 40], पृ. 17

गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य:

अवशिष्ट कार्य, दिन के अन्त में, [नि. 29], पृ. 12

चर्चा के लिए समय का नियतन, [नि. 26], पृ. 10

शुक्रवार के अतिरिक्त किसी अन्य दिन का अध्यक्ष द्वारा नियतन, [नि. 26], पृ. 10

समय का नियतन, [नि. 26], पृ. 10

स्थगित वाद-विवाद का पुन: आरम्भ, [नि. 30], पृ. 12

गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक (कों):

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प(पों):

देखिये "संकल्प(पों)" के नीचे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति:

देखिये "समिति(यां)" के नीचे

गोपनीय बैठक (कों):

देखिये "सभा की बैठक (कों)" के नीचे

च

चर्चा:

प्रत्याशा, [नि. 343], पृ. 132

त

तारांकित "प्रश्न (नों)" के नीचे

त्यागपत्र:

संसदीय समितियों की सदस्यता से, [नि. 257], पृ. 98

सदस्यों द्वारा सभा के स्थानों का त्याग प्रक्रिया, [नि. 240], पृ. 90

थ

थोड़े समय की चर्चा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर:

देखिये "अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय (यों)" के नीचे

द

दण्डाधिकारी(रियों):

सदस्य की रिहाई के बारे में अध्यक्ष को सूचना, [नि. 230], पृ. 85

सदस्य के बन्दीकरण, निरोध आदि के बारे में अध्यक्ष को सूचना, [नि. 229], पृ. 84

सदस्य के बन्दीकरण, निरोध आदि के बारे में सूचना पर कार्यवाही, [नि. 231], पृ. 85

ध

धन विधेयक (कों):

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

ध्यानाकर्षण:

प्रक्रिया, [नि. 197], पृ. 69

न

नियम (मों):

निलम्बन, [नि. 388], पृ. 149

देखिये "अधीनस्थ विधान" के नीचे भी

नियम समिति:

देखिये "समिति(यां)" के नीचे

निरोध, सदस्य (यों) का:

दंडाधिकारी द्वारा अध्यक्ष को सूचना, [नि. 229], पृ. 84

निर्वाचन:

अध्यक्ष के लिए प्रक्रिया, [नि. 7], पृ. 4

उपाध्यक्ष के लिए प्रक्रिया, [नि. 8], पृ. 5

निर्वाचन आयोग:

लोक सभा में सदस्यों द्वारा स्थानों के त्याग की सूचना, [नि. 240], पृ. 90

लोक सभा में स्थानों की रिक्तता की सूचना, [नि. 241], पृ. 91

निलम्बन:

नियमों का, [नि. 388], पृ. 149

बैठकों का:

अध्यक्ष की शक्ति, [नि. 375], पृ. 145

सदस्यों का, [नि. 374], पृ. 144

नीति अनुमोदन कटौती प्रस्ताव:

देखिये "आय-व्ययक" के नीचे

न्यायाधिकरण (णों) संविहित:

लोकहित के विषय पर चर्चा के प्रस्ताव द्वारा, के विचाराधीन विषयों पर चर्चा निषिद्ध, [नि. 188], पृ. 67

संकल्पों द्वारा, के विचाराधीन विषयों पर चर्चा निषिद्ध, [नि. 175], पृ. 62

स्थगन प्रस्ताव:

विचाराधीन विषयों पर चर्चा निषिद्ध, [नि. 59], पृ. 28

प

पटल:

परिभाषा, [नि. 2], पृ. 1

पटल पर रखे गये पत्र, [नि. 369], पृ. 142

अधीनस्थ विधान संशोधित रूप में, [नि. 239], पृ. 89

उद्धृत पत्र, [नि. 368], पृ. 142

विनियम, नियम आदि का पटल पर रखा जाना, [नि. 234], पृ. 88

पदत्याग:

मंत्री का, जिसने पदत्याग किया हो, वक्तव्य, [नि. 199], पृ. 72

पीठासीन, सदस्य (स्यों):

शक्तियां, [नि. 10], पृ. 6

ग्रंथालय समिति:

देखिये "समिति (यां)" के नीचे

प्रकाशन:

प्रश्नों के उत्तरों के पूर्व का निषेध, [नि. 53], पृ. 23

विधेयकों का पुर:स्थापन से पहले, [नि. 64], पृ. 30

प्रतिज्ञान:

सदस्यों द्वारा, [नि. 5], पृ. 3

प्रत्यक्ष गलती (तियां):

विधेयकों में, को शुद्ध करने की अध्यक्ष की शक्ति, [नि. 95], पृ. 41

प्रत्यनुदान:

देखिये "आय-व्ययक" के नीचे

प्रपत्र (त्रों):

याचिका का, पृ. 153

याचिकाओं का सामान्य, [नि. 161], पृ. 58

याचिकाओं पर महासचिव द्वारा प्रतिवेदन का, (द्वितीय अनुसूची) पृ. 154 (लोप)

सदस्य की रिहाई के बारे में अध्यक्ष को सूचना देने के लिए, [नि. 230], पृ. 85

सदस्य, के बन्दीकरण, निरोध, आदि के बारे में अध्यक्ष को सूचना देने के लिए, [नि. 229], पृ. 84

सदस्यों, के बन्दीकरण, निरोध, दोष सिद्धि या रिहाई के बारे में सूचना का, पृ. 155

प्रमाणीकरण:

याचिका का, [नि. 162], पृ. 59

विधेयकों का, [नि. 128], पृ. 49

प्रवर समिति(यां):

देखिये "समिति(यों)" के नीचे

प्रश्न(नों):

अध्यक्ष के माध्यम से, का पूछा जाना, [नि. 45], पृ. 20

अध्यक्ष द्वारा "तारांकित तथा अतारांकित" के बारे में विनिश्चय, [नि. 44], पृ. 20

अतारांकित प्रश्नों की संख्या सीमा, [नि. 45], पृ. 20

अनुपूरक, [नि. 50], पृ. 22

अल्पसूचना:

कई सदस्यों द्वारा एक ही विषय पर, [नि. 54(4)], पृ. 24

प्रक्रिया, [नि. 54], पृ. 23

आधे घंटे की चर्चा,—के उत्तर से उठने वाले किसी लोक महत्व के विषय पर प्रक्रिया, [नि. 55], पृ. 25

उत्तरों के पूर्व प्रकाशन का निषेध, [नि. 53], पृ. 23

उत्तरों में राज्य सभा की कार्यवाही या किसी प्रश्न के उत्तर की ओर निर्देश का निषेध, [नि. 51], पृ. 23

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच पत्र-व्यवहार से संबंधित, [नि. 42], पृ. 19

गैर-सरकारी सदस्यों को सम्बोधित, [नि. 40], पृ. 17

ग्राह्यता:

अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय, [नि. 43], पृ. 20

शर्तें, [नि. 41], पृ. 17

जिनका मौखिक उत्तर न दिया गया हो:

मंत्री द्वारा पटल पर लिखित उत्तर रखना, [नि. 39], पृ. 15

तारांकित तथा अतारांकित, में विभेद चिह्न, [नि. 36], पृ. 15

पुकारे जाने का क्रम, [नि. 46], पृ. 21

पूछने की रीति, [नि. 48], पृ. 21

पूछने के लिए, [नि. 32], पृ. 14

प्रस्तावों और, आदि की सूचनाओं का अध्यक्ष द्वारा संशोधन, [नि. 337], पृ. 130

मंत्रियों को, की ग्राह्यता की सूचना, [नि. 35], पृ. 14

मौखिक उत्तरों के लिए दिन नियत करना, [नि. 38], पृ. 15

मौखिक उत्तरों के लिए, की संख्या जो एक सदस्य एक दिन में पूछ सकता है, [नि. 37], पृ. 15

वापसी या स्थगन, [नि. 47], पृ. 21

सदस्यों को निर्दिष्ट लम्बित, का व्यपगत होना, [नि. 52], पृ. 23

सूचना का रूप, [नि. 34], पृ. 14

सूचना के लिए अवधि, [नि. 33], पृ. 14

सूची, [नि. 45], पृ. 20

स्थगन, [नि. 47], पृ. 21

प्रस्ताव (वों):

अनियत दिन वाले:

अध्यक्ष द्वारा निश्चित समय पर प्रश्न रखना, [नि. 191], पृ. 67

परिचालन, [नि. 189], पृ. 67

भाषणों के लिए समय-सीमा, [नि. 192], पृ. 67

समय का नियतन, [नि. 190], पृ. 67

गृहीत प्रस्तावों का प्रकाशन, [नि. 189], पृ. 67

नीति, स्थिति, वक्तव्य या किसी अन्य विषय पर विचार, [नि. 342], पृ. 132

पुनरुक्ति, [नि. 338], पृ. 130

प्रश्नों और, आदि की सूचनाओं का अध्यक्ष द्वारा संशोधन, [नि. 337], पृ. 130

लंबित, पर सत्रावसान का प्रभाव, [नि. 336], पृ. 130

वाद-विवाद का स्थगन, [नि. 340], पृ. 131

वाद-विवाद की समाप्ति, प्रस्ताव के उत्तर से, [नि. 359], पृ. 138

वापसी, [नि. 339], पृ. 130

विधेयक को पारित करने का, [नि. 93], पृ. 41

वाद-विवाद की व्याप्ति, [नि. 94], पृ. 41

विधेयकों की वापसी, [नि. 110], पृ. 44

प्रस्तुत या उसका विरोध करने वाले सदस्य द्वारा व्याख्यात्मक वक्तव्य, [नि. 111], पृ. 45

अलग-अलग प्रश्नों के रूप में रखना, [नि. 335], पृ. 130

प्राक्कलन (नों):

प्राक्कलन समिति द्वारा, की जांच, [नि. 312], पृ. 114

प्राक्कलन समिति:

देखिये "समिति (यां)" के नीचे

प्राधिकारी, संविहित:

लोक हित के विषय पर चर्चा के प्रस्ताव द्वारा, के विचाराधीन विषयों पर चर्चा निषिद्ध, [नि. 188], पृ. 67

संकल्पों द्वारा, के विचाराधीन विषयों पर चर्चा निषिद्ध, [नि. 175], पृ. 62

स्थगन प्रस्ताव:

विचाराधीन विषयों पर चर्चा निषिद्ध, [नि. 59], पृ. 28

ब

बंदीकरण, सदस्यों का (के):

दंडाधिकारी, द्वारा, के बारे में अध्यक्ष को सूचना, [नि. 229], पृ. 84

सभा के परिसर में, के लिए अध्यक्ष की अनुज्ञा आवश्यक, [नि. 232], पृ. 85

बैठक (कें), सभा की:

देखिये "सभा की बैठक (कें)"

भ

भारतीय संविधान:

देखिये "संविधान"

भाषण (णों):

आवाजें संग्रहीत होने के, बाद का निषेध, [नि. 366], पृ. 139

क्रम, [नि. 358], पृ. 137

सदस्यों द्वारा भाषणों में असंगति या पुनरुक्ति, [नि. 356], पृ. 137

स्थगन प्रस्ताव पर, के लिए समय-सीमा, [नि. 63], पृ. 29

म

मंत्रियों में अविश्वास प्रस्ताव (वों):

प्रक्रिया, [नि. 198], पृ. 71

मंत्री (त्रियों):

पदत्याग करने वाले, द्वारा वक्तव्य, [नि. 199], पृ. 72

परामर्श या राय के स्रोत का, द्वारा प्रकट किये जाने पर प्रक्रिया, [नि. 370], पृ. 143

परिभाषा, [नि. 2], पृ. 1

प्रश्न जिनका मौखिक उत्तर न दिया गया हो:

लिखित उत्तर का, द्वारा पटल पर रखा जाना, [नि. 39], पृ. 15

प्रश्नों की ग्राह्यता की सूचना, [नि. 35], पृ. 14

पारित संकल्प की प्रति को भेजना, [नि. 183], पृ. 64

राष्ट्रपति की मंजूरी या सिफारिश द्वारा सचिव को संसूचित करने का रूप, [नि. 348], पृ. 133

वक्तव्य, [नि. 372], पृ. 143

विधेयक (कों):

पुर:स्थापन के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी या सिफारिश का लोक सभा सचिव को लिखित रूप में पहुंचाना, [नि. 68], पृ. 31

संशोधन के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी या सिफारिश संबंधी राष्ट्रपति के आदेश का, द्वारा लोक सभा सचिव तक पहुंचाना, [नि. 80], पृ. 37

स्थगन प्रस्ताव की सूचना, [नि. 57], पृ. 27

मतदान:

अनुदानों की मांगों पर प्रक्रिया, [नि. 208], पृ. 76

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर थोड़े समय की चर्चा के समय की आवश्यकता, [नि. 195], पृ. 68

विधेयकों के खंडों और अनुसूचियों पर, [नि. 91], पृ. 40

संविधान में संशोधन चाहने वाले विधेयक:

प्रस्तावों पर, [नि. 157], पृ. 56

विभाजन द्वारा, [नि. 158], पृ. 57

खंडों और सूचियों के संशोधनों पर, [नि. 156], पृ. 56

खंडों और अनुसूचियों पर, [नि. 155], पृ. 56

संसदीय समितियों में, [नि. 261], पृ. 99

मितव्ययता कटौती प्रस्ताव:

देखिये "आय-व्ययक" के नीचे

मुद्रण तथा प्रकाशन:

संसदीय पत्रों का, [नि. 382], पृ. 147

य

याचिका (एं):

प्रस्तुतीकरण, [नि. 167], पृ. 60

रूप, [नि. 168], पृ. 60

सचिव को सूचना, [नि. 166], पृ. 60

पत्र, प्रपत्र या अन्य दस्तावेज साथ लगाने का निषेध, [नि. 163], पृ. 59, प्रपत्र पृ. 153

प्रमाणीकरण, [नि. 162], पृ. 59

याचिका समिति को निदेश, [नि. 169], पृ. 60

वित्तीय, विषयों से संबंधित, [नि. 160क], पृ. 58

व्याप्ति, [नि. 160], पृ. 58
महासचिव द्वारा प्रतिवेदन का प्रपत्र, द्वितीय अनुसूची, पृ. 154 (लोप)
सदस्य द्वारा दिये जाने पर प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक, [नि. 164], पृ. 59
सभा को संबोधन, [नि. 165], पृ. 60
सामान्य प्रपत्र, [नि. 161], पृ. 58

याचिका समिति:

देखिये "समिति (यां)" के नीचे

र

राज्य सभा:

अधीनस्थ विधान:
लोक सभा द्वारा पारित संशोधनों का, को पहुंचाना, [नि. 236], पृ. 88
असहमति, [नि. 238], पृ. 89
लोक सभा को लौटाना, [नि. 237], पृ. 88

धन विधेयक:

बिना सिफारिश लोक सभा को लौटाये गये, [नि. 103], पृ. 43
संशोधनों का निपटारा, [नि. 107], पृ. 44
संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव:
प्रक्रिया, [नि. 106], पृ. 44
सूचना, [नि. 105], पृ. 43
सदनों के बीच सहमति, [नि. 108], पृ. 44
सिफारिश के साथ लोक सभा को लौटाये गये, [नि. 104], पृ. 43
धन विधेयक के अतिरिक्त, द्वारा संशोधन सहित लोक सभा को लौटाये गये विधेयक:
पटल पर रखना, [नि. 98], पृ. 42

संशोधन:

निपटारा, [नि. 101], पृ. 43
विचार करने की प्रक्रिया, [नि. 100], पृ. 42
विचार करने के प्रस्ताव की सूचना, [नि. 99], पृ. 42
सदनों के बीच असहमति, [नि. 102], पृ. 43

प्रश्न लोक सभा में:

उत्तरों में कार्यवाही या किसी प्रश्न के उत्तर की ओर निर्देश का निषेध, [नि. 51], पृ. 23

राज्य सभा:

राष्ट्रपति द्वारा लौटाये गये, में प्रारम्भ होने वाले विधेयक-

पुन: विचार किये जाने के पश्चात् विधेयक का लोक सभा द्वारा पुन: पारण, [नि. 135], पृ. 51

संशोधनों के बिना लोक सभा द्वारा पुन: पारित विधेयक, [नि. 147], पृ. 53

संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के पारित रूप में लोक सभा में प्राप्त विधेयक:

पटल पर रखा जाना, [नि. 144], पृ. 53

विचार करने के प्रस्ताव की सूचना, [नि. 145], पृ. 53

संशोधनों पर विचार करने की प्रक्रिया, [नि. 136], पृ. 51

संशोधनों के बिना लोक सभा द्वारा पुन: पारित विधेयक, [नि. 147], पृ. 53

संशोधनों पर विचार के परिणामस्वरूप प्रक्रिया, [नि. 149], पृ. 54

संशोधनों सहित लोक सभा द्वारा पुन: पारित विधेयक, [नि. 148], पृ. 53

सदनों के बीच असहमति, [नि. 153], पृ. 54

राष्ट्रपति का सन्देश, [नि. 129], पृ. 50

लोक सभा की असहमति, [नि. 136], पृ. 51

राष्ट्रपति द्वारा संशोधन:

विचार, [नि. 133], पृ. 51

विचार की प्रक्रिया, [नि. 151], पृ. 54

विचार प्रस्ताव, [नि. 131], पृ. 50

वाद-विवाद की व्याप्ति, [नि. 132], पृ. 50

विचार प्रस्ताव की सूचना, [नि. 130], पृ. 50

लोक सभा द्वारा पुन: पारण, [नि. 135], पृ. 51

बिना संशोधनों के पुन: पारण के बारे में लोक सभा को सन्देश, [नि. 138], पृ. 52

लोक सभा द्वारा, को पहुंचाया जाना, [नि. 137], पृ. 51

संशोधनों के साथ लोक सभा को लौटाया जाना, [नि. 138], पृ. 52

संशोधनों का लोक सभा द्वारा निपटारा, [नि. 142], पृ. 52

संशोधनों का लोक सभा द्वारा विचार, [नि. 140], पृ. 52

विचार प्रक्रिया, [नि. 141], पृ. 52

लोक सभा की गोपनीय बैठकों के समय, के सदस्यों की उपस्थिति, [नि. 248(2)], पृ. 94

लोक सभा की बैठकों के दौरान में, के पदाधिकारियों को प्रवेश का हक, [नि. 385], पृ. 148

लोक सभा को पहुंचाये गये राज्य सभा में प्रारम्भ होने वाले विधेयक:

चर्चा की व्याप्ति, [नि. 179], पृ. 63

पटल पर रखा जाना, [नि. 114], पृ. 47

प्रवर समिति को सौंपा जाना, [नि. 118], पृ. 47

बिना संशोधन के पारण, को सन्देश, [नि. 120], पृ. 48

राज्य सभा द्वारा संशोधन:

निपटाया जाना, [नि. 125], पृ. 49

विचार की प्रक्रिया, [नि. 124], पृ. 48

विचार प्रस्ताव, [नि. 123], पृ. 48

लोक सभा द्वारा अस्वीकार किया जाना, [नि. 127], पृ. 49

लोक सभा द्वारा लौटाया जाना, [नि. 122], पृ. 48

विचार तथा पारण, [नि. 119], पृ. 48

विचार प्रस्ताव, [नि. 116], पृ. 47

विचार प्रस्ताव की सूचना, [नि. 115], पृ. 47

संशोधनों के साथ पारण, को सन्देश, [नि. 121], पृ. 48

सदनों के बीच असहमति, [नि. 126], पृ. 49

लोक सभा में दिये गये भाषणों के उद्धृत किये जाने पर निर्बन्धन, [नि. 354], पृ. 136

विचाराधीन विधेयक के जिसका सूत्रपात लोक सभा में हुआ हो, वापस लेने की प्रक्रिया, [नि. 110], पृ. 44

राज्य सभा से सन्देश:

धन विधेयकों के अतिरिक्त विधेयकों के बारे में, [नि. 97], पृ. 42

राष्ट्रपति:

आय-व्यय का, के निदेशानुसार प्रस्तुतीकरण, [नि. 204], पृ. 75

लोक सभा के लिए अध्यक्ष को सन्देश, [नि. 23], पृ. 9

संवाद:

लोक सभा को, [नि. 246], पृ. 93

लोक सभा से, [नि. 247], पृ. 93

राष्ट्रपति का अभिभाषण:

अन्य कार्य जो कि, के लिए नियत दिन पर लिया जा सकेगा, [नि. 19], पृ. 8

चर्चा के लिए समय का नियतन, [नि. 16], पृ. 8

धन्यवाद प्रस्ताव:

चर्चा की व्याप्ति, [नि. 17], पृ. 8

भाषणों के लिए समय-सीमा, [नि. 21], पृ. 9

संशोधन, [नि. 18], पृ. 8

सरकार का उत्तर देने का अधिकार, [नि. 20], पृ. 9

संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अन्तर्गत, [नि. 22], पृ. 9

राष्ट्रपति की मंजूरी या सिफारिश:

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक:

पुर:स्थापन के लिए, [नि. 65(2)], पृ. 30

विधेयक:

पुर:स्थापन के लिए, संबंधी आदेश का संबंधित मंत्री द्वारा लोक सभा महासचिव को लिखित रूप में पहुंचाना, [नि. 68], पृ. 31

संशोधनों के साथ, अनुबद्ध करना, [नि. 81], पृ. 38

संशोधनों पर, संबंधी आदेश का मंत्री द्वारा लोक सभा महासचिव तक पहुंचाना, [नि. 82], पृ. 38

संवाद का रूप, [नि. 348], पृ. 133

रिहाई, सदस्यों की:

अध्यक्ष को, के बारे में संबंधित प्राधिकारी द्वारा सूचना, [नि. 230], पृ. 85

अध्यक्ष को सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा सूचना, [नि. 230], पृ. 85

ल

लम्बित विधेयक, [नि. 112], पृ. 45

लेखानुदान:

देखिये "आय-व्ययक" के नीचे

लोक महत्व का, (के) विषय:

प्रश्नों के उत्तरों से उठने वाले किसी, पर आधे घंटे की चर्चा:

देखिये "आधे घंटे की चर्चा" के नीचे

लोक लेखा समिति:

देखिये "समिति(यां)" के नीचे

लोक सभा:

अधीनस्थ विधान:

राज्य सभा द्वारा पारित संशोधनों से असहमति, [नि. 238], पृ. 89

राज्य सभा द्वारा लौटाये गये संशोधन, [नि. 237], पृ. 88

धन विधेयक:

राज्य सभा द्वारा बिना सिफारिश लौटाये गये, [नि. 103], पृ. 43

राज्य सभा द्वारा सिफारिश के साथ लौटाये गये, [नि. 104], पृ. 43

संशोधनों का निबटारा, [नि. 107], पृ. 44

संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव:

प्रक्रिया, [नि. 106], पृ. 44

सूचना, [नि. 105], पृ. 43

सदनों के बीच असहमति, [नि. 108], पृ. 44

धन विधेयकों के अतिरिक्त राज्य सभा द्वारा संशोधन सहित लौटाये गये विधेयक:

पटल पर रखना, [नि. 98], पृ. 42

संशोधन:

निपटारा, [नि. 101], पृ. 43

विचार करने की प्रक्रिया, [नि. 100], पृ. 42

विचार करने के प्रस्ताव की सूचना, [नि. 99], पृ. 42

सदनों के बीच असहमति, [नि. 102], पृ. 43

धन विधेयकों के अतिरिक्त विधेयकों के बारे में राज्य सभा से सन्देश, [नि. 97], पृ. 42

बैठक के दौरान, में राज्य सभा के पदाधिकारियों को प्रवेश का हक, [नि. 385], पृ. 148

राज्य सभा में आरम्भ होने वाले तथा, को पहुंचाये गये विधेयक:

चर्चा की व्याप्ति, [नि. 117], पृ. 47

पटल पर रखा जाना, [नि. 114], पृ. 47

प्रवर समिति को सौंपा जाना, [नि. 118], पृ. 47

बिना संशोधन के पारण:

राज्य सभा को सन्देश, [नि. 120], पृ. 48

राज्य सभा को लौटाया जाना, [नि. 122], पृ. 48

राज्य सभा द्वारा संशोधन:

निपटाया जाना, [नि. 125], पृ. 49

विचार की प्रक्रिया, [नि. 124], पृ. 48

विचार प्रस्ताव, [नि. 123], पृ. 48

लोक सभा द्वारा अस्वीकार किया जाना, [नि. 127], पृ. 49

विचार तथा पारण, [नि. 119], पृ. 48

विचार प्रस्ताव, [नि. 116], पृ. 47

विचार प्रस्ताव की सूचना, [नि. 115], पृ. 47

संशोधन के साथ पारण:

राज्य सभा को सन्देश, [नि. 121], पृ. 48

सदनों के बीच असहमति, [नि. 126], पृ. 49

राज्य सभा में दिए गए भाषणों के उद्धृत किये जाने के निर्बन्धन, [नि. 354], पृ. 136

राष्ट्रपति द्वारा लौटाये गये राज्य सभा में आरम्भ होने वाले विधेयकः

राज्य सभा द्वारा पुनः विचार किये जाने के पश्चात् विधेयक का पुनःपारण, [नि. 150], पृ. 54

राज्य सभा द्वारा पुनः संशोधनों सहित प्राप्त विधेयकः

संशोधनों का निपटाया जाना, [नि. 152], पृ. 54

संशोधनों पर विचार करने की प्रक्रिया, [नि. 151], पृ. 54

राज्य सभा में संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के पारित रूप में प्राप्त विधेयकः

पटल पर रखा जाना, [नि. 144], पृ. 53

विचार प्रस्ताव की सूचना, [नि. 145], पृ. 53

संशोधनों पर विचार करने की प्रक्रिया, [नि. 146], पृ. 53

संशोधनों के बिना पुनः पारित विधेयक, [नि. 147], पृ. 53

संशोधनों पर विचार के परिणामस्वरूप प्रक्रिया, [नि. 149], पृ. 54

संशोधनों सहित पुनः पारित विधेयक, [नि. 148], पृ. 53

सदनों के बीच असहमति, [नि. 153], पृ. 54

राष्ट्रपति द्वारा लौटाये गये, लोक सभा में प्रारम्भ होने वाले विधेयकः

राष्ट्रपति का सन्देश, [नि. 129], पृ. 50

असहमति, [नि. 143], पृ. 52

राष्ट्रपति द्वारा संशोधनः

विचार, [नि. 133], पृ. 51

विचार की प्रक्रिया, [नि. 134], पृ. 51

विचार प्रस्ताव, [नि. 131], पृ. 50

वाद-विवाद की व्याप्ति, [नि. 132], पृ. 50

विचार प्रस्ताव की सूचना, [नि. 130], पृ. 50

विधेयक का पुनः पारण, [नि. 135], पृ. 51

राज्य सभा को पहुंचाया जाना, [नि. 137], पृ. 51

राज्य सभा द्वारा बिना संशोधनों के पुनः पारण के बारे में सन्देश, [नि. 138], पृ. 52

राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटाया जाना, [नि. 138], पृ. 52
संशोधनों का, द्वारा निबटारा, [नि. 142], पृ. 52
संशोधनों पर, द्वारा विचार, [नि. 140], पृ. 52
विचार प्रक्रिया, [नि. 141], पृ. 52
सदनों के बीच असहमति, [नि. 143], पृ. 52
सत्रावसान पर राष्ट्रपति का अभिभाषण, [नि. 24], पृ. 9
सदस्यों द्वारा बोलते समय पालनीय नियम, [नि. 352], पृ. 135
सदस्यों द्वारा, के स्थानों का त्याग: प्रक्रिया, [नि. 240], पृ. 90
सदस्यों द्वारा, में बोलने का नियम:
अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर बोलने का हक, [नि. 350], पृ. 135
सदस्यों द्वारा, में रहते हुए पालनीय नियम, [नि. 349], पृ. 133
सदस्यों द्वारा, को सम्बोधित करने की रीति, [नि. 351], पृ. 135
स्थगित करने की अध्यक्ष की शक्ति, [नि. 375], पृ. 145
स्थानों की रिक्तता, [नि. 241], पृ. 91
लोक सभा समाचार
परिभाषा, [नि. 2], पृ. 1
देखिए "समाचार" भी
लोक हित के विषय पर चर्चा:
प्रस्ताव, [नि. 184], पृ. 65
ग्राह्यता का विनिश्चय अध्यक्ष द्वारा, [नि. 187], पृ. 66
ग्राह्यता की शर्तें, [नि. 186], पृ. 65
सूचना, [नि. 185], पृ. 65
संविहित न्यायाधिकरण, आयोग, प्राधिकारी आदि विचाराधीन विषयों पर चर्चा:
निषिद्ध, [नि. 188], पृ. 67

व

वक्तव्य (व्यों):
पद त्याग करने वाले मंत्री द्वारा, [नि. 199], पृ. 72
मंत्री द्वारा, [नि. 372], पृ. 143

वाद-विवाद:

कार्यवाही-वृत्तान्त का तैयार किया जाना और उसका प्रकाशन, [नि. 379], पृ. 147

परिसीमा, [नि. 363], पृ. 139

मुद्रित, से निकाली गई कार्यवाही को दर्शाना, [नि. 381], पृ. 147

विधेयक पर, का स्थगन, [नि. 109], पृ. 44

शब्दों का निकाला जाना, [नि. 380], पृ. 147

समापन, [नि. 362], पृ. 138

समाप्ति, [नि. 359], पृ. 138

स्थगन प्रस्ताव पर, समापन, [नि. 62], पृ. 29

"वित्त मंत्री"

परिभाषा, [नि. 2], पृ. 1

वित्त विधेयक:

देखिये "विधेयक(कों)" के नीचे

वित्तीय कार्य:

अन्य कार्य जो, के लिए निश्चित दिन लिया जा सकता है, [नि. 220], पृ. 82

निबटाने के लिए समय-सीमा, [नि. 221], पृ. 82

विधान:

देखिए "अधीनस्थ विधान" भी

विधेयक(कों):

अध्यादेशों के स्थान पर पुर:स्थापित किये जाने वाले में, अध्यादेशों के संबंध में विवरण, [नि. 71], पृ. 32

अनुसूचियों और खण्डों पर मतदान, [नि. 91], पृ. 40

अनुसूचियों पर विचार, [नि. 90], पृ. 40

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और नाम का सभा के समक्ष रखना, [नि. 92], पृ. 40

खण्ड पर विचार पर अध्यक्ष द्वारा विलम्बन, [नि. 89], पृ. 40

खण्डश: रखा जाना, [नि. 88], पृ. 39

खण्डों और अनुसूचियों पर मतदान, [नि. 91], पृ. 40

उद्देश्यों और कारणों का आवश्यकता होने पर अध्यक्ष द्वारा पुनरीक्षण, [नि. 65(1)], पृ. 30

चर्चा के लिए समय का नियतन, [नि. 26], पृ. 10

निर्धारित पूर्ववर्तिता में अध्यक्ष द्वारा परिवर्तन, [नि. 27(3)], पृ. 12

पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव की सूचना, [नि. 65], पृ. 30

पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचना की कालावधि, [नि. 65(3)], पृ. 30

पूर्ववर्तिता, [नि. 27], पृ. 10

राष्ट्रपति की मंजूरी या सिफाशि, पुर:स्थापन के लिए, [नि. 65(2)], पृ. 30

विधेयकों की पंजी से हटाने के लिए विशेष उपबन्ध, [नि. 113], पृ. 47

शलाका द्वारा पूर्ववर्तिता का निर्धारण, [नि. 27(2)], पृ. 11

स्थगित वाद-विवाद का पुनरारम्भ, [नि. 30], पृ. 12

तृतीय पाठ:

वाद-विवाद की व्याप्ति, [नि. 94], पृ. 41

विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियां:

विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियां, [नि. 331ग], पृ. 124

गठन, [नि. 331घ], पृ. 124

कृत्य, [नि. 331ङ], पृ. 125

कृत्यों से संबंधित उपबंधों की प्रयोज्यता, [नि. 331च], पृ. 125

अनुदानों की मांगों से संबंधित प्रक्रिया, [नि. 331छ], पृ. 126

विधेयकों से संबंधित प्रक्रिया, [नि. 331ज], पृ. 126

समिति के प्रतिवेदन, [नि. 331झ], पृ. 126

सामान्य नियमों की प्रयोज्यता, [नि. 331ञ], पृ. 127

बैठकों का स्थल, [नि. 331ट], पृ. 127

विशेषज्ञ राय लेने का अधिकार, [नि. 331ठ], पृ. 127

विचार न किये जाने वाले विषय, [नि. 331ड], पृ. 127

प्रतिवेदनों का स्वरूप प्रत्यकारी होगा, [नि. 331ढ], पृ. 127

धनः

संयुक्त समिति को निर्देशित करने का निषेध, [नि. 74], पृ. 33

धन के अतिरिक्त राज्य सभा द्वारा संशोधन सहित लोक सभा को लौटाये गये, पटल पर रखना, [नि. 98], पृ. 42

संशोधनः

का निपटारा, [नि. 101], पृ. 43

विचार करने की प्रक्रिया, [नि. 100], पृ. 42

विचार करने के प्रस्ताव की सूचना, [नि. 99], पृ. 42

सदनों के बीच असहमति, [नि. 102], पृ. 43

धन, के अतिरिक्त, के बारे में राज्य सभा के सन्देश, [नि. 97], पृ. 42

धन, राज्य सभा द्वारा बिना सिफारिश, लोक सभा को लौटाये गये, [नि. 103], पृ. 43

धन, राज्य सभा द्वारा सिफारिश के साथ लोक सभा को लौटाये गये, [नि. 104], पृ. 43

धन, राज्य सभा द्वारा सिफारिश के साथ लोक सभा को लौटाये गयेः

संशोधनों का निपटारा, [नि. 107], पृ. 44

विचार, [नि. 106], पृ. 44

सूचना, [नि. 105], पृ. 43

राज्य सभा की सिफारिश द्वारा न माने जाने पर पारित हुआ समझा जाना, [नि. 108], पृ. 44

धन, लोक सभा द्वारा पारित और राज्य सभा को प्रेषितः

प्रमाण-पत्र का अध्यक्ष द्वारा अंकित किया जाना, [नि. 96(2)], पृ. 41

परिचालित करने का प्रस्ताव, [नि. 74(4) और 75], पृ. 33-34

पारण प्रस्ताव, [नि. 93], पृ. 41

पारित करने का प्रस्तावः

वाद-विवाद की व्याप्ति, [नि. 94], पृ. 41

पुनःपारित, का प्रमाणीकरण, [नि. 154], पृ. 55

पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्तावः

विरोध होने पर प्रक्रिया, [नि. 72], पृ. 32

पुरःस्थापन के बाद गजट में प्रकाशन, [नि. 73], पृ. 33

पुर:स्थापन के बाद प्रस्ताव, [नि. 74], पृ. 33

पुर:स्थापन के बारे में सदस्यों को प्रस्ताव पेश करने का अधिकार, [नि. 76], पृ. 35

प्रकाशन:

पुर:स्थापन के बाद, [नि. 73], पृ. 33

पुर:स्थापन से पहले, [नि. 64], पृ. 30

प्रत्यक्ष गलतियों को शुद्ध करने की अध्यक्ष की शक्ति, [नि. 95], पृ. 41

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन, [नि. 70], पृ. 32

प्रमाणीकरण, [नि. 128], पृ. 49

प्रवर/संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने के बाद प्रस्ताव, [नि. 77], पृ. 36

प्रवर/संयुक्त समिति के प्रतिवेदन पर वाद-विवाद की व्याप्ति, [नि. 78], पृ. 37

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव, [नि. 74(2), 75(3)], पृ. 33-34

राज्य सभा में आरम्भ होने वाले तथा लोक सभा को पहुंचाए गए, चर्चा की व्याप्ति, [नि. 117], पृ. 47

पटल पर रखा जाना, [नि. 114], पृ. 47

प्रवर समिति को सौंपा जाना, [नि. 118], पृ. 47

बिना संशोधन के पारण: राज्य सभा को संदेश, [नि. 120], पृ. 48

राज्य सभा द्वारा संशोधन:

निपटाया जाना, [नि. 125], पृ. 49

विचार की प्रक्रिया, [नि. 124], पृ. 48

विचार करने का प्रस्ताव, [नि. 123], पृ. 48

लोक सभा द्वारा अस्वीकार किया जाना, [नि. 127], पृ. 49

लोक सभा द्वारा लौटाया जाना, [नि. 121], पृ. 48

विचार तथा पारण, [नि. 119], पृ. 48

विचार करने का प्रस्ताव, [नि. 116], पृ. 47

विचार करने के प्रस्ताव की सूचना, [नि. 115], पृ. 47

संशोधन के साथ पारण: राज्य सभा को सन्देश, [नि. 121], पृ. 48

सदनों के बीच असहमति, [नि. 126], पृ. 49

राष्ट्रपति की मंजूरी या सिफारिश का संबंधित मंत्री द्वारा लोक सभा महासचिव को लिखित रूप में पहुंचाना, [नि. 68], पृ. 31

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए नियत दिन को पुनःस्थापन अनुमति प्रस्ताव, [नि. 19(1)(क)], पृ. 8

राष्ट्रपति द्वारा लौटाये गये राज्य सभा में आरम्भ होने वालेः

राज्य सभा द्वारा पुनः विचार किये जाने के पश्चात्, का लोक सभा द्वारा पुनः पारण, [नि. 150], पृ. 54

राज्य सभा द्वारा पुनः संशोधनों सहित पारित लोक सभा को प्राप्त संशोधनों का निपटाया जाना, [नि. 152], पृ. 54

संशोधनों पर विचार करने की प्रक्रिया, [नि. 151], पृ. 54

राज्य सभा से संशोधनों के साथ, बिना संशोधनों के पारित रूप में प्राप्त विधेयकः

पटल पर रखा जाना, [नि. 144], पृ. 53

विचार प्रस्ताव की सूचना, [नि. 145], पृ. 53

संशोधनों पर विचार करने की प्रक्रिया, [नि. 146], पृ. 53

संशोधनों के बिना लोक सभा द्वारा पुनः पारित, [नि. 147], पृ. 53

संशोधनों पर विचार के परिणामस्वरूप प्रक्रिया, [नि. 149], पृ. 54

संशोधनों सहित लोक सभा द्वारा पुनः पारित, [नि. 148], पृ. 53

सदनों के बीच असहमति, [नि. 153], पृ. 54

राष्ट्रपति द्वारा लौटाये गये लोक सभा में प्रारम्भ होने वालेः

राष्ट्रपति का सन्देश, [नि. 129], पृ. 50

लोक सभा की सहमति, [नि. 136], पृ. 51

राष्ट्रपति द्वारा संशोधनः

विचार, [नि. 133], पृ. 51

विचार की प्रक्रिया, [नि. 134], पृ. 51

विचार करने का प्रस्ताव, [नि. 131], पृ. 50

वाद-विवाद की व्याप्ति, [नि. 132], पृ. 50

विचार करने के प्रस्ताव की सूचना, [नि. 130], पृ. 50

लोक सभा द्वारा पुनः पारण, [नि. 135], पृ. 51

राज्य सभा को पहुंचाया जाना, [नि. 137], पृ. 51

राज्य सभा द्वारा बिना संशोधन के पुनः पारण के बारे में संदेश, [नि. 138], पृ. 52

राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटाया जाना, [नि. 139], पृ. 52

संशोधनों का लोक सभा द्वारा निपटारा, [नि. 142], पृ. 52

संशोधनों पर लोक सभा द्वारा विचार, [नि. 140], पृ. 52

प्रक्रिया, [नि. 141], पृ. 52

सदनों के बीच असहमति, [नि. 143], पृ. 52

लोक सभा द्वारा पारित और राज्य सभा को संदेश सहित प्रेषित, [नि. 96], पृ. 41

प्रत्यक्ष गलतियों की शुद्धि, [नि. 95], पृ. 41

वाद-विवाद का स्थगन, [नि. 109], पृ. 44

वापस लिये जाने के प्रस्ताव का विरोध किये जाने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, [नि. 111], पृ. 45

वापसी का प्रस्ताव, [नि. 110], पृ. 44

विचार प्रस्ताव, [नि. 74], पृ. 33

वित्तः

तात्पर्य, [नि. 219(1)], पृ. 80

प्रक्रिया, [नि. 219 (2-6)], पृ. 81-82

वित्तीय ज्ञापन और वे खण्ड जिनमें व्यय अन्तर्ग्रस्त हैं, [नि. 69], पृ. 31

विधेयकों की पंजी से हटाया जाना, [नि. 112], पृ. 45

विधेयक का सभा पटल पर रखा जाना, [नि. 144], पृ. 53

विनियोगः

प्रक्रिया, [नि. 218], पृ. 79

संयुक्त समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव, [नि. 74(3), 75(3)], पृ. 33-34

संविधान में संशोधन चाहने वालेः

खण्डों और अनुसूचियों के संशोधनों पर मतदान, [नि. 156], पृ. 56

खण्डों और अनुसूचियों पर मतदान, [नि. 155], पृ. 56

प्रस्तावों पर मतदान, [नि. 157], पृ. 56

विभाजन द्वारा मतदान, [नि. 158], पृ. 57

संशोधनः

क्रम विचार करने का, [नि. 85], पृ. 39

खण्ड अथवा अनुसूचियों में संशोधन प्रस्तुत करना, [नि. 86], पृ. 39

ग्राह्यता की शर्तें, [नि. 80], पृ. 37

परिचालित करने के प्रस्ताव, [नि. 75(3)], पृ. 34

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव, [नि. 75(3)], पृ. 34

राष्ट्रपति की सिफारिश, [नि. 81], पृ. 38

राष्ट्रपति की सिफारिश की संसूचना, [नि. 82], पृ. 38

वापस लेना, [नि. 87], पृ. 39

विन्यास, [नि. 84], पृ. 38

संशोधनों में संशोधन, [नि. 134], पृ. 51

सिद्धांत की चर्चा के समय, [नि. 75(2)], पृ. 34

सूचना, [नि. 79], पृ. 37

राष्ट्रपति की सिफारिश, [नि. 81], पृ. 38

संशोधनों या खण्डों का चुनाव, अध्यक्ष द्वारा, [नि. 83], पृ. 38

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव, [नि. 93 (2)], पृ. 41

सभा में लम्बित किसी अन्य, पर निर्भरः

चर्चा तब ही हो सकेगी जबकि पहला विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका हो तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी जा चुकी हो, [नि. 66], पृ. 31

पुरःस्थापन, की अनुमति, [नि. 66], पृ. 31

समान विधेयक, [नि. 67], पृ. 31

सरकारीः

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का सरकारी विधेयक या अन्य सरकारी कार्य के पक्ष में विलम्बन, [नि. 19(2)], पृ. 8

सिद्धांत की चर्चा, [नि. 75], पृ. 34

"विधेयक का प्रभारी सदस्य" पृ. 34

परिभाषा, [नि. 2], पृ. 1

विधेयकों की पंजी:

गैर-सरकारी विधेयकों को, से हटाने के लिए विशेष उपबन्ध, [नि. 113], पृ. 47

विधेयक का, से हटाया जाना, [नि. 112], पृ. 45

विधेयक पर प्रवर समिति (यों):

देखिए "समिति(यां)" के नीचे विनियम(मों):

देखिये "अधीनस्थ विधान" के नीचे

विनियोग विधेयक:

देखिये "विधेयक(कों)" के नीचे

विभाजन:

प्रक्रिया, [नि. 367], पृ. 139

संविधान में संशोधन चाहने वाले विधेयक

मतदान-द्वारा, [नि. 158], पृ. 57

विशेषाधिकार प्रश्न:

अध्यक्ष की सभा या समिति में प्रक्रिया के विनियमन के बारे में निदेश देने की शक्ति, [नि. 228], पृ. 84

उठाने की रीति, [नि. 225], पृ. 83

ग्राह्यता की शर्तें, [नि. 224], पृ. 83

विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना, [नि. 227], पृ. 84

व्याप्ति, [नि. 222], पृ. 83

सभा की गोपनीय बैठकों की कार्यवाही या विनिश्चयों का प्रकट करना, [नि. 252], पृ. 95

सभा या समिति द्वारा विचार, [नि. 226], पृ. 84

सूचना, [नि. 223], पृ. 83

विशेषाधिकार समिति:

देखिये "समिति(यां)" के नीचे

वैध आदेश का निर्वहन:

सभा के परिसर में, के लिए अध्यक्ष की अनुज्ञा आवश्यक, [नि. 233], पृ. 85

वैयक्तिक स्पष्टीकरण:

सदस्यों द्वारा, [नि. 357], पृ. 137

व्यवस्था:

अध्यक्ष द्वारा, बनाए रहना, [नि. 378], पृ. 147

श

शपथ या प्रतिज्ञान:

सदस्यों द्वारा, [नि. 5], पृ. 3

शलाका:

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक:

पूर्ववर्तिता का निर्धारण, [नि. 27(2), 28], पृ. 11-12

पूर्ववर्तिता का, द्वारा निर्धारण, [नि. 28], पृ. 12

स

संकल्प (ल्पों):

अध्यक्ष को हटाने के लिए

कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाना, [नि. 202], पृ. 74

ग्राह्यता, [नि. 200क], पृ. 73

भाषणों के लिए समय सीमा, [नि. 203], पृ. 74

चर्चा का अवसर, [नि. 202क], पृ. 74

सभा की अनुमति, [नि. 201], पृ. 73

अनेक विषयों से अन्तर्ग्रस्त, का विभाजन, [नि. 181], पृ. 63

उपाध्यक्ष को हटाने के लिए:

कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाना, [नि. 202], पृ. 74

ग्राह्यता, [नि. 200क], पृ. 74

भाषणों के लिए समय सीमा, [नि. 203], पृ. 74

चर्चा का अवसर, [नि. 202क], पृ. 74

सभा की अनुमति, [नि. 201], पृ. 73

कार्य-सूची में समावेश, [नि. 31(4)], पृ. 13

गैर-सरकारी सदस्यों के लिए:

शलाका द्वारा पूर्ववर्तिता का निर्धारण, [नि. 28], पृ. 12

स्थगित वाद-विवाद का पुनरारम्भ, [नि. 30], पृ. 12

ग्राह्यता का विनिश्चय, अध्यक्ष द्वारा, [नि. 174], पृ. 62

ग्राह्यता की शर्तें, [नि. 173], पृ. 61

चर्चा की व्याप्ति, [नि. 179], पृ. 63

न्यायाधिकरण, आयोग, प्राधिकारी, आदि के विचाराधीन विषयों-पर चर्चा निषिद्ध, [नि. 175], पृ. 62

पुनरुक्ति, [नि. 182], पृ. 64

प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, [नि. 176], पृ. 62

भाषणों के लिए समय सीमा, [नि. 178], पृ. 63

मंत्री के पास पारित, की प्रति भेजना, [नि. 183], पृ. 64

रूप, [नि. 171], पृ. 61

लम्बित, पर सत्रावसान, का प्रभाव, [नि. 336], पृ. 130

विषय, [नि. 172], पृ. 61

संशोधन करने की प्रक्रिया, [नि. 177], पृ. 63

संशोधनों तथा, की वापसी, [नि. 180], पृ. 63

सूचना, [नि. 170], पृ. 61

संभाव्य सूचनायें:

देखिए "सूचना(यें)" के नीचे

संयुक्त समिति(यां):

देखिए "समिति(यां)" के नीचे

संवाद राष्ट्रपति को:

सभा से, [नि. 247], पृ. 93

संवाद राष्ट्रपति से:

सभा को, [नि. 246], पृ. 93

"संविधान"

परिभाषा, [नि. 2], पृ. 1

राष्ट्रपति का अभिभाषण, अनुच्छेद 86(1) के अन्तर्गत, [नि. 22], पृ. 09

संशोधन चाहने वाले विधेयक:

खण्डों और अनुसूचियों के संशोधनों पर मतदान, [नि. 156], पृ. 56

खण्डों और अनुसूचियों पर मतदान, [नि. 155], पृ. 56

प्रस्तावों पर मतदान, [नि. 158], पृ. 57

विभाजन द्वारा मतदान, [नि. 158], पृ. 57

संविहित आयोग:

देखिये "आयोग संविहित"

संविहित न्यायाधिकरण:

देखिये "न्यायाधिकरण, संविहित"

संशोधन(नों):

रखा जाना, [नि. 347], पृ. 133

राज्य सभा द्वारा लोक सभा को लौटाये गये अधीनस्थ विधान संबंधी, [नि. 237], पृ. 88

लम्बित, पर सत्रावसान का प्रभाव, [नि. 336], पृ. 130

विधेयकों में:

क्रम, विचार करने का, [नि. 85], पृ. 39

ग्राह्यता की शर्तें, [नि. 80], पृ. 37

चुनाव अध्यक्ष द्वारा नये खण्डों या-का, [नि. 83], पृ. 38

परिचालित करने का प्रस्ताव, [नि. 75(3)], पृ. 34

प्रवर समिति को निर्देशित करने का प्रस्ताव, [नि. 75(3)], पृ. 34

प्रस्तुत करने की रीति, [नि. 86], पृ. 39

राष्ट्रपति की मंजूरी या सिफारिश संबंधी, राष्ट्रपति के आदेश का मंत्री द्वारा लोक सभा महासचिव तक पहुंचाना, [नि. 82], पृ. 38

वापस लेना, [नि. 87], पृ. 39

विन्यास, [नि. 84], पृ. 38

संशोधनों पर संशोधन, [नि. 134], पृ. 51

सिद्धांत की चर्चा के समय, [नि. 75(2)], पृ. 34

सूचना, [नि. 79], पृ. 37

सूचना के साथ राष्ट्रपति की मंजूरी या सिफारिश अनुबद्ध करना, [नि. 81], पृ. 38

व्याप्ति, [नि. 344], पृ. 132

संवरण, [नि. 346], पृ. 132

की सूचना, [नि. 345], पृ. 132

संसद के सदनों की संयुक्त बैठक (कें):

कार्यवाही का वृत्तान्त, पृ. 166

गणपूर्ति, पृ. 166

पीठासीन पदाधिकारी, पृ. 166

प्रक्रिया, पृ. 166

बैठक का समय, पृ. 166

सदस्यों को आमंत्रण, पृ. 166

संसद के सदनों के बीच संवाद:

सदस्यों के संदेशों की सूचना, पृ. 167

संदेशों के भेजने की रीति, पृ. 167

संदेशों के विषय के संबंध में कार्यवाही करने की प्रक्रिया, पृ. 167

संसद के सदनों (संयुक्त बैठकें तथा संवाद) संबंधी नियम, पृ. 165

संसदीय पत्र(त्रों):

पत्रों की अभिरक्षा, [नि. 383], पृ. 148

मुद्रण तथा प्रकाशन, [नि. 382], पृ. 147

परिभाषा, [नि. 2], पृ. 1

देखिये "समिति(यां)" के नीचे भी

सत्रावसान:

राष्ट्रपति द्वारा, [नि. 24], पृ. 9

लम्बित प्रस्ताव, संकल्प अथवा संशोधन पर प्रभाव, [नि. 336], पृ. 130

लम्बित सूचनाओं का व्यपगमन, [नि. 335], पृ. 130

संसदीय समितियों के समक्ष लम्बित कार्य का, पर व्यपगत न होना, [नि. 284], पृ. 104

सदन नेता:

गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य:

अध्यक्ष द्वारा, से परामर्श के पश्चात् समय का नियतन, [नि. 26], पृ. 10

सभा की गोपनीय बैठक के लिए, सदन नेता द्वारा प्रार्थना, [नि. 248], पृ. 94

सरकारी कार्य का विन्यास:

अध्यक्ष द्वारा, से परामर्श, [नि. 25], पृ. 10

"सदनों":

परिभाषा, [नि. 2], पृ. 1

सदस्य (यों):

अध्यक्ष के खड़े होने पर प्रक्रिया, [नि. 361], पृ. 138

अध्यक्ष द्वारा बुलाये जाने पर बोलने का हक, [नि. 350], पृ. 135

नामावली, [नि. 6], पृ. 3

निरर्हता, लोक सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता), [नि. 1985], पृ. 175

निलम्बन, सदस्य का, [नि. 374क], पृ. 144

परिभाषा, [नि. 2], पृ. 1

प्रश्नों का व्यपगत होना, द्वारा मांगी गई सूचना न देने पर, [नि. 52], पृ. 23

बन्दीकरण, निरोध आदि:

दण्डाधिकारी द्वारा अध्यक्ष को सूचना देना, [नि. 229], पृ. 84

दण्डाधिकारी से प्राप्त सूचना के साथ व्यवहार, [नि. 230], पृ. 85

बन्दीकरण, निरोध, दोषसिद्धि या रिहाई के बारे में सूचना का प्रपत्र, पृ. 155

भाषण में असंगति या पुनरुक्ति, [नि. 356], पृ. 137

भाषणों का क्रम और उत्तर देने का अधिकार, [नि. 358], पृ. 137

मौखिक उत्तरों के लिए प्रश्नों की संख्या, जो एक दिन में पूछ सकता है, [नि. 37], पृ. 15

मत पर आपत्ति, [नि. 371], पृ. 143

रिहाई:

अध्यक्ष को सम्बोधित प्राधिकारी द्वारा सूचना, [नि. 230], पृ. 85

विधेयकः

व्यक्ति जो प्रस्ताव कर सकेगा, [नि. 76], पृ. 35

वैयक्तिक स्पष्टीकरण, [नि. 357], पृ. 137

शपथ या प्रतिज्ञान, [नि. 5], पृ. 3

संभाव्य सूचनाएं, [नि. 333], पृ. 129

संसदीय समितियांः

अनुपस्थिति, का हटाना, [नि. 260], पृ. 99

सदस्यता के लिए निर्वाचन या नामनिर्देशन, [नि. 254], पृ. 96

सदस्यता पर आपत्ति संबंधी प्रक्रिया, [नि. 255], पृ. 96

सदस्यता से त्यागपत्र, [नि. 257], पृ. 98

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमतिः

असमाप्त छुट्टी का व्यपगमन, [नि. 245], पृ. 92

आवेदन पत्र, [नि. 242], पृ. 92

आवेदन पत्र का समिति को निर्देशन, [नि. 243], पृ. 92

सभा के, विनिश्चय की, को सूचना, [नि. 244], पृ. 92

सभा के सत्र के लिये आमंत्रण, [नि. 3], पृ. 3

सभा के स्थानों का त्यागः प्रक्रिया, [नि. 240], पृ. 90

सभा को सम्बोधित करने की रीति, [नि. 351], पृ. 135

सभा में उपस्थित रहते समय सदस्यों द्वारा पालनीय नियम, [नि. 349], पृ. 133

सभा में बैठने का क्रम, [नि. 4], पृ. 3

सभा में बोलने का नियम, [नि. 360], पृ. 138

सभा में स्थानों का रिक्त होना, [नि. 241], पृ. 91

सभा से बाहर चला जाना, [नि. 373], पृ. 144

सूचनाएं, [नि. 332], पृ. 129

सूचनाओं तथा पत्रों का, में परिचालन [नि. 334], पृ. 129

संदेशः

राष्ट्रपति से, [नि. 23], पृ. 9

"सभा"

परिभाषा, [नि. 2(1)], पृ. 1

स्थगन, [नि. 15], पृ. 7

सभा का कार्यः

वित्तीय कार्य के लिए निश्चित दिन लिया जा सकने वाला अन्य, [नि. 220], पृ. 82

सभा का नेताः

परिभाषा, [नि. 2], पृ. 1

सभा का परिसरः

परिभाषा, [नि. 2], पृ. 1

बन्दीकरण के लिए अध्यक्ष की अनुज्ञा आवश्यक, [नि. 232], पृ. 85

वैध आदेश के निर्वहन के लिए अध्यक्ष की अनुज्ञा आवश्यक, [नि. 233], पृ. 85

सभा का भवनः

उपयोग पर निर्बन्धन, [नि. 384], पृ. 148

सभा का विनिश्चयः

प्राप्त करने की प्रक्रिया, [नि. 364], पृ. 139

सभा की कार्यवाहीः

गोपनीय बैठकों की कार्यवाही, [नि. 251-52], पृ. 94-95

वृत्तान्त, [नि. 249], पृ. 94

निकाले गए शब्दों के संबंध में कार्यवाही वृत्तांत में संकेत करना, [नि. 381], पृ. 147

वृत्तांत [नि. 379], पृ. 147

देखिये "वाद-विवाद" भी

सभा की बैठक(कों):

अजनबियों का प्रवेश अध्यक्ष के आदेशानुसार विनियमित, [नि. 386], पृ. 148

अनुपस्थिति की अनुमतिः

असमाप्त छुट्टी का व्यपगमन, [नि. 245], पृ. 92

आवेदन-पत्र, [नि. 242], पृ. 92

आवेदन-पत्रों का सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति को निर्देशन, [नि. 243], पृ. 92

सभा के विनिश्चय की सदस्यों को संसूचना, [नि. 244], पृ. 92

गोपनीय बैठकें, [नि. 248], पृ. 94

अन्य प्रकरणों में प्रक्रिया, [नि. 250], पृ. 94

कार्यवाही का प्रकाशन, [नि. 251], पृ. 94

कार्यवाही का वृत्तान्त, [नि. 249], पृ. 94

कार्यवाही के बारे में गोपनीयता का प्रतिबन्ध हटाना, [नि. 251], पृ. 94

कार्यवाही या विनिश्चयों का प्रकट करना, विशेषाधिकार का भंग, [नि. 252], पृ. 95

प्रक्रिया, [नि. 248], पृ. 94

दिनों का निर्देश अध्यक्ष द्वारा, [नि. 13], पृ. 7

निलम्बित करने की अध्यक्ष की शक्ति, [नि. 375], पृ. 145

आरम्भ और समाप्ति, [नि. 12], पृ. 7

विधिवत गठित होना, [नि. 11], पृ. 7

संसदीय समितियों की बैठक के समय सम्भव, [नि. 265], पृ. 100

समाप्ति का समय, [नि. 14], पृ. 7

स्थगन, [नि. 15], पृ. 7

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति:

देखिये "समिति(यों)" के नीचे

"सभा-कक्ष" (लाबी)

परिभाषा, [नि. 2], पृ. 1

सभापति:

शक्तियां, [नि. 10], पृ. 6

सभापति-तालिका:

अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशन, [नि. 9], पृ. 5

समाचार:

अनियत दिन वाले प्रस्तावों की सूचना का प्रकाशन, [नि. 189], पृ. 67

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति:

विधेयकों के वर्गीकरण और समय के नियतन के आदेश की समाचार में अधिसूचना, [नि. 296], पृ. 107

समापन:

वाद-विवाद का, [नि. 362], पृ. 138

स्थगन प्रस्ताव पर, [नि. 62], पृ. 29

समिति (यां):

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी:

कृत्य, [नि. 331क], पृ. 123

गठन, [नि. 331ख], पृ. 124

अधीनस्थ विधान संबंधी:

अध्यक्ष की निदेश देने की शक्ति, [नि. 322], पृ. 120

आदेशों का संख्यांकन और प्रकाशन, [नि. 319], पृ. 119

कर्त्तव्य, [नि. 320], पृ. 119

कृत्य, [नि. 317], पृ. 118

गठन, [नि. 319], पृ. 119

प्रतिवेदन, [नि. 321], पृ. 120

आवास:

अन्य प्रकरणों में लागू होने वाले उपबन्ध, पृ. 168

आवास स्थान उप-समिति, पृ. 169

कार्यवाही का अभिलेख, पृ. 170

नियुक्ति की शक्ति, पृ. 169

विनिश्चय के विरुद्ध अपील, पृ. 170

सचिवालय, पृ. 169

कार्यवाही सारांश का अभिलेख, पृ. 170

कृत्य, पृ. 169

गठन, पृ. 168

गणपूर्ति, पृ. 168

कार्य मंत्रणा:

कृत्य, [नि. 288], पृ. 105

गठन, [नि. 287], पृ. 104

प्रतिवेदन, [नि. 289], पृ. 105

समय के नियतन का आदेश, [नि. 290], पृ. 105

समय के नियतन के अनुसार विषयों का निपटारा, [नि. 291], पृ. 106

समय के नियतन के आदेश में परिवर्तन, [नि. 292], पृ. 106

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी:

अवशिष्ट विषयों का निपटारा, [नि. 297], पृ. 107

कृत्य, [नि. 294], पृ. 106

गठन, [नि. 293], पृ. 106

विधेयकों का वर्गीकरण और समय के नियतन के आदेश की समाचार में अधिसूचना, [नि. 296], पृ. 107

सभा में प्रतिवेदन पर प्रस्तुत प्रस्ताव, [नि. 295], पृ. 107

नियम:

कृत्य, [नि. 329], पृ. 122

गठन, [नि. 330], पृ. 122

प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना, [नि. 331], पृ. 122

परिभाषा, [नि. 253], पृ. 96

ग्रंथालय:

अन्य प्रकरणों में भी लागू होने वाले उपबन्ध, पृ. 171

कृत्य, पृ. 171

गठन, पृ. 170

बैठकों से अनुपस्थित सदस्यों को हटाना, पृ. 171

सदनों की बैठक के समय, की बैठक का होना, पृ. 171

सदस्यों का समिति से त्यागपत्र, पृ. 171

प्रवर:

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद के प्रस्ताव, [नि. 77], पृ. 36

प्रतिवेदन पर वाद-विवाद की व्याप्ति, [नि. 78], पृ. 37

विधेयकों का, को निर्देशित करने का प्रस्ताव, [नि. 75(3)], पृ. 34

विधेयकों की वापसी के प्रस्ताव की सूचना का स्वत: सौंपा गया माना जाना, [नि. 109], पृ. 44

प्राक्कलनः

कृत्य, [नि. 310], पृ. 113

गठन, [नि. 311], पृ. 114

प्राक्कलनों की जांच, [नि. 312], पृ. 114

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी–गठन, [नि. 331ण], पृ. 127

कृत्य, [नि. 331त], पृ. 124

अन्य समितियों द्वारा विचार न किये जाने वाले विषय, [नि. 331थ], पृ. 128

याचिकाः

कृत्य, [नि. 307], पृ. 111

गठन, [नि. 306], पृ. 111

याचिकाओं का, को निर्देश, [नि. 169], पृ. 60

लोक लेखाः

कृत्य, [नि. 308], पृ. 112

गठन, [नि. 309], पृ. 113

विधेयकों पर प्रवरः

गठन, [नि. 298], पृ. 108

प्रतिवेदन, [नि. 303], पृ. 108

प्रस्तुतीकरण, [नि. 304], पृ. 109

मुद्रण तथा प्रकाशन, [नि. 305], पृ. 110

संशोधनों की सूचना और सामान्य प्रक्रिया, [नि. 300], पृ. 108

समिति के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों की बैठक में उपस्थिति, [नि. 299], पृ. 108

समिति के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों द्वारा संशोधन की सूचना, [नि. 301], पृ. 108

साक्ष्य लेने की शक्ति, [नि. 302], पृ. 108

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियांः

अनुदानों की मांगें, [नि. 331छ], पृ. 126

कृत्य, [नि. 331ङ], पृ. 125

कार्यकाल, [नि. 331घ (4)], पृ. 125

गठन, [नि. 331घ], पृ. 124

प्रक्रिया, [नि. 331ज], पृ. 126
प्रतिवेदनों का स्वरूप, [नि. 331ढ], पृ. 127
प्रयोज्यता, [नि. 331च], पृ. 125
बैठक स्थल, [नि. 331ट], पृ. 127

विशेषाधिकार:

अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार प्रश्नों का, को सौंपना, [नि. 227], पृ. 84
गठन, [नि. 313], पृ. 116

प्रतिवेदन:

विचार, [नि. 315], पृ. 116
विचार के लिए पूर्ववर्तिता, [नि. 316], पृ. 116
प्रश्नों की जांच, [नि. 314], पृ. 116
विशेषाधिकार प्रश्नों पर सभा या समिति द्वारा विचार, [नि. 226], पृ. 84

संयुक्त:

प्रस्तुत करने के बाद के प्रस्ताव, [नि. 77], पृ. 36
वाद-विवाद की व्याप्ति, [नि. 78], पृ. 37
संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संबंधी:
वेतन तथा भत्ते संबंधी प्रावधान, (परिशिष्ट 3), पृ. 172
विधेयकों का, को निर्देशित करना, [नि. 74(3)], पृ. 33
विधेयकों का, को निर्देशित करने का प्रस्ताव, [नि. 75(3)], पृ. 34
विधेयकों की वापसी के प्रस्ताव की सूचना पर स्वत: को सौंपा गया माना जाना, [नि. 110], पृ. 44

संसदीय:

अध्यक्ष की निदेश देने की शक्ति, [नि. 283], पृ. 104
अध्यक्ष की प्रक्रिया पर सुझाव देने की शक्ति, [नि. 281], पृ. 104
अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित, की पदावधि, [नि. 256], पृ. 97
असमाप्त कार्य, [नि. 285], पृ. 104
उप-समितियों की नियुक्ति की शक्ति, [नि. 263], पृ. 99
गणपूर्ति, [नि. 259(1)], पृ. 98
गणपूर्ति न होने पर बैठक का निलम्बन या स्थगन, [नि. 259(2)], पृ. 99

गणपूर्ति न होने पर लगातार दो दिन तक बैठक के स्थगित होने की सभा या अध्यक्ष को सूचना, [नि. 259(3)], पृ. 99
गुप्त रूप से बैठकें, [नि. 266], पृ. 100
नियुक्ति, [नि. 254], पृ. 96
पर्यालोचन के समय अजनबियों की उपस्थिति निषिद्ध, [नि. 268], पृ. 100
प्रतिवेदन, [नि. 277], पृ. 103
प्रस्तुतीकरण, [नि. 280], पृ. 103
प्रस्तुतीकरण, से पहले मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन, [नि. 280], पृ. 103
प्रस्तुतीकरण से पहले सरकार को उपलब्ध कराना, [नि. 278], पृ. 103
बैठकों का स्थल, [नि. 267], पृ. 100
बैठकों के लिए दिन और समय का निश्चय सभापति द्वारा, [नि. 264], पृ. 99
बैठकों से अनुपस्थित सदस्यों को हटाना, [नि. 260], पृ. 99
मतदान, [नि. 261], पृ. 99
लम्बित कार्य का सभा के सत्रावसान पर व्यपगत न होना, [नि. 284], पृ. 104
लोक सभा की बैठकों के समय, की बैठकें सम्भव, [नि. 265], पृ. 100
विनिश्चयों का अभिलेख रखना, [नि. 274], पृ. 103
विशेष प्रतिवेदन, [नि. 276], पृ. 103
विस्तृत नियम बनाने की शक्ति, [नि. 282], पृ. 104
शपथ पर साक्ष्य लेना, [नि. 272], पृ. 101
सदस्यता पर आपत्ति सम्बन्धी प्रक्रिया, [नि. 255], पृ. 96
सदस्यता से त्यागपत्र, [नि. 257], पृ. 98
सभापति का निर्णायक मत, [नि. 262], पृ. 99
सभापति की अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति, [नि. 258], पृ. 98
साक्षियों की जांच के लिए प्रक्रिया, [नि. 273], पृ. 101
साक्षी के लिए वकील, [नि. 271], पृ. 101
साक्ष्य का पटल पर रखना, [नि. 275(1)], पृ. 103
साक्ष्य, प्रतिवेदन और कार्यवाही की गोपनीयता, [नि. 275], पृ. 103
साक्ष्य लेने, व्यक्तियों को बुलाने तथा पत्रों, अभिलेखों और दस्तावेज मंगाने की शक्ति, [नि. 269-70], पृ. 100-101
सामान्य नियमों का, पर लागू होना, [नि. 286], पृ. 104

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी:

अनुपस्थिति की अनुमति की सिफारिश, [नि. 327], पृ. 121

अनुपस्थिति की अनुमति की सिफारिश न किये जाने पर प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना, [नि. 328], पृ. 122

अनुपस्थिति की अनुमति के लिए आवेदन-पत्रों को, को निदेश, [नि. 243], पृ. 92

कृत्य, [नि. 326], पृ. 121

गठन, [नि. 325], पृ. 121

सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी:

कृत्य, [नि. 305ख], पृ. 110

गठन, [नि. 305क], पृ. 110

सरकारी आश्वासनों संबंधी:

कृत्य, [नि. 323], पृ. 120

गठन, [नि. 324], पृ. 120

सरकारी उपक्रमों संबंधी:

कृत्य, [नि. 312क], पृ. 114

गठन, [नि. 312ख], पृ. 115

सामान्य प्रयोजन:

अन्य प्रकरणों में लागू होने वाले उपबन्ध, पृ. 168

कृत्य, पृ. 168

गठन, पृ. 168

सम्बोधन:

अध्यक्ष द्वारा, [नि. 360], पृ. 138

सरकार, केन्द्र:

केन्द्रीय तथा, राज्य सरकारों के बीच पत्र-व्यवहार से संबंधित प्रश्न, [नि. 42], पृ. 19

सरकार (रों), राज्य:

केन्द्रीय तथा, राज्य सरकारों के बीच पत्र-व्यवहार से संबंधित प्रश्न, [नि. 42], पृ. 19

सरकारी आश्वासनों संबंधी समितिः

देखिये "समिति(यां)" के नीचे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समितिः

देखिये "समिति(यां)" के नीचे

सरकारी कार्यः

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का सरकारी विधेयक या अन्य, के पक्ष में निलम्बन, [नि. 19(2)], पृ. 8

विन्यास, [नि. 25], पृ. 10

सरकारी विधेयक (कों):

देखिये "विधेयक (कों)" के नीचे

सांकेतिक अनुदानः

देखिये "आय-व्ययक" के नीचे

सांकेतिक कटौती प्रस्तावः

देखिये "आय-व्ययक" के नीचे

साक्ष्यः

विधेयकों पर प्रवर समितियों की, लेने की शक्ति, [नि. 302], पृ. 108

संसदीय समितियांः

शपथ पर, लेना, [नि. 272], पृ. 101

साक्षियों की जांच के लिए प्रक्रिया, [नि. 273], पृ. 101

साक्षी को वकील नियुक्त करने की अनुमति, [नि. 271], पृ. 101

संसदीय समितियों द्वारा, लेना, [नि. 269], पृ. 100

सामान्य प्रयोजन समितिः

देखिये "समिति(यां)" के नीचे

सूचना (एं) (ओं):

कटौती प्रस्ताव की, [नि. 212], पृ. 78

पहले से प्रचार पर रोक, [नि. 334क], पृ. 130

प्रश्नों और प्रस्तावों आदि की, का अध्यक्ष द्वारा संशोधन, [नि. 337], पृ. 130

प्रश्नों के लिए, [नि. 33], पृ. 14

रूप, [नि. 34], पृ. 14

संकल्प, [नि. 170], पृ. 61

सूचना देने की प्रक्रिया, [नि. 332], पृ. 129

संभाव्यः

सदस्यों द्वारा, [नि. 333], पृ. 129

संशोधन की, [नि. 345], पृ. 132

सत्रावसान होने पर लम्बित सूचनाओं का व्यपगमन, [नि. 335], पृ. 130

सदस्यों द्वारा, [नि. 332], पृ. 129

सभा के स्थानों के त्याग संबंधी सूचनाएं , [नि. 240], पृ. 90

सदस्यों में परिचालन, [नि. 334], पृ. 129

स्थगन प्रस्ताव के लिये, देने की रीति, [नि. 57], पृ. 27

स्थगनः

विधेयक पर वाद-विवाद का, [नि. 109], पृ. 44

सभा का और पुनः बुलाने की प्रक्रिया, [नि. 15], पृ. 7

स्थगन प्रस्ताव (वों):

अध्यक्ष की सम्मति आवश्यक, [नि. 56], पृ. 27

अध्यक्ष द्वारा सम्मति देने से इन्कार करने का कारण बताना इच्छा पर निर्भर, [नि. 60(1)], पृ. 29

प्रस्ताव करने के अधिकार पर निर्बन्धन, [नि. 58], पृ. 27

प्रस्तुत करने की अनुमतिः

आपत्ति की जाने पर 50 सदस्यों का पक्ष में होना आवश्यक, [नि. 60(2)], पृ. 29

प्रस्तुत करने की अनुमति, [नि. 60], पृ. 29

भाषणों के लिए समय-सीमा, [नि. 63], पृ. 29

लेने का समय, [नि. 61], पृ. 29

वाद-विवाद का समापन, [नि. 62], पृ. 29

संविहित न्यायाधिकरण, प्राधिकारी व आयोग आदि के विचाराधीन
विषयों पर अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा, [नि. 59], पृ. 28
सूचना, [नि. 57], पृ. 27